लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 5 मार्च, 1992 / 15 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
196	2	प्रश्न संख्या "1518" के स्थान पर "1528" पढ़िये।
196	नीचे से पंक्ति 4	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 9, गुरुवार, 5 मार्च, 1992/15 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 122, 123 और 125 से 131	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—292
तारांकित प्रश्न संख्या : 132 से 141	23—115
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1399 से 1412, 1414 से 1438, 1440 से 1457, 1459 से 1504, 1506 से 1622 और 1624 से 1632	116—292
गेहूं के आयात के बारे में	293—310
सभा पटल पर रखे गए पत्र	310—313
राज्य सभा से संदेश	314
विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1992	314
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया	
प्राक्कलन समिति	314
आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	314—318
(एक) हुबली और बेल्लारी में हवाई अड्डों का विकास करने और मैसूर कर्नाटक में हवाई पट्टी को बंद करने के निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	314
(दो) बोलनगीर, उड़ीसा में शुष्क भूमि कृषि प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता	
श्री शरत चन्द्र पटनायक	315

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) तमिलनाडु में अराकोणम रेलवे स्टेशन पर कोवई एक्सप्रेस को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री आर० जीवरत्नम	315
(चार) कर्नाटक के दक्षिण कनारा में उच्च तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए रूस की सरकार से बातचीत करने की आवश्यकता	
प्रो० के० वेंकटगिरि गौडा	315
(पांच) सहरसा, बिहार को विमान-सेवा से जोड़ने की आवश्यकता	
श्री सूर्य नारायण यादव	316
(छः) बिहार के भोजपुर जिले में, जगदीशपुर में विद्युत-ग्रिड को शीघ्र पूरा करने के लिए स्वीकृत की जा चुकी धनराशि को शीघ्र जारी करने की आवश्यकता	
श्री तेज नारायण सिंह	317
(सात) आंध्र प्रदेश के गन्ना-उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता	
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	317
(आठ) सरदार सरोवर परियोजना के लिए धन एकत्र करने हेतु "इंडियन यूनिटी सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट सीरीज" जारी करने की आवश्यकता	
श्री हरिन पाठक	317
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	318—378
श्री श्रवण कुमार पटेल	319
श्री शंकर सिंह वाघेला	322
श्री सैयद शाहबुद्दीन	327
श्रीमती गीता मुखर्जी	331
श्री सुख राम	335
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	339
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	343
श्री चिरंजी लाल शर्मा	352
श्री मदन लाल खुराना	356
श्री राम विलास पासवान	361
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	369
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	373
प्रो० प्रेम धूमल	377

लोक सभा

बुधवार, 5 मार्च, 1992/15 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे मध्य पूर्व पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मानव अधिकार आयोग

*122. श्री शरद दिघे :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक मानव अधिकार आयोग नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन होंगे और इसके कार्य क्या होंगे;

(ग) इसकी नियुक्ति कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई विधेयक सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) मानव अधिकार आयोग गठित करने के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि इस मानव अधिकार आयोग की स्थापना के बारे में सरकार अध्ययन कर रही है। मेरा प्रश्न इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र में मानव अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करने और उनके निपटारे के लिए इस प्रकार के मानव अधिकार आयोग की स्थापना का वायदा किया गया था और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सहित अनेक देशों में गैर-सरकारी मानव अधिकार आयोग कार्यरत हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस प्रकार की एक प्रमाणिक संस्था की स्थापना आवश्यक है। जहां तक मानव अधिकारों के उल्लंघन का सम्बन्ध है, भारत ने कुछ भी नहीं छिपाया है। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस आयोग के गठन में किन कारणों से देर की जा रही है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह वायदा किया गया था कि "हम मानव अधिकार आयोग की स्थापना का विचार रखते हैं", लेकिन देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की स्थापना उचित होगी अथवा इसकी स्थापना

अन्य रूप में होनी चाहिए। वास्तव में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इसकी स्थापना किस रूप में हो।

श्री शरद दिघे : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार इस बीच मानव अधिकारों के उल्लंघन, विशेषकर जहां तक पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर का सम्बन्ध है, से सम्बन्धित सभी आरोपों के निदान के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक सेल स्थापित करने का है।

श्री एस० बी० चव्हाण : वास्तव में मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता कि यह एक सैल है, परन्तु इस सम्बन्ध में लघु दल वास्तव में कार्यरत है जहां हम उन विभिन्न क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जहां अर्ध सैनिक बलों सैन्य बलों को कतिपय कार्यों के लिए नियुक्त किया जा रहा है और सैन्य बलों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की इस दल द्वारा जांच की जा रही है। अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय गठित करने की उनकी अपनी प्रक्रिया है और यह बहुत ही खुशी की बात थी कि जब भी सेना के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए, तो सेना ने स्वयं ऐसे प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया जैसे स्वयं सेवी संगठनों द्वारा उन आरोपों की छान-बीन की जो उनके विरुद्ध लगाए गए थे और बहुत ही खुशी की बात है कि वे सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे कि सेना के विरुद्ध लगाये गये निष्कर्ष बिल्कुल ही आधारहीन थे।

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : महोदय, हमारे संविधान द्वारा बंधुआ मजदूरी पर निषेध लगाया गया है। फिर भी हाल ही में गांधी शांति प्रतिष्ठान (गांधी पीस फाउंडेशन) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 2.6 लाख बंधुआ मजदूर हैं। इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है ? क्या यह सत्य है कि सरकार इसमें सहयोग देती है ? दूसरे, भारत में बाल मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है। क्या यह सत्य है और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इस प्रश्न के सन्दर्भ में मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन यदि माननीय सदस्य एक भिन्न प्रश्न करना चाहते हैं और वह भी मंत्रालय से सम्बद्ध तो उन्हें उचित उत्तर दिया जाएगा।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, यह किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज हो सकती है जिसने इसे भविष्य में सरकार की प्रस्तावित कार्यवाही के रूप में शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणापत्र तैयार किया गया है। परन्तु क्या यह सरकार वास्तव में ऐसा समझती है कि एक स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस आदि के रहते हुए सरकार की उन शिकायतों की छान-बीन करने के लिए, जो कि देश में समय-समय पर की जाती है, एक मानव अधिकार आयोग गठित करना चाहिए ? मैं समझता हूं कि सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि सरकार द्वारा इस प्रकार के आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है और वह भी विशेषकर देश में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका और प्रेस के रहते हुए।

श्री एस० बी० चव्हाण : क्या मैं माननीय सदस्य से प्रश्न दुहराने का अनुरोध कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है क्या मानव अधिकार आयोग का गठन आवश्यक है।

श्री एस० बी० चव्हाण : हमारे यहां न्यायपालिका है, हमारे यहां संसद है, हमारे यहां विभिन्न संस्थाएं कार्यरत हैं जो वास्तव में इन सभी प्रश्नों के सन्दर्भ में स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकती हैं। लेकिन इन सभी के साथ भी अन्य देशों में, जहां इस प्रकार की संस्थाएं वर्तमान हैं, स्वतन्त्र संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो कि मानव अधिकार आयोग है और उन्हें सराहना मिली है। दुर्भाग्यवश, हम आयोग का गठन कर पाने में सक्षम नहीं हुए हैं और यही कारण है कि भारत में सभी प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं और ये बिल्कुल तोड़-मरोड़ कर सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं जिन्हें मानव अधिकार आयोग, एमनेस्ट्री इंटरनेशनल द्वारा संकलित कर लिया जा रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री जी के पूरक प्रश्न द्वारा प्रेरित है कि वे अभी भी यह सोच रहे हैं कि क्या इस आयोग को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए अथवा इसे अन्य रूप में होना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि इस वाद-विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस आयोग की जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, कोई उपादेयता होगी और क्या संविधान के अन्तर्गत संसद द्वारा पारित कानून के तहत गठित तटस्थ और स्वतन्त्र आयोग नियुक्त करना उचित नहीं होगा ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इसी प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मानव अधिकार आयोग का गठन कर लिया है? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने राज्य सरकारों को ऐसे मानव अधिकार आयोग गठित करने के लिए कोई गाइडलाइन दी ? अगर गाइडलाइन दी तो उसका क्या मापदंड है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : केन्द्र प्रशासन इस मामले में अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में हमारे द्वारा गाइडलाइन देने का मतलब ही पैदा नहीं होता।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय आवासी स्कूल

*123. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय आवासी स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992 के दौरान ऐसे कितने स्कूल खोले जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया जाएगा ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : (क) आदिवासीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना 90-91 से चल रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का आवंटन है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 44 आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु अनुदान निर्मुक्त किए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत स्कूल, भवनों के निर्माण तथा विद्यमान आश्रम स्कूलों के स्तरोन्नयन के लिए राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय आवासीय स्कूलों की स्थापना कर रही है जहां पर कि मंत्री जी कह रहे हैं कि वर्ष 1990-91 से जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का प्रावधान किया गया है। पब्लिक स्कूलों के परिणाम बहुत अच्छे आते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बालयोगी जी, आपको प्रश्न पढ़ना नहीं है, पूछना है।

[अनुवाद]

आपको प्रश्न पूछना है।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार आश्रम स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए और किसी समस्या से बचने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के उत्थान तथा बेहतर शिक्षा देने के लिए क्या कोई केन्द्रीय पब्लिक स्कूल की स्थापना करने जा रही है ताकि स्कूल छात्र पढ़ाई बीच में न छोड़ें।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : वर्ष 1991 और वर्ष 1992 में, दोनों को मिला कर, आश्रम स्कूल आलरेडी सभी प्रदेशों में हैं, खासकर के अनुसूचित जनजातियों के लिए खुले हुए हैं और वे काम भी कर रहे हैं। जहां तक प्रदेश सरकार का प्रश्न है, सारे देश में प्रदेश सरकारों के अंतर्गत तकरीबन 1555 आश्रम स्कूल खुले हुए हैं और वे चल रहे हैं, प्रदेशीय सरकारों के स्तर पर। हमारे पास वर्ष 1991-92 में 44 ऐसे स्कूल खोलने की, आश्रम स्कूल खोलने की एक योजना है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी : इस वर्ष को हम महान नेता डा० भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में आयोजित कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार डा० भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में कोई विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी : मान्यवर, बाबा साहेब अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के इस अवसर पर, बहुत सारी योजनाएं इस तरह की हैं और ऐसे विद्यालयों के सम्बन्ध में भी योजना है। लखनऊ

यूनिवर्सिटी वहां बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर खोली भी गयी हैं। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए एक योजना, योजना विभाग के पास हमने भेजी है, जिसकी स्वीकृति मिलने पर, निश्चित रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मरण में, उनकी स्मृति में उन स्कूलों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय आवासी स्कूलों में कितने बच्चों की कम से कम संख्या रहेगी और सरकार की ओर से उन्हें और कौन-सी विशेष सुविधायें दी जायेंगी।

श्री सीताराम केसरी : हर आश्रम स्कूल में तकरीबन 8 कक्षाएं होंगी और प्रत्येक कक्षा में 35 से 45 तक लड़के रहेंगे। इस तरह एक स्कूल में तकरीबन 400 लड़के हो सकते हैं। कुल 44 स्कूल खोले जाने हैं, इस हिसाब से, मल्टीप्लाई करने पर, लगभग 32000 बच्चे उन स्कूलों में होंगे।

श्री रतिलाल वर्मा : उन्हें और कौन-सी विशेष सुविधायें दी जायेंगी, सरकार की ओर से उपलब्ध करायी जायेंगी, यह भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार/श्री संघप्रिय गौतम (?) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें बताया है कि शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 44 आश्रम स्कूल खोले जाने की योजना है परन्तु शैड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों के लिए कितने स्कूल खोले जायेंगे, उसके आंकड़े नहीं दिए गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों के लिए, जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं उनकी ड्रॉप-आउट बहुत ज्यादा है, भी क्या कोई ऐसे स्कूल खोले जाने की सरकार की इच्छा है। यदि शैड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों के लिए भी कोई आश्रम स्कूल खोलने की योजना है तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री सीताराम केसरी : मैंने अभी कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट की लड़कियों के लिए आश्रम स्कूल खोले जाने की एक योजना हमने योजना विभाग के पास भेजी है और उम्मीद है कि उसकी स्वीकृति मिलने पर निश्चित रूप से उनके लिए स्कूल खोले जायेंगे। यह भी मैंने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति में उन स्कूलों को समर्पित भी किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 124 ट्रांसफर हो गया है। प्रश्न संख्या 125 : श्री मुमताज अंसारी।

साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही दल

[अनुवाद]

*125. प्रो० मुमताज अंसारी :

श्री गोविन्द राम मिरधा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही बल गठित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बल के कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस बल में भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह बल सम्मिश्रित स्वरूप का होगा तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की मानक बटालियनों की तुलना में और अधिक अधिकारी-उन्मुखी होगा। बल के सदस्य विशिष्ट निपुणता वाले होंगे तथा उन्हें साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए उचित रूप से सभी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) बल द्वारा 1-7-92 से कार्य शुरू किए जाने की संभावना है ।

(घ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान कार्मिकों को पुनः वर्गीकृत तथा पुन: संगठित करके इस बल का गठन किया जा रहा है ।

श्री मुमताज अंसारी : माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि यह त्वरित कार्यवाही बल सम्मिश्रित स्वरूप का होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसमें अल्पसंख्यकों की प्रतिशत कितनी प्रतिशत होनी चाहिए । यदि यह सम्मिश्रित स्वरूप का बल होगा तो इस त्वरित कार्यवाही बल का क्या स्वरूप और रूप होगा ?

दूसरे, इस प्रकार के बल को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि यह और अधिक दक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अपने कर्त्तव्यों के प्रति प्रवृत्त हो सके और क्या ऐसे बल में और नवीन भर्ती की जाएगी अथवा नहीं। यदि वर्तमान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनों को ही पुनर्गठित और पुनर्वर्गीकृत करके इसका गठन किया जाना है तो यह एक त्वरित कार्यवाही दल कैसे कहलायेगा और यह पुराने बल से अलग कैसे होगा और साम्प्रदायिक समस्याओं का समाधान करने में यह कारगर कैसे बनेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इतने अधिक प्रश्न पूछेंगे तब आपको सभी का उत्तर नहीं मिलेगा ।

श्री एस०बी० चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं यह कहूंगा कि पंजाब में उनकी ड्यूटी के बाद उन्हें वहीं पर ही कुछ और समय के लिए नियुक्त किया जा रहा है और उसके पश्चात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कम्पनियों, जिन्हें वहां पर तैनात किया गया है, को पुनः वापस लाया जायेगा और उसके पश्चात् चयनात्मक आधार पर अनेक अधिकारियों की कार्य हेतु भर्ती के लिए हम उपयुक्तता को देखकर उनमें से चयन करेंगे और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा रिक्त स्थान भरेंगे।

माननीय सदस्य अल्पसंख्यकों की प्रतिशत के बारे में पूछ रहे थे । मैं आपको निश्चित रूप से तो नहीं बता सकता परन्तु हमारा विचार सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का है। हम उसमें अल्पसंख्यकों का एक निश्चित प्रतिशत रखेंगे ताकि उन्हें भी जनता का विश्वास प्राप्त हो सके और वे भी यह महसूस कर सकें कि किसी समुदाय विशेष के रूप में उनके साथ कोई द्वेषभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि हम उन्हें हर प्रकार से, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक पक्ष से और साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने सम्बन्धी पक्ष से प्रशिक्षण देंगे। उन्हें देश की धर्मनिरपेक्षता के पहलू को बुनियादी तौर पर समझना होगा ताकि वे हर प्रकार की स्थिति के साथ न्याय कर सकें और विभिन्न प्रकार की पलटनें वहां जा रही हैं जहां पर प्रारम्भिक प्रशिक्षण और अग्नि-शमन प्रशिक्षण उन्हें दिया जाना है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि उन्हें व्यक्ति को मारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए बल्कि जहां तक संभव हो, उसे गतिहीन करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह सब कैसे संभव हो सकता है, इस बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। दो माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मई, 1992 के अन्त तक संपूर्ण प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा और दिनांक 1-7-1992 से यह प्रारम्भ हो जाएगी।

श्री मुमताज अंसारी : अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी तक कुछ भी प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि ऐसे त्वरित कार्यवाही दल का गठन करने के लिए दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 को यह आदेश जारी किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये। कृपया आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री मुमताज अंसारी : अभी तक माननीय मंत्री ने भर्ती या पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न पर आइए।

श्री मुमताज अंसारी : माननीय मंत्री को बताना होगा कि प्रतिशत क्या रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जहां तक संभव होगा यह जन-संख्या के अनुपात में होगी।

श्री मुमताज अंसारी : यह सिर्फ काम चलाने के लिए होगा।

अध्यक्ष महोदय : इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपने प्रश्न पर आइए।

श्री मुमताज अंसारी : मोटे तौर पर अल्पसंख्यकों का प्रतिशत क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी गई। माननीय मंत्री पहले ही प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। यदि आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री मुमताज अंसारी : मेरा अगला पूरक प्रश्न है कि यह किस स्थान पर होगा क्योंकि स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक उचित स्थान न हो, तब तक संवेदनशील क्षेत्रों में यह उपलब्ध नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, स्थान क्या होगा।

श्री एस० बी० चह्वाण : हम विशेष तौर पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बटालियन भेजने का प्रस्ताव करते हैं।

श्री दीक्षा चन्द्र दीक्षित : महोदय, जहां तक सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल का सम्बन्ध है, विभिन्न समुदायों में कोई भेदभाव नहीं है। प्रतिभा और अपेक्षित योग्यताओं के आधार

पर लोगों का चयन होता है। ठीक यही स्थिति है। जो भी प्रतिभा रखता है उसका चयन किया जाता है। सैनिक बल या अर्धसैनिक बल या रैपिड एक्शन फोर्स या पुलिस बल में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ विशिष्ट प्रतिशत रखना—क्या यह संवैधानिक रूप से उचित होगा जब तक किसी अन्य सेवा में किसी विशेष समुदाय के लिए, एक खास प्रतिशतता नहीं रखी गई। क्या ऐसा निर्णय लेना उचित होगा, जिससे अन्य सेवाएं भी प्रभावित हों।

श्री एस० बी० चह्वाण : संवैधानिक रूप से, इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रत्येक समुदाय के बारे में, समाज के प्रत्येक वर्ग को यदि उचित प्रतिनिधित्व मिले। ऐसा कुछ हमने पहले से निर्णय नहीं किया कि इस समुदाय विशेष को इतना मिलेगा। प्रतिभा भी एक अपेक्षित योग्यता है। किन्तु अन्य बातें भी वहां हैं और इन्हें जनता का विश्वास भी अर्जित करना होता है। उनकी भर्ती या चयन के लिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मापदण्ड है।

श्री किरिप चालिहा : हमारी सशस्त्र सेनाएं बहु-धार्मिक समझी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या ये बहु-प्रान्तीय भी होंगी। यदि ये बहु-प्रांतीय होंगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। सी० आर० पी० एफ० में विभिन्न पदों की भर्ती के संबंध में, मैं एक बात कहूंगा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व उचित नहीं है। क्या मंत्री रैपिड एक्शन फोर्स में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की भर्ती के बारे में विशेष ध्यान देंगे?

श्री एस० बी० चह्वाण : यदि वे पहले से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह के० रि०पु० ब० के चयन का मामला है। भर्ती रिक्त होने वाले पदों के लिए ही की जाती हैं। जहां तक रैपिड एक्शन फोर्स का संबंध है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में से चयन करना होता है और निश्चय ही हम इस बात पर ध्यान देंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिले।

"सार्क" सम्मेलन

*126• श्री पी० एम० सईद :
श्री हरिन पाठक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो में हाल ही में हुए "सार्क" सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की क्या भूमिका रही;

(ख) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय लिए गए;

(ग) सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए इस शिखर सम्मेलन में कुछ उपाय करने के लिए सुझाव दिये गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (ङ) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

कोलम्बो में सार्क के छठे शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दूसरे प्रतिनिधिमण्डलों के साथ मिलकर रचनात्मक ढंग से कार्य किया तथा उसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति करवाने में सफलता मिली जो कोलम्बो घोषणा में देखे जा सकते हैं।

2. छठे सार्क शिखर सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विनिमय हुआ था और उन पर निर्णय लिए गए वे उनमें शामिल हैं : आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना, पर्यावरण की रक्षा करना और उसे बनाए रखना जिसमें प्राकृतिक विपत्तियों के समय सहायता के उपाय करना भी शामिल है, गरीबी-उन्मूलन में सहयोग, निर्धारित वर्गों के व्यक्तियों के मामले में एक मार्च से वीजा से छूट की योजना पर अमल करना तथा विशिष्ट वर्ग की एजेंसियों के बीच पारस्परिक कार्यकलाप जिससे कि सार्क के क्षेत्रों में आतंकवाद पर काबू पाया जा सके।

3 भारत सरकार के सभी सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को निर्णयों से अवगत करा दिया गया है तथा उनसे इन निर्णयों पर आगे की जरूरी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

4. सार्क नेताओं ने इस बात को माना कि अगर आतंकवाद को रोकना है और इस क्षेत्र में उसे समाप्त करना है तो सार्क के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग नितान्त आवश्यक है। उन्होंने सदस्य राज्यों का आह्वान किया कि आतंकवाद का दमन करने से सम्बद्ध सार्क के क्षेत्रीय अभिसमय के अन्तर्गत अपने-अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाने के लिए वे सभी आवश्यक कदम उठाएं। इन नेताओं ने इस अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए शीघ्रतापूर्वक अपेक्षित कानून बनाने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया तथा इस बात पर भी बल दिया कि सार्क सदस्य राज्यों के अभिकरणों के बीच निरन्तर बातचीत और पारस्परिक कार्यकलाप चलता रहना चाहिए।

श्री पी० एम० सईद : ऐसे महोदय, पहले कोलम्बो सार्क सम्मेलन दिसम्बर से भी पहले होने की आशा थी। पहले कुछ भ्रम था और अंततः हमें प्रसन्नता हुई कि यह कोलम्बो में ही आयोजित हुआ। उन्होंने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जो हमारे क्षेत्र के लिए उपयोगी है और विशेष तौर पर इन क्षेत्रों में आतंकवाद को रोकने के पहलू का उल्लेख किया गया। अपने उत्तर में, माननीय मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को रोकने का दायित्व आतंकवाद नियंत्रण संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन को निभाना है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि आतंकवाद नियंत्रण संबंधी क्षेत्रीय सम्मेलन कब तक होगा ? इसके लिए कोई स्थान निश्चित किया गया है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : सार्क के सदस्य देश जिन्होंने आतंकवाद नियंत्रण संबंधी सम्मेलन की पहले से ही अभिपुष्टि कर दी है, उनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। जहां तक भारत का प्रश्न है एक प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है। जहां तक भारत का संबंध है हम इस पर कार्य कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके हम आतंकवाद से निपटने संबंधी सम्मेलन की अपनी अभिपुष्टि को और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कानून बनायेंगे।

श्री पी० एम० सईद : अन्य कई मुद्दे हैं, जिन पर सार्क सम्मेलन में विचार हुआ है—आर्थिक सहयोग, पर्यावरण संबंधी स्थितियों की सुरक्षा और इसके संरक्षण के उपाय तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत देना। गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक सहयोग और मार्च, 1992 से कतिपय श्रेणियों के लिए वीसा छूट योजना पर अमल करना। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इस दिशा में

देश के हित में ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इन कार्यों को सदस्य राज्यों के लाभ हेतु कार्यान्वित करने के लिए क्या किसी तन्त्र की स्थापना की गई है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस मार्च महीने की पहली तारीख से उन्हें सार्क देशों की यात्रा के लिए बीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें बीजा से छूट दे दी गई है। यह 1 मार्च से लागू हो जायेगा। यह सदस्यों, उनके साथ यात्रा करने वाले पति, पत्नी तथा 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर लागू होता है। यह छूट उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा कुछ विशिष्ट विख्यात शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्षों पर लागू होती है। यह लाभ 1 मार्च से मिलेगा।

सदस्यों को यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि इतने वर्षों के आर्थिक सहयोग के पश्चात् एक नई शुरूआत हुई है। जो प्राप्त किया गया है इसे काफी कठिनाइयों के पश्चात् पाया जा सका है। जो उपलब्ध है वह सार्क सदस्य-राज्यों के मध्य व्यापार को उदार बनाने के विशिष्ट उपायों के लिए एक संस्थागत ढांचे की स्थापना सम्बन्धी समझौता है। हम विचार कर रहे हैं और सार्क के सदस्य भी सार्क प्रेफ्रेन्शियल ट्रेड अरेंजमेंट की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जो 1997 से लागू होगा। इस पर विचार किया जा रहा है। यदि यह व्यवहार्य है तो हम इसे सिद्धांत रूप में अपनाना चाहेंगे। सदस्य देश भी इसे अपनाना चाहेंगे। इसे आरम्भ किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। और क्षेत्रीय आर्थिक परियोजनाओं के लिए सार्क कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। और इस कोष का अध्यक्ष, जो कि पांच मिलियन अमरीकी डालर का कोष है, भारत है अर्थात आई०डी०बी०आई० जो कि हमारी मुख्य वित्तीय संस्था है उसका अध्यक्ष है। यह अध्यक्षता तीन वर्षों तक वैध होगी। हम ऐसी परियोजनाओं के चयन की उम्मीद करते हैं जो इस क्षेत्र के कुछ देशों के विकास के लिए लाभप्रद होंगी।

पर्यावरण के प्रश्न पर, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, अन्य बातों में—

अध्यक्ष महोदय : यदि उत्तर बहुत लम्बा है तो क्या आप उन्हें यह लिखित में भेज सकते हैं ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : ठीक है, महोदय। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अगले माह, 8 और 9 अप्रैल को यहां दिल्ली में सभी सार्क देशों की एक मंत्री स्तर की बैठक होगी जिसमें पर्यावरण के प्रश्न पर चर्चा की जायेगी तथा विशेष तौर पर जून माह में ब्राजील में होने वाले यू० एन० सी० ई० डी० के लिए एक सर्वमान्य स्थिति बन सकती है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, कोलम्बो में हुई सार्क परिषद् की बैठक में साउथ एशियन रीजन में बढ़ती हुई आतंकवादी प्रवृत्ति के बारे में विशेषकर पाकिस्तान द्वारा हिन्दुस्तान में बढ़ावा देने के बारे में क्या कोई विशेष चर्चा हुई थी ? अगर हां, तो उस पर दोनों सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बाई-लैट्रल इशूज नहीं उठते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो : जैसा कि आपने पहले ही कहा है कि द्विपक्षीय मुद्दे इस विशिष्ट कानून के दायरे में नहीं आते हैं······(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मैं पूर्ण क्षेत्र में पूरे दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री एडुआर्डो फलीरो : और यह विशिष्ट कानून सारे दृष्टिकोण का ध्यान रखता है। और इस पर अवश्य ही चर्चा होती है। अतः, इस परम्परा पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं और इसकी अभिपुष्टि भी हो चुकी है।

श्री हरिन पाठक : क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री एडुआर्डो फलीरो : हम आपके समक्ष कानून प्रस्तुत करेंगे। हमने इसकी अभिपुष्टि पहले ही कर दी है।

उत्तरांचल राज्य का गठन

[हिन्दी]

* 127. **डा० परशुराम गंगवार** :
श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक अलग राज्य (उत्तरांचल) का प्रारूप प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 12-8-1991 को पारित प्रस्ताव की एक प्रति भेजी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुमाऊं-गढ़वाल डिवीजन के आठ पर्वतीय जिलों अर्थात्, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी-गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी तथा देहरादून को मिलाकर "उत्तरांचल" नामक एक पृथक राज्य बनाने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी प्राप्त होनी है। यह सूचना प्राप्त होने तथा उसका विश्लेषण करने के बाद ही इस बारे में विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र भौगोलिक जलवायु, वातावरण, रहन-सहन, बोलचाल की दृष्टि से मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है तथा चीन, नेपाल, तिब्बत का सीमावर्ती क्षेत्र भी है। विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल

प्रदेश को अलग राज्य का प्रारूप देकर केन्द्र सरकार के पास संस्तुति हेतु भेज दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार की उत्तरांचल का नया प्रदेश बनाने के बारे में क्या नीति है?

अध्यक्ष महोदय : आपको पढ़ना नहीं है, आपको प्रश्न पूछना है।

(व्यवधान)

डा० परशुराम गंगवार : इसका मतलब वहां भोगोलिक स्थिति ऐसी है, तो अब केन्द्र सरकार की उत्तरांचल प्रदेश बनाने के लिए क्या नीति है और क्या केन्द्र सरकार उत्तरांचल बनाने के फेवर में है?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मैंने अपने पहले उत्तर में यही कहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन्तु यदि एक विशेष राज्य - एक पृथक राज्य बनाने का कोई विशेष औचित्य है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : मैं केन्द्र सरकार से यह जानना चाहूंगा कि नया प्रदेश बनने तक पहाड़ी आठ जिलों में, जो गंगोत्री, जन्मोत्री, केदारनाथ, बद्रनाथ, नीलकंठ धर्मस्थलों तथा गरीब भोली-भाली ईमानदार जनता के विकास की कोई योजना है, इसके लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से नहीं निकलता है।

[अनुवाद]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, उत्तरांचल को छोड़कर उत्तर में जम्मू और कश्मीर से पूर्व में सिक्किम, गुजरात और अरुणाचल तक हमारे हिमालय सीमाओं के सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पृथक राज्य दे दिए गए हैं। मेरा वैकल्पिक प्रश्न तीन भागों में है। पहला भाग है : क्या यह गृह मंत्री जी जानते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरांचल तथा हिमाचल दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग एक-सी है, उत्तरांचल को दी जाने वाली केन्द्रीय प्रति व्यक्ति सहायता हिमाचल को दी जाने वाली सहायता से आधी है। 44 वर्ष के बाद भी 70 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिये। आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित होना चाहिए।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : यह उत्तरांचल के विकास से संबंधित है। मंत्री महोदय ने औचित्य के बारे में बात की थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई औचित्य बताने या प्रस्तावना देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : उन्होंने कहा है कि वे औचित्य के बारे में निर्णय करने जा रहे हैं। क्या उन्हें इसकी जानकारी है कि सही मायने में इस क्षेत्र की विकास गतिविधियां इस कारण

बंद हो गई हैं कि इसे अन्य समान राज्य के मुकाबले 50% सहायता प्राप्त हो रही है। और वह राज्य चूंकि एक अलग राज्य है इसलिए इसका विकास हुआ है। आजादी के 44 वर्षों के पश्चात् भी 70 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है।

अध्यक्ष महोदय : खण्डूरी जी, अगर 'आप असली मुद्दे पर नहीं आ रहे' तो मैं आपको प्रश्न रखने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको तीसरा अवसर प्रदान कर रहा हूं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या उन्हें इस बात की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : किस बात की ?

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या उन्हें यह जानकारी है कि उत्तरांचल के एक अलग राज्य न होने के कारण ये असमानताएं बरती जा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप जवाब देना चाहेंगे ?

श्री एम०एम० जैकब : हां महोदय, मैं उत्तर दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मुझे अभी प्रश्न के दो भाग और पूछने है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह नहीं। यह प्रश्नकाल है और अन्य सदस्य भी हैं जो प्रश्न पूछना चाहेंगे।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, आखिरी वाक्य में··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको साधारण प्रश्न करने चाहिये। यह एक घंटा भाषण देने के लिए नहीं है क्योंकि अन्य सदस्य भी प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, केन्द्र ने अपनी नीति बनाई है कि अगर राज्य अलग राज्य की सिफारिश करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यही उन्होंने कहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे उत्तरांचल के मामले में उसी नीति को क्यों नहीं अपना रहे। वे कहते हैं कि अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर अब गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। क्या वे अगले सप्ताह में आधे घंटे की चर्चा करने पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको आधे घंटे की बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, गत-दो दशकों से उत्तर-प्रदेश सरकार की पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की विशेष योजना है। और सभी स्तरों से तथा गृह मंत्रालय के पास जानकारी उपलब्ध है कि उस क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय भी अन्य क्षेत्रों से बेहतर है। क्षेत्र की साक्षरता दर 39.29 प्रतिशत है तथा क्षेत्र के सामान्य विकास का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी भली प्रकार ध्यान रखा जाता है। यह एक विशेष योजना के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए गत दो दशकों से अस्तित्व में है।

उनके प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मुझे बताया गया कि अभी-अभी एक संदेश प्राप्त हुआ है। मैं उसका विश्लेषण करूंगा और फिर आपके पास आऊंगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जो 8 पहाड़ी जिले हैं, उनकी कितनी पापूलेशन है और जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रस्ताव राज्य सरकार को वापिस भेजा गया है, उनकी रिकमण्डेशन आइ है तो आपने कब तक उनसे वापिस मांगने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है और क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने के लिए अधिक धन का प्रावधान किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रस्ताव इनके पास भेजा है और वह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को वापिस भेजा गया है। यह बताने का कष्ट करें कि आप कब तक उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम०एम० जैकब : पहले प्रश्न के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित करने हेतु दो स्मरण-पत्र, एक 23-1-1992 को और दूसरा 24-2-92 को भेजे गये थे। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई थी। मुझे आज सुबह बताया गया कि कार्यालय में एक संदेश प्राप्त हुआ है और हमें उस पर विचार करना है।

प्रश्न के दूसरे भाग में उन्होंने उस क्षेत्र की जनसंख्या तथा अन्य विवरण के बारे में पूछा है। 2,94,411 वर्ग कि०मी० के कुल क्षेत्र में से 471 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० राज्य के जनसंख्या घनत्व के मुकाबले में इसका क्षेत्रफल 51,125 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 115 व्यक्ति हैं।

श्री मानवेन्द्र शाह : हमें अभी सूचित किया गया है कि राज्य सरकार से जवाब आया है। क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि उन्हें क्या उत्तर प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उस पर विचार करेंगे और फिर आपको बतायेंगे।

श्री एम०एम० जैकब : मैं पहले ही बता चुका हूं।

[हिन्दी]

गुलाब की खेती

*128. डा० लाल बहादुर रावल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को प्रोत्साहन देकर गुलाब की खेती को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां गुलाब की खेती की जा रही है; और

(घ) गुलाब की पैदावार बढ़ाने तथा गुलाब तेल की गुणवत्ता को सुधारने हेतु नरेन्द्र देव

कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद में लागू की गई अनुसंधान योजना में क्या प्रगति हुई है ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने निम्नलिखित दो योजनाओं के अंतर्गत गुलाब की खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है --

(1) समेकित पुष्प कृषि विकास;

(2) औषधीय और सुगन्धदायक पौधों का विकास।

(ग) उत्तर प्रदेश में गुलाब की खेती के मुख्य केन्द्र इस प्रकार हैं —

(1) कन्नौज (फर्रुखाबाद)।

(2) हाथरस (अलीगढ़)।

(3) निधौली कला (एटा)।

(4) इटौरा (आगरा)।

(5) सिकन्दरपुर (बलिया)।

(6) मेरुवा डीह (वाराणसी)।

(घ) एक सर्वेक्षण किया गया है तथा गुलाब के तेल के लिये उगाई जा रही कल्टीवार/प्रजातियां राज्य के विभिन्न भागों और अन्य क्षेत्रों से एकत्र की गई हैं। इन प्रजातियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अच्छी संभावना वाले कल्टीवार्स की पोषणिकता और कांट-छांट की आवश्यकताओं को मानकीकृत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, देशी फिल्म का गुलाब जिसको रोजा सेंटीफोलिया कहते हैं, इसकी खेती जनपद अलीगढ़, हाथरस, हसायन, बरवाना आदि क्षेत्र में हजारों बीघे जमीन में परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से होती है और वहां पर देश के दूर-दूर के प्रमुख हिस्सों से व्यापारी आते हैं और कच्चा माल तैयार करके ले जाते हैं। किसानों को फसल की लागत का भी मूल्य नहीं मिल पाता। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि किसान खेती करने के साथ-साथ कच्चा माल भी तैयार करे और उसको अच्छी कीमत मिल सके। इसके लिए क्या शासन कोई योजना बनाने का विचार कर रहा है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में गुलाब से बने तेल का कितना निर्यात किया गया और भविष्य के लिए निर्यात की क्या योजना है

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने एक प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर आफ असेंशल आयल एक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में यू०एन०डी०पी० की मदद से खोला है और 1990 में 3 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल के लिए यह है, ताकि वहां पर प्रोसेस हो सके और किसान को उसकी ज्यादा कीमत मिल सके ।

डा० लाल बहादुर रावल : क्या किसानों से सीधे खरीदेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : किसानों से खरीदेंगे तभी तेल निकलेगा।

डा० लाल बहादुर रावल : बिचौलियों को बीच में से हटाएंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : दूसरे तरीके से हटाएंगे, जब किसान से ताल्लुक बन जाएगा तब बिचौलिए अपने आप हट जाएंगे ? तकरीबन 20 हजार टन फूल होता है उसमें से 750 किलोग्राम आयल निकलता है। यह इस हिसाब से है। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बाहर भेजते हैं, यह रिकार्ड में भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक्सपोर्ट के आंकड़े एग्रीकल्चर मिनिस्टरी के पास हैं, ये भेज देंगे।

डा० लाल बहादुर रावल : अध्यक्ष महोदय, तेल की पैदावार में गुणवत्ता को सुधारने हेतु कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में लागू की गयी अनुसंधान योजना से मुझे पिछले सत्र में अवगत कराया था, मैं जानना चाहता हूं कि फैजाबाद में इस तरह की अनुसंधान योजना कार्यान्वित करने का क्या औचित्य है ? जबकि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद के अलावा दूसरे जिलों में पैदावार ज्यादा होती है। फैजाबाद, अलीगढ़ और हाथरस की दूरी काफी अधिक है। गुलाब की फसल ऐसी नहीं है जिसको दो-चार दिन रखा जा सके। यह जल्दी खराब होने वाली फसल है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा अनुसंधान केन्द्र अलीगढ़ जंक्शन में लाने की कोई योजना है ?

श्री बलराम जाखड़ अध्यक्ष महोदय, दूरी और नजदीकी का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, कहीं से भी वैज्ञानिक उसका अविष्कार कर लें, फैजाबाद की ही बात नहीं है यह सफल हो गया तो वहां भी करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

उक्रेन के राष्ट्रपति के साथ वार्ता

*129. **प्रो० के०वी० थामस :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही की अपनी डाबोस स्विटजरलैण्ड की यात्रा के दौरान उक्रेन के राष्ट्रपति के साथ कोई वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो वार्ता में किन द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई और उसका निष्कर्ष क्या निकला;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) जी हां।

(ख) भारत-उक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के कई विचारों पर बातचीत की गई थी जिनमें, उक्रेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का विचार भी शामिल है।

(ग) और (घ) जी हां। भारत और उक्रेन के बीच मैत्री एवं सहयोग की एक संधि पर

हस्ताक्षर होने की आशा है। इस संधि के मसौदे पर दोनों पक्षों के बीच विचार-विनिमय चल रहा है इसलिए इसके ब्यौरे को अभी बताना उचित नहीं होगा।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, तत्कालीन सोवियत संघ हमारे विश्वस्त मित्रों में से एक था। सोवियत संघ सदैव हमारी सहायता करता रहा है। इस समय जबकि सोवियत संघ कई गणराज्यों में बंट गया है और विघटित हो गया है, हमें यह सिद्ध करना चाहिए कि गणराज्यों के प्रति भी हमारे पहले वाले मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे। इन्हीं गणराज्यों में से उक्रेन एक ऐसा गणराज्य है, जोकि वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक रूप से विकसित है। हम अपने रक्षा उपस्कर मुख्यतः उक्रेन से ही लेते रहे हैं। इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस समय सोवियत संघ के साथ जो करार किए गए थे, क्या हमें उन्हें जारी रखना चाहिए, ताकि हमारे इस गणराज्य के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंध रह सकें।

श्री एडुआर्डो फेलीरो : 2 फरवरी को हमारे प्रधान मंत्री जी ने देवास में प्रेजीडेंट करावचूक से भेंट की है। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों नेताओं, विशेषकर प्रेजीडेंट करवाचूक ने भारत-उक्रेम संबंधों के प्रति अत्यन्त सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि पुरानी मित्रता जारी रहनी चाहिए। वास्तव में, जहां तक संभव होगा, इसे और बढ़ाया जाएगा। वे भारत आने के लिए उत्सुक थे और हम निकट भविष्य में उनकी यात्रा की सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

पशु विकास परियोजनाएं

*130. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बेंक ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पशु विकास परियोजनाओं के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इन राज्यों में किन स्थानों को चुना गया है ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हू कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है वर्ल्ड बेंक की सहायता से कोई भी योजना भारत में नहीं की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी-अभी भारत के इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं और इजराइल इस क्षेत्र में अत्यन्त कुशल है, क्या सरकार की कोई योजना है कि इजराइल से इस तरह की कोई सहायता ली जाए ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अभी तो शुरूआत है, हर चीज को लिया जा सकता है। ···(व्यवधान)··· इफ्तदाए इश्क है रोता है क्या।

आगे-आगे देखगा, होता है क्या। यह बात बाद में आती है, गलत काम के लिए। यह तो अच्छे के लिए है। हर प्रकार से जहां से भी अच्छी चीज मिल सकेगी, करेंगे। हिन्दी में एक दोहा है :—

उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि किसी पे होय।
परो पावन ठौर में, कंचन तजत न कोय।।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय महाराष्ट्र में भयानक सूखा गिरने वाला है। सूखे में बहुत सारा पशुधन नष्ट होने वाला है। किसान पशुधन अल्प कीमत पर कसाइयों को बेच रहे हैं। ··(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह महत्व का प्रश्न नहीं है और इसमें से प्रश्न नहीं निकलता है।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : यह महत्व का प्रश्न है। पशुधन बचाने के लिए क्या सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ सहायता देने जा रही है या नहीं ···(व्यवधान) उत्तर दें तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

गेहूं का उत्पादन

*131. **श्री नारायण सिंह चौधरी**† :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनाज का उत्पादन यहां की आवश्यकता से कम होता है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का देश की तत्संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 7 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों, अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार के 131 अभिज्ञात जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है जिसके लिए देश के किसान बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं यह जानना

चाहता हूं कि आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी दस लाख टन गेहूं का देश के अन्दर आयात क्यों किया जा रहा है। क्या इसमें किसानों के हितों को आघात नहीं पहुंचेगा।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितों को आघात पहुंचाने का प्रश्न पैदा नहीं होना चाहिए और कभी अलाऊ नहीं किया जायेगा। जो आयात करने की बात कही है तो पिछले पन्नों पर जाना पड़ेगा। जो पूर्वज यहां बैठे हुए हैं, हमारे भूतपूर्व ······**(व्यवधान)** उससे पूछना पड़ेगा कि किसलिए आयात करने का फैसला किया था। मैं यह कह सकता हूं कि भारत का किसान इतना काम करता है कि हममें सिर उठाकर चलने की क्षमता है और आईन्दा भी रहेगी। ···**(व्यवधान)**

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं आया बल्कि टाल-मटोल की गई है। मेरे प्रश्न के उत्तर के "ग" भाग में यह उल्लेख किया है कि विशेष खाद्यान्न उत्तर उत्पादन कार्यक्रम कोई 31 जिलों में चलाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और यह कब से कार्यक्रम चालू है और इसमें कितनी सफलता हुई है।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, अनुसंधान और बीजों का अच्छा करना और किस प्रकार से थोड़ी मिकदार में खाद देने जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं अभी कृषि मेले का उद्घाटन करके आ रहा हूं। वहां मैंने देखा है कि नए-नए बीजों के साथ-साथ नयी पद्धति के प्रसारण में एक्सटेन्शन सर्विस चल रही है, और उसका पूरा ब्यौरा हम देते हैं। हम चाहते हैं कि एक्सटेन्शन सर्विस हर जिले में फैलाकर किसान भाइयों तक पहुंचा सकें ताकि ज्यादा उत्पादन हो सके।

श्री जनार्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर होने के बाद भी क्या इस सरकार ने गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है और सरकार को यह पता है कि उत्तर प्रदेश की पिछली फसल में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कृषकों की सबसिडाइज रेट पर उन्नतशील बीज और कीटनाशक दवाइयां तथा उर्वरक देने का विचार रखती है।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, उत्पादन कम नहीं बल्कि प्रोक्युरमेंट कम हुआ है। पिछले साल और उससे पिछले साल कम से कम चार मिलियन टन कम था। उत्पादन कम नहीं था और इस साल भी उत्पादन कम होने की आशा नहीं है। इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। हम किसानों को अच्छे तरीके से ज्ञान देते हैं जो हमारे साधन हैं उनके द्वारा और भी चीजें देते हैं, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देते ही हैं। किसानों को उन्नत से उन्नत बीज किस प्रकार से अच्छे से अच्छे तरीके से मिल सकें, इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : क्या यह सत्य नहीं है कि आज भी किसानों के पास गेहूं का अधिक मात्रा में उनके घरों में पड़ा है। लेकिन उनको उत्पादन व्यय के अनुपात से पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए वे बेच नहीं पा रहे हैं। यदि सारा अनाज हमें किसानों से मिल सके तो जो आज बाहर से मंगाने की आवश्यकता पड़ रही है वह नहीं पड़ेगी, क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री बलराम जाखड़ : हरेक तरीके से सोच-समझकर बात की जाती है और संतुलन कायम

रखा जाता है। कृषि आयोग बना हुआ है जो कि नीति निर्धारण के साथ-साथ कीमतों को भी निर्धारित करता है। हमने पिछले साल धान की फसल का हिसाब लगाया था और उसको ध्यान में रखते हुए 25 रुपए बढ़ाये थे। मैंने पूरे आंकड़ों का ब्यौरा दिया है जिसमें खेती का, जमीन का, आदमी का, लेबर का और श्रम का, सारी चीजों का हिसाब लगाकर जितना खर्चा पड़ता है उसके अनुपात से उनकी प्रोत्साहनवर्धक मूल्य देने की बात हमने सोची है। आज बाजार में ज्यादा भाव है। हमने किसी को भी नहीं रोका है कि वह माल न बेचे इसलिए बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। किसान को कहीं भी अपना माल ले जाकर बेचने की छूट है चाहे बम्बई जाये या मद्रास अथवा अन्य किसी जगह जाकर भी बेच सकता है। आज दाम अच्छे मिल रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय भगवन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप जिस राज्य से निर्वाचित होकर आये हैं उस राज्य मे गेहूं की पैदावार पिछले दो साल से घटी है, तिलहन की पैदावार बढ़ी है। क्या यह सही नहीं है कि इस वर्ष तिलहन के भाव विशेष रूप से सरसों के भाव तेजी से गिर रहे हैं ? आप तो कृषि पण्डित हैं, आपके होते हुए मूल्य सही मिले इसके लिए कोई प्रयत्न क्या आप कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप गेहूं की बात करें, गेहूं के बारे में पूछना है तो मैं अलाऊ करूंगा।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। जिसके बारे में इन्होंने पूछा है। मैं गेहूं के बारे में भी और तिलहन के बारे में भी बोलूंगा। पिछले साल तिलहन के बारे में हमने जो कीमत बढ़ाकर दी है, उतनी पहले कभी नहीं दी गई। उसके हिसाब से अबकी रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। हम आयात और निर्यात दोनों कर सकते हैं। हम ज्यादा पैसा जिससे मिले उस बीच का उत्पादन कर सकते हैं और उसका निर्यात भी कर सकते हैं और किसानों के हित के लिए आयात भी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके सवालों के जवाब आ रहे है। आप जरा बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ताराचन्द खंडेलवाल : इन्होंने गेहूं सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट किया है और महंगे दाम पर इंपोर्ट किया है।...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके मन मे जो सवाल हैं, वही दूसरे भी पूछ रहे हैं। उनके जवाब आ रहे हैं। आप जरा सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह जान सकती हूं कि नौ राज्यों के अतिरिक्त किन-किन राज्यों का उल्लेख किया गया है ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मिर्धाजी ।

(व्यवधान)

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाना अभी शेष है ।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, कई बार मैंने आपको पुकारा है । आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं । ठीक है, अब महिला सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, मैं प्रश्न पूछना आरम्भ कर चुकी हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । हां, अब आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि उन नौ राज्यों के अतिरिक्त जहां कि गेहूं पैदा किया जाता है और जिनका उल्लेख किया गया है, क्या आप कृपया इसी किस्म के कीटरहित व अधिक उत्पादन देने वाले बीज कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी उपलब्ध कराएंगे, जहां कि गेहूं की पैदावार भी की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से यह ऐसा करेंगे ।

श्री बलराम जाखड़ : इसमें किसी किस्म का भेदभाव अथवा प्रतिबन्ध नहीं है । मैं पूरे देश के लिए ऐसा करने जा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर भी रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा कुछ नहीं है । आप दूसरों को भी प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं । लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए । मैंने आपको अनुमति नहीं दी । लेकिन इस तरह से अपने आपको पूरी सभा पर मत थोपिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रबी और खरीफ की फसल से पहले जब धान का प्रोक्यूरमेंट किया जाता है, उसकी कीमतें तय की जाती हैं और घोषणा की जाती है सरकार की तरफ से, अभी रबी में गेहूं आने वाला है और अभी तक फसल की कीमतों की घोषणा नहीं हुई । आप यह कब करने जा रहे हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि अभी तक कीमतों की घोषणा नहीं हुई है। पिछली दफा सरकार के बदलने के कारण खरीफ की कीमतों की घोषणा लेट हुई थी और अब फसल आने से पहले ही घोषणा कर दी जाएगी। (**व्यवधान**)

श्री पीयूष तीरकी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप 10 लाख टन गेहूं जो मंगा रहे हैं, वह किस तरह से मंगा रहे हैं? किस दर से यह 10 लाख टन गेहूं हिन्दुस्तान में आ रहा है, उसकी कीमत बता दें।······(**व्यवधान**)

मैं पूछ रहा हूं कि यह 10 लाख टन गेहूं जो हिन्दुस्तान में आ रहा है, किस कीमत से ला रहे हैं।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अगर समय रहा तो आप पूछेंगे। तीरकी जी, आप प्रश्न पूछिए।

[**अनुवाद**]

श्री पीयूष तीरकी : मैंने पूछा है कि भारत में आयात की जाने वाली 10 लाख टन गेहूं के लिए हम क्या मूल्य देने जा रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े-बड़े दावे किए हैं कि हम गेहूं का निर्यात कर सकते हैं और हम गेहूं का आयात कर सकते हैं। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि आयात दर क्या है और निर्यात दर क्या है? क्या यह सच है कि आपने बहुत कम कीमतों पर गेहूं का निर्यात किया है और बहुत ऊंची कीमतों पर इसका आयात कर रहे हैं? मंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : इस प्रश्न का मेरे विभाग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को इसका उत्तर दे सकता हूं कि इस बात का निर्णय हमसे पहले ही ले लिया गया था। फिर भी हमने आयात की जाने वाली मात्रा में कटौती की है।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सरकार को इस तर्क के आधार पर बचने की आदत है कि इसका निर्णय उनसे पहले ही ले लिया गया था। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह समझौता किस स्तर पर, किससे और किस समय किया गया था। व्यक्तिगत रूप से, मैं नहीं समझता कि इस देश में गेहूं का आयात करने के लिए किसी प्रकार का कोई औचित्य है। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया था, उस समय यदि सरकार ने कोई निर्णय ले लिया था तो उन्हें या तो उसे रद्द कर देना चाहिए था और या यह बताना चाहिए कि हम गेहूं का आयात क्यों कर रहे हैं। तथ्यों में इस प्रकार की विकृति उत्पन्न करना सरकार की आदत नहीं होनी चाहिए। उन्हें इस प्रकार की बातों और विकारों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। (**व्यवधान**) महोदय, मैं इस मामले संबंधी बहस में शामिल नहीं होना चाहता हूं, लेकिन मंत्री के बाद मंत्री उठकर कह रहे हैं कि इसका निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले वर्ष वसूली कम हुई थी। मेरी सरकार जून में भंग हुई थी और जून में ही वसूली का समय आरम्भ होता है। यह उनकी असफलता है, यह मेरी असफलता नहीं थी, लेकिन वे समाचारपत्रों में इस बात का

प्रचार करना चाहते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि बंधुआ समाचार पत्र वास्तविकता से अलग स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, समाचारपत्र पूर्णतः मुक्त हैं और बिल्कुल भी बन्धुआ नहीं हैं। यदि भारतीय समाचारपत्र बन्धुआ है तो कहीं कोई भी समाचारपत्र मुक्त नहीं है। निश्चय ही जो कुछ भी सभा में कहा गया है उसे हम सभा में ही साबित करेंगे तथा दूसरे, मेरा अर्थ यह नहीं था कि जब जब वे सत्ता में थे तब वसूली कम थी; वसूली कुछ अन्य कारणों से कम थी; सरकार में चाहे कोई भी हो, उससे फर्क नही पड़ता। वसूली मूल्यों पर या गेहूं की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एच० बी० जे० पाइपलाइन परियोजना

*132. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया" में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा 1987 में पूरे किये गये एच० बी० जे० पाइपलाइन परियोजना के महत्वपूर्ण नक्शों को रद्दी के रूप में बेचने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) ने रिपोर्ट दी है कि पूछताछ के दौरान पाया गया है कि एच० बी० जे० पाइपलाइन परियोजना के महत्वपूर्ण नक्शों अथवा दस्तावेजों को रद्दी में नहीं बेचा गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

*133. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी मात्रा में इन उत्पादों का आयात किये जाने का प्रस्ताव है और इस पर कितनी लागत आयेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) अप्रैल, 1991—जनवरी, 1992 के दौरान लगभग 18.81 मिलियन टन कच्चा तेल और 7.59 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद लगभग 10429 करोड़ रुपये के मूल्य पर आयात किया गया था।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए आयल इकानोमी बजट (ओ० ई० बी०) के अनुसार आयात होगा जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए परियोजनाएं/योजनाएं

*134. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री धर्मभिक्षम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर के जन्म शताब्दी समारोहों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए कौन-कौन-सी परियोजनाएं/योजनाएं शुरू की जानी हैं;

(ख) कौन-कौन-सी परियोजनाएं/योजनाएं शुरू कर दी गई हैं; और

(ग) आरक्षित कोटे के बकाया पदों को भरने में क्या प्रगति हुई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई और आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पीछे से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1989 और 1990 के दौरान संचालित विशेष भर्ती अभियानों में क्रमशः 31243 तथा 19172 पदों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए। एक और भर्ती अभियान दिसम्बर, 1991 के पहले सप्ताह से 31 मार्च, 1992 तक चलाया गया है जो प्रगति पर है।

विवरण

डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोहों के लिए राज्य सरकारों की कार्य योजना

आन्ध्र प्रदेश

वर्ष 1990-91 के दौरान लागू किए गये कार्यक्रम

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पहले से रिक्त चले आ रहे पदों को भरने हेतु सीमित भर्ती संबंधी विशेष अभियान के बारे में आदेश जारी किए गये हैं।

2. शहरों की कुछ प्रमुख गलियों के नाम डा० भीमराव अम्बेडकर मार्ग/रोड रखे जाने के लिए निर्देश जारी किए गये हैं ।

3. कक्षा 1 से 10 तक तेलगू में पाठ्यक्रम में डा० भीमराव अम्बेडकर पर पाठ शामिल करने के लिए आदेश जारी किए गये हैं ।

4. सरकारी कार्यालयों और निगमों में डा० भीमराव अम्बेडकर के चित्रों को लगाने के निर्देश जारी किए गये हैं ।

5. अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 नये आश्रम विद्यालयों का नाम अम्बेडकर शताब्दी टी० डब्ल्यू० आश्रम विद्यालय रखा गया है ।

6. 3 सामाजिक कल्याण आवासीय जूनियर कालेजों का नाम अम्बेडकर जूनियर कालेज रखा गया है ।

7. प्रबंध निदेशक, ए० पी० एस० सी० सहकारी वित्त निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सिंचाई सुविधाओं के सृजन हेतु कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

8 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत 3 विशेष सत्र न्यायालय स्वीकृत किए गए हैं ।

9. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन 5 और विशेष सचल न्यायालय स्वीकृत किए गए हैं ।

10. आन्ध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय का नाम डा० भीमराव अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय रखा गया है । ।

11. 100 सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए आदेश जारी किए गए हैं जिनका नाम अम्बेडकर सामुदायिक हॉल रखा जाएगा ।

12. डा० भीमराव अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर एस० डब्ल्यु० एस० सी० पी० निधियों में एक वृत्त चित्र का निर्माण ।

13. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7 जुलाई, 1991 से डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम पर शुरू किए गये दो कार्यक्रम अर्थात एक 34.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बागवानी और दूसरा 30.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लघु सिंचाई परियोजना जिनसे 75,000 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभ होगा ।

वर्ष 1991-92 के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम

1. आरक्षित पदों, विशेषत: कुशल और अर्ध कुशल नौकरियों को भरने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

2. (क) प्रत्येक जिले में मॉडल कालोनियों के रूप में 200 घरों के 22 डा० अम्बेडकर नगरों का निर्माण ।

(ख) हैदराबाद में मॉडल कालोनी के रूप में 200 घरों के अम्बेडकर नगर का निर्माण।

3. एस० डब्ल्यू० होस्टलों में स्काउटिंग और मार्गदर्शन की योजनाओं का विकास।

4. (क) सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पैम्फलैटो, पोस्टरों के जरिये सामाजिक एकीकरण का प्रचार।

(ख) डा० भीमराव अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों का तेलगु में अनुवाद, प्रकाशन और उनका मुद्रण।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित डा० भीमराव अम्बेडकर की सम्पूर्ण कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त करके उनका तेलगु में अनुवाद और उनका मुद्रण।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित साहित्य की खरीद।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी साहित्य को तैयार करने और उनके मुद्रण के लिए विश्वविद्यालय प्रोफेसरों को मानदेय दिलाना।

(च) स्कूल स्तर और जनता के प्रयोग के लिए नॉन-डिटेल्ड के रूप में निर्धारित करने के लिए आसान तेलगु में डा० अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर लघु पुस्तिका।

(छ) डा० अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर सुप्रसिद्ध विद्वानों द्वारा व्याख्यान शृंखला का आयोजन करना और उन्हें छापना।

(ज) प्रत्येक वर्ष व्याख्यान शृंखलाओं के आयोजन के लिए एक न्यास का सृजन और व्याख्यानों का प्रकाशन।

5. (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न समस्याओं पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(ख) 1976 में हुए सम्मेलन के आधार पर दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य हरिजन सम्मेलन का आयोजन करना।

(ग) डा० अम्बेडकर शताब्दी स्मारिका प्रकाशित करना।

(घ) सुप्रसिद्ध और सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा अम्बेडकर और सामाजिक एकीकरण पर रेडियो और दूरदर्शन पर वार्ताएं।

(ङ) डा० अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर फीचर फिल्म का निर्माण/खरीद।

(च) डा० अम्बेडकर के जीवन और मिशन तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं पर एक वृत्तचित्र का निर्माण।

6. भारत में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति और विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए भाषण पुरस्कार।

7. (क) हैदराबाद स्थित अम्बेडकर भवन में पुस्तकालय और वाचनालय कक्ष की स्थापना।

(ख) सूचना केन्द्र की स्थापना।

(ग) अम्बेडकर शताब्दी संग्रहालय की स्थापना।

8. कुछ जिलों में जीविका (कैरियर) मार्गदर्शन केन्द्रों को आरम्भ करना।

9. (क) गैर-अनुसूचित जातियों को 46 अम्बेडकर छात्रवृत्तियां प्रारम्भ करना।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए 46 अम्बेडकर छात्रवृत्तियां प्रारम्भ करना।

(ग) डा० अम्बेडकर के जीवन और मिशन पर अनुसंधान परियोजना।

(घ) अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर व्यावहारिक अनुसंधान करने वाले अनुसूचित जाति के अनुसंधान छात्रों के लिए 4 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां।

(ङ) डा० अम्बेडकर के जीवन और मिशन और कमजोर वर्गों की समस्याओं पर अनुसंधान कार्य के लिए गैर-अनुसूचित जातियों के लिए 4 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रारम्भ करना।

10. (क) वाई०एम०सी०ए० के आधार पर 6 युवा छात्रावासो की स्थापना।

(ख) मण्डल स्तर से राज्य स्तर तक खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अम्बेडकर युवा उत्सवों का आयोजन करना।

11. बेरोजगार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के युवा व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी के लिए सहायक उद्योगों को निर्धारित करना।

12. राज्य में 100 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मॉडल आवासों के विकास के लिए अम्बेडकर आवास योजना की पद्धति पर नई योजना आरम्भ करना।

13. सभी जिला मुख्यालयों में सरकार से 50% आर्थिक सहायता से अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा की स्थापना।

14. डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोहों के उपलक्ष्य में हैदराबाद में एक छत के नीचे 100 अन्तर जातीय विवाह का आयोजन करना।

15. (क) कार्यालयों और जनता को रियायती दरों पर सप्लाई करने के लिये डा० अम्बेडकर का रंगीन चित्र छपवाना।

(ख) डा० अम्बेडकर के चित्र सहित कैलेण्डर का मुद्रण।

16. नेहरू पुरस्कार, इन्दिरा गांधी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरह डा० अंबेडकर पुरस्कार के नाम से गौरवशाली पुरस्कार प्रारम्भ करना जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाए जिसने लोगों के कल्याण के लिए विशिष्ट सेवाएं की हों।

17. जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने के बारे में विस्तृत विधान पर एसेम्बली में विधेयक पेश किया जाएगा।

18. लड़कियों के लिए आवासीय पॉलीटैक्नीक की स्थापना करना।

19. आवासीय इंजीनियरी कालेज की स्थापना करना।

20. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति युवाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सहायक सुविधाएं निर्धारित करना।

21. विशेष संघटक योजना के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए बजट को सकल मांग पद्धति को आरम्भ करना।

असम

असम सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए कोई कार्यक्रम सूचित नहीं किया गया था।

वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नलिखित प्रस्तावित कार्यक्रमों की सूचना दी गई है :—

1. प्रत्येक जिले में एक शैक्षणिक संस्था का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखना।

2. तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्चतर अध्ययन के लिए डा० भीमराव अम्बेडकर छात्र-वृत्तियों के नाम से दो छात्रवृत्तियां आरम्भ करना।

3. गुवाहाटी में राज्य संग्रहालय के एक अनुभाग का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखना।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी स्थितियों की प्रगति की प्रतीक्षा है।

गोवा :

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	**कार्यान्वयन का चरण**
1. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए गोवा राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम आरंभ करना।	कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, गोवा सरकार ने अपने दिनांक 28-8-91 के पत्र संख्या— 1-10-90, एस० एब्ल्यू० डी० में सूचित किया है कि वर्ष 1991-92 के दौरान कोई नई योजनाएं प्रारम्भ नहीं की गई हैं। परंतु एक कोचिंग तथा सहबद्ध योजनाओं जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है, वर्ष 1991-92 के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।
2. बाबा साहेब के नाम से शैक्षिक और सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करना, जिससे कि डा० भीमराव अम्बेडकर के जीवन और कार्य से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।	

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन का चरण
3. प्राइमरी, सेकेण्डरी, हाई स्कूल और कालेज स्तर पर शताब्दी समारोह का आयोजन करने संबंधी कार्यक्रमों और समारोहों में निबन्ध, भाषण प्रतियोगिता इत्यादि की व्यवस्था करना।	उन्होंने अपने 30-8-1991 के सम-संख्यक पत्र में यह भी सूचित किया है कि समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम मॉनीटरिंग समिति ने यह निर्णय लिया है कि शताब्दी समारोह के लिए और कोई कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे।
4. शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी और गैरसरकारी पुस्तकालयों के साथ-साथ पंचायतों और नगर पुस्तकालयों में विभिन्न भाषाओं में बाबा साहेब के जीवन पर पुस्तकें उपलब्ध करना।	
5. बाबा साहेब के जीवन और कार्य का ग्राम और ताल्लुक स्तर पर प्रसार करने के लिए हर महीने आयोजित किए जाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम।	
6. कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी में स्मारिका का प्रकाशन।	
7. बाबा साहेब के जीवन और कार्य पर सूचना निदेशालय द्वारा वृत्त-चित्र तैयार करना।	
8. बावा साहेब के जीवन और कार्य पर कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी भाषा में पुस्तिका प्रकाशित करना और बाबा साहेब के चित्रों के साथ उनका वितरण करना।	
9. दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी से कतिपय कार्यक्रमों की योजना बनाने का अनुरोध किया गया है।	
10. राज्य में सभी सरकारी, गैर-सरकारी, प्राइमरी, सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी स्कूलों और कालेजों तथा सरकारी कार्यालयों में उपर्युक्त स्थान पर बाबा साहेब के फोटो प्रदर्शित करने के लिए सूचना निदेशालय	

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन का चरण
द्वारा उनकी पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराना।	
11. नवोदय विद्यालय, बालपेई का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखना।	

हरियाणा :

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन के चरण
1. 14-4-91 को कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों तथा योजनाओं को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी लगाना।	14-4-91 को प्रदर्शनी लगाई गई थी।
2. रोहतक में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण।	14-4-91 को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
3. अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं/बैंक सेवाओं तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए निजी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए 4000 रु० तक की वित्तीय सहायता की योजना प्रारंभ करना।	योजना पहले से ही प्रारंभ की जा चुकी है।
4. अनुसूचित जातियों के लिए डा० भीमराव अम्बेडकर आवास व्यापार योजना प्रारंभ करना।	विचाराधीन है।
5. हरिजन चौपालों का नाम डा० अम्बेडकर भवना करना।	हरिजन चौपालों का नाम डा० अम्बेडकर भवन रख दिया गया है।
6. सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब के फोटो लगाना।	विचाराधीन है।

1991-92 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

1. 1990-91 के दौरान प्रस्तावित की गई सभी योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए नहीं लिया जा सका और इन्हें 1991-92 के दौरान आरंभ किया जाएगा।

2. अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए होटल स्थापित किए जाएंगे और उनका नाम बाबा साहेब के नाम पर रखा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश :

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन का चरण
1. तकनीकी संस्थाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए वजीफे की राशि 150 रु० से बढ़कर 400 रु० प्रति माह तक करना।	विचाराधीन है।
2. तकनीकी संस्थाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित परिवारों के छात्रों को ऋण विकास निगम के जरिए प्रति माह 500 रु० तक ब्याज रहित ऋण की स्वीकृति।	विचाराधीन है।
3. बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की प्रतिमा को उपयुक्त स्थान पर स्थापित करना।	शिमला में "चौड़ा मैदान" का पुनः नाम "अम्बेडकर चौक" किया गया है तथा 14-4-1991 को डा० अम्बेडकर की प्रतिमा की आधारशिला रख दी गई है।
4. शिमला में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन "कला भवन" का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखना।	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूरे हुए 'एक भवन" का नाम "अम्बेडकर भवन" रखा गया है। विधि संकाय में अम्बेडकर पीठ के सृजन का कार्य प्रगति पर है।
5. विधि संकाय में प्रोफेसर के स्तर का अम्बेडकर पद सृजित करना।	

जम्मू तथा कश्मीर :

1990-91 के दौरान कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, राज्यपाल के सलाहकार ने अपने दिनांक 11-9-91 के अ० शा० पत्र संख्या—एस० डब्ल्यू०/पी० 75/90(न) 11 में सूचित किया है कि --

1. रेलवे क्रासिंग के पास अवस्थित एक केंद्रीय चौक का पुन: नाम "डा० अम्बेडकर चौक" किया गया है।

2. एक सड़क का नाम डा० अम्बेडकर पर रखा गया है।

3. डा० अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा तैयार की जा रही है और उसे अम्बेडकर चौक में लगाया जाएगा।

4. एक भवन तथा एक सभागार का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा।

5. शताब्दी समारोह के दौरान समयबद्ध योजनाओं की पहचान तथा क्रियान्वयन के लिए आर्थिक उत्थान समिति के नाम से एक समिति का गठन किया गया है।

कर्नाटक :

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन का चरण
1. आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए एक लाख मकानों का निर्माण।	
2. रायचुर, वेलगाव, बीजापुर, बैल्लेरी और धारवाड़ जिलों में देवदासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना का आरंभ करना।	
3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पुरानी और कृषि कालोनियों के लिए सिंचाई के मास्टर प्लान पर कारंवाई करना जिससे कि 2000 व्यक्तियों की सिंचाई के लिए नलकूप उपलब्ध किए जा सकें और लिफ्ट सिंचाई 50 योजनाएं लागू की जा सकें।	कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने अ० शा० पत्र सं० सी० एम०/60/जी० ओ० आई० I 21-10-91 में यह सूचित किया गया है कि ये कार्यक्रम क्रियान्वयन, कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री से इन योजनाओं की प्रगति के बारे में आवधिक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है।
4. अनुसूचित जाति की भूमि में खुदे नलकूपों को क्रियाशील करना।	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, समाज कल्याण विभाग इत्यादि के माध्यम से 5000 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास कार्यक्रम।	
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन श्रमिकों को भूमि वितरण के लिए भूमि का अधिग्रहण।	

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन के चरण
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा जोती जा रही अनधिकृत भूमि का नियमन।	
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेशी भूमि का वितरण।	
9. आर० टी० सी० एल० अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का शीघ्र निपटान।	
10. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दुधारू गाय/भैंसों की आपूर्ति।	
11 रेशम उत्पादन का विकास।	
12. एल० ए० एम० पी० सोसाइटियों का नवीकरण।	
13. कृषि भूमि का विकास।	
14. बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास।	
15. 10,000 ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक कार्यक्रम।	
16. अनुसूचित जाति के छात्रावास भवनों का पुनरुद्धार।	
17. लड़कियों के 22 छात्रावासों समेत अनुसूचित जाति के 50 नए छात्रावासों का निर्माण और स्थापना।	
18. स्नातकोत्तर स्तर तक सभी कक्षाओं के लिए डा० अम्बेडकर पर पाठ निर्धारित करना।	
19. पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के एक लाख बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की योजना।	
20. पहली से चौथी कक्षा तक अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं।	

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन के चरण
21. सुख-सुविधाओं और पुस्तकालय आदि सहित छात्रावासों का सुधार।	
22. मंडलीय मुख्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए चार स्नातकोत्तर छात्रावासों का निर्माण और स्थापना।	
23. राज्य भर में संगोष्ठियां, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि।	
24. मौजूदा-पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ करना।	
25. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों का रोग प्रतिरक्षण और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों में नालियों का निर्माण और सुधार।	
26. डा० भीमराव अम्बेडकर भवन का निर्माण।	
27. चार विशेष कार्यालयों की स्थापना।	
28. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों के लिए दूरदर्शन और माध्यमों की व्यवस्था।	
29. शवदाह स्थलों का निर्माण।	
30. धर्मशालाओं का निर्माण।	
31. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्तियों की कुछ पदों पर सीधी भर्ती।	
32. विश्वविद्यालयों का नाम डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखना।	
33. सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े हुए पदों को भरना।	

महाराष्ट्र :

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
1 "अम्बेडकर आन्दोलन" तथा "सामाजिक समता और संघर्ष" आन्दोलन के सम्पूर्ण इतिहास का प्रकाशन।	रूप-रेखा तथा अन्य विवरण तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार इस प्रकाशन को यथाशीघ्र निकालने के लिए प्रयास करेगी।

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
2. उपयुक्त वातावरण तथा चेतना निर्माण के लिए 6 मण्डलीय सम्मेलन आयोजित करना।	कार्यक्रम के अनुसार मण्डलीय सम्मेलन नहीं हो सके।
3. बाबा साहेब के विचारों का 14 नृत्य नाटकों की मन्डलियों के माध्यम से प्रचार।	कार्यक्रम के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका। संशोधित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
4. डा० अम्बेडकर पर मराठी में वृत्त चित्र बनाना।	अब सरकार ने पूरी लम्बाई की फीचर फिल्म के निर्माण में भारत सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है।
5. "चैत्य भूमि" को सुन्दर बनाना।	वृहत्तर बम्बई के नगर निगम द्वारा यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
6. औरंगाबाद के नजदीक डा० बाबा साहेब बौद्ध विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान की स्थापना।	टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।
7. बाबा साहेब तथा महात्मा फुले के चित्रों तथा उद्धरणों के साथ सरकारी प्रकाशन "लोकराज" का विशेष संस्करण निकालना।	अप्रैल, 1991 में "लोकराज" का विशेष संस्करण प्रकाशित किया गया है।
8. पर्याप्त निकासी की व्यवस्था के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन को तेज करना।	1990-91 के दौरान ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत 125 65 करोड़ रु० निर्धारित किए गए थे। गांवों में जल पाइप योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रति व्यक्ति व्यय की अधिकतम सीमा 575/- रु० से बढ़ाकर 1,000/-रु० कर दी गई है।
9. सभी गांवों की हरिजन बस्तियों में 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से संपर्क मार्ग का निर्माण।	टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।
10. सम्पूर्ण प्राथमिकता शिक्षा नीति का पुनिरीक्षण और पुनर्गठन।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक और निःशुल्क वर्दी की योजना विचाराधीन है।

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
11. "फुले-अम्बेडकर शैल्टर योजना" के नाम से अनुसूचित जाति/जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवासीय योजना।	टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।
12. "दीक्षा भूमि" नागपुर में बाबा साहेब का एक स्मारक स्थापित करना।	यह निर्णय लिया गया है कि बम्बई में डा० अम्बेडकर के आवास "राजगृह" को राष्ट्रीय/राजकीय स्मारक में परिवर्तित किया जाए।

1991-92 के लिए कार्यक्रम के संबंध में सूचित किया गया है कि शुरू किए जाने वाले अथवा शुरू किए गए प्रस्तावित कार्यक्रमो/योजनाओं की तिथि और महीने नहीं बताए जा सकते हैं क्योंकि कोई समय सूची नियत नहीं की गई है। नयी योजनाओं के निर्धारण संबंधी मामले को राज्य स्तर को समिति के समक्ष रखा जाएगा।

केरल

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक खंड में 200 ग्रामीण निवास स्थानों/बस्तियों को लेना। इनका मॉडल बस्तियों के रूप में विकास किया जाएगा और उनका नाम 'अम्बेडकर ग्राम' रखा जाएगा। 2. सभी 200 'अम्बेडकर ग्रामों' में टी०वी० सैट लगाना और कियोस्को का निर्माण करना।	केरल के मुख्यमंत्री ने अपने दिनांक 24-10-91 अ०शा० पत्र० सं० 17266/91/विशेष एकक/एस० सी० एस० टी० डी० डी० में सूचित किया है कि हमने भारत सरकार से 10 करोड़ रु० का विशेष अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। केवल 83 लाख रु० की राशि स्वीकृति की गई थी। चूंकि राज्य सरकार सभी अम्बेडकर गांवों का कार्य अप्रैल, 1992 तक पूरा किए जाने के लिए उत्सुक है, मुख्यमंत्री ने विशेष अनुदान शीघ्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। कार्यक्रमो के क्रियान्वयन संबंधी स्थिति के बारे में अलग से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
3. अनुसूचित जाति विकास विभाग के नियंत्रणाधीन 15 उत्पाद केन्द्रों का	

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
पुनर्गठन, विकास और परिवर्तन करके व्यापारिक काम्पलैक्स में बदलना और उसका नाम 'स्मृति केन्द्र' रखा जाना।	
4. केरल राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के जरिये लगभग 10,000 परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए 6 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से विकासात्मक कार्यक्रम शुरू करना।	
5. अनुसूचित जनजाति की आर्थिक प्रगति के लिए काली मिर्च, शहतूत, रबर, औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती अनुसूचित जनजाति के निवास स्थानों में शुरू की जाएगी।	
6. औद्योगिक विकास केन्द्रों में उद्यमियों के लिए वर्कशेड आबंटित किए जाएंगे।	
7. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार की सुविधाओं को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बद्ध सहायक यूनिटों को आरम्भ करना।	
8. बंधुआ मजदूरों के लाभ के लिए प्रियदर्शिनी टी० एस्टेट में 1.5 करोड़ रु० की लागत से चाय कारखाने की स्थापना करना।	
9. पंचायतों/नगर पालिकाओं/नियमों द्वारा अधिकृत शापिंग काम्प्लैक्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए 10% दुकानों का आबंटन।	
10. कम-से-कम 300 निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खदान काम्पलैक्स आरम्भ करना।	
11. 3 वर्षों की अवधि में आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ की जाएगी।	
12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए पिछले वर्षों से अधूरे पड़े	

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
मकानों के निर्माण को इस वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा।	
13. भूमिहीन और आवासहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवास उपलब्ध कराने की वर्तमान योजनाओं का विस्तार सभी खंडों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी किया जाएगा।	
14. एक पैकेज योजना तैयार की जाएगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास स्थानों में बिजली, पेयजल, ई० एस० पी० टाइप शौचालय उपलब्ध कराने के लिए उसे इस वर्ष के दौरान कार्यान्वित हेतु शुरू किया जाएगा।	
15. अनुसूचित जातियों की भूमि पर उनके कब्जे के लिए तथा कालोनियों में आबंटित भूमि के लिए पट्टयाम वितरित किए जाएंगे।	
16. आदिम जातियों को व्यापक बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा।	
17. डिग्री-पूर्व फेल हुए उम्मीदवारों को उनका अध्ययन जारी रखने के लिए सहायता देने की ये योजना आरम्भ की जाएगी।	
18. छात्रों/युवाओं में खेलकूद प्रतिभाओं को उभारने और विकसित करने की योजना आरम्भ की जाएगी।	
19. शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेलकूद के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को उनके उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान करना।	
20. त्रिवनन्तपुरम में छात्रावास काम्पलैक्स स्थापित करना।	
21. दो मॉडल रिहायशी स्कूल आरम्भ किए जाएंगे।	
22. इस वर्ष के दौरान 13 छात्रावासों के भवन को पूरा करना।	

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
23. अनुसंधान करने वाले छात्राओं के लिए विशेष भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।	
24. राज्य में डिग्री-पूर्व अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के विषयों में उनके ज्ञान में सुधार करने के लिए 7 माह की अवधि के उपचारी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।	
25. विधि डिग्रीधारकों के लिए कानूनी व्यवसाय अपनाने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक योजना आरम्भ की जाएगी।	
26. डा० अम्बेडकर के जीवन और योगदान पर देश के खंड स्तर और जिला स्तर पर संगोष्ठियां और सामूहिक परिचर्याएं आयोजित करना। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करना।	
27. डा० अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकों का मलयालम में अनुवाद और उनका प्रकाशन।	
28. डा० अम्बेडकर के जीवन और योगदान पर स्कूलों और कालिजों में भाषण प्रतियोगिता निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों का आयोजन।	
29. जहां भी आवश्यक हो सभी अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को राशन कार्ड का वितरण करना।	
30. राज्य में प्रचलित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभ अनुसूचित जनजातियों को मिलते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा।	
31. स्थानीय निकायों की सहायता और सहयोग से शवदाह के स्थलों की रक्षा करना।	
32. योजनाओं के लाभ आदिवासी परिवारों तक पहुंचते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए आदि-	

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	क्रियान्वयन की स्थिति
वासियों में कार्य करने हेतु विस्तार गाइड के रूप में अनुसूचित जनजातियों के 300 युवाओं को लगाया जाएगा।	
33. आदिवासी बस्तियों में "आदिवासियों से भेंट" का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।	
34. आरक्षित जो पद अभी तक नहीं भरे गए हैं, उन्हें भरने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।	
35. तिरुवनन्तपुरम में "सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र" शुरू किया जाएगा।	
36. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी रिक्त पद भर लिए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी ही कार्य योजना शुरू की जाएगी।	
37. एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत वन विभाग में आदिवासियों को चौकीदार और वन रक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।	
38. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका शुरू की जाएगी।	
39. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा जिन परम्परागत कलाओं को प्रयोग में लाया जाता है। उनके संरक्षण और प्रेरणा के लिए एक योजना चलाई जाएगी।	
40 50 ब्लाकों में विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम "स्वयं को समझो और दूसरों को समझने दो" शुरू किया जाएगा।	
41. समन्वय के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच विभिन्न सम्प्रदायों को एक मंच पर लाने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा।	

मध्य प्रदेश :

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन का स्तर
1. अनुसूचित जाति के एक लाख परिवारों को मकान की सुविधा प्रदान करना।	21,115 परिवारों को मकान दे दिए गए हैं और 70,068 मकान प्रगति पर हैं।
2. प्रत्येक जिला मुख्यालय में "अम्बेडकर मंगल भवन" की स्थापना।	"अम्बेडकर मंगल भवनों" के निर्माण हेतु 1991-92 के दौरान 45 लाख रु० मंजूर किए गए हैं।
3. पंचायतों को वास्तविक शक्ति देने की प्रक्रिया आरंभ करना।	टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
4. कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कानूनी उपाय।	मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने के फलस्वरूप, कृषि मजदूर भवन अब न्यूनतम मजदूरी के रूप में 17 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु 175 ग्रामीण मजदूरी निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है और उप-मण्डल अधिकारियों को न्यूनतम मजदूरी के दावों पर निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।
5. केवल भूमि अलाट करने की व्यवस्था ही नहीं बल्कि भूमिहीन लोगों को भूमि विकास, सिंचाई सुविधा, विद्युतीकरण आदि की भी व्यवस्था करना।	शताब्दी वर्ष के दौरान, 18371 अनुसूचित जाति व्यक्तियों को 16,63,430 हैक्टेयर भूमि वितरित की गई तथा अनुसूचित जनजाति के 22,519 व्यक्तियों को 31052.324 हैक्टेयर भूमि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त फालतू घोषित भूमि में से 18,458.57 हैक्टेयर भूमि 19,316 अनुसूचित जाति व्यक्तियों को तथा 28,365.73 हैक्टेयर भूमि 18,316 अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को वितरित की गई।
6. भूमि के रिकार्ड अद्यतन बनाने के लिए राज्य स्तर पर ही एक विशेष अभियान चलेगा।	टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन का स्तर
7. बुनाई, मछली पालन, पत्थरों के खनन, लैदर फिनिशिंग और खाल उतारने और परिष्कृत करने के कार्य में लगे अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए विशेष सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम।	टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।
8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम।	टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।
9. बाहर से चुने गए दलित छात्रों के लिए विशेष अम्बेडकर छात्रवृत्ति।	टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।
10. खेल, सांस्कृतिक, विज्ञान आदि जैसे विभिन्न सेक्टरों के दलित विद्वान व्यक्तियों को मान्यता देना।	टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।
11. डा० अम्बेडकर के योगदान के बारे में जिला स्तरीय/प्रभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करना।	डा० भीमराव अम्बेडकर संस्थान ने महू में डा० अम्बेडकर के दार्शनिक सिद्धांतों और विचारों पर व्याख्यान माला और विचार-विमर्श आयोजित किया।
12. कालेजों और विश्वविद्यालयों में डा० अम्बेडकर, "भारतीय संविधान और दलितों का उत्थान" पर गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना।	
13. मध्य प्रदेश जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका, "मध्य प्रदेश संदेश" का विशेषांक रिलीज करना।	डा० बी०आर० अम्बेडकर के जीवन तथा मिशन पर "मध्य प्रदेश संदेश" का 10-4-91 को विशेष बुलेटिन प्रकाशित किया था।
14. मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा "मराठी और हिंदू परंपरा में दलित चेतना" के बारे में एक संगोष्ठी आयोजित करना और "साक्षात्कार" पत्रिका का विशेषांक निकालना।	टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई।
15. मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी द्वारा हिंदी में डा० अम्बेडकर की चुनिंदा रचनाओं के एक संग्रह का प्रकाशन।	बच्चों के लिए प्रतिरक्षण टीकों का कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन का स्तर
16. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीका लगाने का कार्यक्रम।	बच्चों के लिए प्रतिरक्षण टीकों का कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

17. मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित कार्य आरंभ किए हैं—

1. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में विद्युतीकरण।
2. अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में विद्युतीकरण।
3. विद्युतीकृत गांवों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को एक प्वाइण्ट कनेक्शन।
4. हरिजन कालोनियों का विद्युतीकरण।
5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बिजली के पम्पों के लिए आसान शर्तों पर बिजली की लाइनों का विस्तार।
6. अनुसूचित जाति कालोनियों में सड़क पर रोशनी की योजना के अंतर्गत 5953 अनुसूचित जाति की कालोनियों में सड़कों पर रोशनी प्रदान की गई है। 1991-92 के लिए कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुए हैं।

मेघालय :

1990-91 के लिए कोई कारंवाई योजना प्राप्त नहीं हुई।

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन के चरण
1. क्षेत्रीय भाषाओं में डा० अम्बेडकर पर पुस्तकों का प्रकाशन।	विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।
2. प्रत्येक जिले में संस्थानों, पार्कों का नाम अंबेडकर पर रखना।	विवरण प्राप्त नहीं हुए।
3. अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विशेष योजनायें आरम्भ करना।	—तदैव—

मणिपुर :

1990-91 के दौरान कोई कारंवाई योजना प्राप्त नहीं हुई थी।

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
1. इम्फाल में मणिपुर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण और लागोंल आवास परिसर	विवरण प्राप्त नहीं हुए।

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
का नाम डा० बाबा साहेब के नाम पर रखना ।	
2. अनुसूचित जातियों की बस्तियों में बाबा साहेब को समर्पित एक पुस्तकालय या सामुदायिक भवन का निर्माण ।	विवरण प्राप्त नहीं हुए ।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसंधान संस्थान का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखना ।	—तदैव—
4. प्रत्येक जिले में एक सड़क का नाम बाबा साहेब पर रखना ।	—तदैव—
5. चुरचंदपुर जिले में बाबा साहेब की मूर्ति लगाना ।	—तदैव—
6. बाबा साहेब को समर्पित गरीबों के लिए "एक आवाकोक्पी" योजना आरंभ करना ।	—तदैव—
7. इम्फाल में एक यात्री निवास का निर्माण और इसका नाम बाबा साहेब के नाम पर रखना ।	—तदैव—

उड़ीसा :

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
1. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए विशेष कार्योन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है ।
2. सफाई कर्मचारियों के लिए मशीनों का निर्माण करने के वास्ते नगर पालिकाओं के पास अप्रयुक्त राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करने का निर्णय लिया गया ।	कार्यक्रम 1991-92 के दौरान आरम्भ किया जाएगा ।
3. अनुसूचित जातियों/जनजातियों की कामकाजी महिलाओं के लिए बालवाड़ियां खोलना ।	—तदैव—

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
4. अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कक्षा-1 से कक्षा-12 तक आवासीय स्कूल खोलना।	कार्यक्रम 1991-92 के दौरान आरंभ किया जाएगा।
5. बाबा साहेब के नाम से पुरस्कार शुरू किए जाने हैं। ये पुरस्कार सामाजिक परिवर्तन लाने, अस्पृश्यता मिटाने तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योगदान करने वाले व्यक्तियों/संगठनों को हर वर्ष दिए जाएंगे।	—तदैव—
6. राज्य स्तरीय कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है।	राज्य-स्तरीय सेमीनार आयोजित किया गया।
7. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती हेतु विशेष अभियान।	विशेष भर्ती अभियान चलाया गया।
8. संपूर्ण राज्य में हाथ से मैला उठाने की प्रथा का उन्मूलन करने संबंधी निर्णय।	1991-92 के दौरान कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।

1991-92 के लिए कोई अतिरिक्त कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने पिछड़े हुए वर्गों के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हेतु 1991-92 के दौरान आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है।

सिक्किम :

1990-91 के दौरान कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई।

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
1. पूर्व और दक्षिण जिलों में जरूरतमंद अनुसूचित जाति परिवारों को दूध देने वाली गायों का वितरण।	कारंवाई पूरी की जा चुकी है।
2. एक अनुसूचित गांव कामरे भासमे के कृषि विकास की योजना।	कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा चुका है।
3 कृषि यंत्रों के निर्माण के लिए नागी, दक्षिण सिक्किम में आयरन वर्क्स की स्थापना और अनुसूचित जाति युवकों को लोहार कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान करना।	परियोजना निर्माण का सिविल कार्य आरंभ कर दिया गया है :

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
4. कुछ जरूरतमंद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों को आवास स्थल वितरण करने की योजना।	आरम्भ की जा रही है।

त्रिपुरा :

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
1. डा० बी०आर० अम्बेडकर के नाम पर 6 दिसम्बर, 1990 को एस आर ई पी/जे आर वाई कार्यक्रमों का आरंभ करना।	पहले ही कार्यान्वित कर दिए गए।
2. 14-4-91 को डा० अम्बेडकर पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन।	पहले ही कार्यान्वित कर दिए गये।
3. अप्रैल, 1991 के शेष समय के दौरान, डा० अम्बेडकर पर ब्लाक स्तरीय संगोष्ठियों का आयोजन।	—तदैव—
4. विधान सभा के सामने डा० अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करना।	
5. बटाला से दुर्गाच्यूमेहानी की सड़क का नाम डा० बी०आर० अम्बेडकर सड़क रखना।	—तदैव —
6. डा० बी० आर० अम्बेडकर के जीवन और उनके दार्शनिक सिद्धान्तों को स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल करना।	
7. वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट हस्पताल का नाम अम्बेडकर रखना।	
8. डा० अम्बेडकर ट्रस्ट की स्थापना करना।	
9. राज्य सरकार के आई०सी०ए०टी०विभाग की जतरा यूनिट द्वारा गांवों में डा० अम्बेडकर पर नाटक खेलना।	
10. डा० अम्बेडकर के महत्वपूर्ण संदेशों को उनके चित्रों पर चित्रित करके उन्हें प्रदर्शित करना।	

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम	कार्यान्वयन की स्थिति
11. दो जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति के लड़कों के दो होस्टलों का नाम डा० अम्बेडकर होस्टल रखना।	
12. प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सड़क का नाम डा० अम्बेडकर रखना।	
13. अगरतला में जयनगर हाई स्कूल का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखना।	
14. डा० अम्बेडकर की साहित्यिक कृतियों का बंगाली और काकबोरक में अनुवाद कराकर उन्हें स्कूलों तथा पंचायतों को वितरित करना।	
15. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर इतिहास की पुस्तक में डा० अम्बेडकर के जीवन और कार्य को शामिल करना।	
16. डा० अम्बेडकर के दार्शनिक सिद्धान्तों पर स्थानीय समाचार पत्रों में विशेष लेख प्रकाशित करना।	

अचानक संसदीय चुनाव घोषित होने तथा बाढ़ और चक्रवात आने के कारण शेष कार्यक्रमों (क्रम सं० 4 से 16) को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ये कार्यक्रम 1991-92 के दौरान कार्यान्वित किए जाएंगे।

पंजाब :

1990-91 के दौरान, पंजाब सरकार से कोई कारंवाई कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ था।

1991-92 के दौरान, निम्नलिखित कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है—

1. वर्ष 1990-91 के लिए राज्य सरकार द्वारा डा० बी०आर० अम्बेडकर के फोटो सहित वार्षिक कलैण्डर मुद्रित कराया गया। बाबा साहेब की उक्तियों सहित वर्ष 1990-91 के लिए डायरी राज्य सरकार द्वारा पंजाबी में मुद्रित कराई गई।
2. सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शित करने हेतु बाबा साहेब के 1425 बड़े चित्र तैयार कराए गये।
3. डा० अम्बेडकर के फोटो और उद्धरणों सहित लगभग 30,000 स्टीकर मुद्रित करके तैयार कराए गये।

4. बाबा साहेब की तीन, प्रसिद्ध पुस्तकों अर्थात

   (क) "जातिवाद को समाप्त करना"

   (ख) अस्पृश्य—वे कौन थे, और

   (ग) शूद्र कौन थे

   का अनुवाद किया गया है और उन्हें सार्वजनिक पुस्तकालयों और अन्य सामाजिक संगठनों को वितरित किया जा रहा है।

5. मुख्य पुस्तकालयों को सप्लाई करने हेतु डा० अम्बेडकर के लेखों और भाषणों के 8 खंडों के 80 सैटों की आपूर्ति हेतु महाराष्ट्र सरकार को आर्डर दिए गए हैं।

6. मोहोली में आवासी कोचिंग संस्थान का नाम बदल कर डा० बी०आर० अम्बेडकर संस्थान रखा गया है।

7. होशियारपुर में विधि कालिज स्थापित करने और उसका नाम डा० बी०आर० अम्बेडकर रखने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक कारंवाइयां तैयार की जा रही हैं।

राजस्थान :

1990-91 के दौरान कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने 1-11-91 के अ०शा० पत्र में शताब्दी समारोहों के भाग के रूप में राजस्थान में प्रस्तावित तथा आरंभ किए गए कार्यक्रमो का संक्षिप्त विवरण सूचित किया है।

1. जयपुर में शताब्दी दिवस मनाया गया और दो पुस्तकें विमुक्त की गईं।

2. 1991-92 के दौरान अ०जा० तथा अ० जनजाति छात्रों के लिए 30 नये होस्टल खोले गये हैं।

3. 12 स्थानों अर्थात श्रीगंगानगर अलवर, पाली, जालोर, डूंगरपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, चुरू, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

4. अजमेर में राज्य-स्तर का एक परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है।

5. सरकार का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अ०जातियों के 1.35 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव था, जिसमें से 31-8-91 तक 29,000 परिवारों को पहले ही सहायता दी जा चुकी है।

6. अखिल भारतीय परीक्षा-पूर्व कोचिंग केन्द्र का फिर से नाम बाबा साहिब के नाम पर रखा गया है।

7. जिन गांवों में अ० जातियों की जनसंख्या 50% से अधिक है, उनमें एक बाल्मीकी ग्राम विकास योजना आरंभ की गई है।

8. आशुलिपि, टंकण आदि का तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और नागौर जिलों में अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं।

9. "अपना गाम, अपना काम" योजना के अंतर्गत एक हजार अम्बेडकर सामुदायिक भवनों के निर्माण का प्रस्ताव है।

10. वृद्ध व्यक्तियों तथा कमजोर वर्गों के सभी लोगों के लिए जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर में चार विश्राम गृहों के निर्माण का प्रस्ताव है।

11. आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में वन गार्डों, कांस्टेबलों, वर्ग "घ" के सरकारी कर्मचारी, कनिष्ठ टंकक, ड्राइवरों और तीसरा वर्ग सहायक अध्यापकों के पदों में आरक्षण 12% से 50% तक बढ़ा दिया गया है।

तमिलनाडु :

वर्ष 1990-91 के दौरान कार्यान्वित किया गया कार्यक्रम :

1. मद्रास में राज्य स्तरीय समापन समारोह आयोजित किया गया और उसी दिन, 14-4-91 को जिलों में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए गए।

2. डा० अम्बेडकर के जीवन पर एक फोटो-एवं-पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा उसमें मद्रास सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाएं भी प्रदर्शित की गईं।

3. 14-4-91 को डा० अम्बेडकर पर संगोष्ठी तथा कवि अरंगम का आयोजन किया गया।

4. जिन्होंने डा० अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों पर अनुसंधान कार्य किया है वे उपयुक्त ढंग से सम्मानित किए गए।

5. तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय में डा० अम्बेडकर की स्मृति में एक "पीठ" की स्थापना की गई।

6. उनको पुरस्कारों का वितरण किया गया जिन्होंने समापन समारोह के सम्बन्ध में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आयोजित निबन्ध प्रतियोगिताओं में इनाम जीते थे।

7. डा० अम्बेडकर की स्मृति में मद्रास में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई।

8. 14-4-91 को आयोजित समापन समारोह के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट तथा एक रुपए का सिक्का जारी किया गया।

9. समारोह स्थल पर तथा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में डा० अम्बेडकर के चित्र को अनावृत्त किया गया।

10. ऐसे 100 आदिद्रविड़ युवकों को ऋण दिए गए जो सरकारी अनुदान से पर्यटक टैक्सियां और आटो खरीद करके नए व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक थे।

11. डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में राज्य के प्रत्येक जिले में आदिद्रविड़ ग्राम अंगीकरण योजना आरम्भ की गई।

12. संगोष्ठी, कवि अरंगमों तथा समापन समारोह के बारे में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर एक सप्ताह तक प्रसारण हेतु एक करटनरेजर का प्रबन्ध किया गया।

13. समारोह की पूर्व सन्ध्या पर राज्य के आजीवन कारावास भोग रहे कैदियों तथा अन्य कैदियों की कारावास की अवधि कम की गई।

14. डा० अम्बेडकर के नाम पर जिलों में छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया गया।

15. डा० अम्बेडकर के आदर्शों तथा जीवन पर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में वितरणार्थ पैम्फलेट छपवाकर बांटे गए।

16. सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई आदिद्रविड कल्याण योजनाएं समेकित की गईं और 1950-70 तथा 1970-90 की दो अवधियों के दौरान अब तक दी गई सहायता 2 खंडों में वितरणार्थ प्रकाशित की गई।

17. 14-1-91 को समारोह स्थल पर डा० अम्बेडकर के बारे मे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

1991-92 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लाभ के लिए विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को शुरू करना।

2. प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष कोचिंग केन्द्र।

3. अनुसंधान छात्रों को वित्तीय सहायता।

4. जी० आर० ई०, जी० एम० ए० टी० टोफेल परीक्षाओं में बैठने वाले मेधावी छात्रों के लिए प्रशिक्षण।

5. अनुसूचित जाति बस्तियों में पठन कक्ष-सह-पुस्तकालय स्थापित करना।

6. अनुसूचित जाति बस्तियों के लिए टेलीविजन सैट।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 छात्रावासों का निर्माण।

8. आदिवासी बिकास और आदिवासी विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और छात्रावासों में सुविधाओं का प्रावधान।

उत्तर प्रदेश :

1990-91 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले 10,000 गांवों का समग्र विकास।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आवंटित कृषि भूमि और रिहायशी प्लाटों पर कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू करना जो 1991 तक पूरा हो जाएगा।

3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 15 आश्रम स्कूल और 17 छात्रावास खोलना।

4. डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना करना।

5. सरकारी सहायता से शैक्षिक संस्थाओं द्वारा निर्मित छात्रावासों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिए 25% आरक्षण।

6. 10वीं और 12वीं कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 100 छात्रों को क्रमशः 250 रुपए और 350 रुपए प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान करना।

7. विभागीय छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को 240 रुपये प्रतिमास की दर से वजीफा स्वीकृत करना।

8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि खरीदने के वास्ते 36 लाख रुपए तक की धनराशि की व्यवस्था करना।

9. 10वीं कक्षा तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के छात्रों तथा अन्य गरीब छात्रों के लिए और आर्थिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वर्दी और पुस्तकें निःशुल्क प्रदान करना।

10. महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित सभी वाल्यूमों का 14 अप्रैल, 1992 तक हिन्दी में अनुवाद तथा प्रकाशन।

11. सामाजिक समानता और पिछड़ी जातियों के विकास और सम्बद्ध विषयों पर किए जाने वाले अनुसंधान कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 10 लाख रुपयों से डा० अम्बेडकर शताब्दी प्रतिष्ठान निधि का सृजन करना।

12. प्राइमरी और मिडिल स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में डा० अम्बेडकर के जीवन वृत्तान्त तथा उनकी विचारधारा और दार्शनिक सिद्धांतों को शामिल करना।

13. बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के स्मारक को स्थापित करना।

14. 14 अप्रैल, 1991 को लखनऊ में हजरतगंज सर्कल पर बाबा साहेब के बड़े आकार की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित करना।

15. विधान भवन के तिलक हाल में बाबा साहेब के चित्र का अनावरण।

16. बाबा साहेब पर एक वृत्त-चित्र तैयार किया जाएगा और वह दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।

17. बाबा साहेब की मौजूदा प्रतिमा की मरम्मत और नवीनीकरण करना।

18. आरक्षित पदों में से पद जो खाली पड़े हुए हैं उन्हें भरने के लिए विशेष अभियान चलाना।

19. अन्तरजातीय विवाहों के लिए 10,000 रुपए का नकद इनाम और सरकारी नौकरियों में तरजीह।

20. एक महत्वपूर्ण राजमार्ग का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखना।

21. फतेहपुर में खोले जाने वाले प्रस्तावित सरकारी कालेज का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखना।

22. इटावा में प्रस्तावित छात्रावास का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखना।

प्रस्तावित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के चरण के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 1991-92 के लिए कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार, गुजरात, नागालेंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्यों और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र से कोई कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोहों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों की कार्य योजनायें

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह :

वर्ष 1990-91 के दौरान क्रियान्वित कार्यक्रम

(1) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को मकानों का आबंटन।

(2) अनुसूचित जनजातियों को आई० आर० डी० पी० के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का वितरण।

(3) अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाना।

(4) विभिन्न क्षेत्रों में डा० अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन।

(5) मॉडल स्कूल के हॉल में डा० अम्बेडकर पर प्रदर्शनी का आयोजन।

(6) भाषण, ड्राइंग, चित्रकारी और निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना।

(7) कार निकोबार स्थित डिग्री कालेज का नाम "डा० अम्बेडकर गवर्नमेंट कालेज" रखना।

(8) लड़कों के लिए अम्बेडकर फुटबाल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना।

(9) प्रभात फेरियां और समापन समारोह आयोजित करना।

(10) गवर्नमेंट पोलिटेक्नीक पोर्टब्लेयर का नाम बदल कर "डा० अम्बेडकर पोलिटेक्नीक" रखना।

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम

(1) आदिवासी स्पोर्ट्स धनुर्विद्या।

(2) अम्बेडकर फुटबाल टूर्नामेंट्स।

(3) आदिवासी विकास संबंधी संगोष्ठी।

(4) सीनियर स्कूल छात्रों की भाषण प्रतियोगिता।

(5) पूर्वांचल सांस्कृतिक केन्द्र का सांस्कृतिक कार्यक्रम।

चण्डीगढ़ :

1990-91 के दौरान कार्यान्वित किये गये कार्यक्रम

(1) अनुसूचित जातियों के लिए मकानों की योजना के अंतर्गत धानस गांव में उनके लिए 177 मकान बनाए गए हैं। इस योजना का नाम बदल कर "डा० अम्बेडकर आवास योजना" कर दिया गया है।

(2) विशेष भर्ती अभियान चला कर सेवाओं में बैकलॉग काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है।

(3) चंडीगढ़ अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण की दो योजनाएं चलाई गई हैं :

(क) बेरोजगार अर्ध-शिक्षित अनुसूचित जाति के युवकों को हल्के/भारी वाहन चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण देना।

(ख) कम्प्यूटर कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देना।

(4) चंडीगढ़ प्रशासन ने डा० अम्बेडकर अध्ययन मंडल को डा० अम्बेडकर भवन के निर्माणार्थ 14-4-91 को भूमि आवंटित कर दी थी।

(5) चंडीगढ़ में प्रारंभ किए गए होटल-प्रबंध संस्थान का नाम "डा० अम्बेडकर होटल-प्रबंध संस्थान" रखा गया है।

1991-92 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

(1) डा० अम्बेडकर आवास योजना के तहत, अनुसूचित जातियों के लिए मकान बनाने हेतु 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 करोड़ रुपए के प्रावधान का

प्रस्ताव किया गया है तथा 1991-92 के लिए 30 लाख रुपये अनुमोदित किए गये हैं।

(2) सेवाओं में पिछले वर्षों से संबंधित बैकलॉग को समाप्त करने के उपाय लगातार किए जा रहे हैं।

(3) दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है :
(क) पर्सनल कम्प्यूटर/वर्ड प्रोसेसिंग में समेकित पाठ्यक्रम ।

(4) डा० अम्बेडकर अध्ययन मंडल के निर्माणार्थ 1991-92 के दौरान 2 लाख रुपये जारी किए गए ।

दादरा व नगर हवेली :

1990-91 के दौरान कोई कार्य-योजना प्राप्त नहीं हुई ।

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) "दार्शनिक, डा० बाबा साहेब" विषय पर निबंध-प्रतियोगिता ।

(2) बाबा साहेब के मिशन पर प्रकाश डालने हेतु कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बैठकें व सभाएं ।

(3) महिला गोष्ठियां ।

(4) साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आदिवासी लोगों के साथ बैठकें ।

(5) सिल्वासा नगर में डा० अम्बेडकर के नारों के साथ स्कूली बच्चों की रैली आयोजित करना ।

(6) बालिकाओं में प्रतिरक्षण अभियान, स्वास्थ्य प्रतियोगिता का आयोजन ।

(7) बाबा साहेब का संदेश आदिवासियों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं/अध्यापकों की सभा ।

(8) गृह-सज्जा प्रतियोगिता के साथ-साथ सफाई अभियान को आयोजित करना ।

(9) समस्याओं को उजागर करने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए महिला शिविर का आयोजन ।

(10) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा कमजोर वर्गीय छात्राओं के शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करना ।

(11) अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य कमजोर वर्गीय कालेज छात्रों के विभिन्न स्पोर्ट्स कार्यकलापों का आयोजन ।

(12) समाज के कमजोर वर्गों तक बाबा साहेब का संदेश पहुंचाने हेतु, मुखियाओं तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक ।

(13) बाबा साहेब का मिशन आत्मसात करने हेतु अनुसूचित जातियों की बस्तियों में भजन कीर्तनों का आयोजन।

(14) बाबा भवन के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(15) अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ बैठकें व सभायें।

(16) अनुसूचित जातियों के परिसरों में स्वास्थ्य संबंधी व सफाई संबंधी परिचर्चाएं।

(17) बाबा साहेब के जीवन, दर्शन व मिशन पर प्रकाश डालते हुए, अंतर्राष्ट्रीय महिला-सप्ताह समारोह का आयोजन। कार्यान्वियन संबंधी प्रगति-रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

लक्षद्वीप :

1990-91 के दौरान कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम

(1) कालेजों और हाई स्कूलों में सम्बन्धित विषयों पर प्रतियोगिता आयोजित की गई।

(2) वृक्षारोपण का व्यापक अभियान चलाया गया जिसमें शैक्षिक संस्थानों व महिला-कल्याण संगठनों ने भी भाग लिया।

(3) विशेष खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

(4) विशेष साक्षरता अभियान के साथ शिक्षा-दिवस तथा साक्षरता दिवस बनाए गए।

(5) व्यापक सफाई अभियान, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर वार्ताएं/चर्चाएं, स्वरोजगार आदि आयोजित किए गए।

(6) 14 नवम्बर, 1990 को बाल-दिवस समारोह आयोजित किया गया।

(7) 23 से 24 नवम्बर, 1990 तक, स्वास्थ्य एवं पोषाहार पर एक संगोष्ठी की गई।

(8) 19 से 25 नवम्बर, 1990 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया गया।

(9) 8 दिसंबर, 1990 को बालिकाओं के लिए दक्षेस-दिवस मनाया गया।

(10) 27 दिसंबर, 1990 से 3 जनवरी, 1991 तक द्वीप का "अट्टोलु आयडु" त्यौहार मनाया गया।

(11) द्वीप-स्तरीय तथा संघ राज्य क्षेत्र-स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

1991-92 की कार्य-योजना की प्रतीक्षा है।

पांडिचेरी :

वर्ष 1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम :

(1) शताब्दी समारोहों का उद्घाटन समारोह।

(2) शताब्दी समारोहों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाना है।

(3) करायकल और यनम में डा० अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना।

(4) डा० अम्बेडकर का महराव/संस्मरण स्तम्भ का निर्माण करना।

(5) डा० अम्बेडकर की उक्तियों की पट्टिकाएं लगाना।

(6) डा० अम्बेडकर की कृतियों को पुस्तकालयों में रखा जाना है।

(7) स्कूल और कालेजों में कविता पाठ और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जानी है।

(8) डा० अम्बेडकर की जन्म शताब्दी पर एक स्मारिका प्रकाशित की जानी है।

(9) ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम आयोजित करना या डा० भीमराव अम्बेडकर पर फिल्म बनाना।

(10) 14-4-90 को अनुसूचित जाति के लोगों को धोतियों और साड़ियों का वितरण।

(11) करायकल में तिरुमल्लर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम डा० भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना है।

(12) शताब्दी वर्ष के दौरान कैदियों को क्षमा प्रदान करना।

1991-92 के दौरान, अनुसूचित जाति के 200 प्रत्याशियों को "मैरीन रेडियो अधिकारी प्रशिक्षण कोर्स" कराने का निश्चय किया गया है। सरकार में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाता है। चालू योजनाएं समुचित रूप से एवं पूर्णतः कार्यान्वित की जा रही हैं।

दिल्ली :

1990-91 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम

(1) मल को सर पर ढोने की प्रथा को समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों को पहिएदार ट्रलियों की सप्लाई।

(2) डा० भीमराव अम्बेडकर को समर्पित एक डिग्री कालेज की स्थापना।

(3) डा० अम्बेडकर स्टेडियम के सामने डा० अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना।

(4) तीन राजकीय पुरस्कार शुरू करना।

(5) मेट्रोपोलिटन काउंसिल हाल में डा० अम्बेडकर का आदमकद चित्र लगाना।

(6) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों में डा० अम्बेडकर के जीवन और कार्यों के समुचित पाठों को शामिल करना।

(7) दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों में डा० अम्बेडकर के फोटोग्राफ और उक्तियों सहित प्रचार बोर्डों का प्रदर्शन करना।

(8) शाहदरा में श्यामलाल कॉलेज के निकट उद्यान काम्पलैक्स सहित झील का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखना।

कार्यान्वयन की अवस्था :

1. कोई भी निगम कर्मचारी सिर पर मैला नहीं ढोता है, क्योंकि अधिकांश इलाके सीवरयुक्त हैं। निगम, शुष्क-शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलने के लिए सब्सिडी दे रहा है। समूची दिल्ली में अनेक सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं।

2. दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित तीन कॉलेजों मे एक का नाम डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है।

3. मदनगीर गांव तथा डा० बी० आर० अम्बेडकर नगर में पुष्प भवन के बीच, शॉपिंग सेंटर के सामने डॉ० अम्बेडकर की एक कांस्य-मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है। मूर्ति बनाने की आज्ञा दे दी गई है। कांसे की एक प्लेट जिस पर डा० अम्बेडकर का चित्र है, अम्बेडकर स्टेडियम के द्वार पर पहले ही लगा दी गई है। अतः मूर्ति स्थापित करने के लिए स्टेडियम परिसर में कोई स्थान नहीं है।

4. दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति से अनुरोध किया गया है।

5. कार्यान्वयन परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है। मामले को और आगे बढ़ाया जायेगा।

6. आठवीं कक्षा की हिन्दी पूरक पाठ्यपुस्तक "युग-द्रष्टा" में डा० अम्बेडकर की जीवनी पर एक अध्याय पहले ही शामिल है।

7. दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के 20 महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रचार-पट्ट लगाए हैं जिन पर डॉ० अम्बेडकर के चित्र तथा उक्तियां लिखी हुई हैं।

8. जिस कालोनी व मार्ग पर डा० अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव है, उसका नाम पहले ही अम्बेडकर नगर तथा डा० अम्बेडकर मार्ग है।

1991-92 की कोई कार्य-योजना प्राप्त नहीं हुई है।

मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्य योजनाएं

खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय—खाद्य विभाग

1990-91 के लिए कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. गरीबों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लाभ के लिए आठ समेकित पोषाहार शिक्षा शिविरों अर्थात् पूर्वी उत्तरी और	खाद्य और पोषाहार बोर्ड, खाद्य विभाग ने भारत रत्न बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर शताब्दी समारोह पिछड़े और दलित क्षेत्रों जैसे

1990-91 के लिए कार्यक्रम	टिप्पणियां
पश्चिमी क्षेत्र प्रत्येक में दो-दो शिविरों के आयोजन का प्रस्ताव ।	वासदा (गुजरात), रायपुर (म० प्र०), फेरिमा (नागालैंड), चन्देल (मणिपुर), पटपड़गंज (दिल्ली), कठुआ (जम्मू और काश्मीर), उडुपी (कर्नाटक) और अरकू (आन्ध्र प्रदेश) में इसकी क्षेत्रीय यूनिटों, यूनिटों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समेकित पोषाहार शिक्षा शिविरों का आयोजन करके उत्साहपूर्वक मनाया गया ।
2. केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा "सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता" विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ।	राज्य भण्डारण निगम के साथ संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें संगीत, नृत्य और राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम शामिल था ।
3. राष्ट्र के प्रति डा० अम्बेडकर के योगदान की भूमिका का केन्द्रीय भण्डारण निगम के कर्मचारियों के बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना ।	राष्ट्र के प्रति डा० अम्बेडकर के योगदान की भूमिका का केन्द्रीय भण्डारण निगम के कर्मचारियों के बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की । विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे ।
4. बाबा साहेब की शिक्षाओं पर प्रकाश डालने हेतु भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालयों और मंडलीय कार्यालयों में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन करना ।	खाद्य निगम ने अपने केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में 12-4-91 से 14-4-91 तक एक संगोष्ठी का आयोजन किया था । इस संगोष्ठी का केन्द्र बिन्दु बाबा साहेब की शिक्षाओं पर प्रकाश डालना था ।

वर्ष 1991-92 के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

1. खाद्य मंत्रालय को खाद्य और पोषाहार बोर्ड ने गरीबों और पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए देश के विभिन्न भागों में 8 पोषाहार ओरिएन्टेशन प्रारम्भिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा ।

2. केन्द्रीय भण्डारण निगम ने सभी वर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से रिक्त चले आ रहे पदों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है । आगे, वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों में से 25% कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का विचार है ।

3. भारतीय खाद्य निगम मुख्यालयों स्तर और क्षेत्रीय स्तरों पर डा० अम्बेडकर के विचार पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन करेगा । मुख्यालयों और निगम के प्रत्येक क्षेत्र में उक्त निबन्ध प्रतियोगिता में सर्वोत्तम तीन प्रविष्टियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ।

कृषि मंत्रालय :

कार्यक्रम 1990-91 और 1991-92	कार्यान्वयन
1. राष्ट्रीय कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत एक आदर्श मछुआरा ग्राम विकसित करना और उसका नाम डा० भीम राव अम्बेडकर के नाम पर रखना।	संबंधित राज्य सरकारों को प्रत्येक में एक मछुआरा ग्राम का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखने के लिए कहा गया है। जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।
2 राज्य सरकारों के किसान प्रशिक्षण केंद्र के माध्यय से विशेष प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित करना।	विस्तार निदेशालय के मार्गदर्शन के अधीन संबंधित किसान प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
3. डा० अम्बेडकर के नाम पर एन० सी० डी० सी० और नेफेड द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में एक अध्येतावृत्ति शुरू करना।	नेफेड ने राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान में डा० अम्बेडकर के नाम पर अध्येतावृत्ति शुरू कर दी है। एन० सी० डी० सी० ने डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह के संबंध में चार अध्येतावृत्तियों में से दो अध्येतावृत्ति बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, पुणे में व्यवसाय प्रबन्ध में 9 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सुरक्षित है।
4. एन०सी०यू० आई० द्वारा "को" ओपरेटर" के विशेषांक का प्रकाशन।	एन० सी० यू० आई० और अखिल भारतीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड (फिशकोपहेड) ने पूर्णत: कमजोर वर्ग की सहकारिता पर समर्पित करते हैं, "कोआपरेटर" का विशेषांक निकाला जिसके आवरण पृष्ठ पर डा० बी० आर० अम्बेडकर का चित्र दिया गया था।
5. एन० सी० यू० आई० द्वारा "कमजोर वर्ग" के विषय पर छात्रों के सहयोग विषयक निबन्ध वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन।	एन० सी० सी० टी० के अपने कार्यक्रम में राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता भी है जो एक वार्षिक क्रियाकलाप है। इस वर्ष का विषय कमजोर वर्गों की सहकारिता से संबंधित होगा।
6. अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह समारोहों के दौरान "कमजोर वर्ग" विषय का व्यापक चार।	14 से 28 नवम्बर, 1990 तक 37वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह समारोहों के दौरान एक दिन अर्थात् 19 नवम्बर, 1990 को अनन्य रूप से महिला एवं कमजोर वर्ग सहकारिता के लिए रखा गया था।
7 कृषि दर्शन कार्यक्रम में "कमजोर वर्ग सहकारिता" पर चर्चा।	कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शन महानिदेशालय से अनुरोध किया गया है। 14 अप्रैल, 1992 से

कार्यक्रम 1990-91 और 1991-92	कार्यान्वयन
	कुछ दिन पूर्व कृषि दर्शन कार्यक्रम में कमजोर वर्गों की सहकारिता पर चर्चा करने की व्यवस्था की जाए।
8. कृषि विकास, भूमि सुधार महिलाएं कृषि तथा सम्बद्ध विषयों पर डा० अम्बेडकर के विचारों को शामिल करते हुए "विस्तार निदेशालय" पत्रिका के विशेषांक का प्रकाशन।	(क) अप्रैल 1991 के लिए गृह विज्ञान का विशेषांक निकाला गया था जिसमें 5 विशेष लेख, एक भेंट, एक उद्धरण, और पाठ में दो चित्र तथ आवरण पृष्ठ विशेष रूपसे डा० अम्बेडकर पर डिजायन किया गया था। इस विशेषांक प्रतियां रामलीला मैदान नई दिल्ली में भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 14-4-91 को हुए समारोह में वितरित की गई थीं। (ख) डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोहों के संबंध में दिसम्बर, 1990 के "इंटेन्सिव एग्रीकल्चर" में विशेष उद्धरण भी प्रकाशित किए गए थे।
9. विस्तार निदेशालय द्वारा प्रदर्शनी।	विस्तार निदेशालय ने डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोह के भाग के रूप में रामलीला मैदान, नई दिल्ली में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी मान लिया। निदेशालय ने 1500 वर्ग फुट के मण्डप में आकर्षक चित्रों, उपयुक्त वस्तुओं तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी 14 से 26 अप्रैल, 1991 तक लगाई गई। मंडप में विभिन्न कृषि संबंधी विषयों विशेष रूप से लघु तथा सीमान्त कृषकों के सम्बन्ध में प्रतिदिन वीडियो फिल्में ली गईं।
10. बम्बई के समीप प्रमुख मत्स्य पालन तट, "सासून" का नाम डा०बी० आर० अम्बेडकर के नाम पर रखना।	सासून डाक मत्स्य पालन तट का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बम्बई पत्तन न्यास को इस अनुरोध के साथ लिखा गया था। तट का नाम डा0 भीम राव अंबेडकर रखने के लिए उद्घाटन की व्यवस्था की जाए। परन्तु उन्होंने जबाव दिया कि मुकदमे के कारण परियोजना के पूरा होने की तारीख अनिश्चित थी।

कार्यक्रम 1990-91 और 1991-92	कार्यान्वयन
11. 20 किसानों के बीच समूहों, जिसमें पांच समूह विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला एवं किसानों के हों, के प्रशिक्षण के लिए "कृषक विनियम" की एक योजना।	अन्य राज्यों/क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 305 कृषकों के 13 समूह बनाए गये थे जिसमें 48 अनुसूचित जाति कृषकों, 54 अनुसूचित जनजाति कृषकों, 20 कृषि महिलाओं और 183 अन्य कृषकों को शामिल किया गया था ताकि उन्हें उन क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्यों में अपनाई गई प्रौद्योगियों में की गई प्रगति से परिचित कराया जा सके।

ग्रामीण विकास विभाग :

1990-91 तथा 1991-92 के लिए

1. 25 राज्यों में 30,000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासों/खंडों के लिए सुरक्षित पेयजल सुविधाओं हेतु विशेष योजना को प्रारम्भ करना। कम से कम प्रत्येक 40 परिवारों के आवास के लिए एक हैण्ड पम्प/स्वच्छ कुओं की व्यवस्था।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लाभ के लिए सरकारी आदेशों तथा भूमि सुधार विधान के कारगर कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सरकारी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्यक्रम।

3. आदिवासी लोगों के लाभ के लिए ग्रामीण बाजारों के विकास हेतु कार्यक्रम।

4. समाज के निर्धन तथा दलितों के उत्थान के लिए निर्दिष्ट समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभप्राप्तकर्ताओं के हिस्सा को 30% से बढ़ाकर 50% करना।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को यथासंभव अधिक संख्या में शामिल करने के लिए जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन। इन्दिरा आवास योजना तथा मिलियन वैल योजना विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के लिए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित निधि :—

1990-91	2623.13 करोड़ रुपये में से 964 96 करोड़ रुपये
1991-92	3043.75 करोड़ में से 1120.10 करोड़ रुपये

नागरिक उड्डयन मंत्रालय :

1990-91 के लिए कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना।	अप्रैल, 1991 में कार्रवाई पूरी हुई।
2. नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद से निकलने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सर्वोत्तम उम्मीदवार को ट्राफी शुरू करना।	शुरू की गई।
3. भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ी व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में प्रायोजित करना।	
4. विमान पत्तनों में डा० अम्बेडकर के उद्धरणों और उक्तियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना।	फरवरी, 1991 में कार्रवाई समाप्त।
5. कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करना।	मार्च, 1991 में सम्पन्न।
6. कर्मचारियों के बच्चों के लिए खेल टूर्नामेंट आयोजित करना।	अप्रैल, 1991 से पहले सम्पन्न।
7. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए डा० अम्बेडकर के योगदान पर सुप्रसिद्ध वक्ताओं के भाषणों की व्यवस्था करना।	
बम्बई विमान पत्तन :	
8. अम्बेडकर की कृतियों पर हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता।	6-9-90 को आयोजित।
9. आवासी कालोनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित कविता पाठ का आयोजन किया जाना।	2-4-91 को आयोजित।
10. बम्बई विमान पत्तन से डा० अम्बेडकर के जन्म स्थान (महाराष्ट्र के महू सीमा तथा वापिस) तक साइकिल यात्रा।	

1990-91 के लिए कार्यक्रम	टिप्पणियां
11. बम्बई फ्लाइंग क्लब से अनुरोध किया जाये कि आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को निःशुल्क सवारी प्रदान की जाए।	
कलकत्ता विमान पत्तन :	
12. आवासीय कालोनी में डा० अम्बेडकर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित निबन्ध प्रतियोगिता तथा कविता पाठ आयोजित करना।	14-9-90 को आयोजित।
मद्रास विमान पत्तन :	
13. अम्बेडकर-दलितों के समर्थक विषय पर तमिल, हिन्दी तथा अंग्रेजी में निबन्ध प्रतियोगिता।	
14. अम्बेडकर "सामाजिक न्याय के समर्थक" विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान प्रतियोगिता।	
इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन मुख्यालय, नई दिल्ली।	
15. महिपालपुर आवासी कालोनी में डा० अम्बेडकर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित निबन्ध प्रतियोगिता कविता पाठ का आयोजन।	12-4-91 को आयोजित।

1991-92 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

1. कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के लिए निबन्ध, वाद-विवाद, चित्रकला, ड्राइंग, कविता प्रतियोगिता इत्यादि।

2. सांस्कृतिक तथा खेल कार्यक्रम।

3. अंबेडकर पर चलचित्रों की स्क्रीनिंग तथा पुस्तकालयों के लिए साहित्य की उपलब्धि।

4. डा० अंबेडकर के जन्म स्थान में प्रौढ़ साक्षरता, भाषण, पौध स्थली अभियान तथा साइकिल प्रतियोगिता।

जल संसाधन मंत्रालय

कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. आदिवासी क्षेत्रों में 2000 लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा करना। इसे "अंबेडकर शताब्दी परियोजना परियोजनाएं" नाम दिया जाएगा।	योजना आयोग नई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को प्रारम्भ करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ है तथा यह सुझाव दिया है कि अच्छा होगा कि इस प्रकार की योजनाएं तैयार की जाए तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएं।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनसंख्या वाले 50 खण्डों (अनुसूचित जनजातियों के लिए 30 खण्ड और अनुसूचित जातियों के लिए 20 खण्ड) में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु समेकित कार्यक्रम। जिसे अंबेडकर शताब्दी सिंचाई विकास खण्ड नाम दिया जाएगा।	

संचार मंत्रालय :

कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. 14-4-91 को स्मारक टिकट जारी करना।	14-4-91 को स्मारक टिकट जारी की गई।
2. डाक सेवा स्टाफ कल्याण निधि से उन अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। (क) विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं में बैठते हैं ताकि वे अधिक प्रभावी रूप से प्रतियोगिता में भाग ले सकें। (ख) जो शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने हेतु उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।	10-4-91 को आदेश जारी किए गए।
3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु योजनाओं पर अखिल भारतीय सर्कल/प्रभागीय स्तरो पर संगोष्ठियां आयोजित करना।	सेवाओं में आरक्षण के संबंध में संवैधानिक उपबन्धों तथा सरकारी निधियों/आदेशों पर गाजियाबाद में 22 से 24 जनवरी 1991 को एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर इस विषय के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित की गई।
4. इन सिफारिशों का व्यापक प्रचार करना।	

ऊर्जा मंत्रालय :

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

कार्यक्रम	टिप्पणी
1. 3 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य गांवों में 20 ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं की स्थापना।	इस विभाग ने छः राज्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य गांवों में 20 ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं की स्थापना का काम शुरू किया है। इन परियोजनाओं का विभाग के अपने ही बजट आवंटनों में से 1.3 करोड़ रु० की राशि से पूर्ण वित्त-पोषण के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 ऊर्जा ग्राम परियोजनायें इस विभाग द्वारा फरवरी, 1991 में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में से प्रत्येक में चार-चार और गुजरात में 2 परियोजनायें संस्वीकृत की गई थीं। शेष दो परियोजनायें कर्नाटक के लिए जून, 1991 में स्वीकृत की गई थीं। इन परियोजनाओं में से ग्राम अम्बा दावे, जिला रत्नगिरी, महाराष्ट्र तथा ग्राम फनार, देहरादून जिला, उत्तर प्रदेश में पहले ही पूरी की जा चुकी है। शेष परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निकट से मानीटरिंग की जा रही है और आशा की जाती है कि ये भी चालू वर्ष में पूरी कर ली जायेंगी। गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा अपने सीमित संसाधनों से एक अत्यंत वृहत् कार्यक्रम पहले ही आरंभ किया जा चुका है। तथापि, और ऊर्जा ग्राम परियोजनायें तभी शुरू की जा सकती हैं जब कल्याण मंत्रालय द्वारा अपनी उन निधियों में से अतिरिक्त विधियां उपलब्ध कराई जाएं जो शताब्दी समारोहों के लिए निर्धारित की गई हैं।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम :

1. पड़ोस के कमजोर वर्गों के लोगों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधायें।	हमारी परियोजना/एककों पर चिकित्सा सुविधायें पड़ोस के कमजोर वर्गों के लिए

कार्यक्रम	टिप्पणी
	निःशुल्क प्रदान करने के लिए खुला रहेगा।
2. ग्रामीण खेलकूद का आयोजन।	परियोजना स्थल पर ग्रामीण खेलकूद का आयोजन किया जाएगा।
3. हिन्दी और अंग्रेजी में निबंध प्रतियोगिता।	हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निबंध प्रतियोगिताएं।
4. वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिता।	समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के विषय पर तथा डा० अंबेडकर के जीवन एवं कृतियों पर परियोजना विद्यालयों में वाद-विवाद/भाषण प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।
5. चालू वर्ष में वानिकी कार्यक्रम।	परियोजनाओं से चालू वर्ष के लिए लक्षित वानिकी कार्यक्रम में 10% तक उन्नति होगी।
6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बारे में विभिन्न विद्यार्थी उपायों पर विशेष प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रम।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बारे में सरकार द्वारा शुरू किए गये विभिन्न विधायी उपायों पर हमारे विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
7. समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर गृह पत्र-पत्रिकाओं में विशेष लेख।	व्यापक सूचना तथा अध्ययन के लिए हमारी गृह पत्र-पत्रिकाओं में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बारे में विधायी जैसे विषयों पर कर्मचारी लेख प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम :

1. कुओं की खुदायी, विद्यमान कुओं की मरम्मत, स्कूलों अथवा पंचायत भवनों का निर्माण तथा अन्य सामुदायिक विकास क्रिया कलाप इस तालमेल के साथ कि इनका रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

2. ग्रामीणों/ग्राम पंचायतों द्वारा संभावित अनुरक्षण किए जाने वाली पड़ोसी गांवों में गोबर गैस संयत्र का लगाया जाना।

3. संबंधित राज्य सरकार के स्थानीय वन विभाग की सहायता के माध्यम से पास-पड़ौस के क्षेत्र में वानिकी ।

4. बच्चों इत्यादि को टीके लगाने सहित चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मचारियों के सचल दल द्वारा पाक्षिक आधार पर स्वास्थ्य परीक्षा तथा चिकित्सा उपचार के लिए दौरे ।

5. परियोजना स्थलों पर सामाजिक न्याय विषय पर साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन ।

6. परियोजनाओ के नजदीक ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कहीं संभव हो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलना ।

7. ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम :

1. "कुटीर ज्योति" नामक एक विशेष कार्यक्रम, जो वर्ष 1988-89, 1989-90 के लिए ग्रामीण निर्धनों के लाभार्थ शुरू किया गया था, को कार्यक्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों सहित ग्रामीण निर्धनों को लगभग 5 लाख कनेक्शन मुहैया कराने हेतु जारी रखने का प्रस्ताव है ।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बृहत् जनसंख्या वाले राज्यों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है, में लगभग 50,000 स्ट्रीट लाइट प्वाइण्ट प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है ।

वाणिज्य मंत्रालय :

कार्यक्रम	टिप्पणी
1. आई० आई० एफ० टी० द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के लिए मैमासिक निर्यात विकास कार्यक्रमों का आयोजन ।	इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय ने पहले ही आवश्यक निधियों का प्रावधान कर दिया है ।
2. एफ० आई० ई० डी० द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्यातकर्ताओं को विशेष पुरस्कार ।	
3. डा० अम्बेडकर पीठ के नाम से बी० बी० आई० एम० धारा आई० आई० एफ० टी० में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक पीठ की स्थापना के लिए वित्त पोषण ।	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में एक "अम्बेडकर-पीठ" स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है । राज्य व्यापार निगम ने इस उद्देश्य के लिए संस्थान को 15 लाख रुपये मुहैया कराए हैं ।

कार्यक्रम	टिप्पणी
4. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में डा० अम्बेडकर फैलोशिप नाम से एक फैलोशिप आरम्भ करना।	
5. भारतीय व्यापार प्राधिकरण द्वारा व्यापार मेले में "सामाजिक न्याय वर्ष" पर एक विचार-दीर्घ का आयोजन।	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा उत्पादित माल के सबसे बढ़िया प्रदर्शन के लिए असम सरकार को प्रथम पुरस्कार तथा राजस्थान सरकार को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विकास आत्मक परियोजनाओं पर सबसे अच्छी प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार केरल सरकार को व द्वितीय पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया।
6. बाबा साहेब की जन्म शताब्दी की स्मृति में आरंभ करना।	
7. आई० आई० एम० टी० द्वारा अंबेडकर स्मारक संगोष्ठियों के नाम से प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगोष्ठियों का आयोजन।	अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में लेखक विकास तथा पुस्तक विकास को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात उन्नयन समिति भारत में प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करेगी। ये संगोष्ठियां "डा० बी० आर० अंबेडकर अफ्रीकी एशियाई प्रकाशन सम्मेलन" के नाम से जानी जाएगी।

रेल मंत्रालय :

कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. रेलवे के सभी मंडलों द्वारा भारतीय समाज में बाबा साहेब के योगदान पर संगोष्ठी का आयोजन।	13 मंडलीय केन्द्रों पर संगोष्ठियां/विचार-गोष्ठियां आयोजित की गई।
2. रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों तथा कालोनियों में बाबा साहेब के विचारों का प्रदर्शन।	स्टेशनों, कार्यालयों तथा कालोनियों में उक्तियां प्रदर्शित की गई।
3. मुद्रित कार्ड टिकटों तथा आरक्षण टिकटों के पीछे 'डा० अंबेडकर शताब्दी वर्ष" अंकित करना।	दक्षिणी रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे ने इन शब्दों के साथ विशेष टिकटें मुद्रित कीं।

कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
4. समूह 'घ" कर्मचारियों के लिए विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाना ।	दक्षिणी तथा पश्चिम रेलवे और कार्य-शालाओं में ये अभियान चलाए गए।
5. अनुसूचित जाति के लिए 12% से 15% तक तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 5% से 7½% तक संस्वीकृत छात्रवृत्ति की प्रतिशतता में वृद्धि करना ।	प्रतिशतता में संशोधन कर दिया गया है।
6. उन कालोनियों में बहुउद्देशीय अभियान चलाया जाना जिनमें "समूह "घ" कर्मचारी अधिकांशतः रह रहे हों ।	दक्षिणी रेलवे तथा पश्चिम रेलवे ।
7. समूह "ग" तथा "घ" पदों में अनुसूचित जाति के लिए पीछे से चले आ रहे कोटे को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान ।	प्रायः सभी मण्डलों में समूह "ग" और "घ" में रिक्त स्थान भर दिए गए हैं ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय :

कार्यक्रम :

1. पिछड़े क्षेत्रों में नगरपालिका स्कूलों में बच्चों को नोट बुकें देना ।
2. डा० अम्बेडकर के निवास की मरम्मत के लिए योगदान करना ।
3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के आवास हेतु मुख्य रूप से उपयोग किए गये छात्रावासों की मरम्मत/उनको नया रूप देने के लिए योगदान करना ।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृति देना ।
5. डा० अंबेडकर की विचारधारा और उनके कार्यों को दर्शाने के लिए इन-हाऊस रिफाइनरी/विपणन ग्रुपों के लिए विशेष नाटक आयोजित करना ।
6. पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों में छात्रों को एक निर्धारित अवधि के लिए भोजन देने का प्रावधान करना ।

बोंगाइगांव तेल शोधक कारखाना एण्ड पेट्रोरसायन लिमिटेड :

7. स्कूलों और कालेजों का विकास ।
8. छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए 5 लाख रुपये की निधि से एक न्यास (ट्रस्ट) स्थापित करना ।
9. डा० अंबेडकर हाल और पेय जल सुविधाओं, सहायक सड़कों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अन्य कल्याण कार्यक्रमों इत्यादि के लिए सहायता ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड :

10. अखिल भारतीय डा० अंबेडकर संवैधानिक विधि पदक—1000 रुपये के नकद पुरस्कार वाले 10 पदक की स्थापना करना।

11. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के हित के लिए उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और समर्पण दर्शाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 500 रुपये की राशि पुरस्कार देकर अखिल भारतीय मेधावी मान्यता देना।

12. अखिल भारतीय स्तर पर गांवों को अपनाना वर्ष 1990-91 के दौरान छः आदिवासी/अनुसूचित जाति के छोटे गांव जहां वयस्क शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, व्यावसायिक कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य शिविर, फलों वाले वृक्षों की सप्लाई, कृषि निवेश इत्यादि पर जोर दिया जाएगा।

13. चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए 500 रुपये प्रति माह की अखिल भारतीय डा० अंबेडकर छात्रवृत्ति।

14. बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और विशाखापटनम मंडलों में डा० अंबेडकर शताब्दी सांस्कृतिक कार्यक्रम।

15. मंडलीय कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, टर्मिनल तथा तेल शोधक कारखानों में ग्रन्थालयों को डा० अम्बेडकर के जीवन और कार्य सम्बन्धी पुस्तकों का वितरण।

16. विश्वविद्यालय डिग्री के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के योग्य छात्रों के लिए 000 रुपये प्रति वर्ष की दर से वार्षिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति की संख्या 250 से बढ़ाकर 500 करना।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड

17. खेलकूद, एथलीट आयोजन।

18. निबन्ध प्रतियोगिता।

19. वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन।

20. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

लुबरिजोल इंडिया लिमिटेड :

21. सेमीनारों का आयोजन।

22. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

23. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए वर्दी, लेखन तथा पठन सामग्री उपलब्ध कराना।

24. वयस्क शिक्षा हेतु योगदान।

25. बम्बई के निकट दो आदिवासी गांवों को अपनाना।

26. टाइपराइटर, सिलाई मशीन, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा दलितों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए योगदान करना।

27. किसी विशेष कार्यक्रम हेतु वित्तीय योगदान करना।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड :

28. सभी स्वागत काउंटरों पर फ्रेम में लगे फोटो/पोर्ट्रेट लगाना।

29. बाबा साहेब के प्रयासों/उपलब्धियों का उल्लेख करने वाली पुस्तकों के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण ई० आई० एल० के ग्रन्थालय के लिए प्राप्त करना।

30. बाबा साहेब अंबेडकर की उपलब्धियों/योगदान पर कर्मचारियों के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन।

31. देश के प्रति बाबा साहेब के योगदान पर कर्मचारियों, विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन।

32. उपरोक्त विषय पर कर्मचारियों, विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन।

33. शताब्दी वर्ष के दौरान हाउस पत्रिका के सभी संस्करणों में बाबा साहेब के लेखों/उक्तियों को पुनः प्रकाशित करना।

34. कर्मचारियों और उनके विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों के लिए बाबा साहेब के जीवन और आदर्शों पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन।

35. बाबा साहेब अंबेडकर पर वीडियो/वृत्त चित्र फिल्म तैयार करना।

36. बाबा साहेब अंबेडकर के फोटो/पेंटिंग चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन करना।

37. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देना।

38. बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन और आदर्श—विषय पर सुविख्यात व्यक्तियों की चर्चा का आयोजन।

39. दिल्ली के आसपास अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले गांवों में स्वयंसेवी सामाजिक कार्य की व्यवस्था करना।

40. कंपनी की हाउस पत्रिकाओं में कर्मचारियों के पुरस्कृत निबन्धों और अन्य लेखों को प्रकाशित करना।

इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम (आई० बी० पी०) कम्पनी लिमिटेड :

41. विशेष भर्ती अभियान के द्वारा आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना।

42. कर्मचारियों की शिकायतों का निराकरण करना।

43. कल्याण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेष निधि की स्थापना।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड :

44. 'विजन आफ डा० अंबेडकर' (डा० अंबेडकर का स्वप्न) विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन।

45. 'डा० अंबेडकर का जीवन और सामजिक उत्थान में उनका योगदान' विषय पर वार्ता का आयोजन।

46. बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर एक फिल्म दिखाना।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड :

47. डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशनशिप के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए विशेष आरक्षण।

48. भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विशेष आरक्षण।

49. दलितों और पिछड़े समुदाय के लोगों के लाभ के लिए कल्याण कार्य।

50. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लाभ के लिए छात्रवृत्ति।

ऑयल इंडिया लिमिटेड :

51. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, फुटबाल टूर्नामेन्ट और कल्याण कार्यक्रम आयोजित करना।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय :

उर्वरक और रसायन लिमिटेड, ट्रावनकोर

1. डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी पुरस्कार केरल की एक एस०एस०एल०सी० परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एलूर नगरपालिका (जहां एफ० ए० सी० टी० का मुख्यालय स्थित है) के अ० ज०/अ० ज० ज० छात्रों के लिए पिछले वर्ष आरंभ किया गया था और वदायुकोडं – पुथेनकुंज क्षेत्र जहां एफ० ए० सी० टी० का दूसरा उत्पादन एकक स्थित है। यह पुरस्कार वर्ष 1991-92 के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

2. मार्च/अप्रैल, 1990 तथा 1991 में हुई परीक्षाओं के लिए पुरस्कार सितम्बर, 1991 में दिए जाने का प्रस्ताव है। तथापि 1 मार्च/अप्रैल, 1992 में होने वाली परीक्षाओं के लिए पुरस्कार 1992-93 में किसी उपर्युक्त अवसर पर दिए जायेंगे।

3. मलयालम निबंध और वृक्तता में अंतर-स्कूल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों का वितरण किया गया और डा० अम्बेडकर पर मलयालम में एक पुस्तक भी सभी प्रतिभागियों को दी गई थी।

4. एल्लूर नगरपालिका के 150 जा० ज०/अ० ज० जा० बच्चों का नगरपालिका के माध्यम से चिकित्सा बीमा किया जा रहा है।

5. राज्य साक्षरता अभियान के अन्तर्गत वायनाड जिले में आदिवासी गांवों के लिए हमारे द्वारा 2,000 चश्मों की आपूर्ति की गई है।

6. केरल राज्य सरकार द्वारा डा० अम्बेडकर शताब्दी कार्यकलापों के भाग के रूप में विकास हेतु चुने गये 210 गांवों में से दो गांवों को फैक्स द्वारा अपनाया जा रहा है।

7. फैक्स द्वारा एल्लूर नगरपालिका के लिए टेलीविजन खरीदा गया है। इसे सितम्बर 1991 के दौरान सामुदायिक रूप से देखने हेतु उस वार्ड में लगाया जाएगा जहां अ०जा०/अ० ज०जा० की अधिकांश जनसंख्या रहती है।

8. डा० अम्बेडकर शताब्दी कार्यकलापों के भाग के रूप में एल्लूर नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित कुछ विकासात्मक गतिविधियों के लिए फैक्स वित्तीय अंशदान भी कर रहा है।

9. इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत एल्लूर नगरपालिका को एंबुलेंस वैन खरीदने हेतु 20,000 रु० का अंशदान भी दिया गया था।

10. एक अम्बेडकर गांव पाल्लीपुरम में अ०जा०/अ०ज० जा० में सांस्कृतिक और कला के प्रतिभावान व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने हेतु 3500 रु० की लागत से अम्बेडकर शताब्दी समारोह पर 13 अप्रैल, 1991 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजित किया गया।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

11. समग्र ग्रामीण विकास हेतु कुछ गांव समूहों को अक्तूबर, 1991 में अपनाया जा रहा है।

12. वृक्षारोपण कार्य सभी राज्यों में आरंभ किया जायेगा।

13. क्रिभको गांव समूह में स्वास्थ्य जांच अभियान आयोजित किया जायेगा।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1991-92 के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम :—

1. निबन्ध प्रतियोगिता, स्वच्छता कार्य, अंतर-विभागीय टूर्नामेंट, रैफल, चित्रकारी प्रतियोगिता आदि।

2. कैलीग्राफी, क्विज प्रतियोगिताएं, हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताएं, हिन्दी वाक् प्रतियोगिता, रक्त-दान, दलितों के लिए पुस्तकें/वस्त्र दान।

प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड (पी० डी० आई० एल०)

1. हमारे पी० डी० आई० एल० के कर्मचारियों में अंग्रेजी और हिन्दी में निबन्ध प्रतियोगिता।

2. पी० डी० आई० एल० के कर्मचारियों में अंग्रेजी और हिन्दी में वाद-विवाद प्रतियोगिता।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय

1. वानिकी तथा आदिवासी अंतरापृष्ठ :

11-8-90 के मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित विषयों पर राज्यों को 18-9-1990 को दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं :—

(1) वन समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न वन भूमि पर विवादित दावों की समीक्षा।

(2) वन भूमि से संबंधित पट्टा/लीज/अनुदानों के संबंध में विवाद—उनका समाधान।

(3) आदिवासियों द्वारा वन भूमि का अधिक्रमण—विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार समीक्षा और विनियमन।

(4) वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तन करना।

(5) वन्य प्राणियों द्वारा की गई हानि/लूटपाट के कारण हुई जान और माल की हानि की क्षतिपूर्ति का भुगतान।

(6) मध्यस्थों को समाप्त करना तथा वानिकी कार्य के लिए मजदूरों को उचित वेतन का भुगतान।

2. आदिवासी विकासों के लिए लाभोन्मुखी योजना :

यह परियोजना टाइगर क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीवन अभ्यारण्य की पुनःस्थल योजनाओं के अंतर्गत प्रभावित आदिवासी और अन्य परिवारों के पुनर्वास के लिए 1989-90 से चल रही एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए इस योजना के अतर्गत, प्रदान किए गए कुल 90 लाख रु० में से 47.25 लाख रु० व्यय किये गये। 400 परिवारों के पुनःस्थापन के लिए वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रु० प्रदान किये गये हैं।

3. औषध पदार्थों सहित लघु वन उत्पाद :

इस चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य वन क्षेत्र में जैव-विविधता (बायो-डायवर्सिटी) में वृद्धि करना तथा वन और लघु वन उत्पाद पर निर्भर आदिवासी और ग्रामीण जनसंख्या को लाभ प्रदान करना है। वर्ष 1990-91 के दौरान, 442 लाख रु० आवंटित किए गए, जिसके मुकाबले में 441.95 लाख रु० व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए 400 लाख रु० आवंटित किये गये हैं।

4. उजड़े वनों के पुनर्वास में आदिवासियों का सम्बद्ध होना :

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की जाने वाली योजना में उजड़े वनों के पुनः सृजन के लिए समुदाय आधार पर स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीण गरीबों को शामिल करना है। योजना का प्रारूप, योजना आयोग, कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से इस सीमा तक संशोधित किया जा रहा है कि यह आदिवासी और ग्रामीण गरीब लोगों को प्रभावित किये बिना, जैसा कि "1988 में संशोधित किया गया है" वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुरूप है।

5. महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों के इर्द-गिर्द आर्थिक विकास :

चुने हुए राष्ट्रीय पार्कों, टाइगर संरक्षण आदि इर्द-गिर्द आर्थिक विकास के मॉडल क्षेत्र स्थापित करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ करने वाली एक नई केन्द्र प्रयोजित योजना का प्रस्ताव है।

6. गंगा कार्य योजना :

विभिन्न गंगा कार्य योजना शहरों में, कम कीमत पर सिवाई शौचालय, समुदाय शौचालयों के निर्माण, शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित फ्लश शौचालयों में परिवर्तन की योजनाएं हैं। इन योजनाओं की पूर्ति निश्चित ही मैला उठाने जैसे अमानवीय कार्य से कमजोर व्यक्तियों को राहत देने में सहायक होगी।

गंगा कार्य योजना विशेषकर कम लागत की सफाई के अंतर्गत समुदाय शौचालयों/काम्पलैक्स का निर्माण करने और इसे बाबा साहेब का नाम देने के लिए कार्यान्वियन एजेंसियों को प्रस्ताव किए जा रहे हैं तथा कार्य योजना के अन्तर्गत स्नान घाट बनाए जायेंगे और उनमें से कुछ का नाम प्रत्येक राज्य में डा० अंबेडकर के नाम पर रखा जा सकता है।

कार्यान्वयन :

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, उपरोक्त योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

तथापि, गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन का विवरण, निम्न प्रकार है: -

गंगा कार्य योजना के अंतर्गत, जो कि तीन राज्यों अर्थात उत्तर-प्रदेश, बिहार और प० बंगाल में चलाई जा रही है, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो मूलतः उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं जिनके लिए

बाबा साहेब संघर्षरत रहे। विभिन्न गंगा कार्य योजना शहरों में कम लागत पर सफाई, शौचालय, समुदाय शौचालयों का निर्माण, शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की योजनाएं हैं। इन योजनाओं के पूरा होने पर निश्चय ही मैले ढोने के कार्य से कमजोर लोगों को राहत दिलाने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के तौर पर कार्य योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद शहर को सफाई कर्मचारियों से मुक्त बनाने का लक्ष्य किया था। इसके अतिरिक्त स्वीवेज ट्रीटमैंट एण्ड इन्टरसैप्शन एण्ड डाइवर्सन योजना क्षेत्रों में नगर निगम मल और दूषित जल निकासी योजनाओं को काफी वैज्ञानिक ढंग और सफाई स्थितियों के अधीन चलाया जा रहा है।

बाबा साहेब शताब्दी समारोह वर्ष के दौरान, जो कार्य कमजोर वर्गों को सीधे राहत दे रहे हैं और दलित वर्गों के कर्मियों को लाभ पहुंचा रहे हैं उन अनु० जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को नीचे दर्शाया गया है :

(1) उत्तर प्रदेश :

जून, 1991, के अंत तक, 14771 व्यक्तिगत शौचालयों और 156 समुदाय परिसरों को पूरा किया जाये। यह संभावना है कि शताब्दी योजना के दौरान लगभग 15 समुदाय और लगभग 5000 व्यक्तिगत जल प्रवाहित फ्लस में परिवर्तित शुष्क शौचालयों का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 2 मल निकसी प्लांट भी इसी अवधि में लगाने की संभावना है।

(2) बिहार :

बिहार से कम लागत की सफाई संबंधी सभी योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में इस प्रकार की कुछ और योजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है।

चक्रिया विकास, सोसाइटी आफ हिल्ल रिसोर्स मनेजमेंट स्कूल, डेवटनगंज के तत्वाबधान के अधीन चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में, एक समेकित वर्षा/मल जल प्रबंध परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है। श्री पी० आर० मिश्र इस संस्थान के संरक्षक हैं। इस परियोजना का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करके उसे वर्ष भर वायोमाठ के उत्पादन हेतु प्रयोग करके समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। इस परियोजना में गंगा परियोजना निदेशालय का अंशदान 10 लाख रु० तक होने की संभावना है। परियोजना से सृजित आय भूमि आलिकों, छात्रों और अध्यापकों के बीच बराबर बांटी जाएगी, जो योजना का कार्यान्वियन करेंगे और भविष्य में इसी परियोजनाएं आरंभ करने के लिए स्कूल विकास निर्माण का उपयोग किया जाएगा।

(3) प० बंगाल :

प० बंगाल में, गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत, पहले ही 2451 समुदाय शौचालय और 19878 जल प्रवाहित फ्लश शौचालय का कार्य पूरा किया जा चुका है।

बाबा साहेब शताब्दी वर्ष में, प० बंगाल में गंगा कार्य योजना के अंतर्गत शेष समुदाय शौचालय और 825 व्यक्तिगत फ्लश शौचालयों को पूरा करने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त गंगा कार्य योजना के अंतर्गत कार्यान्वियन एजेंसियों को प्रस्ताव किये जा रहे हैं तथा कार्य योजना के अंतर्गत स्नान घाट बनाए जाएंगे और उनमें से कुछ का नाम प्रत्येक राज्य में डा० अम्बेडकर के नाम पर रखा जा सकता है।

गृह मंत्रालय :

कार्यक्रम	अभ्युक्तियां
मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा निबंध प्रतियोगिता, सैनिक सम्मेलन, वाद-विवाद, काव्य प्रतियोगिता व गोष्ठियों का आयोजन ।	डा० भीमराव अंबेडकर के जीवन तथा योगदान पर हिन्दी व अंग्रेजी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट रोड (राज०) में किया गया है। डा० अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में विशेष सैनिक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

1991-92 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

1. "डा० भीमराव अंबेडकर के जीवन तथा सिद्धान्त" विषय पर निबंध प्रतियोगिता ।
2. "भारत का संविधान" विषय पर चर्चा का आयोजन ।
3. काव्य प्रतियोगिता --"डा० भीमराव अंबेडकर की नए भारत की कल्पना ।"
4. "सामाजिक न्याय तथा विधि प्रवर्तन" विषय पर संगोष्ठी का आयोजन ।

अंतरिक्ष विभाग

विभाग के केन्द्रों, संघटक इकाइयों ने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों हेतु संगोष्ठियों और भाषणों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और पुरस्कार दिए हैं।

महासागर विकास विभाग

1. दिल्ली के कमजोर वर्गों के चुनिंदा स्कूली बच्चों हेतु, अध्ययन-भ्रमण तथा निबन्ध प्रतियोगिता आदि ।
2. कमजोर वर्गों के लाभ के लिए समुद्र विज्ञान व तत्संबंधी विकास योजनाओं पर प्रदर्शनियां ।

सांख्यिकी विभाग

बाबा साहेब डा० बी० आर० अंबेडकर के जीवन, मिशन तथा संदेश संबंधी उद्धरण संकलित किए जा रहे हैं, जिन्हें फील्ड स्टाफ में वितरित किया जाएगा, जो देश के विभिन्न भागों के नमूना गांवों में अपने सर्वेक्षण कार्य के दौरान उन्हें घरों में बांटेंगे। बाबा साहिब का संदेश फैलाने में राज्य सरकारों के स्थानीय अधिकारियों/ग्राम-प्रधानों/सरपंचों को हमारे अधिकारी भी सहायता देंगे।

कपड़ा मंत्रालय

1990-91 में कार्यान्वित कार्यक्रम

1. विकास आयुक्त (हथकरघा) तथा विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) ने हथकरघा व हस्तशिल्प की वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित की।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा स्वायत्त निकायों ने अपने-अपने यहां सेमिनार व कार्यशालाएं आयोजित कीं।

1991-92 हेतु कार्यक्रम

हथकरघा व हस्तशिल्प के क्षेत्रों में एक-एक पुरस्कार देने की योजना बना ली गई है। प्रत्येक पुरस्कार 25,000 रुपये का होगा। ये पुरस्कार, हथकरघा व हस्तशिल्प के क्षेत्र में दस्तकारों व उनके परिवारों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य के उत्साह वर्धनार्थ दिए जाते हैं।

रक्षा विभाग

रक्षा विभाग ने कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

रक्षा उत्पादन विभाग

रक्षा उत्पादन विभाग ने, अपनी विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों में डा० अंबेडकर शताब्दी समारोह के लिए 1990-91 तथा 1991-92 के लिए पृथक कार्य-योजना निम्नानुसार तैयार की है।

ओ० एफ० बी०

1. औद्योगिक संगठन के संगत क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए सामाजिक एकीकरण, सामाजिक न्याय के विषयों पर सेमिनारों/विचार गोष्ठियों का आयोजन।
2. "सामाजिक प्रासंगिकता" विषय पर नाटक प्रतियोगिता का आयोजन।
3. कर्मचारियों के वार्डों में निबन्ध/डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन।
4. फैक्टरी एस्टेट के आवासों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में जीवन स्थितियों की बेहतरी के लिए फैक्टरी की यूनियनों/संस्थाओं/कर्मचारी समितियों के तत्वावधान में स्वैच्छिक सेवा/परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

बी० एस० एल०

1. 50% से अधिक अंक पाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को पुरस्कार देने हेतु, वर्ष 1991 की छात्रवृत्ति योजना में संशोधन।
2. 1991 में दसवीं, बारहवीं, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक अंक पाने वाले अनु० जाति/जनजाति प्रत्याशियों हेतु, "अंबेडकर पुरस्कार" की शुरूआत।
3. पणजी, गोवा में आयोजित होने वाले जयंती समारोहों में भाग लेने के लिए, अनु० जाति/जनजाति कर्मचारियों का प्रायोजन।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों हेतु निबंध प्रतियोगिता।

जी० आर० एस० ई०

1. डा० बी० आर० अंबेडकर के जीवन के बारे में वार्ता और उसके बाद, उनके जीवन व कार्य में विषयक पैम्पलेट का वितरण। कैंटीन में डा० बी० आर० अंबेडकर के चित्र का अनावरण।

2. तारातल इकाई के निकट बस-शैड का निर्माण।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ा वर्ग महिला कर्मचारियों हेतु साक्षरता कार्यक्रम।

4. समारोह को मनाने के लिए जी० आर० एस० ई० की पत्रिका, वार्ता का प्रकाशन।

5. वृक्षारोपण।

एच० ए० एल०

1. जहां अनुसूचित जाति/जन जाति तथा अन्य कमजोर वर्गों का बाहुल्य है उनके निकट के गांवों में बेहतर सुविधाएं जुटाने हेतु उनका अंगीकरण।

2. सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाने के लिए कम्पनी के सभी प्रभागों में सेमीनारों का आयोजन।

3. समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु, कम्पनी के नगर क्षेत्र में स्थित स्कूलों के छात्रों के लिए डा० अंबेडकर के जीवन, कार्य तथा योगदान पर निबंध प्रतियोगिता।

4. कम्पनी के नगर क्षेत्र में डा० अंबेडकर के नाम रोड/पार्क का विकास उद्घाटन।

मिधानी

भारत रत्न डा० भीमराव अंबेडकर के समारोह संबंधी कार्य योजना तैयार करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा केन्द्र के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गयी है।

बी० डी० एल०

1. कंपनी के कर्मचारियों के लिए निबंध तथा भाषण प्रतियोगिता।

2. डा० अंबेडकर के जीवन पर फोटोग्राफ की प्रदर्शनी लगाना तथा फिल्म को दिखाना।

3. कंपनी के पुस्तकालय को डा० अंबेडकर के साहित्य से समृद्ध बनाना।

4. कंपनी के स्वागत कक्ष में डा० बी० आर० अंबेडकर का चित्र प्रतिष्ठापित करना।

5. सीमावर्ती गांवों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पहचान करना

तथा उनकी विद्यालय की पढ़ाई एवं उन्नति के लिए उन्हें पुस्तकें तथा अन्य सहायता देना।

एम० डी० एल०

1. एम० डी० एल० के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्कीमों/लाभों संबंधी संगोष्ठी।

2. परिवार नियोजन अभियान।

3. टाटा रक्त कोष के सहयोग से यार्ड में रक्तदान संबंधी अभियान।

4. डा० बी० आर० अंबेडकर के जीवन, मिशन तथा विचारों पर व्याख्यान माला/अतिथि वक्ता आमंत्रित किए जाने हैं।

5. खेलकूद/अन्तर्विभागीय कैरम/शतरंज/टेबल टेनिस टूर्नामेन्ट।

6. बाबा साहेब डा० बी० आर० अंबेडकर के जीवन, मिशन तथा विचारधारा से संबंधित विषयों पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अभिनीत किये जाने वाले मराठी/हिन्दी, एकांकी।

7. बाबा साहेब, डा० अंबेडकर के जीवन, मिशन तथा विचारधारा से संबंधित विषयों पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए मराठी/हिन्दी में निबंध प्रतियोगिता।

8. बाबा साहेब डा० अंबेडकर के जीवन, मिशन तथा विचारों से संबंधित विषय पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए भाषण प्रतियोगिता।

बी० ई० एल०

1. समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डा० अंबेडकर के जीवन, कार्य तथा योगदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम।

2. उपर्युक्त पर व्याख्यान कार्यक्रम।

3. निबंध प्रतियोगिताएं तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरण।

बी० ई० एम० एल०

1. डा० बी० आर० अंबेडकर जयन्ती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति मुख्य महाप्रबन्ध ने डा० भीमराव अंबेडकर के चित्र का अनावरण किया। कंपनी के निदेशक (कार्मिक) ने समारोह संबंधी एक चित्र जारी किया। कंपनी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के प्रधान ने इस समारोह की अध्यक्षता की।

2. शताब्दी समारोहों के उपलक्ष्य में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आनन्दपुरम, जीवन

भीमनगर में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें स्कूल जाने वाले जरूरतमंद बच्चों को वर्दियां/पुस्तकें बांटी गयीं।

3. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बोरिंग तथा लेडी कर्जन अस्पताल में रोगियों को फल/स्नेक बांटे गए।

4. इन्स्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन एम० वाई० घोरपाडे, तत्कालीन ग्राम विकास तथा पंचायत राज मंत्री, कर्नाटक सरकार द्वारा डा० अंबेडकर के चित्र का अनावरण करके किया गया था। इस अवसर पर कंपनी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के प्रधान तथा अन्यों ने भाषण दिए।

5. भारत रत्न बाबा साहेब डा० भीमराम अंबेडकर के शताब्दी समारोह संबंधी कार्यक्रम को कंपनी के मैसूर परिसर में आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसे कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्घाटन/गठन करके किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

कार्यक्रम	अभ्युक्तियां
1. ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में कारीगरी तथा पशु लोथों पर आधारित उद्योग।	1990-91 के दौरान चर्म नक्काशी तथा पशु लोथों पर आधारित उद्योग ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में पहले ही चलाए जा चुके हैं। 8 राज्यों में 10 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं जिसमें वनस्पति, चर्म शोधन, (अर्ध तैयार चमड़ा) चर्म शोधन (तैयार शुदा) तथा जूते बनाना शामिल है। कार्यक्रम के प्रथम बैच ने सी० एस० आर० आई० मद्रास में पहले ही प्रशिक्षण ले लिया है।
2. मत्स्य एकत्रीकरण तरीकों पर कार्यक्रम।	तटीय मछुआरों के लाभ के लिए 1990-91 के दौरान मछली एकत्रीकरण तरीकों पर एक अखिल भारतीय समन्वय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसे सभी तटीय राज्य पारंपरिक मछुआरों को मछलियां पकड़ने में समय की बचत में सहायता तथा उनकी कमाई में बढ़ोत्तरी के लिए भी इसे क्रियान्वित किया जाएगा। मछुआरों को उच्च घनत्व वाले पोलिथीन पाइपों से निर्मित एफ० ए० डी० की जाली बनाने

कार्यक्रम	अभियुक्तियां
	तथा लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ।
3. भारत में असमतल भूमि के विकास के लिए कार्टोग्राफी पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक में मैपिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा 3 दिसम्बर, 1990 से 6 दिसम्बर, 1990 तक कलकत्ता में डा० अंबेडकर शताब्दी समारोह मनाने के लिए एक संगोष्ठी ।	भारत रत्न बाबा साहेब डा० भीम राव राणजी अंबेडकर शताब्दी समारोह के तत्वावधान में 3-6 दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान कलकत्ता में, भारत के हकदार राज्यों तथा द्वीप समूहों में "कार्टोग्राफी" के विकास तथा डा० बी० आर० अंबेडकर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया । 6 दिसम्बर, 1990 का दिन देश के जाने-माने विद्वानों द्वारा 510 अंबेडकर की जीवनी क्रियाकलापों के व्याख्यान सत्र के रूप में पूर्णत: समर्पित था । नेशनल एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग आर्गेनाइजेशन ने बाबा साहेब शताब्दी समारोह को मनाने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में चार प्रकाशन निकाले । वे इस प्रकार हैं : (क) जीवन सूचकांक उपाय के मौलिक गुणवत्ता के आधार पर विशेष नक्शे के अंतर्गत "भारत आधारभूत संसाधनों का वितरण" शीर्षक से एक नक्शे का प्रकाशन । (ख) उपरोक्त राष्ट्रीय संगोष्ठी पर दो खण्डों में लघु पुस्तकों का प्रकाशन (नाट्यो मोनोग्राफ नं० 10) । (ग) बाबा साहेब डा० बी० आर० अंबेडकर पर एक शताब्दी समारोह कलैण्डर 1991 तैयार किया गया तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के कार्यालयों में वितरित किया गया तथा जनता को दिया गया । (घ) भारत रत्न डा० भीमराव रणजी अंबेडकर एक ज्ञानपुंज व्यक्तित्व :

कार्यक्रम	अभियुक्तियां
	उनके व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि (नाट्यो मोनोग्राफ सं० 11) शीर्ष से एक स्मारिका खण्ड का परिचालनार्थ विमोचन भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर द्वारा दिनांक 14-4-1991 को डी० एस० टी० मण्डप नई दिल्ली के अंबेडकर मेले में किया गया। इस अवसर पर डी० एस० टी० द्वारा एक वीडियो फिल्म का भी निर्माण किया गया।

1991-92 के दौरान योजनाबद्ध कार्यक्रम निम्नानुसार है

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित 2 योजनायें स्वीकृत की हैं :

1. समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए जैवप्रौद्योगिक और अन्य तकनीकों के समन्वय के माध्यम से भारतीय समाजार्थिक स्थिति के अंतर्गत मृत पशु की ठठरियों के उपयोग के लिए माडल प्रशिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्थापित करना।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी।

इसके अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित चार प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति महिलाओं के लिए जैवप्रौद्योगिकी (जैव-प्रौद्योगिकी विकास, स्थानांतरण और क्रियान्वयन)।

2. आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए प्राकृतिक वनस्पति सामग्री का विकास और उपयोग।

3. 5-6 वर्ष आयु के बीच के बच्चों के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में विकलांगता और मृत्यु दर पद्धति सहित समाजार्थिक कारणों का मूल्यांकन।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए विज्ञान और तकनीकी को प्रोत्साहित करना।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रमों जैसे संगोष्ठी, प्रदर्शनी, ओपन हाऊस निबंध लेखन प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, 25 विश्वविद्यालयों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि द्वारा स्थानीय दूरदर्शन आदि पर कार्यक्रम जहां विभाग द्वारा एम० एस० सी०/एम० टैक० और पोस्ट-

डाक्टोरल शिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए गए हैं, के माध्यम से भी अंबेडकर शताब्दी मनायी जा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधित विद्यार्थियों के लिए स्थानों का पर्याप्त आरक्षण करते हुए आठवीं योजना में दस नए नर्सिंग स्कूलों की स्थापना। इन स्कूलों का नाम डा० बी० आर० अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा।	इस प्रयोजन के लिए वार्षिक योजना 1991-92 में 65 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।
2. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों में आम तौर पर होने वाली बीमारियों पर अनुसंधान अध्ययन शुरू किया जाएगा।	(1) जबलपुर, पोर्टब्लेयर डिब्रूगढ़ तथा जोधपुर स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रादेशिक चिकित्सा केन्द्र इन क्षेत्रों में आदिवासी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में वरिष्ठ रूप से कार्य कर रहे हैं। (2) जैव-चिकित्सा अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधानपरिषद ने 1 लाख रुपये मूल्य का बाबा साहेब डा० भीमराव अंबेडकर शताब्दी पुरस्कार आरम्भ किया है।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित पी० एच० सी०/ग्रामीण औषधालयों में प्रयोगशाला सुविधाएं बढ़ाने को प्राथमिकता देना।	(3) दिल्ली में रोहिणी में बाबा साहेब अंबेडकर शताब्दी अस्पताल की स्थापना की जा रही है। 19-11-91 को इसका शिलान्यास कर दिया गया है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

1. आरक्षण कोटा को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान।	सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों में विशेष भर्ती अभियान अच्छा चला है। ताजा स्थिति के ब्यौरे कार्यसूची की मद सं० 3 के पाइण्ट 22 में दिये गए हैं।

वित्त मंत्रालय

1. डा० अंबेडकर के चित्र सहित एक रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा।	14-4-91 को स्मारक सिक्का जारी किया गया।

कार्यक्रम	टिप्पणियां
2. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए एक नई बीमा योजना आरंभ करना।	
3. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान आरंभ करना।	कल्याण मंत्री ने 16-7-91 को वित्त मंत्री जी को प्रगति रिपोर्ट आदि के बारे में पत्र लिखा था। वित्त मंत्री की प्राप्ति सूचना 24-7-91 को प्राप्त हो गई है।
4. लब्ध प्रतिष्ठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समाज सेवकों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन।	

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. डा० अंबेडकर के लेखों तथा भाषणों पर आधारित एक संग्रह।	4.12 लाख रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है जिसे 1990-91 के सामान्य बजट से वहन किया जाएगा। उपयुक्त पर की गई कारंवाई की स्थिति इस प्रकार है।
2. बाबा साहेब अम्बेडकर तथा भारतीय समाज विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।	— एक संग्रह का मसौदा तैयार किया गया है। अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए कारंवाई चल रही है।
3. डा० अंबेडकर के विचारों पर एक वीडियो कार्यक्रम।	वीडियो कार्यक्रमों की तैयारी पर कारंवाई आरम्भ की जा चुकी है। प्रसारण के लिए शीघ्र ही उपलब्ध होने की संभावना है।
4. स्कूली बच्चों के लिए निबन्ध प्रतियोगिता।	— अप्रैल, 1991 के अन्त तक निबंध प्रतियोगिता आयोजित किए जाने की सम्भावना है तथा जून, 1991 के अंत तक राज्य/राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिए जायेंगे।
5. शिक्षा के बारे में उनके विचारों पर प्रकाश डालने के लिए विशेष व्याख्यान।	— क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद विशेष व्याख्यानों का आयोजन करेगी।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष नामांकन अभियान।	— विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को सलाह दी गई है कि विश्वविद्यालयों तथा

कार्यक्रम	टिप्पणियां
	महाविद्यालयों के सभी संकायों के पाठ्यक्रमों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश में आरक्षण का पूर्णतः क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास करें। इस मामले की प्रगति की मानीटरिंग करने के लिए दो मानीटरिंग समितियों का (सामान्य उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा) भी गठन किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदानआयोग से 100% अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले सभी विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक पदों के आरक्षण को भी अनुमोदित कर दिया है। तकनीकी शिक्षा संबंधी मानीटरिंग समिति ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के और अधिक विद्यार्थियों को बैठाने के प्रायोजन से स्थानीय प्रचार माध्यमों द्वारा समुचित प्रचार करने का निर्देश दिया है।
7. मराठी तथा हिन्दी में राष्ट्रीय जीवनी श्रृंखला के अन्तर्गत डा० अम्बेडकर की जीवनी का प्रकाशन।	प्रकाशित कर दी गई।
8. डा० अम्बेडकर के जीवन पर पांच दिवसीय निबन्ध लेखन, वाद-विवाद, प्रदर्शनी तथा सभी नवोदय विद्यालयों, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय द्वारा साक्षरता कार्यक्रम तथा सफाई अभियान के अन्तर्गत निर्धन कालोनियों के दौरे।	डा० अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नवोदय विद्यालय समिति तथा केन्द्रीय विद्यालय समिति ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। डा० अम्बेडकर के जीवन पर निबन्ध तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यम से सफाई अभियान तथा साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
9. डा० बाबा साहेब पर वार्षिक स्मारक व्याख्यान माला के आयोजनार्थ केरल	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डा० अंबेडकर पर वार्षिक स्मारक व्याख्यान

कार्यक्रम	टिप्पणियां
विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता।	माला के आयोजन के लिए केरल विश्व-विद्यालय को वित्तीय सहाता संस्वीकृत की है।

युवा मामले तथा खेल विभाग

कार्यक्रम	टिप्पणी
1. डा० अंबेडकर के जीवन, विचारों तथा उपलब्धियों पर राष्ट्रीय समाज सेवा केन्द्रों पर सामूहिक चर्चा।	इस विभाग ने विभिन्न केन्द्रों अर्थात अमरावती, महू, जम्मू, दिल्ली तथा गुवाहटी में डा० अंबेडकर के विचारों तथा सामाजिक न्याय पर आधारित अनेक युवा शिविरों का प्रायोजन किया। इन शिविरों में कमजोर वर्गों क हजारों युवाओं ने भाग लिए, युवा शिविरों के लिए कल्याण मंत्रालय के शताब्दी समारोह द्वारा पृष्ठ-भूमि सामग्री तथा दक्ष व्यक्ति उपलब्ध कराए गए।
2. डा० अंबेडकर के जीवन, मूल्यों तथा संघर्षों पर 400 नेहरू युवक केन्द्रों पर वाद-विवाद।	
3 डा० अंबेडकर के जीवन के विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय एकता शिविरों तथा राष्ट्रीय समाज सेवा, नेहरू युवक केन्द्र तथा स्वयं सेवी संगठनों से लगभग 1000 स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविरों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन।	

संस्कृति विभाग

1. जनवरी से मार्च, 1991 के दौरान दिल्ली के झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक दौरे तथा सांस्कृतिक शिविरों का आयोजन किया गया।
2. दिल्ली में सांस्कृतिक शिविरों सहित आवारा बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
3. हरिजन बस्ती और बालिकाओं के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्य स्कूल दिल्ली ने बुराडी गांव में एक हरिजन बस्ती को अपना लिया है तथा वहां एक ग्राम महिला केन्द्र शुरू कर दिया है।

4. सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र ने विभिन्न धर्मार्थ तथा स्वयंसेवी शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनके लिए चलाए गए पुनस्थापन कार्यक्रम तथा शिक्षण दौरों सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

कार्यक्रम	टिप्पणियाँ
	(1) आकाशवाणी के विभिन्न भाषाओं ने शताब्दी समारोहों के दौरान विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किये हैं। राष्ट्रीय प्रसारण के अलावा आकाशवाणी ने 14-4-91 से 24-4-1991 तक की अवधि के दौरान लगभग 2900 कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। इनके वृत्तचित्र, वार्ताएं, पैनल चर्चाएं, रेडियो रिपोर्ट तथा सभी भाषाओं में राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रसारण में आकाशवाणी द्वारा बाबा साहेब डा० बी० आर० अंबेडकर शताब्दी समारोहों के संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं: 1. डा० अम्बेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 2. स्पॉटलाइट डा० बी० आर० अम्बेडकर, उनका मिशन और प्रासारिता। 3. डा० अम्बेडकर का संघर्ष। 4. बॉयस फॉट वायसलैप वृत्त चित्र। 5. वृत्त चित्र (हिन्दी) समता की विराती बाबा साहेब अम्बेडकर। 6. समाचार दर्शन : डा० अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया जाना। 7. न्यूजरील : (1) (डा० अंबेडकर शताब्दी समारोह की राष्ट्रीय समिति की बैठक। (2) डा० अंबेडकर शताब्दी समारोहों के दौरान कमजोर वर्गों को एक लाख मकान प्रदान करने की योजना। 8. चर्चा का विषय है : सामाजिक न्याय।

कार्यक्रम	टिप्पणियां

9. डा० अंबेडकर की समाज सेवा और देश निर्माण में दलित आंदोलन की भूमिका पर वार्ता। आकाशवाणी के सभी केन्द्र डा० अंबेडकर की उक्तियों का प्रसारण करते हैं। आकाशवाणी ने कल्याण मंत्रालय द्वारा 14-4-1991 को राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित अंबेडकर मेला के प्रसारण की व्यवस्था की थी।

(2) दूरदर्शन के सभी केन्द्रों ने (1) संसद के केन्द्रीय हॉल में डा० बी० आर० अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण की एक टी० पी० रिपोर्ट का प्रसारण किया। (2) डा० अंबेडकर पर 14-4-90 को "क्रान्ति सूर्य" शीर्षक से फिल्म प्रसारण की एक डॉक्यूमेंटरी एवं फिल्म का प्रसारण किया गया। 14-8-90 को राष्ट्रीय कार्यक्रम में "एक और सिद्धार्थ" शीर्षक से एक फिल्म का भी प्रसारण किया गया था। दूरदर्श के विभिन्न केन्द्रों ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डा० अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालते हुए अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में डा० बी० आर० अबेडकर पर वार्ताओं और चर्चाओं की भी व्यवस्था की। दूरदर्शन ने 14 अप्रैल, 1991 को रामलीला मैदान में आयोजित "अम्बेडकर मेला" के कवरेज की भी व्यवस्था की। उपर्युक्त के अलावा शताब्दी वर्ष 1990-91 दौरान दूरदर्शन द्वारा विशेष कार्यक्रमों का भी प्रसारण किया गया :

1. दूरदर्शन केन्द्र बम्बई द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क में 6 सितम्बर, 1990 को एक विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

2. मधु मंगेशकर कार्मिक द्वारा लिखित तथा दूरदर्शन केन्द्र द्वारा निर्मित "सरकारी अणि फूल" शीर्षक से मराठी में 15 भाग के धारावाहिक का प्रसारण 3-12-90 से शुरू किया गया। अंतिम कड़ी डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर

कार्यक्रम	टिप्पणियां
	14-4-1991 को प्रसारित की गई थी।
	3. "महापरिनिर्वाण" के संबंध में सार्वजनिक समारोहों को भी पर्याप्त कवरेज प्रदान की गई थी।
	4. डा० अम्बेडकर पर क्वाजर कम्युनिकेशन बंबई द्वारा निर्मित 8 कड़ियों की एक श्रृंखला का प्रसारण किया गया।
	5. "भारत रत्न अम्बेडकर" शीर्षक से 30 मिनट की अवधि की एक डॉक्यूमेंटरी का भी निमाण किया गया।
	6. दूरदर्शन केन्द्र बंबई द्वारा डा० अम्बेडकर गाथा शीर्षक से एक 13 कड़ियों का धारावाहिक तैयार किया गया।
	7. दूरदर्शन केन्द्र, बंबई ने मराठी में 25 मिनट की अवधि के विभिन्न कार्यक्रम भी तैयार किए हैं। दूरदर्शन के सभी केन्द्रों को डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोहों के संबंध में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
	3. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह के लिए निम्नलिखित कारंवाई की :
	1. अप्रैल, 1990 में दो प्रेस विज्ञापन जारी किए। एक में उन्होंने हमें अपना सिर ऊंचा रखने का पाठ सिखाया। यह सन्देश देश के सभी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में जारी किया गया तथा दूसरे में 14 अप्रैल, 1990 को अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित विराट सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया। एक प्रेस विज्ञापन दिसंबर, 1990 में डा० बी०आर०

कार्यक्रम	टिप्पणियां
	अम्बेडकर के "महापरिनिर्वाण दिवस" के अवसर पर देश भर के समाचार पत्रों में जारी किया गया। अप्रैल, 1991 में 8 समाचार पत्रों में एक अतिरिक्त पृष्ठ भी प्रकाशित किया गया।
	2. अप्रैल, 1990 के दौरान प्रधान मंत्री की भाषण माला के अंतर्गत एक फोल्डर "बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर सामाजिक न्याय के अदम्य योद्धा "शीर्षक से अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रकाशित किया गया। "भारत रत्न बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता" शीर्षक से एक पुस्तिका बाबा साहेब की उपलब्धियों तथा जीवन और कार्यों पर प्रकाशित करके देश भर में वितरित की गई। डाक विभाग की ओर से हिन्दी और अंग्रेजी में एक पुस्तिका "डा० बी० आर० अम्बेडकर" बाबा साहेब के जीवन और कार्यों पर संक्षिप्त जीवन वृत प्रकाशित किया गया।
	3. 13 तथा 14 अप्रैल, 1990 को समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर नई दिल्ली अम्बेडकर भवन में अम्बेडकर मेले में कमजोर वर्गों के विकास की एक झलक नाम से दो दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। भारतरत्न डा० बी० आर० अम्बेडकर जन्म शताब्दी के भाग के रूप में 6-12-90 को संसदीय सौध में डा० अम्बेडकर के जीवन पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी 12-12-1990 तक आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों में नियमित रूप से लगाई जा रही है।
	4. राजधानी तथा देश के अन्य भागों में डा० बी० आर० अम्बेडकर के उद्धरणों के

कार्यक्रम	टिप्पणियां
	अंग्रेजी और हिन्दी में काफी संख्या में विज्ञापन यह लगाए गए। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 1991 के दौरान दिल्ली तथा बंबई में डा० बी० आर० अम्बेडकर पर 600 कियोक्स प्रदर्शित किए गए। देश भर में दो पोस्टर अंग्रेजी, तमिल, हिन्दी, तेलगू तथा मराठी में भी प्रदर्शित किए गए।
	4. डा० बी० आर० अम्बेडकर पर फिल्म प्रभाग द्वारा एक वृत्त चित्र का निर्माण किया गया। 14-4-1990 को दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में प्रसारित किया गया। 1990-91 शताब्दी वर्ष के दौरान डा० अम्बेडकर पर उ० प्र० सरकार द्वारा निर्मित की गई एक फिल्म भी दिखलाई गई।
	5. डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोह के भाग के रूप में प्रकाशन प्रभाग ने विभिन्न पत्रिकाओं/पुस्तकों में विभिन्न लेख/विज्ञापन प्रकाशित किए।
	6. डी० एफ० पी० ने वर्ष 1990-91 के दौरान बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 257 क्षेत्र प्रचार यूनिटों तथा 92 क्षेत्रीय यूनिटों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए।

1991-92 के लिए कार्यक्रम

1. प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं डा० बी० आर० अम्बेडकर पर लेखों को प्रकाशित करना जारी रखेंगी।
2. इस प्रभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न अवसरों पर डा० अम्बेडकर की पुस्तकें उपयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाएंगी।
3. यह प्रभाग डा० बी० आर० अम्बेडकर की एकत्रित कृतियों के खंडों की अंग्रेजी से हिन्दी तथा अन्य 9 प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करेगा।

4. बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर के जीवन तथा उपलब्धियों पर 200 दुर्लभ फोटोग्राफी की एक नई प्रदर्शनी को देश भर के विभिन्न स्थानों में प्रत्येक महीने नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है।

5. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय दिसंबर, 1991 में "महापरिनिर्वाण दिवस" के अवसर पर तथा 14 अप्रैल, 1992 को डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

बढ़ाए गये शताब्दी वर्ष के दौरान डा० अम्बेडकर पर कार्यक्रमों की योजनाएं/प्रसारण

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	कार्यक्रम का नाम	प्रसारण की तिथि
1	2	3	4
1.	दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर	डा० बी० आर० अम्बेडकर पर विशेष कार्यक्रम	अप्रैल, 1991
		ग्रामीण कार्यक्रम	मई तथा सितंबर, 1991
		परिवारों के लिए कार्यक्रम	जुलाई, 1991
		बच्चों के लिए कार्यक्रम	नवम्बर तथा दिसंबर, 1991
		युवाओं के लिए कार्यक्रम	जनवरी, 1992
		स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्यक्रम	फरवरी, 1992
		विशेष कार्यक्रम	अप्रैल, 1992
2.	दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद	अप्रैल, 1991 से अप्रैल, 1992 तक निम्नलिखित कार्यक्रमों की योजना बनाई गई :	
		1. आन्ध्र प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित अम्बेडकर पर विशेष गीत।	अप्रैल, 1991
		2. अम्बेडकर शताब्दी पर अन्तर-प्रचार माध्यम उत्सव — एक समेकित दूरदर्शन रिपोर्ट	
		3. आन्ध्र प्रदेश सरकार, समाज कल्याण विभाग द्वारा अम्बेडकर पर प्रायोजित गीत (दो भाग में)	मई, 1991

1	2	3	4
		4. सौमित्रि और साथी द्वारा डा० अम्बेडकर पर नृत्य नाटिका (दो भाग)	जून, 1991
		5. डा० अम्बेडकर संविधान निर्माता - एक परिचर्चा, भाग लेने वाले के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	जुलाई, 1991
		6. डा० अम्बेडकर, के जीवन तथा योगदान पर काव्य संगोष्ठी।	अगस्त, 1991
		7. चंडालिका—श्रीमती शोभा नायडू और साथियों द्वारा एक नृत्य नोटिका (दो भाग)	सितम्बर, 1991
3.	दूरदर्शन केन्द्र, कटक	(क) 1. 1 अप्रैल को 30 सेकेण्डों के लिए क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में शताब्दी समारोह को शामिल किया गया।	अप्रैल, 1991
		2. 15 अप्रैल, 1991 को समाचार दर्शन में 2 मिनट के लिए शताब्दी समारोह टी०/सी० को शामिल किया गया। 14 अप्रैल, 1991 को क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में भी 15 सेकेन्ड के लिए शताब्दी समारोह को शामिल किया गया।	
		3. डा० अंबेडकर की स्मृति में एक शीर्षक कार्यक्रम अंबेडकर उप नाम के लिए 15 अप्रैल, 1991 को युवकों के लिए टी०/सी० कार्यक्रम में 15 मिनट की अवधि के लिए शामिल किया गया।	
		(ख) भविष्य में टी०/सी० के किए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।	
		1. कार्यक्रम योजना के चालू तिमाही के दौरान 24 मई, 1991 को 18 मिनट की अवधि के लिए डा० अम्बेडकर के जीवन तथा कृत्यों पर फोटो फीचर।	मई, 1991

1	2	3	4
		2 भविष्य के तिमाही कार्यक्रम में यथोचित मदों की योजना बनाई जायेगी और इसका विवरण भविष्य में सूचित किया जायेगा।	
4.	दूरदर्शन केन्द्र, बंगलोर	1. (क) कर्नाटक के मुख्य मंत्री तथा अन्य गणमान्यों द्वारा डा० बी० आर० अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण।	14 अप्रैल, 1991
		(ख) विधान सौध (राज्य सरकार) के सामने सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम।	
		(ग) कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा अम्बेडकर भवन का शिलान्यास तथा टार्च तथा जन रैली।	
		(घ) बंगलौर शहर के मेयर की अध्यक्षता में बंगलौर नगर निगम द्वारा डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोह तथा सिविल कार्यकर्ता दिवस मनाया गया।	
		(ङ) चिक्कोडी, जिला बेलगाम में (चित्रों सहित) डा० बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण।	
		(च) डा० बाबा साहेब अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह पर 'बेलभरी' में एक जुलूस।	
		2. (क) साप्ताहिक एकत्रित—सांस्कृतिक क्लीपिंग कार्यक्रम।	15 अप्रैल, 1991
		(ख) 14-4-91 को बंगलौर में डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह सम्पन्न हुआ।	
		3. डा० अम्बेडकर के विचारों पर परिचर्चा योगदान पर वृत्तचित्र ·	18 अप्रैल, 1991

1	2	3	4
		(क) अप्रैल, 1992, कन्नड।	
		(ख) भीम ज्योति पर कार्यक्रम— ग्रामीणों के लिए गीत, नृत्य, नाटिका, नुक्कड़ नाटकों इत्यादि के माध्यम से अम्बेडकर के विचारों का प्रचार (कन्नड में)	
		(ग) डा० बी० आर० अम्बेडकर के विचारों पर (उर्दू में) परिचर्चा।	
5.	दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद	1. बाबा साहेब के पत्र	2 अप्रैल, 1991
		2. बाबा साहेब के सम्बद्ध महत्वपूर्ण घटनाएं और स्थान	9-4-91
		3. बदोदारनी व्यथाकथा अने बाबा साहेब	14-4-91
		4. बाबा साहेब के संस्मरण	16-4-91
		5. एकता, अखण्डता और बाबा साहेब का योगदान	23-4-91
		6. दस स्पोक बाबा साहेब	30-4-91
		7. सामाजिक न्याय, न्याय और बाबा साहेब	7 मई, 1991
		8. युवक और बाबा साहेब	14-5-91
		9. बाबा साहेब अम्बेडकर का साहित्य	21-5-91
		10. महिलाओं की शिक्षा और बाबा साहेब	28-5-91
		11. सामाजिक न्याय की कनसैप्ट	4 जून, 1991
		12. सामाजिक न्याय, बाबा साहेब का योगदान	11-6-91
		13. बाबा साहेब के संस्मरण—वी० जे० परमार द्वारा	18-6-91
		14. बाबा साहेब की ओर से प्रेरणा-उपख्यान	25-6-91
		15. बाबा साहेब का जीवन और मिशन—भाग I	9 जुलाई, 1991

1	2	3	4
		16. बाबा साहेब का जीवन और मिशन — भाग 2	23-7-91
		17. बाबा साहेब पर क्विज	6-8-91
		18. स्वाधीनता संघर्ष और बाबा साहेब-बी पाण्डया द्वारा	20-8-91
		19. बाबा साहित्य के संस्मरण —राम लाल पारीख द्वारा	3-9-91
		20. पूणे समझौता और बाबा साहेब	17-9-91
		21. प्रथम गोलमेज सम्मेलन और बाबा साहेब	अक्तूबर, 1991
		22. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और बाबा साहेब	15-10-91
		23. तृतीय गोलमेज सम्मेलन और बाबा साहेब	29-10-91
		24. समता, सामंत और न्याय	12-11-91
		25. संविधान का निर्माता—बाला साहेब	26-11-91
		26. निर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को अंजली	6-12-91
		27. बाबा साहेब के संस्मरण	24-12-91
		28. धर्म पर बाबा साहेब के विचार	6-1-92
		29. सामाजिक न्याय और बाबा साहेब न्यायमूर्ति पी० एच० भागाविया द्वारा	20-1-92
		30. बाबा साहेब पर पुस्तकें—रमेश चन्द्र परमार द्वारा	4-2-92
		31. बाबा साहेब पर पुस्तकें—प्रो० पी० पी० ज्योतिकर द्वारा	18-2-92
		32. सामाजिक न्याय और बाबा साहेब—वालजी भाई पटेल द्वारा	3-3-92
		33. संसद में बाबा साहेब—योगेन्द्र मकवाना द्वारा	17-3-92

1	2	3	4
		34. संसद में बाबा साहेब—प्रवीन राष्ट्रपाल	31-3-92
		35. बाबा साहेब और गुजरात	7-4-92
		36. ऐसे बोले बाबा साहेब	14-4-92
	6. दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट	1. महिलाओं के उत्थान हेतु डा० अम्बेडकर और उनका दर्शन और डा० शांताबेन चावड़ा भूतपूर्व विधायक के साथ साक्षात्कार (महिलाओं के कार्यक्रम में प्रसारण करना है)।	अप्रैल, 1991 से
		2. डा० अम्बेडकर और उनकी सामाजिक दार्शनिकता एक विचार	
		3. भारतीय संविधान में डा० अम्बेडकर योगदान। संविधान विशेषज्ञ के साथ एक साक्षात्कार—अधिमानतः एक वकील या न्यायाधीश।	
		4 दलित लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए डा० अम्बेडकर का विचार। डा० महेश पाण्डेय के साथ साक्षात्कार।	
		5. जहां तक मानवता का संबंध है, डा० अम्बेडकर और बुद्ध पर उनके विचार।	
		6. भारतीय युवकों को डा० अम्बेडकर का परामर्श। अन्याय के लिए शिक्षित करना, सहयोग देना और संघर्ष करना (कार्यक्रम में युवकों के साथ परिचर्चा)	
		7. पढ़े-लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया—डी० जे० सोमाया, दुलयाभाई राठौर, शिनाली वनराज के बीच परिचर्चा।	
		8. परीक्षित राठौर, सोनल संगठिया, संजय कामदार के बीच हिन्दू कोड बिल पर परिचर्चा।	

1	2	3	4
		9 "संविधान निर्माण में उनकी भूमि" -- डा० शितांशु मेहता, प्रधानाचार्य, ए० एम० पी० कालिज, राजकोट के बीच परिचर्चा।	
		10. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का विचार-- गोंडल तालुका में बांद्रा गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा।	
		11. वुजुअल के साथ हेमंत चोहान द्वारा डा० अम्बेडकर गीत।	
7.	दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ	1. बच्चों के लिए कार्यक्रम के अधीन डा० बी० आर० अम्बेडकर पर खण्ड	अप्रैल, 12
		2. आजकल कार्यक्रम के अधीन युगपुरुष डा० अम्बेडकर	15-4-91
		3. चौपाल और युवदर्शन कार्यक्रम के अधीन डा० अंबेडकर पर खण्ड	15-4-91
		4. डा० अंबेडकर की जन्म शताब्दी पर सप्ताह प्रदेश में कार्यक्रम पर टी० वी० रिपोर्ट	18-4-91
		(1) डा० अंबेडकर की जीवन और उपलब्धियों को दर्शाने वाले कार्यक्रम, ग्रामीण चौपाल के अधीन चौथे बुधवार— जून, 1991 में पहले सोमवार को युवाओं के सेंक्शन में दो कार्यक्रम और अप्रैल, 1992 में डा० बी० आर० अंबेडकर शताब्दी समापन के संबंध में आजकल के अधीन एक कार्यक्रम—14 अप्रैल, 1992 को डा० अंबेडकर के जीवन और कार्य दर्शाने वाले 20 मिनट का एक वृत्तचित्र (मई, 1991 से	मई, 1987

1	2	3	4
		अप्रैल, 1992 तक कुल 16 कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं)।	
8.	दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर	1. चौपाल डा० बी० आर० अंबेडकर एक वक्तव्य।	5-4-91
		2. नन्हीं दुनिया डा० अंबेडकर का जीवन वृत्त।	14-4-91
		3. समय की ? डा० अंबेडकर पर एक कार्यक्रम।	23-4-91
		4. अंग्रेजी कार्यक्रम, डा० अंबेडकर पर एक कार्यक्रम।	10-5-91
		5. सरस्वती ? डा० अंबेडकर पर एक कार्यक्रम।	
		6. हमारे विशेष श्रोतागण कार्यक्रम में, जैसा कि नीचे दिया गया है, कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव है :—	
		(क) युवकों के लिए कार्यक्रम	अगस्त, 1991
		(ख) सरस्वती	अक्तूबर, 1991
		(ग) बच्चों के लिए कार्यक्रम	दिसम्बर, 1991
		(घ) चौपाल	मार्च, 1992
9.	दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	1. अंबेडकर के बाद भारत-ऐच्छिक कार्यक्रम	14-4-91, और अप्रैल, 1991 से अप्रैल, 1992
		2. अंबेडकर गांव वृत्त चित्र	
		3. डा० अंबेडकर के श्रम कानून—परिचर्चा	
		4. अंबेडकर के जीवन और कार्य पर क्विज कार्यक्रम	
		5. अंबेडकर के विचारों का प्रचार करने हेतु गठित स्वाती ग्रुप द्वारा डा० अंबेडकर पर गीत	

1	2	3	4
10.	दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता	अप्रैल, 1991 और अप्रैल, 1992 के बीच डा० अंबेडकर के जीवन और कार्यों के विभिन्न पहलू, कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है : प्रसारित/प्रसारित किए जाने वाले——एक विशेष कार्यक्रम (14-4-92) को प्रसारित किया जाना है।	अप्रैल 1991 से अप्रैल, 1992 14-4-91, 17-5-91, 23-5-91, 11-6-91, 19-7-91, 13-8-91, 30-8-91, 18-9-91, 12-11-91 और 20-2-92
11.	दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर	डा० बाबा साहेब अंबेडकर शताब्दी संबंधी कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के समन्वय के साथ योजनाबद्ध किया जाएगा ताकि कार्यक्रम को दोहराया न जाए क्योंकि दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर के पास कार्यक्रम के प्रसारण हेतु उपयुक्त तंत्र नहीं है।	

विदेश मंत्रालय

1990-91 का कार्यक्रम

1. भारत के संविधान तथा डा० अम्बेडकर के जीवन व कार्य के संबंध में प्रत्यक्षतः काम कर चुके किसी विख्यात व अग्रणी विदेशी की भाषण-माला, दिल्ली व कुछ अन्य चुनिंदा नगरों में आयोजित करने की योजना।	1991-92 में आयोजित की जा रही है।
2. "डा० अम्बेडकर तथा आधुनिक भारतीय समाज में सुधार" विषय पर दो दिवसीय (6-7 जून, 1991) सेमिनार के आयोजन हेतु हम्बोल्ट विश्वविद्यालय को सहायता। इसमें बर्लिन व जर्मनी तथा यूरोप के अन्य स्थानों के व्यक्ति भाग लेंगे।	जून, 1991 में हम्बोल्ट विश्वविद्यालय बर्लिन द्वारा आयोजित डा० अम्बेडकर विषयक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि भेजा गया था।

1991-92 के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम

1. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, दो विख्यात विदेशी विद्वानों को डा० बी० आर०

अम्बेडकर की जीवनी तथा कार्य के विषय में 1992 के प्रारम्भ में भाषण देने के लिए भारत आने का निमन्त्रण देगी।

2. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद बाबा साहेब अम्बेडकर विषयक "कोलोकयूइम" (हबोल्ड विश्वविद्यालय, बर्लिन) में प्रस्तुत शोध-पत्रों के अंग्रेजी अनुवाद को पुस्तक के रूप में छपवाएगी।

3. मन्त्रालय के समन्वय प्रभाग से मिलकर, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, डा० अम्बेडकर की विदेश यात्राओं तथा पारस्परिक क्रियाओं सम्बन्धी श्रव्य-दृश्य सामग्री को खोजकर उसे संकलित करने के प्रसास में है। यह सामग्री प्राप्त करने के प्रयास हमारे बॉन, लन्दन, वाशिंगटन, काठमांडो तथा रंगून स्थित मिशन-प्रमुखों द्वारा किए जा रहे हैं।

उद्योग मन्त्रालय

भारी उद्योग विभाग

कार्यक्रम	टिप्पणियां
1. प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम 2. हरिजन और पिछड़ी जातियों की प्रधान जनसंख्या वाले निकटवर्ती गावों के स्कूली बच्चों के लिए सामग्री का वितरण। 3. इस विषय पर वाद-विवाद, निबन्ध प्रतियोगितायें आदि आयोजित करना। 4. ग्राम खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित करना। 5. स्थानीय गांवों में चिकित्सा और परिवार नियोजन शिविर। 6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित कर्मचारियो के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर। 7. निर्धन स्कूली बच्चों में पुस्तकें तथा अन्य सामग्री का निशुल्क वितरण। 8. अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता और बंगाल इन्जीनियरिंग कालेज शिवपुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों का आरम्भ	हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड हेवी इन्जीनियरिंग कारपो० लिमिटेड, रांची हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड, भारत यन्त्र निगम लिमिटेड तथा स्कूटर इण्डिया लिमिटेड ने अपने केन्द्रों में प्रौढ़ शिक्षा यूनिट प्रारम्भ किए। नजदीक के गांवों जहां मुख्यत: हरिजन तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या है, के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लेखन सामग्री का वितरण भी किया जाता है। एच० एम० टी० हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड, मेल, भारत यन्त्र निगम लिमिटेड, और राष्ट्रीय इस्ट्रूमेंट लिमिटेड इत्यादि द्वारा "बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी खेल कूद बैठकें" आयोजित किए गए। 2. नजदीक के गांवों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मुख्यत: हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड और भारत यन्त्र निगम लिमिटेड द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा परीक्षण तथा विशेषण परामर्श दिए जाते हैं। 3. हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड,, भारत यन्त्र निगम लिमिटेड तथा खनन और सम्बद्ध मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड इत्यादि द्वारा "आज के

कार्यक्रम	टिप्पणियां
करना ।	समाज के जिन कारणों के लिए डा० अम्बेडकर ने संघर्ष किया" के विषय पर स्थानीय स्कूल के बच्चों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रत्येक स्कूल के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गांवों के स्कूल जाने वाले उन गरीब बच्चों को पुस्तकें और अन्य सामग्री निःशुल्क वितरित की गई, जिनके अभिभावक खर्चा वहन नहीं कर सकते।
9. बस्ती में वृक्षारोपण और यूनिटों तथा निगमित मुख्य कार्यालय पुस्तकालय में डा० अम्बेडकर की प्रकाशित कृतियों को रखना ।	4. माइनिंग और एलाइड मशीनरी निगम लिमिटेड ने उन 114 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के समुदाय को टाउनशिप के भीतर ही 4.5 एकड़ भूमि देकर पुनर्वासित किया जो सितम्बर, 1978 की बाढ़ से विस्थापित हो गए थे। इस क्षेत्र को अब "अम्बेडकर कालोनी" के नाम से जाना जाता है ।
10. शताब्दी वर्ष मनाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की भर्ती के लिए विशेष अभियान ।	5. मैसर्ज एवाई एण्ड क० लि० ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए, पश्चिम बंगाल के इन्जीनियरिंग कालेज, अर्थात् जाधवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता और बंगाल इन्जीनियरिंग कालेज शिवपुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय) में भारत रत्न बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर शताब्दी समारोह मनाने हेतु दो छात्रवृत्तियां शुरू की हैं ।
	6. डा० बी० आर० अम्बेडकर के सभी प्रकाशन मेल द्वारा चलाए जा रहे पुस्तकालयों तथा स्कूलों में रखे गए। डा० अम्बेडकर का चित्र, सम्मेलन कक्ष, कैन्टीन सामुदायिक केन्द्रों, अतिथि गृहों आदि में लगा दिया गया है ।
	7 मैसर्ज नेशनल बाइसाइकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० ने विशेष रूप से डिजाइन किए गए रूरलाजड ए० टी० बी माडल साइकल का नाम

कार्यक्रम	टिप्पणियां
	स्वर्गीय डा० भीमराव अम्बेडकर की याद में "भीम" रखने का निर्णय किया है।
	8. मैसर्ज मारुती उद्योग लि० की पत्रिका में डा० अम्बेडकर की प्रसिद्ध उक्तियां प्रकाशित की गईं। मारुती उद्योग लि० द्वारा प्रयोग की जा रही सारी कारों पर शताब्दी वर्ष स्मारिका के कार स्टीकर्स लगाए गए। शताब्दी वर्ष मनाने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया गया तथा मारुति उद्योग लि० से बाहर जाने वाली सारी डाक पर विशेष टिकट शताब्दी वर्ष स्मारिका लिखा गया।
	9. बाबा साहेब के जीवन और आदर्शों पर हिन्दुस्तान केबल्ज लि० ने बड़े-बड़े पोस्टर लगाते हुए स्थानीय प्रदर्शनी का आयोजन किया तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों पर विशेष बल देते हुए हिन्दुस्तान केबल्ज लि० का देश के विकास की भूमिका पर बल दिया, 21 कारखानों के आस-पास हरित पट्टी तैयार करने के समुचित उपायों तथा ग्रामीणों को वानिकी और नशीली दवाओं और शराब के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाने के लिए तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और शराब के परिणामों के बारे में बताया गया।
	10. भारत यन्त्र निगम लि० आदि द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
	11. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज की कालोनियों में वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
	12. उत्तर प्रदेश के अग्रणी इन्जीनियरी संस्थानों में स्कूटर इण्डिया लि० द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई।

कार्यक्रम	टिप्पणियां
	13. मै० प्रागा टूल्स लि० ने अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिये भर्ती में पीछे से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिये अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए अनन्य रूप से सभी भारतीय प्रकाशनों में विज्ञापन देने तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों के लिए अनन्य रूप से रोजगार कार्यालयों में रिक्तियों के बारे में अधिसूचित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।
	14. प्रागा टूल्स लिमिटेड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति प्रत्याशी प्रशिक्षित हों। यह सुनिश्चित किया गया है कि कंपनी की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति हाउसिंग सोसाइटी अपने सदस्यों के लिए मकान बनाने हेतु प्रागा टूल्स लि० से ऋण पा सकें।

खादी और कुटीर उद्योग आयोग

1990-91 के लिए कार्यक्रम

1. देश के चयनित जिलों में जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर्याप्त है, विशेष कार्यक्रम शुरू करना।

2. राज्यों को समग्र बजट आबंटन में से खाद्य एवं कुटीर उद्योग आयोग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आबंटन रखना।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को विशेष रूप से लाभ के अनुरूप अलग योजनाओं का अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

4. पहाड़ी, सीमा, आदिवासी, समाज के कमजोर वर्ग क्षेत्रों को इस समय अनुमत्य 75% अनुदान तथा 25% ऋण सहायता की उदार पद्धति का विस्तार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कारीगरों के लाभार्थ देश के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाए बशर्ते कि वे गरीबी की रेखा से नीचे रहते हों।

5. प्रमुख संस्थाओं को अधिकतम 2.50 करोड़ रु० के अतिरिक्त और सहायता मंजूर करना बशर्ते कि वे अतिरिक्त निधियों का उपयोग विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए करें।

1991-92 के लिए कार्यक्रम

(1) 14 अप्रैल, 1992 तक प्रत्येक मास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक संस्थान का प्रशिक्षण।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए कार्यरत संगठनों द्वारा प्रायोजित कम से कम 10 व्यक्ति के प्रशिक्षण का लक्ष्य।

(3) उनकी पहचान के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए गठित संस्थानों को विपणन प्रशिक्षण इत्यादि जैसी सहायता प्रदान करना।

(4) 14-4-92 तक उद्यमी विकास के लिए प्रति मास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों में से 50 व्यक्तियों को लिया जाना।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए बनाए जा रहे छात्रावासों तथा महाविद्यालयों के निकट समन्वय के साथ एक योजना नामतः "आप पढ़त समय उपार्जन करें" शुरू करने का प्रस्ताव।

महासागर विकास प्रभाग

वर्ष 1991-92 के लिए कार्यक्रम

1. इस विभाग ने दो महत्वपूर्ण स्थानों (1) उच्च विद्यालय, वरसोवा, बम्बई तथा (2) इचापुर कलकत्ता में स्कूली बच्चों तथा अन्य शैक्षिक समूहों के लाभ के लिए देश में समुद्री विज्ञान तथा तकनीकी विकास पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

2. इस विभाग ने रामलीला मैदान दिल्ली में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया।

3. यह विभाग अनुसूचित जाति/जनजाति के स्कूली बच्चों के लिए उन्हें समुद्री विज्ञान के बारे में जानकारी देने हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने पर भी विचार कर रही है।

4. दिल्ली में कई स्कूलों/कालेजों के प्रतिनिधित्व करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति समाज के कमजोर वर्गों से 10-15 प्रत्याशियों का चयन करना जो उत्कृष्ट मेरिट वाले हों और जिन्हें एन०आई०ओ० गोवा/सी०एम०एफ०आर०आई० कोचीन में हमारे अनुसंधान जहाजों पर एक अध्ययन दौरे सहित दौरों पर भेजे जा सकेगा और इस प्रकार हमारे समुद्रीय विकास कार्यक्रमों के बारे में उन्हें परिचित कराया जा सकेगा। यह देश में विद्यार्थी समुदाय के विद्यार्थियों के लाभ के लिए समुद्री विज्ञान में ज्ञान की वृद्धि का पथ प्रशस्त करेगा।

5. दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों से विद्यार्थियों को बुला कर प्रगति मैदान नई दिल्ली के हाल नं० 11 में प्रदर्शनी का आयोजन तथा समुद्री विज्ञान पर उन्हें इश्तेहारों/स्टीकरों/पैम्पलेटों आदि का वितरण। यह कार्यक्रम अगस्त, 91 के अंत में अथवा सितम्बर 1991 के आरम्भ में आयोजन किया जा सकता है।

6. स्कूली बच्चों के लाभार्थ दिल्ली के चयनित स्कूलों में से या यह कहा जाए कि 10 स्कूलों के इस विभाग द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति इत्यादि में से प्रथम पुरस्कार 500 रु० द्वितीय पुरस्कार 300 रु० तथा तृतीय पुरस्कार 150 रु० का वितरण/प्रश्नावलियां समुद्री विज्ञान तथा इसके विकास के बारे में होंगी।

7. यह विभाग बाबा साहेब डा० बी०आर० अम्बेडकर के जन्म स्थान अथवा पूना में सरकारी स्कूलों/कालेज में समुद्री विज्ञान पर जानकारी के आधार सहित डा० बी०आर० अम्बेडकर के पोस्टरों, स्टीकरों इत्यादि का प्रदर्शन तथा इसी प्रकार के कार्यक्रम मद्रास क्षेत्र में भी किए जा सकते हैं, यह विभाग पहले भी बम्बई तथा कलकत्ता में इसी प्रकार में कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है।

1991-92 के लिए कल्याण मंत्रालय की शताब्दी समारोहों से संबंधित प्रस्तावित योजनागत स्कीमें

वर्ष 1991-92 के लिए योजना शीर्ष के अन्तर्गत शताब्दी समारोह कार्यक्रमों हेतु 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं—

1. **डा० अम्बेडकर की कृतियों तथा भाषणों का सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशन** — डा० अम्बेडकर के भाषणों तथा कृतियों के अंग्रेजी रूपान्तर के जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है के हिन्दी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, तेलगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ अनुवाद तथा प्रकाशन की एक योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित योजना, अनुवाद तथा प्रकाशन में लगने वाले समय के कारण चरण-बद्ध तरीके से कार्यान्वित की जानी है। इस योजना की अनुमानित लागत 5.97 करोड़ रुपये है। इस योजना का कार्यान्वियन 1993-94 तक पूरा हो जाने की आशा है। अनुवाद तथा प्रकाशन एजेंसी के चयन का काम भारत सरकार के संस्कृति विभाग तथा प्रकाशन निदेशालय के परामर्श से किया जा रहा है।

2. **डा० अम्बेडकर पीठों की स्थापना** यह प्रस्ताव अंतिम चरणों में है। इस योजना के लिये एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है जिसे उपयुक्त रूप से स्थायी निधि के रूप में जमा करवाया जाएगा और इससे जो ब्याज प्राप्त होगा, उससे देश के चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में 7 पीठों की स्थापना की जाएगी। यह पीठ विधि और समाज विज्ञान के संकायों में स्थापित किए जाएंगे।

3. **डा० अम्बेडकर पुरस्कारों की स्थापना** यह योजना भी अंतिम चरणों में है। 10

लाख रुपये के एक डा० अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करने का प्रस्ताव है जो उस व्यक्ति या संस्था को हर वर्ष दिया जाएगा जिन्होंने सामाजिक सूझबूझ के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट तथा रचनात्मक कार्य किया हो। इस प्रयोजन हेतु स्थायी निधि के रूप में एक करोड़ रुपये जमा कराया जाएगा।

4. **स्मारक बनाना**—इस योजना के अंतर्गत डा० अम्बेडकर की एक आदमकद और एक आधी कास्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इन स्मारकों की स्थापना के लिये बौद्ध गया, यरबदा, बेगांनूर (केरल), बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, शिमला, चंडीगढ़, हैदराबाद, मैसूर का निर्धारण किया गया है।

5. **डा० अम्बेडकर स्मारक शिक्षावृत्ति**—विदेशों में विधि, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधी विषयों में उच्च अध्ययनों हेतु शिक्षावृत्तियां शुरू करने का एक प्रस्ताव है। इस योजना हेतु एक करोड़ रु० दिया जा रहा है। जोकि स्थायी निधि के रूप में उपयुक्त ढंग से जमा करवाया जाएगा। स्थायी निधि से प्राप्त ब्याज से इन शिक्षावृत्तियों के लिए धन जुटाया जाएगा।

शताब्दी समारोहों के भाग के रूप में 1991-92 के दौरान किए गए/किए जा रहे समारोह/कार्यक्रम

1. 14-4-91 को संसद भवन के प्रांगण में डा० अम्बेडकर के प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण समारोह किया गया।
2. 14-4-91 से 26-4-91 तक रामलीला मैदान में डा० अम्बेडकर प्रदर्शनी एवं मेला का आयोजन किया गया।
3. 15-4-91 को डा० अम्बेडकर पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।
4. 16-18 अक्तूबर, 1991 तक नागपुर में दलित आदिवासी लोक कला महोत्सव आयोजित किया गया।
5. बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के 36वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसम्बर, 1991 को संसद भवन के प्रांगण में उनके प्रतिमा स्थल पर एक समारोह का आयोजन किया गया।
6. क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतर-विश्वविद्यालय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
7. एक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
8. एक कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन किया जाएगा।
9. डा० अम्बेडकर स्मारक व्याख्यान माला की व्यवस्था की जाएगी।
10. देश के सात केन्द्रों में क्षेत्रीय संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी।

11. शताब्दी समारोहों की समाप्ति पर 14-4-92 को उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीलंका के शरणार्थी

*135. **श्री जी० माडे गौड़ा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष श्रीलंका से कितने कितने शरणार्थी भारत आये; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) तमिलनाडु और उड़ीसा सरकारों ने सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान 1,22,296 श्रीलंकन शरणार्थी भारत पहुंचे हैं; जिनका वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है—

वर्ष	भारत आये शरणार्थियों की संख्या
1989-90	3,557
1990-91	1,18,732
1991-92	7
	1,22,296

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत सुविधाएं और आवास उपलब्ध कराने में केन्द्रीय सरकार अब तक 39.03 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

*136. **श्री राजेश कुमार** :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित सहकारी समितियों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष निकाय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्षस्थ निकाय अर्थात् आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ भारत (ट्राइफेड) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है—

(1) देश की आदिवासी जनसंख्या के हित में प्राकृतिक उत्पादों के विकास और बढ़ोत्तरी तथा तर्कसंगत वैज्ञानिक और वाणिज्यिक आधार पर उनके व्यापार को संगठित करना और योजना बनाना;

(2) प्राकृतिक उत्पादों पर आधारित उपयुक्त आर्थिक योजनाएं बनाकर आदिवासी जनसंख्या के लिए अधिक कमाई और ज्यादा रोजगार अवसर सुनिश्चित करने के प्रयास करना;

(3) आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक उत्पादों के लिए नए प्रयोगों का पता लगाकर तथा संगठित प्रयासों के माध्यम से उनकी विपणन योग्यता में सुधार लाकर उनका सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना;

(4) प्राकृतिक उत्पादों के प्रापण, प्रसंस्करण और विपणन का काम करने वाले आदिवासी विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों और अन्य राज्य स्तरीय एजेंसियों को विपणन सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बढ़ाना;

(5) सहकारी विपणन की परिधि के अन्तर्गत लाई जाने वाली लघु वन उत्पाद मदों की विभिन्न राज्यों में पहचान करना और प्रत्येक राज्य द्वारा ऐसे लघु वन उत्पादों की आदिवासी क्षेत्रों में अधिकतम कीमत सुनिश्चित करने के लिए सिफारिश करना।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग

[अनुवाद]

*137. डा. रवि मल्लू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को हाल में दिल्ली में हुए दक्षिण एशिया दस्तकारी सम्मेलन की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे क्रियाकलापों को सरकार द्वारा क्या समर्थन दिया गया है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) सरकार सभी संभव उपयुक्त माध्यमों के जरिये दक्षिण-दक्षिण सहयोग को संवर्धित करने के काम में लगी है। एक मुख्य बात यह है कि भारत के प्रमुख उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने जी-15 देशों के व्यापारियों और उद्योगपतियों की समानान्तर बैठक में भाग लिया था जो 27 से 29 नवंबर, 1991 के कराकास शिखर बैठक के साथ-साथ हुई थी। यह फैसला किया गया है कि व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक एक संस्थागत वार्षिक घटना होगी जो भावी शिखर बैठकों के साथ-साथ होगी।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दूध की खपत

*138. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष में प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में दूध की प्रतिव्यक्ति खपत कितनी रही;

(ख) क्या उक्त अवधि में पूर्वोत्तर राज्यों में दूध के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो असम और पूर्वोत्तर राज्यों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) अनुमान है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में 1989-90 के मुकाबले 1990-91 में दुग्ध उत्पादन में 5.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

(ग) दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के बावजूद उत्तर-पूर्वी राज्यों के पिछड़ेपन तथा उनकी विशेष समस्याओं को देखते हुए इन राज्यों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. असम में पशु पालन तथा डेयरी क्षेत्र में सुधार के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों, जिसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं, का निर्धारण करने के लिए हाल ही में वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक दल ने इस राज्य का दौरा किया ।

2. आठवीं पंचवर्षीय योजना के एक अंग के रूप में, उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित गैर-आपरेशन फ्लड क्षेत्रों, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में 1992-93 से एक समेकित डेयरी विकास परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है ।

3. विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी राज्यों को सहायता उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा और विशेष घटक योजना तथा जनजाति उप-योजना के अंतर्गत की जा रही है ।

विवरण

1989-90 तथा 1990-91 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति खपत

क्रम संख्या	राज्य	दूध की प्रति व्यक्ति खपत (किलोग्राम/प्रति वर्ष) 1989-90	1990-91 (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	47.7	46.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	59.1	49.8
3.	असम	25.7	26.6

1	2	3	4
4.	बिहार	35.2	35.8
5.	गोवा	20.5	20.0
6.	गुजरात	81.8	84.4
7.	हरियाणा	194.9	193.3
8.	हिमाचल प्रदेश	102.9	108.6
9.	जम्मू और कश्मीर	65.9	73.2
10.	कर्नाटक	52.4	53.7
11.	केरल	54.4	56.6
12.	मध्य प्रदेश	71.5	72.7
13.	महाराष्ट्र	43.2	48.5
14.	मणिपुर	46.3	45.0
15.	मेघालय	28.3	28.1
16.	मिजोरम	13.7	11.7
17.	नागालैण्ड	30.9	40.0
18.	उड़ीसा	14.6	14.8
19.	पंजाब	250.4	254.7
20.	राजस्थान	99.8	100.4
21.	सिक्किम	63.0	62.9
22.	तमिलनाडु	62.2	60.9
23.	त्रिपुरा	10.6	11.0
24.	उत्तर प्रदेश	69.5	72.3
25.	पश्चिमी बंगाल	43.4	44.3

कृषि को उद्योग घोषित किया जाना

*139. **श्री मृत्युञ्जय नायक :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि को उद्योग घोषित करने के प्रश्न पर कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों, विभागों के परामर्श से इस मामले की विस्तार से जांच की जा रही है।

सब्जी और फल केंद्र

*140. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जी और फल केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन करने के लिए विश्व बैंक का एक दल हाल ही में भारत की यात्रा पर आया था;

(ख) यदि हां, तो दल ने किन-किन स्थानों का चयन किया है; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्व बैंक ने कितनी सहायता दी है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता। फिर भी फल और सब्जियों के विपणन के लिए एक ग्रिड तैयार किए जाने हेतु एक परियोजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा इस समय संभाव्य अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन की वित्तीय व्यवस्था विश्व बैंक द्वारा की जा रही है।

[हिन्दी]

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

*141. **श्री हरि केवल प्रसाद** :
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ये प्रयोगशालाएं किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ग) इन दो राज्यों में इन प्रयोगशालाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या-क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं। ये दो प्रकार की हैं : अर्थात् (1) स्थैतिक और (2) गतिशील।

प्रयोगशालाओं द्वारा मृदा के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है तथा उर्वरकों के प्रयोग पर संस्तुतियां की जाती हैं। सिंचाई के जल की गुणवत्ता निर्धारण के लिए कुछ प्रयोगशालाओं द्वारा जल के नमूनों का भी विश्लेषण किया जाता है। देश के 463 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं वर्ष में लगभग 5 मिलियन नमूने का विश्लेषण कर रही हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन दो राज्यों में विश्लेषण किए गए नमूनों की अनुमानित संख्या निम्नवत हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश	9.53 लाख
(2) बिहार	1.55 लाख

मृदा नमूनों के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर किसानों को विभिन्न फसलों के लिए अपेक्षित उर्वरक के पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा तथा उनके सम्मिश्रण पर सलाह दी जाती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

क्रम संख्या	अवस्थिति	क्रम संख्या	अवस्थिति
1	2	1	2
1.	सहारनपुर	23.	बदायूं
2.	मुजफ्फरनगर	24.	शाहजहांपुर
3.	बुलन्दशहर	25.	पीलीभीत
4.	गाजियाबाद	26.	लखनऊ (2 प्रयोगशालाएं)
5.	मेरठ (2 प्रयोगशालाएं)	27.	उन्नाव
6.	फैजाबाद (2 प्रयोगशालाएं)	28.	रायबरेली
7.	सुल्तानपुर	29.	सीतापुर
8.	प्रतापगढ़	30.	लखीमपुर
9.	गोण्डा	31.	हरदोई
10.	बहराइच	32.	इलाहाबाद (2 प्रयोगशालाएं)
11.	बाराबंकी	33.	फतेहपुर
12.	आगरा (2 प्रयोगशालाएं)	34.	कानपुर (2 प्रयोगशालाएं)
13.	मैनपुरी	35.	इटावा
14.	एटा	36.	फर्रुखाबाद
15.	मथुरा	37.	झांसी (2)
16.	अलीगढ़	38.	बांदा
17.	वाराणसी (2 प्रयोग०)	39.	हमीरपुर
18.	मिर्जापुर	40.	ललितपुर
19.	जौनपुर	41.	जालौन
20.	गाजीपुर	42.	गोरखपुर (4 प्रयोगशालाएं)
21.	बलिया	43.	बस्ती
22.	बरेली (2 प्रयोगशालाएं)	44.	देवरिया

1	2	1	2
45.	आजमगढ़	51.	मुरादाबाद (2 प्रयोगशालाएं)
46.	पौड़ी	52.	रामपुर
47.	चमोली	53.	बिजनौर
48.	टिहरी	54.	नैनीताल (2 प्रयोगशालाएं)
49.	उत्तरकाशी	55.	अल्मोड़ा
50.	देहरादून	56.	पिथौरागढ़

बिहार में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

क्रमांक	अवस्थिति	क्रमांक	अवस्थिति
1.	आरा	20.	मुज्जफरपुर
2.	न लन्दा	21.	बेतिया
3.	देहरी-रोहतास	22.	वैशाली
4.	गया	23.	सीतामढ़ी
5.	औरंगाबाद	24.	पिपराकोथो-मोतीहरी
6.	नवादाह	25.	गाडा मुज्जफरपुर
7.	रांची	26.	छपरा (3 प्रयोगशालाएं)
8.	चक्रधरपुर	27.	गोपालगंज
9.	लतेहर	28.	सिवान
10.	गिरिदिह	29.	मुंगेर
11.	डुमका	30.	एस० एस० टी० प्रयोगशाला पटना
12.	लित्तिपारा	31.	खगड़िया
13.	सहरसा	32.	गुम्ला (कार्यरत नहीं है)
14.	पूर्णिमा	33.	पटना (2 प्रयोगशालाएं)
15.	कटिहार	34.	सबौर
16.	काडा सहरसा	35.	कांके—रांची
17.	मधुबनी (3 प्रयोगशालाएं)	36.	डी० वी० सी० हजारीबाग
18.	दरभंगा	37.	सिन्दरी (2 प्रयोगशालाएं)
19.	समस्तीपुर	38.	बरौनी (2 प्रयोगशालाएं)

केन्द्र-राज्य संबंध

1399 **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों को और अधिक वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार देने की उनकी मांग को देखते हुए केन्द्र-राज्य संबंधों की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह पुनरीक्षा कब तक की जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्र-राज्य संबंध संविधान के उपबंधों के द्वारा शासित होते हैं। केन्द्र-राज्य संबंधों पर (सरकारिया) आयोग ने, जिसका गठन सरकार द्वारा जून, 1983 में केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूदा प्रबन्धों के कार्यकरण के अध्ययन करने के लिए किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट (1987) में यह विचार व्यक्त किया है कि संविधान ने इसके प्रारंभ से यह प्रदर्शित किया है कि इसकी मौलिक योजना तथा उपबंध समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। यह महसूस किया जाता है कि केन्द्र-राज्य संबंधों का स्वरूप विकासात्मक है और संविधान के उपबंधों, जिनके द्वारा इन्हें शासित किया जाता है, उन उपबंधों की सतत् समीक्षा करनी होगी। संविधान को, कार्यकरण की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए इसमें अनेक बार संशोधन किया गया है।

[अनुवाद]

आंवले की काश्त

1400. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आंवला की काश्त बढ़ाने के लिए राज्यों को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में आंवला की बढ़िया किस्में उगायी जाती हैं;

(ग) क्या अपने पौष्टिक और औषधीय महत्व की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आंवले की भारी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो आंवला की काश्त का क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) आंवला की खेती के लिए कोई भी केन्द्रीय सहायता नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही शुष्क प्रदेश फलों संबंधी अखिल भारतीय समेकित अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत आंवले की दो समुन्नत किस्में निकाली गई हैं, जो कि वर्तमान कल्टीवर की अपेक्षा उपज और गुणवत्ता में बेहतर हैं।

(ख) आंवला समस्त देश में बड़े व्यापार पैमाने पर उगाया जा रहा है। बहरहाल, आंवला की वाणिज्यिक खेती उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है। श्रेष्ठ वाणिज्यिक किस्में बनारसी, चकया और हाथोफूल है। दो समुन्नत किस्में कृष्णा और कंचन हैं।

(ग) और (घ) आंवले की अन्तर्राष्ट्रीय मांग का अलग से अनुमान नहीं लगाया गया है।

आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

1401. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-उत्तर सहयोग के अनुपात में दक्षिण-दक्षिण सहयोग का वर्तमान स्तर कितना है;

(ख) क्या जी-15 राष्ट्रों द्वारा आर्थिक विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र को बहुपक्षीय सहयोग के लिए कार्यसूची के कोर में रखने के लिए किसी तरीके का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या इन तरीकों को विकसित राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(च) इन तरीकों का पता लगाने और इस विषय पर बहुपक्षीय बातचीत में भारत ने क्या भूमिका निभाई है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) दक्षिण-दक्षिण सहयोग का मौजूदा स्तर अपनी वास्तविक क्षमता से काफी कम है। सरकार का यह विश्वास है कि विकासशील देशों के विकास को गति प्रदान करने, उनकी अर्थव्यवस्थाओं की पूरकताओं का लाभ उठाने, सामूहिक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और विकसित देशों के साथ उनकी बातचीत में उनके समान शक्ति बनाने के प्रयोजन के लिए इस प्रकार का सहयोग महत्वपूर्ण है। जी-15 की पहलकदमी इस दिशा में एक ठोस कदम है।

(ख) और (ग) इस समय जी-15 के सदस्य देश "नयी विश्व व्यवस्था" के संबंध में एक स्थिति दस्तावेज तैयार करने के काम में लगे हैं जिसे 1992 के अन्त से पहले डकार, सेनेगल में दल की अगली शिखर बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि 28 नवंबर, 1991 को कराकास शिखर बैठक के दौरान फैसला किया गया था। इस दस्तावेज में उन तत्वों के संबंध में विकासशील देशों के दृष्टिकोण को बताया जाएगा जो "नई विश्व व्यवस्था" बना सकते हैं जिसमें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के विशिष्ट तौर-तरीके भी शामिल हैं।

(घ) से (च) भारत ने आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित देशों को रचनात्मक और सार्थक बातचीत में लगाने के प्रयास में बहुपक्षीय मंचों में तथा उच्चतम स्तर सहित द्विपक्षीय संपर्कों के माध्यम से भी हर अवसर का उपयोग किया है। यह न्यूयार्क में हाल ही में सम्पन्न सुरक्षा परिषद की शिखर स्तरीय बैठक दवोस, स्विटजरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की बैठक तथा कार्टागेना डेस-इंडेस, कोलम्बिया में अंकटाड-8 में किया गया था।

दिल्ली में जेलों का निर्माण

1402. **श्री गोपी नाथ गजपति :**

श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराधियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली में केवल एक जेल अपर्याप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में और अधिक जेलों के निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि विचाराधीन मामलों को किसी निर्धारित अवधि तक निपटा दिया जाना चाहिए अथवा उसके बाद उन्हें मुक्त कर दिया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो इस जेल में कितने अपराधी विचाराधीन हैं और उनके मामलों को शीघ्र न निपटाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) तिहाड़ जेल में ऐसे कितने अपराधी विचाराधीन हैं, जो गत छः वर्षों के दौरान जेल के वाहनों से भाग गए थे; और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जेल की क्षमता बढ़ाने के लिए तिहाड़ जेल परिसर में वर्तमान जेल संख्या 3 में, 300 कैदियों को रखने की क्षमता वाली तीन और बैरकों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने, तिहाड़ जेल परिसर में दो नई जेलों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है और इसमें प्रत्येक जेल में 700 कैदियों को रखने की क्षमता है। इन दोनों जेलों का निर्माण कार्य का ठेका दिया जा चुका है। यमुना नदी के पास मंडोली पर एक जेल का निर्माण करने के लिए 78.62 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ग) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आपराधिक मामलों की निर्धारित समय में सुनवाई किए जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय के कोई अनुदेश नहीं है।

(ङ) पिछले छः माह के दौरान जेल वेन से कोई भी विचारणाधीन कैदी/कैदी नहीं भागा है।

आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना

1403. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्ध्र प्रदेश में मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों मे अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए चलाई गई पुस्तक बैंक योजना के अन्तर्गत अब तक कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ख) वर्ष 1991-92 में आंध्र प्रदेश को इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 9 68 लाख रुपए।

अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

1404. श्री पीयूष तीरकी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(·) कल्याण मंत्रालय के जनजाति कल्याण प्रभाग ने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या/प्रतिशत कितना-कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रभाग में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों को भरने का है; और

(ग) यदि हां. तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय में पद, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं। कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रभाग-वार भर्ती नहीं की जाती है। आदिवासी विकास प्रभाग में समूह-वार अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या सभा पटल पर रखे गए विवरण में दे दी गई है। आदिवासी विकास प्रभाग में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या के संबंध में 5-3-1992 को श्री पीयूष तिड़के द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1404 के उत्तर में संदर्भित विवरण :

क्रम सं०	वर्ग	अ०वि० प्रभाग में अ० ज० जा० अधिकारियों की सं०	अ०वि० प्रभाग में कर्मचारियों की तुलना में अ०ज०जा० अधि-कारियों का प्रतिशत
1. समूह	"क"	—	7.6
2. समूह	"ख"	शून्य	शून्य
3. समूह	"ग'	2	10.52
4. समूह	"घ"	3	25

बासमती चावल का निर्यात व्यापार की ओर विपणन

1405 श्री जे० चोक्का राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कृष्ट किस्म के बासमती चावल की निर्यात व्यापार की ओर विपणन कर दिए जाने से वह घरेलू बाजार से बिलकुल गायब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्कृष्ट किस्म के बासमती चावल का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और उसमें से कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) किस्मवार चावल अर्थात् बासमती और अन्य का उत्पादन भविष्यवाणी करने की पद्धति के तहत नहीं आता है। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1991-92 के दौरान चावल का कुल उत्पादन वर्ष 1990-91 के दौरान 74.59 मिलियन मीटरीटन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में 73.0 से 73.5 मिलियन मीटरी टन के बीच हो सकता है।

1990-91 के दौरान निर्यात किए गए बासमती चावल की मात्रा 2,41,830 मीटरी टन थी तथा 1 अप्रैल, 1991 से 31 जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान 1,80,594 मीटरी टन बासमती चावल का निर्यात किया गया है।

[हिन्दी]

पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद

1406. **श्री जगबीर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पंजाब और हरियाणा के बीच विभिन्न विवादों को हल करने के लिए कोई नई पहल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) पंजाब में चुनाव कार्य पूरा होने और लोकप्रिय सरकार की बहाली होने के साथ यह आशा की जाती है कि पंजाब और हरियाणा के बीच सभी बकाया मुद्दों को विचार-विमर्श और पारस्परिक समझौता के जरिए हल किया जाएगा। समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी

1407. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 28 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी संबंधी जानकारी अब तक एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यह सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसे सभी राज्यों से एकत्र किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र से प्राकृतिक नियन्त्रण हटाना

1408. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि में मूल्य तन्त्र के माध्यम से भौतिक नियन्त्रण (फिजिकल कंट्रोल) को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सामान्यतया कृषि क्षेत्र में कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है।

वर्तमान कृषि मूल्य रचनातन्त्र के अन्तर्गत, सरकार तथा सहकारी एजेन्सियों द्वारा प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके तथा मूल्य समर्थन कार्य आयोजित करके किसानों के हितों को सुनिश्चित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में झींगा मछली पालन परियोजना

1409. **डा० असीम बाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय सहायता से कोई झींगा मछली पालन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है और किस वर्ष से क्रियान्वित की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस समय पश्चिम बंगाल में किसी भी प्राउन कल्चर प्रोजेक्ट को सहायता नहीं दे रहा है।

पूर्वी क्षेत्रों में तेल की खोज

1410. **श्री हाराधन राय** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वी क्षेत्रों में तेल की खोज हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द :) (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना (1992-97) के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने असम,

नागालैंड, कछार, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में अतिरिक्त 2-डी और 3-डी भूकंपीय सर्वेक्षण और अन्वेषण कुओं की खुदाई के लिये योजना बनाई है।

उसी अवधि के दौरान आयल इण्डिया लि० ने भी असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रो में अतिरिक्त 2-डी और 3-डी भूकम्पीय सर्वेक्षण और अन्वेषण कूपों की खुदाई करने की योजना बनाई है। तेल और गैस के अन्वेषण के लिए बोलियों के चौथे दौर में कछार, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के चार तटवर्ती ब्लाक और तीन अपतटीय ब्लाक निजी कम्पनियों को दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

1411. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय को पिछले 12 महीनों के दौरान महीना-वार संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने पत्रों की पावती और अन्तिम उत्तर भेज दिए गए हैं;

(ग) अभी भी लंबित पड़े पत्रों का महीना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पत्रों की पावती तथा अन्तिम उत्तर देने में होने वाली देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) पत्रों के उत्तर शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) फरवरी, 1991 से जनवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुए पत्रों की संख्या, अन्तिम रूप से दिये गये उत्तर तथा लम्बित पड़े पत्रों की स्थिति के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है। जब कभी भी कोई पत्र प्राप्त होता है, तो हमेशा उसकी पावती भेजी जाती है। जनवरी, 1992 के अन्त तक लम्बित 3791 पत्रों में से 3400 पत्र स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन से सम्बन्धित हैं, जिनके बारे में अन्तिम रूप से उत्तर भेजने से पहले, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने, पुराने रिकार्डों के सन्दर्भों, इत्यादि की आवश्यकता होती है। शेष 391 में से 195 कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, जिनके बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जानी है तथा 130 के सम्बन्ध में केन्द्रीय पुलिस संगठनों से सूचना एकत्र की जानी है, जो अपनी यूनिटों से परामर्श करते हैं क्योंकि वे उनके स्थानान्तरण, तैनाती इत्यादि से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार की प्राप्तियों के निपटारण पर निगरानी रखने के लिए उनकी मासिक विवरणी रखी जाती है सावधिक परीक्षायें भी की जाती हैं।

विवरण

फरवरी, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान प्राप्त हुए पत्रों की संख्या अन्तिम रूप से भेजे गए उत्तर तथा लम्बित पत्रों की संख्या के ब्यौरों का विवरण

माह	पिछले 12 महीनों के दौरान सांसदों से प्राप्त पत्रों की सं० (माहवार)	उन पत्रों की सं० जिनमें अन्तिम रूप से उत्तर भेजे गए (माहवार)	लम्बित पत्रों की सं० (माहवार) (संचित)
फरवरी, 1991	497	392	2224
मार्च	568	470	2322
अप्रैल	655	488	2489
मई	382	372	2499
जून	393	250	2642
जुलाई	329	227	2744
अगस्त	415	274	2885
सितम्बर	740	364	3261
अक्तूबर	774	470	3565
नवम्बर	613	619	3559
दिसम्बर	1103	919	3743
जनवरी, 1992	557	509	3791

कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिनों में गैस की खोज

1412. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के बेसिनों में गैस पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनसे गैस निकालने के लिये कोई योजनायें तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता लेने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। इन बेसिनों में अनुसन्धान चल रहा है तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 2-डी एवं 3-डी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा अन्वेषण ड्रिलिंग किये जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) कृष्णा-गोदावरी अपतट में चार ब्लाक तथा कावेरी अपतट बेसिन में एक ब्लाक अन्वेषण के लिये विदेशी और भारतीय कम्पनियों को बोली के चौथे चक्र में आफर किया गया है।

पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सम्बन्ध

1414. **डा० देवी प्रसाद पाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यूरोप में हाल ही की घटनाओं के बाद इन देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में मुख्यतः क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : भारत के पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमेशा-हमेशा से मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक लाभदायक सम्बन्ध रहे हैं। इन देशों में इस समय महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन हो रहे हैं। इन देशों मे बहुपक्षीय लोकतन्त्र की शुरूआत एक ऐसी घटना है जिसका भारत सरकार ने स्वागत किया है।

उल्लिखित परिवर्तनों से भी इन देशों के साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के अवसर बढ़े हैं और सरकार का यह प्रयास है कि पारस्परिक लाभदायक सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए इस सम्भावना का पूरी तरह से उपयोग हो।

उग्रवादियों के विरुद्ध संयुक्त सुरक्षा अभियान

1415. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :
श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवादियों के विरुद्ध संयुक्त सुरक्षा अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जब कभी अपेक्षित होता है संबंधित राज्यों द्वारा समन्वित कार्रवाई की जाती है।

पान के सम्बन्ध में अनुसंधान

1416. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये/किये जाने वाले अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पान पर एक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अंतर्गत 10 केन्द्रों में अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं। इन अनुसंधानों के फलस्वरूप समेकित रोग प्रबन्ध नीति विकसित की गई है जिसमें कृषि क्रियाएं रोग मुक्त रोपण सामग्री और बोर्डो मिश्रण से मिट्टी तर करने और इसे छिड़कने की तकनीक शामिल हैं।

महाराष्ट्र में बाढ़ सहायता

1417. **श्री राम नाईक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र 1991-92 के दौरान बाढ़ तथा घोर वर्षा से प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा मांगी गयी धनराशि को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें 1991 के दौरान बाढ़ों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है।

(घ) और (ङ) राहत खर्च को पूरा करने की वर्तमान स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत उपायों पर किया जाने वाला सारा खर्च आपदा राहत कोष से पूरा करें। केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता केवल उसी वक्त दी जानी अपेक्षित है जब आपदा अत्यंत गंभीर हो, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर ही हाथ में लेने की आवश्यकता हो। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को किसी प्रकार की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे ऐसी आपदा नहीं माना जा सकता जिसे केन्द्रीय स्तर पर हाथ में लेने की आवश्यकता हो।

[हिन्दी]

दिल्ली में दूध की सप्लाई

1418. **श्री बाळ वासन जोशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली को दूध सप्लाई करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इन राज्यों द्वारा दिल्ली को प्रतिदिन कितने दूध की सप्लाई की जाती है;

(ग) दिल्ली में दूध के निरंतर अभाव के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने दिल्ली में दूध की मांग की पूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र।

(ख) मदर डेरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना ने जनवरी-फरवरी, 1992 के दौरान प्रतिदिन लगभग 8 लाख लीटर दूध प्राप्त किया।

(ग) तरल दूध की प्राप्ति संतोषप्रद है।

(घ) कमी के महीनों के दौरान परिरक्षित वस्तुओं की खपत के सामान्य उपायों तथा तरल दूध को उत्पादों में बदलने पर रोक लगाने के अलावा, तरल दूध के सप्लाई के स्रोतों में भी परिवर्तन लाया गया है।

[**अनुवाद**]

दिल्ली में रसोई गैस का प्रयोग करने वालों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती

1419. **श्री रामचन्द्रन वीरप्पा** : क्या : **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रसोई गैस का प्रयोग करने वालों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) फिलहाल दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में भर्ती शिविर

1420. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस बल में भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में भर्ती शिविरों का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ये शिविर किन जिलों में और किन-किन स्थानों पर आयोजित किए गए तथा अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस बल में अलग-अलग कितने व्यक्ति भर्ती किए गए; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान हिमाचल प्रदेश से इन बलों में कर्मिकों की भर्ती की भावी योजना क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) और (ख) असम राईफल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने 1991 के दौरान हिमाचल प्रदेश में भर्तियां की हैं। असम राईफल ने 7 उम्मीदवार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 312 उम्मीदवार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 268 उम्मीदवार और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने 143 उम्मीदवार भर्ती किए हैं। हिमाचल प्रदेश में जिन स्थानों पर और जिलों में भर्तियां की गयी हैं वे निम्न प्रकार से हैं—

बल का नाम	भर्ती का स्थान	जिला
1. असम राईफल	सूबेतू	शिमला
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	धर्मशाला	कांगड़ा
	शिमला	शिमला
	हमीरपुर	हमीरपुर
3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	ऊना	ऊना
	हमीरपुर	हमीरपुर
	नाहन	सिरमौर
	धर्मशाला	कांगड़ा
	बिलासपुर	बिलासपुर
	चंबा	चंबा
	सोलन	सोलन
	कुल्लू	कुल्लू
4. भारतीय-तिब्बत सीमा	सरहान	शिमला
पुलिस	कुल्लू	कुल्लू
	हमीरपुर	हमीरपुर
	शिमला	शिमला

सीमा सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस ने 1991 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कोई भर्ती नहीं की है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली पुलिस और भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस का 1992 में हिमाचल प्रदेश में भर्ती करने की कोई योजना नहीं है। असम राईफल ने 1992 में हिमाचल प्रदेश में योल नामक स्थान को भर्ती करने के लिए चुना है।

गैस के मूल्य निर्धारण में असमानता

1421. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार असम और गुजरात में अलग-अलग विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गैस के निर्धारित/प्रचलित थोक और खुदरा मूल्य क्या-क्या थे;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने मूल्य निर्धारण में व्याप्त असमानता को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लि० द्वारा सप्लाई की जाने वाली प्राकृतिक गैस के लिए वसूल किया जाने वाला मूल्य निम्नानुसार है—

1. असम—1000/- रुपये प्रति 1000 क्यू०मी० मामले से मामलों के आधार, इसके अतिरिक्त 400/- रुपये प्रति 1000 क्यू०मी० की छूट सहित।

2. गुजरात—1550/- रुपये प्रति 1000 क्यू०मी० (लैंडफाल बिन्दु पर)

2400/- रुपये प्रति 1000 क्यू०मी०

(एच०बी०जे० पाइपलाइन के अतिरिक्त)

मूल्य निर्धारण करते समय मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है।

मिट्टी के तेल के डीलरों के कमीशन में वृद्धि

1422. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिट्टी के तेल के डीलरों से, उनके कमीशन को बढ़ाने और प्रतिशतता के आधार पर कमीशन को तय करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के साथ-साथ मामले की जांच की जा रही है।

किसानों द्वारा कृषि वस्तुओं का भण्डारण

1423. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1992 के ट्रिब्यून में प्रकाशित "ट्रेडर्स यूज़ फार्मर्स टू स्टाक गुड्स" समाचार शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) स्पष्ट प्रयोजनों हेतु व्यापरियों की ओर से किसानों द्वारा कृषि वस्तुओं की जमाखोरी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मात्स्यिकी विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

1424. **श्री काशी राम राणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक राज्य सरकारों को मात्स्यिकी विकास के लिए सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इन राज्यों को कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने दिनांक 14-1-1992 को हुई अपने निदेशक मण्डल की बैठक में 1992-93 के बाद सात वर्षों के लिए क्रियान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में श्रिम्प और मत्स्य पालन परियोजना के लिए सहायता देने का अनुमोदन कर दिया है। परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) खारा जल श्रिम्प पालन घटक जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लगभग 3800 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है;

(2) अन्तर्देशीय मत्स्य पालन घटक जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का 46,000 हैक्टेयर जलाशय और 5,000 हैक्टेयर ओकसबो लेक शामिल हैं; और

(3) परियोजना प्रबंध में पर्यावरणीय प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण शामिल है।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 95 मिलियन अमरीकी डालर (283.64 करोड़ रुपये के समतुल्य) है जिसमें विश्व बैंक की सहायता लगभग 85 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर होगी।

(ग) यह परियोजना 1 मई, 1992 से ही ऋण प्रभावी होगी और इस प्रकार 1991-92 के दौरान राज्य सरकारों को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई।

टीपू सुल्तान के राकेट

1425. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वूलविच संग्रहालय, ब्रिटेन में रखे टीपू सुल्तान के राकेट वापस प्राप्त करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सरकार को समाचार पत्रों की ऐसी कुछ खबरों की जानकारी है कि ये रोकेट्स ब्रिटेन के एक संग्रहालय में रखे गए हैं और इन रोकेट्स को भारत वापस लाने के सुझाव दिए गए हैं। तथापि, सरकार को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरसों की कीमत

1426. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरसों की कीमतों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरसों की कीमतों में अचानक कमी आने के बावजूद भी सरसों के तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरसों का उत्पादन करने वाले किसानों को उपयुक्त लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान रबी के दौरान सरसों की रिकार्ड उपज के पूर्वानुमान में सरसों के बीज के मूल्यों में कमी आई है।

(ग) सरसों के बीज के साथ-साथ सरसों के तेल के मूल्य में भी कमी आई है।

(घ) सरसों उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं —

(1) नेफेड ने आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों के बीज खरीदने का एक कार्यक्रम बनाया है।

(2) सरसों के बीज के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए मंडी में हस्तक्षेप करने के कार्यों के बारे में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेफेड तथा सरसों उगाने वाले मुख्य राज्यों की राज्य सरकारों के बीच विचार-विमर्श हुआ है।

[अनुवाद

भारत-म्यांमार सीमा

1427. **श्री ई० अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है; और

(ख) क्या इस सीमा पर म्यांमार द्वारा सेना तैनात की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारत-म्यांमार सीमा की लम्बाई लगभग 1643 कि० मी० है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, म्यांनार सरकार द्वारा भारतीय सीमा के समीप कुछ स्थानों पर प्रतिमानतः उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए सेना तैनात की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा परेशान किया जाना

1428. **श्री राजवीर सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 जनवरी, 1992 के नवभारत टाइम्स में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन के कर्मचारियों को परेशान किये जाने संबंधी समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अन्तर्राज्य बस टर्मिनल पर उल्टी-सीधी पार्किंग की रोकथाम करने और वहां भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्यों से वहां पर आधे घंटे से अधिक समय तक खड़ी होने वाली बसों को उठा कर ले जाने का निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा 1-11-91 को चलाए गए अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज के स्टाफ द्वारा ट्रैफिक स्टाफ के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया। रोडवेज स्टाफ के खिलाफ थाना कश्मीरी गेट में धारा 353/186/332/506 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आगे बताया है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा की गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 1-11-91 को घटित घटना को स्थानीय पुलिस ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया तथा रोडवेज स्टाफ के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मामले की पुलिस उप-आयुक्त (ट्रैफिक) द्वारा जांच की गई तथा शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी।

गन्ने का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी समिति

1429. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निदेश पद सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। ऐसी समिति मंत्रालय के ध्यान में नहीं है जिसे गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि संबंधी शिक्षा को प्रोत्साहन

1430. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कृषि संबंधी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु उसे और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : महोदय, सरकार ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और इसे रोजगार-परक बनाने के लिए निम्न कदम उठाए हैं :

(i) प्रत्येक प्रमुख राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी है ।

(ii) व्यावहारिक प्रशिक्षण की बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाएं पैदा करने के लिए इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(iii) शिक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण (रिफ्रेशर ट्रेनिंग) की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उन्हें नई जानकारी और दक्षता से परिचित किया जा सके।

(iv) कृषि शिक्षा में सुयोग्य छात्रों को आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्तियां/शिक्षा वृत्तियां दी जाती हैं।

(v) पाठ्यक्रमों और विषय-क्रमों को रोजगार-परक बनाने और इनमें जानकारी के नये क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञों की समितियों द्वारा समय-समय पर इन्हें संशोधित किया जाता है।

(vi) दक्षता में सुधार लाने के लिए और छात्रों में आत्म-विश्वास की भावना पैदा करने के लिए पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण को समेकित अंग बनाया गया है।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी को उद्योग का दर्जा देना

1431. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्स्यिकी को उद्योग के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी उत्पादकों को रियायती दर पर उर्वरक की आपूर्ति

1432. **श्री बी० धनंजय कुमार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे काफी उत्पादकों की आपूर्ति के लिए कॉफी बोर्ड को रियायती दर पर उर्वरक देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे कॉफी उत्पादकों को लघु और सीमान्त कृषक माना जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कॉफी बोर्ड को राजसहायता प्राप्त उर्वरक देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) सभी वर्गों के किसानों को बिना इस बात का ख्याल किए कि वे कौन-सी फसल उगा रहे हैं छोटे और सीमांत किसानों के लिए उर्वरक राजसहायता संबंधी स्कीम के अंतर्गत समान समझा जाता है।

दिल्ली प्रशासन के फ्लैटों में अनधिकृत रूप से रहना

1433 **श्री जीवन शर्मा** : क्या गृह मंत्री 16 अगस्त, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उसके क्वाटरों के आबंटन मे तथा अनधिकृत कब्जा करने वालों से खाली कराने में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि से सम्बन्धित मामले की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली प्रशासन के फ्लैटों में अनधिकृत रूप से रहने तथा संबंधित व्यक्तियों को फ्लैट खाली करने के नोटिस जारी करने के बारे में 10 सितंबर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन फ्लैटों को खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिंदी]

बिहार में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती

1434 **श्री ललित उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बिहार में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कितनी बटालियनें तैनात हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : इस समय बिहार में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की आठ कम्पनियां तैनात हैं ।

[अनुवाद]

दिल्ली में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की सप्लाई

1435. **श्री ताराचन्द्र खण्डेलवाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली क्षेत्र में एल० पी० जी० गैस की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार एल० पी० जी० गैस की सप्लाई को सुचारू बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सामान्यतया दिल्ली में रसोई गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है । फिर भी जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर उचित कारंवाई की जाती है ।

दिल्ली दुग्ध योजना के बिक्री केन्द्र

1436. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का विचार दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) इन बिक्री केन्द्रों के कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) जी, हां । दिल्ली दुग्ध योजना का दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए दिन भर खुलने वाले दुग्ध स्टालों के रूप में निम्नलिखित सात स्थानों पर और अधिक बिक्री केंन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है—

1. साउथ ब्लाक, नई दिल्ली ।

2. अंतर्राज्यीय बस अड्डा, दिल्ली-6

3. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-58

4. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली ।

5. दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली-3

6. रेलवे स्टेशन, दिल्ली 6

7. रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली-53

(ग) समुचित स्थान उपलब्ध होने पर ही ये बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे ।

आतंकवादियों के लिए पड़ौसी देशों में प्रशिक्षण शिविर

1437. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री हरिन पाठक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने हेतु पड़ौसी देशों में प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सरकार को पाकिस्तान में ऐसे शिविरों की जानकारी है। सरकार के पास ऐसी खबरें हैं कि बंगलादेश और म्यांमार में भारतीय विद्रोही दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ख) और (ग) इस मामले को विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित सरकारों के साथ उठाया गया है ।

(घ) सरकार बदलते सुरक्षा पर्यावरण पर निरन्तर निगरानी रखती है और हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाती है ।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर गायों की तस्करी

1438. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्रीमती भावना चिखलिया :
डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत-पाक सीमा पर गायो की तस्करी होने के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कितने व्यक्ति मारे गए हैं;

(ग) क्या हाल के महीनों में गायों की तस्करी में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रतिषेध नियमों की समीक्षा

1440. **श्री मोहन सिंह :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नकली शराब के उत्पादन तथा विपणन को रोकने हेतु वर्तमान प्रतिषेध कानूनों की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कानूनों को और अधिक कठोर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जहरीली शराब का उत्पादन और उसके विपणन की रोकथाम करने के लिए, केन्द्र सरकार ने 14 नवम्बर, 1991 को सभी राज्य औषधि नियंत्रकों को इसका उत्पादन करने वाली फर्मों का प्राथमिकता के आधार पर, विस्तृत रूप से निरीक्षण करने के अनुदेश जारी किए हैं। "प्रसन्न" के स्थान पर रेक्टिफाईड स्प्रिट को प्रयोग करने की अनुमति को भी, भारतीय आयुर्वेदिक विधि (भाग-1) में संशोधन करके, वापस ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसे पेयों में जिनका एलकोहल युक्त पेय के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, पैकिंग की मात्रा सीमित करके और ऐसी औषधियों में एलकोहल की मात्रा कम करने की कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

श्रीलंका के शरणार्थी

1441. **डा० वी० राजेश्वरन :**
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :
श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री वी० कृष्णा राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका के कितने शरणार्थी श्रीलंका लौटना नहीं चाहते; और

(ख) इन शरणार्थियों को श्रीलंका वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या रवैया अपनाया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) शरणार्थियों की श्रीलंका वापसी उनके अपने देश लौटने की उनकी इच्छा पर आधारित है। अब तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु के शिविरों में रह रहे 110.930 शरणार्थियों में से 30,468 शरणार्थियों ने वापस जाने की अपनी इच्छा जताई है। 26 फरवरी तक 4569 शरणार्थियों को स्वेच्छा से श्रीलंका वापस भेजा गया है। जिन शरणार्थियों ने वापस जाने की इच्छा नहीं जताई है, वे अभी भी भारत में ही हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड कार्यालय और पुलिस अनुसंधान और विकास कार्यालय को समाप्त किया जाना

1442. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड कार्यालय और पुलिस अनुसंधान और विकास कार्यालय को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को समाप्त करने के बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एल० पी० जी० कनेक्शन

1443. **श्रीमती रीना वर्मा** :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री प्रतापराव बी० भोंसले :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री काशीराम राणा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री भगवान शंकर रावत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षारत व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान जारी किए गए नए कनेक्शनों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यथाशीघ्र अधिकतम आवेदकों को एल० पी० जी० के कनेक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	एल० पी० जी० कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची पर व्यक्तियों की संख्या (31-12-91 के अनुसार)	1-1-91 से 31-12-91 के दौरान जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.80	0.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.02
3.	असम	0.87	0.10
4.	बिहार	1.91	0.24
5.	गोआ	0.57	0.02
6.	गुजरात	5.59	0.34
7.	हरियाणा	3.19	0.26
8.	हिमाचल प्रदेश	0.45	0.07
9.	जम्मू और कश्मीर	0.67	0.12
10.	कर्नाटक	3.41	0.40
11.	केरल	2.88	0.36
12.	मध्य प्रदेश	3.69	0.22
13.	महाराष्ट्र	13.45	0.50
14.	मणिपुर	0.16	0.01
15.	मेघालय	0.05	0.02
16.	मिजोरम	0.05	0.01

1	2	3	4
17.	नागालैंड	0.10	0.02
18.	उड़ीसा	0.64	0.14
19.	पंजाब	4.20	0.25
20.	राजस्थान	5.96	0.34
21.	सिक्किम	0.01	0.01
22.	तमिलनाडु	7.58	0.29
23.	त्रिपुरा	0.17	0.01
24.	उत्तर प्रदेश	10.53	0.77
25.	पश्चिमी बंगाल	6.70	0.41
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार	0.04	0.01
2.	चण्डीगढ़	0.85	0.03
3.	दादर और नागर हवेली	0.01	0.01
4.	दिल्ली	6.05	0.47
5.	दमन	0.02	0.01
6.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00
7.	पांडिचेरी	0.10	0.01

[हिन्दी]

बम्बई हाई से सौराष्ट्र के पिपावव बुन्डेर को गैस सप्लाई

1444. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार और अन्य संगठनों से सौराष्ट्र के पिपावव बुन्डेर को बम्बई हाई से गैस की सप्लाई करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई हाई से अपतट के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध संबद्ध गैस के कम्प्रेसन और परिवहन के लिए परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वयनाधीन हैं। अतः पिपावव से बम्बई हाई के लिए परिवहन हेतु गैस उपलब्ध नहीं है।

जैव उर्वरकों का उत्पादन

1445. **कुमारी उमा भारती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैव उर्वरकों का व्यावसायिक स्तर पर बिक्री करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार रासायनिक उर्वरकों के हुए प्रभावों को किस प्रकार रोकने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार शहरी/ग्रामीण कम्पोस्ट व जैव-उर्वरको, जो फसलों के लिए पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण कार्बनिक स्रोत माने जाते हैं, के उपयोग को प्रोत्साहन देती है। आवधिक समीक्षाओं में राज्य सरकारों को पोषक तत्वों के इन स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग करने को सलाह दी गई है। जैव-उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से देश में लगभग 1700 मीटरी टन जैव-उर्वरकों की उत्पादन क्षमता का सृजन किया गया है जिसमें से लगभग 920 मीटरी टन मात्रा का उत्पादन प्रति वर्ष किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से पोषक तत्वों की औसत खपत लगभग 72 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर है। खपत का यह स्तर इतना ज्यादा नहीं माना जाता जिससे मृदा/फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके। फिर भी, सरकार अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक खादों और जैव-उर्वरकों के समेकित उपयोग को प्रोत्साहन/बढ़ावा देती है।

दिल्ली में पुलिस स्टेशन

1446. **श्री राम बदन** :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित 'अपराध तेजी से बढ़े पर पुलिस बंदोबस्त नहीं' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान दिल्ली में पुलिस स्टेशनों की जिलावार संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो जिलावार ये स्टेशन कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) जिलावार विभिन्न पुलिस जिलों में पुलिस बंदोबस्त का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) दिल्ली के प्रत्येक पुलिस जिले में इस समय पुलिस बल की तैनाती का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेलवे यूनिट के सभी जिलों के कार्यकारी कर्मचारियों (रैंकवार) की वर्तमान संख्या का विवरण

क्र० सं०	जिला/यूनिट का नाम	सब डिवीजन की संख्या	पुलिस स्टेशन की संख्या	डी सी पी	ए सी पी	इंस्पैक्टर	सब-इंस्पैक्टर	ए एस आई	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल	जोड़
1.	उत्तरी जिला	3	13	2	5	16	143	91	343	1451	2051
2.	दक्षिणी जिला	5	15	2	6	20	157	81	428	1830	2524
3.	मध्य जिला	4	12	2	5	16	147	79	359	1344	1952
4.	नई दिल्ली जिला	3	6	2	5	15	108	90	157	828	1205
5.	पूर्वी जिला	3	9	1	3	12	64	65	277	1063	1485
6.	पश्चिम जिला	4	12	1	5	15	90	82	328	1216	1737
7.	उत्तरी पश्चिम जिला	4	14	1	5	14	112	91	346	1412	1981
8.	दक्षिण पश्चिम जिला	3	11	1	4	15	89	54	285	1171	1619
9.	उत्तरी पूर्वी जिला	3	8	1	4	13	74	75	231	995	1393
10.	आई० जी० आई० एयर पोर्ट	1	3	1	1	3	13	1	19	53	91
11.	रेलवे	1	2	1	1	2	16	17	34	107	178
	जोड़	35	105	15	44	141	1013	726	2807	11470	16216

[अनुवाद]

जम्मू-काश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मुस्लिम गूजरों तथा बक्करवालों को आरक्षण सुविधाएं

1447. **श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम गूजर और बक्करवाल समुदायों के लोगों की संख्या, अलग-अलग कितनी है तथा उनमे से कितने लोगों को आरक्षण संबंधी सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उन्हें आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) भारत के महापंजीयक द्वारा 1987 में जम्मू और काश्मीर की, की गई विशेष जनगणना के अनुसार जम्मू और काश्मीर में गुज्जरों की कुल जनसंख्या 5,47,149 थी और यह सभी मुसलमान थे। उसी जनगणना के अनुसार, बक्करवालों की जनसंख्या 34,899 थी जिसमें से 34,894 मुसलमान थे।

हिमाचल प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार मुसलमान गुज्जरों की जनसंख्या 12,082 थी। बक्करवालों को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजातियों को यथा अनुमत्य जम्मू और कश्मीर के गुज्जर तथा बक्करवाल और हिमाचल प्रदेश के गुज्जर आरक्षण सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं। उन लोगों के संबंध में जो आरक्षण सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, समुदायवार सूचना नहीं रखी जाती है।

तेल-चयन बोर्ड

1448. **श्री प्रबीन डेका :**
श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :
डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल चयन बोर्डों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है, इनके गठन का क्या तरीका है तथा इसका कार्यकाल कितनी अवधि का होता है;

(ख) ऐसे तेल चयन बोर्डों की संख्या कितनी है जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और इन बोर्डों का कब तक पुनर्गठन करने का विचार है;

(ग) क्या राज्यों में क्षेत्रीय बोर्डों के स्थान पर तेल चयन बोर्डों का गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) इस समय कोई तेल चयन बोर्ड नहीं है। तेल चयन बोर्डों का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण का मूल्यांकन

1449. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण का पिछले दो वर्षों के दौरान कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। साथ ही भारत के महा लेखापरीक्षक द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा भी की जाती है। जब कभी कोई भी अनियमितता जानकारी में आती है, आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1450. **श्री ए० चार्ल्स** :
श्री विजय नवल पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान अनाज-वार खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों के अखिल भारतीय उत्पादन का विवरण, खाद्यान्नवार संलग्न है।

विवरण

अन्तिम प्राक्कलन तथा 1989-90 के संशोधित प्राक्कलन

(मिलियन मीटरी टन में)

फसल	उत्पादन	
	1990-91 (अन्तिम)	1989-90 (संशोधित)
1	2	3
चावल	74.59	73.57
गेहूं	54.52	49.85
ज्वार	11.88	12.90
बाजरा	6.91	6.65

1	2	3
मक्का	9.07	9.65
रागी	2.33	2.77
छोटे कदन्न	1.23	1.30
जौ	1.64	1.49
मोटे अनाज	33.06	34.76
तुर (अरहर)	2.43	2.75
अन्य खरीफ दालें	2.99	2.76
चना	5.20	4.22
अन्य रबी दालें	3.44	3.13
कुल दालें	14.06	12.86
कुल खाद्यान्न	176.23	171.04

विदेशी महिला पर्यटकों द्वारा की गई शिकायतें

1451. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी महिला पर्यटकों ने व्यक्तिगत तौर पर चलाए जा रहे होटलों के मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में दिल्ली पुलिस में कितनी शिकायतें दर्ज कराई हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल एक विदेशी महिला पर्यटक ने गेस्ट हाउस में उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के बारे में एक शिकायत की है। दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354/34 के अन्तर्गत न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है।

होम गार्डों की सेवाओं को नियमित करना

1452. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम गार्डों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कोई नियम तथा विनियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) होम गार्डों का औसत वेतन कितना है और उन्हें प्रति सप्ताह कितने घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) होमगार्ड, जो एक स्वयंसेवी बल है, की सेवाएं सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के होम गार्ड अधिनियमों/नियमों और विनियमों द्वारा शासित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) होम गार्ड, स्वयं सेवक हैं और उसमें रोजगार, स्व-रोजगार तथा बेरोजगार व्यक्ति शामिल हैं। क्योंकि वे स्वयं सेवक हैं, इसलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती है, जब कभी उन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दैनिक ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। उनके द्वारा प्रति सप्ताह निष्पादित किए जाने वाले ड्यूटी के अपेक्षित घण्टों की संख्या को सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के होम गार्ड अधिनियमों/नियमों और स्थाई आदेशों में निहित प्रावधानों के तहत शासित किया जाता है।

दिल्ली पुलिस कार्मिकों की संख्या

[हिन्दी]

1453. **श्री राम नारायण बैरवा :**
श्री फूल चन्द वर्मा :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री मृत्युंजय नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में विभिन्न श्रेणियों में पुलिस कर्मियों की श्रेणीवार वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या का अखिल भारतीय औसत कितना है;

(ग) इसमें दिल्ली पुलिस कर्मियों का तुलनात्मक अनुपात क्या है;

(घ) क्या दिल्ली की कानून और व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पुलिस कर्मियों की संख्या पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इनकी संख्या में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) 1-1-1991 को दिल्ली पुलिस में विभिन्न ग्रेडों में पदों की संख्या निम्न प्रकार है :

1.	पुलिस आयुक्त	1
2.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	10

3.	पुलिस उपायुक्त	53
4.	पुलिस सहायक आयुक्त	185
5.	निरीक्षक	672
6.	उप निरीक्षक	3918
7.	सहायक उपनिरीक्षक	4072
8.	हैड कांस्टेबल	11449
9.	कांस्टेबल	30474
10.	आशुलिपिक	100

(ख) 1000 की जनसंख्या पर देश में पुलिस कर्मियों की संख्या 1·4 आंकी गई है।

(ग) 1-1-1991 को 1000 की जनसंख्या पर दिल्ली पुलिस का तुलनात्मक अनुपात 5.64 है।

(घ) से (च) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो इसकी संख्या बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

तट दूर क्षेत्र से तेल निकालने के कार्यों में सुरक्षा उपाय

1454. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तट दूर क्षेत्रों से तेल निकालने के कार्यों में सुरक्षा के मानदण्डों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सुरक्षा के मानदण्ड बनाए रखने, विशेष तौर पर जहां विदेशियों द्वारा तट दूर तेल क्षेत्रों के संचालन की सम्भावना है, हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां,।

(ख) से (घ) अपतटीय तेल प्रचालनों के लिए तकनीकी विनियमों के मसौदे के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक दल का गठन किया गया है।

जांच आयोग अधिनियम में संशोधन

1455. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जांच आयोग अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि, हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध

1456. **श्री सूर्य नारायण यादव :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 तथा 1992 के दौरान अब तक दिल्ली में हुई दहेज हत्याओं, बलात्कार, महिलाओं से छेड़खानी तथा नाबालिग लड़कियों के अपहरण की कितनी घटनायें हुईं; और

(ख) दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) जनसंख्या में बढ़ोतरी और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में त्वरित परिवर्तन इसके मुख्य कारणों में से हैं ।

विवरण

दहेज के कारण हुई मृत्यु

वर्ष	दर्ज मामले
1991	125
1992 (25-2-1992 तक)	18

बलात्कार

1991	214
1992 (25-2-1992 तक)	30

महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार

वर्ष	दर्ज मामले
1991	203
1992	18
(25-2-1992 तक)	

महिलाओं के साथ छेड़छाड़

1991	2376
1992	371
(25-2-1992 तक)	

नाबालिग लड़कियों का अपहरण

1991	391
1992	75
(25-2-1992 तक)	

[अनुवाद]

झारखण्ड समस्या का समाधान

1457. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन ने धमकी दी है कि यदि केन्द्र ने झारखण्ड समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस उपाय नहीं किए तो वह मार्च तक सशस्त्र संघर्ष शुरू कर देगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) झारखण्ड समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सूचना प्राप्त हुई है कि अखिल झारखण्ड छात्र संघ ने 1 मार्च, 1992 को झारखण्ड बन्द के लिए और 2 मार्च से 6 मार्च, 1992 तक आर्थिक गतिविधियां ठप्प करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय गृह मन्त्री ने 18-2-1992 को बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्रियों के साथ झारखण्ड मुद्दे पर विचारविमर्श किया। केन्द्रीय गृह सचिव ने 27-2-1992 को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों के मुख्य सचिवों और बिहार सरकार के गृह सचिव के साथ आगे विचार-विमर्श किया।

[हिन्दी]

बिहार में समेकित जनजातीय विकास परियोजना

1459. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समेकित

जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत बिहार के प्रत्येक जिले में चुने गए गांवों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में गैस टर्मिनल

1460. **श्री अन्ना जोशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एक संचित गैस टर्मिनल बनाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारित करने के लिये मानदण्ड

1461. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) क्या भारत में तथा पेट्रोल का उत्पादन न करने वाले अन्य विभिन्न देशों में पेट्रोल के मूल्यों में अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य का निर्धारण आपूर्तियों, मांग में वृद्धि और अन्य सामाजिक-आर्थिक घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। विभिन्न देशों में पेट्रोल की कीमतों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

आठवीं योजनावधि के दौरान तेल की खोज का कार्यक्रम

1462. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खोज के लिए कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं; और

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

रहरिया और मखाना का उत्पादन

1463. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने रहरिया और मखाना के, जिनका केवल मिथिला, बिहार में उत्पादन किया जाता है, पोषक तत्वों का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) देश के अन्य भागों में भी इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उत्तरी भारत में दलहनों, तिलहनों और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) (जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भा० कृ० अ० परिषद ने मखाना पर राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा बिहार में एक तदर्थ योजना को स्वीकृति दी है जिसका शीर्षक है "बिहार और पश्चिम बंगाल में उगाये जाने वाले मखाना (कोरगन नट) के जर्मप्लाज्मों का संग्रह और विकास"।

(घ) अधिक उपज देने वाली उम्दा क्वालिटी की और कीट व्याधि रोधी दालों की (9) तिलहनों की (45) और गन्ने की (2) नई किस्में विकसित की गई हैं। इनकी उपज बढ़ाने के लिए एक मुश्त कृषि क्रियाओं का सुझाव दिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में कृषि का विकास

1464. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कृषि के विकास के लिए कुछ नई योजनायें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने संघ सरकार को चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विशेष रूप से केरल के लिए इस समय किसी भी नई केन्द्रीय स्कीम पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) जैसा कि केरल सरकार ने प्रस्ताव रखा है, भारत सरकार ने पहले से ही पांच जिले--एर्नाकलम, अलेप्पे, त्रिचुर, पालघाट और मालप्पपुरम चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम में शामिल कर रही हैं। बहरहाल, चावल विकास के लिए समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता जुटाने के लिए केरल सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना

1465. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री याइमा सिंह युमनाम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के लिए मणिपुर में छात्र यूनियन द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस राज्य में हिन्दी और अन्य भाषाओं के प्रयोग का बहिष्कार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) से (ग) अखिल मणिपुर छात्र संघ संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को शामिल कराने सम्बन्धी मांग के समर्थन में एक आन्दोलन चला रहा है। आन्दोलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिनेमा घरों में हिन्दी फिल्मों को प्रदर्शित करने, हिन्दी फिल्मों के कैसेटों को किराए/उधार पर लेने और स्कूलों में हिन्दी भाषा को पढ़ाने का विरोध किया है।

(घ) सरकार का यह प्रयास है कि सभी भाषाओं, चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हों अथवा नहीं, की सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर का विकास किया जाए।

पंजाब में केन्द्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना

1466. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने तथा देश की सीमाओं की चौकसी करने के लिए पंजाब में कितने सुरक्षा बलों के कितने जवान तैनात किए हैं;

(ख) चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों के कितने जवान तैनात किए गए थे; और

(ग) अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर प्रति दिन कितनी लागत आई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) केन्द्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने और सीमाओं की चौकसी करने के कार्य में राज्य सरकार की सहायता के लिए पंजाब में पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है।

(ख) चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके परिवार जनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गए।

(ग) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार राज्य सरकारों को उन्हें दिए गए सशस्त्र पुलिस बटालियनों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति 1.50 करोड़ रुपये प्रति बटालियन प्रति वर्ष की दर से करनी होती है।

[हिन्दी]

हरित क्रांति

1467. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का विचार हरित क्रांति का विस्तार नये क्षेत्रों में करने के लिए अनुसंधान कार्य शुरू करने का है, ताकि कृषि क्षेत्र की निर्यात संभावनाओं को बढ़ावा मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय कृषि, क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने हेतु भारतीयकृषि अनुसंधान परिषद ने बासमती चावल, ड्यूरम गेहूं और आम, केला, अमरूद और सपोटा जैसे फलों की पहचान की है।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर को किया गया आबंटन

1468. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय पशु चिकित्सा और अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या इस धनराशि का पूरा उपयोग किया गया;

(ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए कितनी धन राशि आबंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) श्रीमान, पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित तथा उपयोग में लायी गई निधियों का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	आबंटित की गई राशि (लाख में)	उपयोग में लायी गई राशि
198 -89	1135.00	1150.78
1989-90	1416.00	1416.22
1990-91	1500.00	1429.22

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान 70.78 लाख रुपये संहिता में दी गयी औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण उपयोग में नहीं लाये जा सके।

(घ) 1570.00 लाख रुपये।

[अनुवाद]

गुजरात में आनंद और नाडियाड में प्राकृतिक गैस की सप्लाई

1469. **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गुजरात में आनन्द और नाडियाड में प्राकृतिक गैस की सप्लाई हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आनन्द में आमुल डेयरी को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है। नाडियाड में किसी भी इकाई को प्राकृतिक गैस का आवंटन नहीं किया गया है।

डी०डी०टी० के प्रयोग पर रोक

1470. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई देशों ने अपने यहां डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भी डी० डी० टी० तथा ऐसे अन्य कीटनाशकों के उपयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने कृमिनाशकों, जो या तो प्रतिबन्धित हैं अथवा जिनके उपयोग पर रोक लगा दी गई है, के भारत में निरन्तर उपयोग की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। सरकार ने डी० डी० टी० और 14 अन्य कृमिनाशकों पर की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उन्हें क्रियान्वित किया है।

दिनांक 26 मई, 1989 की अधिसूचना के जरिए डी० डी० टी० के संबंध में की गई कार्यवाही में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) कृषि में डी० डी० टी० का उपयोग बन्द कर दिया गया है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में, जिसमें पौध संरक्षण कार्य के लिए डी० डी० टी० के उपयोग की जरूरत पड़ती है, राज्यों अथवा केंद्रीय सरकार को यह अनुमति दी गई है कि वे इसे सीधे ही मैसर्स हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि० से, इस शर्त पर खरीदेंगे कि इसका सरकारी विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में उपयोग किया जाएगा।

(2) डी० डी०टी० का उपयोग जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, जब तक कि कोई बड़ी महामारी न फैले, प्रति वर्ष 10000 मीटरी टन तक सीमित कर दिया गया है।

अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की 80वीं वर्षगांठ

1471. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "वर्ल्ड यूथ एक्शन" अगेंस्ट अपार्थीड द्वारा हाल में नई दिल्ली में आयोजित अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की 80वीं वर्षगांठ के आयोजन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला; और

(ग) सरकार द्वारा विश्व में रंगभेद समाप्त करने के लिए जनमत तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) इस अवसर पर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के साहसी संघर्ष के प्रति भारत के समर्थन और गैर-जातीय और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के प्रति हमारी वचनबद्धता दोहराई गई थी।

(ग) भारत ऐसा पहला देश था, जिसने दक्षिण अफ्रीका की जातीय नीतियों के विरोध में उसके खिलाफ व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाए थे। भारत ही ऐसा पहला देश था जिसने पृथग्वासन के मसले को संयुक्त राष्ट्र की कार्य सूची में शामिल करवाया था और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्यापक और प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने में भी वह प्रभावशाली रहा था। भारत पृथग्वासन के अपराध के दमन और दण्ड के संबंध में अक्तूबर, 1977 में अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का पक्षकार बना। इसने 1981 में पृथग्वासन विरोधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अधिनियम लागू किया। इन वर्षों में हमने सामान्य तौर पर पृथग्वासन विरोधी आन्दोलन को और विशेष तौर पर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को पर्याप्त सामग्रीकृत नैतिक और राजनयिक सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कमी

1472. **श्री फूल चन्द वर्मा** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि मध्य प्रदेश को रसोई गैस सिलेण्डर तत्काल उपलब्ध हों ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सामान्यतया मध्य प्रदेश में एल० पी० जी० सिलेंडरों की सप्लाई मे कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन जब कभी कमी के बारे में पता चलता है तुरन्त उचित कारंवाई की जाती है।

[अनुवाद]

तिब्बतियों की जनसंख्या

1473. **श्री विजय कृष्ण हान्डीक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तिब्बती रह रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए कोई प्रोत्साहन/छूट/सहायता देती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारत में लगभग 80,000 तिब्बती शरणार्थी हैं।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न कृषि और हस्तशिल्प योजनाओं के अन्तर्गत अलग-अलग राज्यों में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उन्हें राहत और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई है।

विकलांग बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और आवास

1474. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग बच्चों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का उन्हें निःशुल्क शिक्षा तथा आवास सुविधा उपलब्ध करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) देश में विकलांग बच्चों की संख्या के संबंध में कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1981 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति 1,00,000 जनसंख्या में

दृष्टि, वाणी श्रवण और सचल विकलांगता वाले बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	ग्रामीण		शहरी	
	आयु 0—4	आयु 5—14	आयु 0—4	आयु 5—14
1. दृष्टि	39	66	25	87
2. श्रवण	—	314	—	244
3. वाणी	—	411	—	429
4. सचल	435	676	540	718

(ख) और (ग) विकलांग बच्चों को आवास सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना नहीं है। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की एक पहले से चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य समान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वयंसेवी संगठनों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए योजना

1475. श्री भेरू लाल मीणा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राजस्थान में, पिछड़े वर्गों/समुदायों की कोई सूची नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में मूंगफली का उत्पादन

1476. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात देश में मूंगफली के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गुजरात का वार्षिक योगदान कितना है; और

(ग) गुजरात में मूंगफली के उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य ने 1990-91 के दौरान, देश में कुल मूंगफली उत्पादन के 13.8 प्रतिशत का योगदान दिया है।

(ग) गुजरात राज्य केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में कवर किया गया है, जिसमें निवेशों के लिए प्रोत्साहन शामिल है जैसे कि बीजों का उत्पादन और वितरण, बीज मिनि-किटों का विवरण, पौध संरक्षण रासायनों और उपस्करों की सप्लाई, उन्नत किस्म के फार्म औजारों, स्प्रिंकलर सैटों, रिजोबियम, जिप्सम और पाइराइट का वितरण। इसके अतिरिक्त, किसानों के उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए विस्तार कार्मिकों तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं।

विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

1477. **श्री मोहन रावले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ० एन० जी० सी० द्वारा न्हावाशेवा में तथा आई० पी० सी० एल० द्वारा नागोथाणे में अपने उपयोग के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या ये संगठन इन जमीनों के निर्वासितों को रोजगार देने में वरीयता दे रहे हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रभावित परिवारों से 27 व्यक्तियों को और आई० पी० सी० एल० ने 594 व्यक्तियों को रोजगार दिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डेरी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

1478. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने और दुग्ध उत्पादों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों तथा निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा होने के कारण आप्रेशन फ्लड-3 पर दुष्प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दूध की कमी वाले गर्मी के महीनों के दौरान दूध की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) बहुत बड़ी संख्या में

दुग्ध उत्पाद विनिर्माता यूनिटों के गैर विनियमित ढंग से अस्तित्व में आने से तरल दूध के लिए सहकारी डेयरियों और अन्यों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है। फिर भी, सहकारी डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की जाएगी।

(ग) कमी की ऋतु के दौरान संरक्षित दुग्ध उत्पादों का उपयोग तथा कमी वाले ग्रीष्म के महीनों में दूध को दूध उत्पादों में बदलने पर चयनात्मक रोक लगाना सामान्य प्रक्रिया है ताकि दूध की उपलब्धता में सुधार हो सके।

मिट्टी के तेल का उत्पादन और खपत

1479. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिट्टी के तेल के कुल उत्पादन एवं आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके उत्पादन और आवश्यकता में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एस०के०ओ० का कुल उत्पादन तथा खपत निम्नानुसार है—

(आंकड़े मीटरी टन में)

वर्ष	देशी उत्पादन	खपत
1988-89	5201	7731
1989-90	5700	8239
1990-91	5472	8385 (अस्थायी)

(ग) सामान्य स्तर तक मांग और उपलब्धता के बीच के अंतराल को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है।

क्यूबा के विदेश मंत्री की यात्रा

1480. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी वार्ता में व्यापार सहित किन द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई और उसका निष्कर्ष क्या निकला?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां, क्यूबा के विदेश मंत्री 16 से 27 दिसम्बर, 1991 तक भारत यात्रा पर आए थे।

(ख) दोनों पक्षों के बीच आपसी हित के विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापार का और आदान-प्रदान करने की गुंजाइश के बारे में की गई बातचीत भी शामिल हैं। इसके फलस्वरूप क्यूबा के विदेश व्यापार मंत्री 9 से 12 फरवरी, 1992 तक भारत की यात्रा पर आए थे।

पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों और एल० पी० जी० एजेन्सियों का आवंटन

1481. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों और एल० पी० जी० एजेन्सियों का राज्यवार आवंटन किया गया;

(ख) इनमें से कितनी उनके विवेकाधिकार कोटे से मंजूर किए गए; और

(ग) इसी अवधि के दौरान शारीरिक रूप से विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार कितनी दुकानें/एजेन्सियां मंजूर की गईं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान खुदरा दुकानों और एल० पी० जी० एजेन्सियों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल० पी० जी०
1989-90	304	184
1990-91	228	100

इसमें से 66 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 70 एल० पी० जी० एजेंसियों को सरकार के विवेकाधिकार के अधीन आवंटित किया गया।

(ग)	खुदरा दुकान	एल० पी० जी०
शारीरिक रूप से विकलांग	47	7
भूतपूर्व सैनिक	28	13
अनुसूचित जाति/जनजाति	114	30

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

1482. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय परिषद ने अपनी दिसम्बर, 1991 को हुई बैठक में, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित मामलों के बारे में अनेक सिफारिशें की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या क्या सिफारिशें की थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1991 में अन्तर्राज्य परिषद की कोई बैठक नहीं हुई थी। अन्त-राज्य परिषद की उप समिति की एक बैठक 7 दिसम्बर, 199 को हुई थी। उस समिति ने अन्तर राज्य सम्बन्धों (1983-87) से सम्बन्धित आयोग की 27 सिफारिशों पर विचार किया।

27 सिफारिशों में से लगभग 18 पर सर्वसम्मति से व्यक्त की गई थी और उप समिति द्वारा सरकारिया आयोग की सभी 247 सिफारिशों पर विचार करने के बाद 9 सिफारिशों को दोबारा विचार करने हेतु लिया जाएगा।

उप समिति के विचारों को अन्तर्राज्य परिषद के समक्ष उन पर विचार करने के लिए रखा जाएगा। अन्तर्राज्य परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

प्याज के मूल्य में गिरावट

1483 **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में प्याज के प्रचुर मात्रा में उत्पादन के कारण प्याज के मूल्य में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) प्याज के मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार प्याज के निर्यात पर लगाई गई रोक में ढील देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कब तक ढील दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में प्याज के बनाए उत्पादन के परिणामस्वरूप प्याज की कीमतों में कमी आई है। विभिन्न बाजारों में वर्तमान दरें 20 रुपये से 110 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।

(ग) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ सलाह करके पहले से ही मंडी हस्तक्षेप योजना को अन्तिम रूप दे दिया है जिसके अन्तर्गत 75 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 1 जनवरी, 1992 से 29 फरवरी, 1992 तक अच्छी औसत गुणवत्ता वाले 30,000 मीटरी टन प्याज को खरीदा जाना है। यह खरीद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, केन्द्रीय शीर्ष एजेंसी और राज्य द्वारा नामित एजेंसी द्वारा बराबर-बराबर की जाएगी। भारत सरकार ने यह स्कीम इस शर्त पर स्वीकृत की है कि राज्य सरकार पिछले वर्षों की हानियों के साथ हानियों को केन्द्रीय सरकार के साथ बराबर वहन करेगी और राज्य द्वारा नामित एजेंसी को नामजद करेगी। राज्य सरकार ने स्कीम के आयामों पर अभी अपनी स्वीकृति सूचित नहीं की है।

(घ) आयात निर्यात नीति 1990-93 के अन्तर्गत प्याज ओ० जी० एच० (4) की श्रेणी में आता है और इसका निर्यात नेफेड के जरिए किया जाता है जो एसोसिएट जहाज कम्पनियों के साथ प्याज का निर्यात करते हैं। इस प्रकार प्याज के निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कीटनाशक नीति की पुनरीक्षा

1484. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीड़े-मकोड़ों और कीटाणुओं की अनेक प्रजातियां जहरीले कीटनाशकों के रोधक्षम हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसको देखते हुए सरकार का अपनी कीटनाशक नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) हमारे देश में अधोलिखित कीट कृमियों में प्रत्येक के सामने उल्लिखित कृमिनाशी दवाओं के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है ऐसी रिपोर्ट मिली है :

क्रम संख्या	कीट	कीटनाशी दवायें
1	2	3
1.	सिंघाडा बीटल	डी० डी० टी०, बी० एच० सी०
2.	टोबैको कैटरपिलर	बी० एच० सी०, मालाथियन, पाइरथरम, लिन्डेल, एन्डोसल्फेन।
3.	डायमन्ड बैक मोथ	फेनिट्राथियन, मालाथियन, डी० डी० टी०
4.	अमेरिकन बुलवर्म	डी० डी० टी० एन्डोसल्फेन, मोनोक्रोटोफास, साइपरमोथरिन, फेनवलरेट।
5.	एफिड (दो प्रजातियां)	एन्डोसल्फेन, मालाथियन, डाइमेथोस्ड
6.	जैसिड	—तदैव—
7.	फ्लोर बीटल	डी० डी० टी०, लिंडेन, मालाथियन
8.	राइस वीविल	मालाथियन, लिंडेन, फास्फाइन
9.	लेसर ग्रेन बोरर	मालाथियन, लिंडेन, फास्फाइन
10.	सा-टूथ्ड ग्रेन बीटल	मालाथियन, लिंडेन

1	2	3
11.	खाप्रा बीटल	फास्फाइन
12.	लेदर बीटल	लिंडेन
13.	मच्छर (8 प्रजातियां)	डी० डी० टी०, बी० एच० सी० मालाथियन
14.	बेड बग (खटमल)	डी० डी० टी०, बी० एच० सी०
15.	ह्यूमन बाडी लाउस	बी० एच० सी०
16.	रैट फ्ली	डी० डी० टी०
17.	हाउस फ्लाई (दो प्रजातियां)	डी० डी० टी०
18.	कैटिल टिक (चिचड़ी)	लिंडेन

(ग) और (घ) सामान्यतया अंधा-धुंध और अधिक मात्रा में कृमिनाशी दवाओं का उपयोग करने से किसी कृमिनाशी दवा के प्रति कृमियों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। अतः कीटनाशी दवा के उपयोग से संबंधित संस्तुत हिदायतों की समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी अपेक्षित हो, उनमें संशोधन किया गया है।

कीटनाशी दवाओं के प्रति कृमियों में प्रतिरोधक क्षमता की समस्या का समाधान करने के लिए कृमियों की मानीटरिंग पर आधारित कीटनाशी दवाओं के आवश्यकता पर आधारित विवेकपूर्ण उपयोग सहित समेकित कृमि प्रबन्ध को अपनाने की सलाह दी जाती है।

तेल की बचत के सम्बन्ध में सम्मेलन

148९. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1992 को दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में तेल की बचत के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सुझाव दिए गए थे; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सिफारिशों में वाहनों, टायरों आदि की प्रौद्योगिकी में उन्नयन, सड़कों की दशा में सुधार, वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग आदि सहित विभिन्न उपाय शामिल हैं। ये सिफारिशें सरकार को आकृष्ट कर रही हैं।

दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

148८. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग में चौथे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में नारियल के पेड़ लगाना

1487. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल सरकार को राज्य में और अधिक क्षेत्रों में नारियल के पेड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने क्षेत्र में नारियल के पेड़ लगाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान केरल के छोटे और सीमांत नारियल के किसानों को 30 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जुटाई जा रही है।

(ग) प्रस्ताव है कि चालू वर्ष के दौरान केरल में 1000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को नारियल रोपण के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

एच० बी० जे० पाइप लाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई

1488. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० बी० जे० (हजीरा विजयपुर जगदीशपुर) पाइप लाइन की कितनी लम्बाई मध्य प्रदेश से गुजरती है;

(ख) इस गैस पाइप लाइन से विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी गैस की सप्लाई की गई;

(ग) इस आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस आवंटन को पुनः निर्धारित करने का है;

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने गैस आधारित कितनी परियोजनायें प्रस्तुत की हैं; और

(च) अभी तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 536 किलोग्राम।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को निम्नानुसार गैस का आवंटन किया गया है :—

राज्य	मात्रा (एम० एम० एस० सी० एम० डी०)
गुजरात	2.65
मध्य प्रदेश	4.6
राजस्थान	3.8
उत्तर प्रदेश	17.33
दिल्ली	2.93
हरियाणा	2.79

अन्य उपयोग की प्रवरता, आर्थिक तत्वों आदि ऐसे मानदण्ड हैं जिन पर सामान्यतया आबंटन के लिए विचार किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) गैस लिंकेज के लिए अनेक प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपलब्धता और पहले ही की गई वचनबद्धताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में तथाकथित अनियमितताएं

1489. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक के विरुद्ध सरकारी धनराशि के तथाकथित दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) ये आरोप संस्थान के प्रशासकीय और वित्तीय प्रबन्ध में पक्षपात और अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने (सी० बी० आई०) जांच का एक मामला दर्ज किया है।

भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन

1490. श्री गुरुदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसमें संशोधन करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ग) सरकार का वर्तमान सत्र के दौरान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

(ख) भारत सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करने संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिमत पर हस्ताक्षरकर्त्ता है। अतः नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना अनिवार्य है, ताकि बच्चों की नागरिकता के संबंध में महिलाओं को पुरुषों के प्रति समान अधिकार प्राप्त हो सकें।

राज्यवार वार्षिक योजना परिव्यय

1491. श्री याइमा सिंह युमनाम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान पूर्वोत्तर परिषद् को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) इस अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब):(क) 1991-92 के दौरान उत्तर पूर्वी परिषद् की वार्षिक योजना के लिए संशोधित परिव्यय 219.50 करोड़ रु० का है।

(ख) उत्तर-पूर्वी परिषद् की राशि, क्षेत्रवार आवंटित की जाती है न कि राज्यवार। 1991-92 के लिए क्षेत्र-वार आवंटन नीचे दिया गया है—

क्षेत्र	परिव्यय (रु० करोड़ों में)
1	2
कृषि	4.71
बिजली और जल विकास	73.97
उद्योग और खनिज	0.69

1	2
परिवहन और संचार	122.54
जन शक्ति विकास	14.46
सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	1.70
सामान्य और वैज्ञानिक सेवाएं	1.43
कुल	219.50

राज्यों की पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उन्हें इनकी सप्लाई

1492. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, राज्य-वार कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का आवंटन किया गया है;

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की, राज्य-वार, कितनी मांग की गई है; और

(ग) अब तक, राज्यवार, कितनी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ जारी किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित राज्यों के अनुसार केवल मिट्टी के तेल के लिए आवंटन तैयार किया है। अन्य सभी पैट्रोलियम उत्पाद आयल कंपनियों द्वारा विभिन्न खुदरा/एजेंसियों को उत्पाद उपलब्धता तथा बाजार मांग के आधार पर सप्लाई किए जाते हैं।

जनवरी और फरवरी, 1992 माह के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

जनवरी/फरवरी, 92 के दौरान विभिन्न राज्यों को एस० के० ओ० का आवंटन

राज्य	आवंटन	
	जनवरी, 92	फरवरी, 92
1	2	3
बिहार	40123	40123
गुजरात	71842	71842
हरियाणा	13341	13341

1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर	6585	6585
महाराष्ट्र	133302	133302
मेघालय	1384	1384
पंजाब	27317	27317
राजस्थान	24645	24645
उत्तर प्रदेश	77880	77880
अंडमान एंड निकोबार	310	310
दमन और दीयू	254	254
दिल्ली	22596	22596
लक्षदीप	67	67
आन्ध्र प्रदेश	48790	48790
अरुणाचल प्रदेश	775	775
असम	20558	2 558
गोआ	2261	2261
हिमाचल प्रदेश	3049	3049
कर्नाटक	36975	36975
केरला	22004	22004
मणिपुर	1722	1722
मिजोरम	503	503
नागालैंड	837	837
उड़ीसा	12956	12956
सिक्किम	617	617
तमिलनाडु	54612	54612
त्रिपुरा	1731	1731
वेस्ट बंगाल	61147	61147
चण्डीगढ़	1744	1744
दादर एन० एच०	259	259
पांडिचेरी	1215	1215
मध्य प्रदेश	34548	34548
कुल	726029	726029

विदेशी नागरिकों को भारत यात्रा के लिए बीजा देना

1493. **श्री गयाप्रसाद कोरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991 तथा 1992 के दौरान अब तक कुल कितने विदेशी नागरिकों को देश-वार भारत यात्रा के लिए बीजा जारी किया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1991 से 30 सितम्बर, 1991 तक के कैलेन्डर वर्ष के लिए भारत का दौरा करने के लिए 4,45,504 विदेशी नागरिकों को बीजा जारी किए गए। इन आंकड़ों में पाकिस्तान और बंगालादेश राष्ट्रिकों को जारी किए गए बीजा शामिल नहीं हैं। देश-वार सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

क्र०सं०	देश	जारी किए गए कुल बीजा	दीर्घावधि बीजा
1	2	3	4
1.	अलबानिया	—	—
2.	अफगानिस्तान	11646	6
3.	अलजीरिया	196	1
4.	एन्टोगुआ	4	—
5.	आस्ट्रेलिया	11017	583
6.	यू० एस० ए०	13431	800
7.	अंगोला	—	—
8.	अर्जेंटीनिया	561	6
9.	ऐंटिल्स	—	—
10.	आस्ट्रिया	3356	265
11.	बहरीन	4155	64
12.	बाराबडोश (सी० डब्ल्यू०)	615	193
13.	ब्रिटिश सबजेक्ट एण्ड कोल्ड	939	360
14.	बेलीज	21	15
15.	बरकिन्ड फासो	1	—
16.	बेलजियम	1855	24
17.	भूटान	1	—

1	2	3	4
18.	बरकिनावे	252	5
19.	बलगेरिया	221	—
20.	बहामास (सी० डब्ल्यू०)	2	1
21.	बूरी	8	—
22.	बरून्दी	7	—
23.	ब्रिटिश	95326	1723
24.	ब्रिटिश सोलोमन आइस लैण्ड	2	—
25.	बोटसवाना	56	11
26.	बर्मा	346	8
27.	बोलीविया	18	—
28.	बेलोरसा (बेनिन)	20	—
29.	ब्राजील	1196	72
30.	सेन्ट्रल अफीका रिपब्लिक	—	—
31.	कोलंबिया	121	2
32.	चाड	10	—
33.	कांगो	7	—
34.	चीन	1068	25
35.	चिली	142	19
36.	कम्बोडिया	9	—
37.	कनाडा (सी० डब्ल्यू०)	17939	970
38.	केमोरोस	3	—
39.	कोस्टरिका	20	—
40.	चीन स्टेटलेस	—	—
41.	चीन तुर्क	—	—
42.	क्यूबा	66	3
43.	केपवर्दी	—	—
44.	साइप्रस (सी० डब्ल्यू०)	80	15
45.	चैकोस्लवाकिया	511	1
46.	दहोमय	—	—

1	2	3	4
47.	इजीबौटी	40	—
48.	डोमिलिकन रिप० (सी० डब्ल्यू०)	8	—
49.	डेनमार्क	2597	238
50.	डेमोक्रेटिक यमन	—	—
51.	इक्वाडूर	23	1
52.	इजिप्त	1070	44
53.	इक्वटिरियल	—	--
54.	ई० एल० सल्वोडोर	29	—
55.	इथोपिया	115	19
56.	फिजी (सी० डब्ल्यू०)	786	257
57.	फिनलैंड	8190	34
58.	फ्रांस	20261	75
59.	गेबोन	—	—
60.	गुनिया बिसाऊ	4	—
61.	ग्रीस	1285	1
62.	क्वाडफलोनपे (सी० डब्ल्यू०)	—	—
63.	जर्मन (पूर्वी)	14	—
64.	घाना (सी० डब्ल्यू०)	242	25
65.	गामबिया (सी० डब्ल्यू०)	12	—
66.	ग्रेनेडा	11	1
67.	गुआटेमला	63	2
68.	गुनिया	22	—
69.	जर्मन (पश्चिमी)	28002	2213
70.	गुयाना	90	12
71.	होन्डूरस	1	1
72.	हंगरी (सी० डब्ल्यू०)	819	1
73.	हांग कांग	301	82
74.	हैटी (सी० डब्ल्यू०)	6	—
75.	इवरी कोस्ट (सी० डब्ल्यू०)	16	1

1	2	3	4
76.	इन्डोनेशिया (सी० डब्ल्यू०)	1520	250
77.	आइस लैण्ड	60	1
78.	आयर लैण्ड	1796	87
79.	इराक	159	4
80.	ईरान	7420	46
81.	इजरायल	2587	4
82.	इटली	1563	29
83.	जमैका	73	16
84	जापान (सी० डब्ल्यू०)	26788	176
85.	जार्डन	1175	225
86.	के० एस० ए०	—	—
87.	किरीबती (सी० डब्ल्यू०)	5	—
88.	कोरिया उत्तरी (डी० पी० आर०)	41	1
89.	कोरिया दक्षिणी	2801	82
90.	किंगडम आफ टोंगा (सी० डब्ल्यू०)	—	—
91.	कुवैत	603	7
92.	कीनिया	6939	1383
93.	लेबनान	414	37
94	लेसोथो	67	7
95.	लाईचैंरियंस	17	—
96.	लिबेरिया	203	8
97.	लौसेर पासेर	—	—
98.	लाओस	50	4
99.	लकजमबर्ग	49	1
100.	लीबिया	214	—
101.	मोरोको	240	4
102.	माल्टा (सी० डब्ल्यू०)	52	2
103.	मंकाड	—	—
104.	मदगास्कर (मलागोजी)	43	1

1	2	3	4
105.	मंगोलिया	47	—
106.	मली	29	1
107.	मालद्वीव (सी० डब्ल्यू०)	14	4
108.	मारटिनीक्यू	—	—
109.	मौरिशस (सी० डब्ल्यू०)	4107	799
110.	मलेशिया (सी० डब्ल्यू०)	8750	715
111.	मौरीटेनिया	3	—
112.	मालावी (सी० डब्ल्यू०)	79	3
113.	मैक्स्किो	708	7
114.	मोजमबिक्यू	174	13
115.	नेमीबियन	26	—
116.	निकारगुआ	5	—
117.	नाइजर	360	13
118.	न्यू हेबरीडेज	—	—
119.	निये आइसलैण्ड	—	—
120.	नेपाल	7	48
121.	नाईजेरिया	783	—
122.	नीदरलैण्ड (डच)	7859	158
123.	नौरू (सी० डब्ल्यू०)	—	—
124.	नार्वे	1057	174
125.	न्यूजीलैण्ड (सी० डब्ल्यू०)	3211	150
126.	ओमान	7714	127
127.	आस्टरिच	3	—
128.	अथेरस	3497	14
129.	पेलैटेनियन	303	22
130.	पपुआ न्यू ग्यूनिया (सी० डब्ल्यू०)	33	—
131.	फिलीफियानस	1966	56
132.	पौलेण्ड	1787	826
133.	पनामा	117	40

1	2	3	4
134.	पी० डी० आर० वाई०	—	—
135.	पैरागुआ	10	1
136.	पुर्तगाल	2530	1432
137.	पेरू	109	1
138.	कतर	2314	3
139.	रूडेशिया (जिंबावे) सी० डब्ल्यू०	63	1
140.	रोमानिया	86	1
141.	यू० एस० एस० आर०	6375	1
142.	रवान्डा	24	2
143.	सोलोमन आइसलैण्ड	12	—
144.	सेन्ट० विनसेंट	6	1
145.	साऊदी अरेबिया	6916	31
146.	सेचेलैस (सी० डब्ल्यू०)	193	80
147.	स्वीडन	4927	260
148.	स्नेगल	45	1
149.	साउथ अफीका	58	6
150.	सिंगापुर (सी० डब्ल्यू०)	10639	1512
151.	साइरा लियोन (सी० डब्ल्यू०)	27	3
152.	सेंट किटी	3	—
153.	श्रीलंका (सीलोन) सी० डब्ल्यू०	38067	796
154.	सूडान	2873	397
155.	सोमालिया	799	15
156.	स्पेन	1636	20
157.	साओ टोम एण्ड प्रिंसिप	—	—
158.	सूरीनाम	120	23
159.	स्विटजरलैंड	9375	123
160.	सेंट ल्यूकिया (सी० डब्ल्यू०)	17	—
161.	सीरिया	1366	4

1	2	3	4
162.	स्वाजीलेंड (सी० डब्ल्यू०)	9	—
163.	तिब्बत	47	1
164.	टोगो (टोंगा) (सी० डब्ल्यू०)	16	—
165.	थाईलेंड	3898	956
166.	तुर्की	540	34
167.	टूनिशिया	131	
168.	ट्रिनिडाड और टोबागो	422	58
169.	टुवालू (सी० डब्ल्यू०)	2	—
170.	चीन (ताईवान)	908	190
171.	तनजानिया (सी० डब्ल्यू०)	2246	90
172.	यू० ए० आर०	17	1
173.	यूनाइटेड अरब अमीरात	13552	49
174.	यू० एन० रिप० आफ कैमरून	6	
175.	यूगांडा (सी० डब्ल्यू०)	323	77
176.	उकराइन	—	—
177.	अपर वोल्टा	—	—
178.	उरगुवे	66	
179.	वटीकन	2	—
180.	वनातू	5	—
181.	वियतनाम	66	-
182.	वेनीजुएला	35	1
183.	वेस्टर्न समदा	9	—
184.	यूगोस्लाविया	873	111
185.	यमन (नार्थ) यार	2345	30
186.	यमन साउथ (पी० डी० आर० वाई०)	3443	59
187.	जांजीवार	1	—
188.	जांबिया (सी० डब्ल्यू०)	545	61
189.	जायरे	14	1
190.	स्टेटलेस	640	6
	योग	445504	21118

प्याज का उत्पादन

1494. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्याज का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्याज का मूल्य बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया;

(घ) क्या किसानों को प्याज का उचित लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्याज का उत्पादन क्रमशः 33.5, 30.7 और 31.5 लाख मीटरी टन था।

(ख) जी, हां। प्याज के औसत वार्षिक निर्यात मूल्यों में 1989-90 से वृद्धि हो रही है।

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गई प्याज की मात्रा निम्न प्रकार है—

वर्ष	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
मात्रा (लाख मीटरी टन में)	2.35	3.60	2.89	3.02 (जनवरी, 1992 तक)

(घ) और (ङ) जी, नहीं। मण्डी हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें मण्डी हस्तक्षेप मूल्य निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रायोजित करती हैं ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य दिए जा सकें। प्याज उत्पादकों की सहायता के लिए नैफेड ने प्याज के लिए निर्यात व्यापार को बढ़ाने हेतु सहकारी स्तरों पर उपयुक्त रूप से न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किए हैं।

जनजातीय लोगों के लिए विकास योजनायें

1495. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनजातीय लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक विकास हेतु कोई योजनायें तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की है तथा क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित चालू जनजातीय विकास योजनाओं के नाम क्या हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण मन्त्रालय की केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रदान की गई निधियों तथा किए गए व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	योजना	89-90 के लिए बजट आवंटन	व्यय	1990-91 के लिए बजट आवंटन	व्यय	1991-92 के लिए बजट आवंटन	14.2.92 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
	योजनागत स्कीमें						
1.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	20550	20550	22470	22546.12	25000	172,86.49
2.	अ०ज०जा० की लड़कियों के लिए होस्टल	200	194.87	400	308.91	400	207.27
3.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	—	—	200	200	200	96.38
4.	(क) अनुसन्धान संस्थानों को अनुदान तथा अनुसन्धान फेलोशिप प्रदान करना	65	65	105	105	105	87 38
	(ख) अ०ज०जा० के लिए अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजनाओं को समर्थन	10	10	15	14.95	15	2.63

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान	150	149.95	225	205.60	225	181.565
6.	अ० ज० जा० लड़कों के लिए होस्टल	17	17	267	281.95	267	219.48
7.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत योजनायें	2000	2000	2000	2000	2000	—

अंडमान, निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों की विधान सभायें

1496. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री पी०एम० सईद :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान, निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान प्रदेश परिषदों के स्थान पर विधान सभायें बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, यो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा इस्लामी देशों के संगठन में कश्मीर का मुद्दा उठाना

1497. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने सेनेगल में इस्लामी देशों के संगठन के हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मामला उठाया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार द्वारा विदेशी प्रेस में भारत के विरुद्ध किये जा रहे प्रचार के जवाब में कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का यह विश्वास है कि इस मामले से इस्लामी देशों के संगठन का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अलावा, काश्मीर मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने और इसे धार्मिक रूप देने के पाकिस्तानी प्रयास प्रचार के लिए किए जा रहे हैं और यह तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे शिमला समझौते का उल्लंघन भी होता है जिसमें यह कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सभी मसलों का समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढा जाएगा। इसमें किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी का प्रश्न नहीं उठता।

सम्बन्धित सरकारों को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार का पर्दाफाश करने और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति के सही तथ्यों से अवगत कराने के लिए सभी कदम उठाए हैं और बराबर उठाती रहेगी।

कम्पनियों द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन

1498. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया है; और

(ख) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) ऐसे संगठनों के ब्यौरों की सूची संलग्न है जिसके बारे में, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन करने के मामलों का पता चला है।

विवरण

उन संगठनों की सूची, जिनके विरुद्ध वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई

(क) अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई :

1. दारूल अलूमा, देवबंद, जिला सासपुर।
2. सोनातला मिलन संघ, हावड़ा।
3. जंकमैन मिमोरियल अस्पताल, बिलासपुर, मध्य प्रदेश।
4. चैपल आफ अवर लेडी लोर्ड, अम्बोलिन, गोवा।
5. इंडियन सोशल इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली।
6. पीपुल्स एजुकेशन फार द नेग्लेटिड, अरकोट, तमिलनाडु।

7. इसमेईलाईट साल्वेशन असोसिएशन वैल्लूर, तमिलनाडु ।

8. फैडरेशन फार इन्टीग्रेट्यड रुरल एजूकेशन, उत्तरी अरकोट, तमिलनाडु ।

9. रीच आऊट, बंगलोर ।

10. श्री रामकृष्ण समिति, सम्बलपुर, उड़ीसा ।

11. रजनीशधाम सतसंग, अहमदाबाद ।

12. कैथोलिक चर्च, सेनापेट, मणिपुर ।

13. बोधामान्सी श्री अक्सरा पुरुषोत्तम, अहमदाबाद ।

14. सिंधी यूथ एसोसिएशन, बंगलोर ।

15. डायोसिस आफ भोपाल, इन्दौर ।

16. रुरल सेन्टर फार ह्यूमन इंट्रस्ट शालाना, सिरमोर ।

17. ओपन आर्म एक्ट कालेज, गांधीनगर, हैदराबाद ।

(ख) अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई :

1. कोंकणी प्रोजेक्ट आवाज, पणजी ।

2. भारत समाचार समिति, देहरादून, उत्तर प्रदेश ।

3. चर्च आन द रोक मिनिस्ट्रीज, पुणे ।

4. कोल्पिंग सोसायटी नेशनल सेन्टर, कुलीथुमकारा ।

पांडिचेरी के समुद्र तट से दूर क्षेत्रों में तेल की खोज

1499. **श्री पी०जी० नारायणन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाण्डिचेरी के समुद्र तट से दूर क्षेत्रों में बड़े तेल भंडार का पता चला है;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में तेल खोज करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो खोज कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी नहीं

(ख) से (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कुड्डालोर-पांडिचेरी के अपतटीय क्षेत्र में तेल अन्वेषण का कार्य पहले से कर रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायकों के वेतनमान में संशोधन

1500. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे सहायकों की एसोसिएशनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि इस संस्थान के सहायकों के वेतनमान को संशोधित करके उन्हें विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत सहायकों के वेतनमान के बराबर किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री के०सी० लेंका) : (क) महोदय, अलग-अलग और भा०कृ० अ० परिषद के संस्थानों, संयुक्त कर्मचारी परिषद से इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) कुछ भा० कृ० अ० परिषद के संस्थानों में कार्यरत सहायकों ने विभिन्न मन्त्रालयों के अनुरूप रु० 1640-2900 का वेतनमान देने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) (कैट) में आवेदन/याचिका दायर की है। यह मामला न्यायाधिकरण के विचाराधीन है।

काली मिर्च के मूल्य में वृद्धि

1501. **श्री पाला के०एम० मैथ्यू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने काली मिर्च का मूल्य बढ़ाकर 40.00 रुपये प्रति क्विंटल करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को, काली मिर्च के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने अथवा काली मिर्च के मूल्य बढ़ाने के लिए केरल सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, काली मिर्च के न्यूनतम मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने के बारे में माननीय सदस्य द्वारा नियम 377 के तहत यह मामला उठाया गया था।

(ग) काली मिर्च के उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात किया जाता है इसलिए इसके मूल्य स्थिरीकरण के कार्यक्रम पर विचार करते समय इसके स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों मूल्यों तथा उत्पादन एवं आन्तरिक मांग को ध्यान में रखना होगा। पहले ही, अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में काली मिर्च के प्रचलित स्वदेशी मूल्य अधिक प्रतियोगी नहीं हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के मूल्य समर्थन से हमारी काली मिर्च की पोत पर्यन्त निशुल्क लागत और बढ़ेगी जिससे यह अधिक अप्रतियोगी हो जाएगी तथा परिणामस्वरूप निर्यात में कमी आएगी।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान पत्रिकाएं

1502. **श्री विनय कटियार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कितनी अनुसंधान पत्रिकाएं अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती हैं;

(ख) इस समय केवल अंग्रेजी में प्रकाशित अनुसंधान पत्रिकाओं के हिन्दी संस्करण भी निकालने के लिए परिषद द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) कौन-कौन-सी अनुसंधान पत्रिकाएं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी सहायता से प्रकाशित की जाती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंग्रेजी में चार अनुसंधान पत्रिकाएं तथा दो अर्ध तकनीकी पत्रिकाएं तथा हिन्दी में तीन अर्ध तकनीकी पत्रिकाएं प्रकाशित करता है. इनमें से कोई भी पत्रिका द्विभाषी नहीं है ।

(ख) हिन्दी में निकाली जाने वाली सभी तीनों अर्ध तकनीकी पत्रिकाएं अनुसंधान पर आधारित होती हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी संगठनों के द्वारा प्रकाशित 90 पत्रिकाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुरूप उपयोगी अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गयी ।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक दर्जा

1503. **श्री राम निहोर राय :**
कुमारी उमा भारती :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक दर्जा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के अधिकारों और अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाएगा, जिसका गठन शीघ्र ही किया जाएगा । इस आयोग के कार्य संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 में दिए गए हैं ।

केरल में उद्यान विकास

1504. **श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत

तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केरल में उद्यान विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बागवानी विकास के लिए वित्तीय आबंटन निम्न प्रकार से है—

वर्ष	आबंटित राशि (रुपये में)
1989-90	1,24,28,950.00
1990-91	1,59,94,060.00
1991-92	6,24,80,625.00

भारत-बर्मा सीमा पर जातीय समूह

1506. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बर्मा सीमा के दोनों ओर निवास करने वाले जातीय समूहों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या समूहों के बीच अन्तः क्रिया को सुगम बनाने हेतु दोनों देशों में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन समूहों को उनके न्यायसंगत तथा मान्य उद्देश्यों के लिए सीमा के आर-पार आवागमन की सुविधा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) नागा और मिजो उन प्रमुख जातीय समूहों में से हैं जो भारत-म्यांमार सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं।

(ख) से (ङ) जातीय समूहों के बीच पारस्परिक क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार और म्यांमार की सरकार के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं है। तथापि, एक ऐसी व्यवस्था कायम है जिसके अन्तर्गत दोनों देशों के आदिवासी लोगों को, सामान्यतया सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी हैं, बिना पासपोर्ट और वीजा के सीमा के आर-पार आने-जाने की अनुमति है बशर्ते कि उनके पास दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा जारी वैध परमिट हो। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें दोनों में से किसी भी देश की सीमा के 40 किलो मीटर के भीतर आने-जाने की अनुमति है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग

1507. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों संबंधी जिस राष्ट्रीय आयोग का सृजन किया गया था, उसका गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और इसका गठन कब तक कर दिया जायेगा;

(ग) क्या आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पद समाप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन बहुत शीघ्र किया जा रहा है। उक्त आयोग इस समय अनुच्छेद 338 के अंतर्गत नियुक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के नाम से ज्ञात विशेष अधिकारी का स्थान लेगा।

छुआछूत समाप्त करना

1508. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छुआछूत समाप्त करने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किये गये गये हैं; और

(ख) अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन्हें और इनके बच्चों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन हेतु कानूनी सहायता, विशेष न्यायालयों की स्थापना, अंतरजातीय विवाहों आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन जैसी पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध शैक्षिक तथा रोजगार संबंधी लाभ अंतरजातीय विवाहों से जन्मे उन बच्चों पर ही लागू होंगी जिनका अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा लालन-पालन किया जाता है तथा जो अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण योजना हेतु आन्ध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

1509. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्र द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रायोजित अनुसंधान और प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को अनुसूचित जातियों की विकास से संबंधित कार्योन्मुख अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययनों

के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसे अनुसंधान अध्ययनों के संचालन हेतु 1990-91 के दौरान ऐसी दो अनुसंधान एजेंसियों को कुल 64,000 रुपये की राशि निर्मुक्त की गई। सूचित किया गया है कि उनके द्वारा इस राशि का उपयोग कर लिया गया है।

सिलिगुड़ी और रांची में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलना

1510. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिलिगुड़ी, उत्तर बंगाल में तथा रांची, दक्षिण बिहार में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों की राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए सरकार क्या मानदण्ड अपना रही है?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रशासनिक और वित्तीय गतिरोधों के कारण निकट भविष्य में और पासपोर्ट कार्यालय खोलना संभव नहीं है।

(घ) पासपोर्ट कार्यालय के कार्य क्षेत्र में जनसंख्या का आकार, समूचे भारत में पासपोर्ट कार्यालय की समान संख्या, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या, पासपोर्ट कार्यालय की भौगोलिक स्थिति और इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता, आदि सामान्यतया ऐसे मानदण्ड हैं जिनके आधार पर पासपोर्ट कार्यालय खोलने का फैसला किया जाता है।

आंध्र प्रदेश को मात्स्यिकी विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता

1511. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य में खारे पानी में झींगा मछली-पालन और जलाशय परियोजनाओं के विकास के लिए सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 88.13 करोड़ रुपए है, जिसमें खारे जल में श्रिम्प मछली पालन के लिए 80.79 करोड़ रुपए, जलाशय में मछली पालन के लिए 5.61 करोड़

रुपए और परियोजना प्रबन्ध के लिए 1.73 करोड़ रुपये शामिल हैं। आशा है कि कुल लागत की लगभग 90 प्रतिशत राशि विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना की कुल सहायता के रूप में दी जाएगी।

(ग) विश्व बैंक ने इस परियोजना को 14-1-92 की वाशिंगटन में हुई कार्यकारी निदेशक मंडल की बैठक में स्वीकृति दी थी। इस परियोजना को 7 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित करने के लिए 1 मई, 1992 से ऋण मिलना प्रारम्भ होगा।

घातक व्रणकारी लक्षण

1512. श्री पी०सी० थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य केरल की झीलों की मछलियों में पाये गये घातक व्रणकारी लक्षणों पर काबू पा लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि मछली में होने वाला महामारी रोग अब और नहीं फैल रहा है। तथापि, सरकार ने इस रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं

(1) प्रभावित नियंत्रणीय जल क्षेत्रों का सोडा तथा चूने से उपचार;

(2) प्रभावित मछलियों का पोटेशियम परमैंगनेट से उपचार;

(3) खुले जल में स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखना।

खाद्यान्न उत्पादन

1513. डा० असीम बाला: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में खाद्यान्नों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) 1382 किलोग्राम की प्रति हैक्टेयर अखिल भारतीय औसत उपज दर की तुलना में 1990-91 के दौरान पंजाब में कुल खाद्यान्नों की उपज दर 3390 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी।

पंजाब में खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर उच्चतर उत्पादकता के ये कारण हैं—अधिक सिंचित क्षेत्र, उच्चतर उपज देने वाली किस्मों की आधुनिक प्रौद्योगिकी का अधिक प्रसार, प्रति यूनिट क्षेत्र में उर्वरक की उच्चतर खपत, बेहतर अवसंरचना और अनुकूल कृषि जलवायु स्थितियां।

काली बकरी के बारे में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान

1514. **डा० असीम बाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मिदनापुर जिले में काली बकरी के बारे में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यह संस्थान कब तक स्थापित हो जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के मामले की सामान्य रूप से भा० कृ० अ० परिषद समीक्षा समिति द्वारा जांच की गई थी। इस समिति की अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व सदस्य डा० जी० वी० के० राव द्वारा की गई थी। इस समिति ने नये क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना न करने की सलाह दी है और इसके बदले यह सुझाव दिया है कि भविष्य में क्षेत्रीय महत्व के कार्यों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाना चाहिए। चूंकि भा० कृ० अ० परिषद ने इस सिफारिश को मान लिया है अतः बकरियों पर अनुसंधान के लिए केन्द्रीय संस्थान के पूर्वी क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की मिदानपुर में स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके बजाय भा० कृ० अ० परिषद ने विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को बकरियों पर अनुसंधान करने के लिए निर्देश दिए हैं।

[हिन्दी]

भारत-अमरीका शिक्षा और संस्कृति उप-आयोग

1515. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1982 में भारत-अमरीका शिक्षा और संस्कृति उप-आयोग की कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला में किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय सांस्कृतिक सम्बद्ध परिषद ने साहित्य अकादमी के सहयोग से 6 से 16 जनवरी, 1992 तक नई दिल्ली और बम्बई में एक भारत-अमरीकी लेखक कार्यशाला का आयोजन किया था। इसके साथ-साथ इन शहरों में भारत-अमरीकी संगीत कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ये कार्यशालाएं शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीकी उपयोग के तत्वावधान में सम्पन्न हुई थीं। इससे लेखकों और संगीतज्ञों को परस्पर क्रियाशील करने और विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। यह शिक्षा और संस्कृति सम्बन्धी भारत-अमरीकी उपयोग के अन्तर्गत एक सतत् कार्यक्रम का अंग था। अतः विचारों का आदान-प्रदान दोनों सरकारों के बीच नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

उर्वरक राज सहायता

1516. श्री संयद शाहाबुद्दीन :
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री जे० चोक्का राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरक राजसहायता का अद्यतन अनुमान कितना है और 31 जनवरी, 1992 तक कितनी राशि दी जा चुकी है;

(ख) राज सहायता वाले अथवा राज सहायता दिए जाने वाले वर्ष के दौरान उर्वरकों को कुल कितने अनुपात में सप्लाई की गई;

(ग) इस राज सहायता से कितने व्यक्तियों और कुल कितने एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा;

(घ) क्या गत वर्ष के दौरान उर्वरकों के खुदरा मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है, यदि हां, तो 1 जनवरी, 1991 और 1 जनवरी, 1992 को उर्वरकों के क्या मूल्य थे; और

(ङ) क्या ऐसे छोटे और सीमांत किसानों का पता लगाना सम्भव है जिन्हें चालू योजना के अन्तर्गत राज सहायता प्राप्त उर्वरकों को सप्लाई की जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उर्वरक सबसिडी के लिए 1991-92 के दौरान 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 31 जनवरी, 1992 तक लगभग 3654 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए उर्वरक सबसिडी की योजना के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान 405 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 31 जनवरी तक 155 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड तथा पोटाश के सल्फेट को छोड़कर जिन्हें 25-7-1991 से विनियंत्रित कर दिया गया था, अन्य सभी उर्वरकों के लिए सबसिडी दी गई। चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों की कीमतों की वृद्धि को समाहित करने की दृष्टि से 91-92 के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को उर्वरक सबसिडी के रूप में 405.00 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई।

(ग) विभिन्न राज्यों में इस समय यह योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में में है।

(घ) 1 जनवरी, 1991 तथा 1 जनवरी, 1992 को उर्वरक मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) छोटे तथा सीमांत किसानों लाभानुभोगियों का पता लगाने और इस योजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया है।

विवरण

सांविधिक मूल्य नियंत्रण के तहत प्रमुख उर्वरकों के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए प्रति टन)

क्रमांक	उर्वरक का नाम	उर्वरक का मूल्य 1-1-1991	1-1-1992
1	2	3	4
1.	यूरिया (46 प्रतिशत एन)	2350	3060
2.	अमोनियम सल्फेट (20 प्रतिशत एन)	1650	—
3.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (25 प्रतिशत)	1700	—
4.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (20 प्रतिशत)	1770	—
5.	म्यूरिएट ऑफ पोटाश (60 प्रतिशत के)	1300	1700
6.	सल्फेट आफ पोटाश (50 प्रतिशत के)	2100	—
7.	डायअमोनियम फास्फेट (18-46)	3600	4680
8.	एन पी के (17-17-17)	2600	3380
9.	एन पी के (15-15-15)	2100	2740
10.	तन पी के (19-19-19)	2950	3340
11.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-0)	2600	3380
12.	नाइट्रोफास्फेट (20-20-0)	2400	3120
13.	अमोनियम फास्फेट सल्फेट (16-20-0)	2300	3000
14.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (24-24-0)	3050	3960
15.	यूरिया अमोनियम फास्फेट (25-28-0)	3600	4680
16.	एन० पी० के०(14-28-14)	3050	3960
17.	एन० पी० के० (14-35-14)	3400	4420
18.	एन० पी० के० (10-26-26)	2950	3840
19.	एन० पी० के० (12-32-16)	3250	4220
20.	ट्रिपल सुपर फास्फेट (46 प्रतिशत पी) (गेन्यूनयुलर)	2600	3380

1	2	3	4
21.	ट्रिपल फास्फेट (पावडर)	2400	3120
22.	सिंगल सुपरफास्फेट (पावडर) (14 प्रतिशत पी$_2$ ओ$_5$)	820	1080
23.	सिंगल सुपरफास्फेट (पावडर) (16 प्रतिशत पी$_2$ ओ$_5$)	950	1240
24.	सिंगल सुपरफास्फेट (ग्रेनयुलर) (16 प्रतिशत पी$_2$ ओ$_5$)	1100	1440
25.	अमोनियम क्लोराइड (25 प्रतिशत एन)	1700	—
26.	एन हाइड्रस अमोनिया	3770	4900
27.	नाइट्रोफास्फेट (23-23-0)	2930 (19-2-91 से)	3800

[हिन्दी]

1984 के दंगों के शिकार लोगों की विधवाओं की मांगें

1517. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दंगों के शिकार लोगों की विधवाओं ने हाल ही में अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के निकट प्रदर्शन किया है :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

तत्कालीन सोवियत संघ के गणतंत्रों में भारतीय छात्र

1518. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :
श्री कमल मिश्र मधुकर :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन सोवियत संघ के हाल में स्वतंत्र हुए गणराज्यों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को वित्तीय और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी सहायता के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या इन सभी गणराज्यों के साथ इस मामले पर बातचीत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां, । भूतपूर्व सोवियत समाजवाद गणतंत्र संघ में हुए महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों के कारण वहां पर भारतीय छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) इस संबंध में कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं :

(1) भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ में पहले ही अध्ययनरत प्रत्येक छात्र को प्रति मास 50 अमरीकी डालर देना जिसके लिए उन्हें भारत में इसने मूल्य के रुपये जमा कराने होंगे;

(2) जो छात्र भारत यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भारतीय रुपयो में अदायगी करने पर एयर इंडिया में पूर्व-भुगतान किए गए टिकट एडवाइस जारी करना;

(3) जहां आवश्यक हो, सरकारी विनियमों के अनुसार प्रत्यावर्तन की व्यवस्था करना; और

(4) जरूरतमंद छात्रों के लिए उदाहरणार्थ जार्जिया की सिविल गड़बड़ियों द्वारा प्रभावित छात्रों के लिए मास्को में पारगमन व्यवस्थाएं सुविधाजनक बनाना ।

(ग) और (घ) जी हां । इस मामले को विदेश सचिव के प्रतिनिधिमंडल की जनवरी, 1992 में रूस और उक्रेन की यात्रा के दौरान उठाया गया था । दोनों सरकारों ने यह आश्वासन दिया है कि भारतीय छात्रों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, उन्हें दूर करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाएंगे । मास्को स्थित हमारे राजदूतावास ने भी इस मामले को नव स्वतन्त्र गण-राज्यों की सरकारों के साथ उठाया है । ऐसा समझा जाता है कि भूतपूर्व सोवियत संघ के स्वतन्त्र राज्यों के राष्ट्रकुल के शासनाध्यक्षों ने 8 फरवरी, 1992 को अपनी बैठक में विदेशी छात्रों के सम्बन्ध में भूतपूर्व सोवियत संघ के तदनुरूपी करारों की पुन: पुष्टि करने और नए दस्तावेज और प्रबन्ध तैयार करने का काम शुरू करने का फैसला किया ।

खाद्यान्नों के बदले खाद्य तेल

1519. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्तु-विनिमय नीति के आधार पर विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके अनुसार भारत खाद्यान्नों के विनिमय द्वारा अधिक आवश्यक खाद्य तेल प्राप्त करेगा;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) वनस्पति तेल के स्थान पर कितनी मात्रा में गेहूं दिया जायेगा;

(घ) किन देशों के साथ ये समझौते किए गए हैं; और

(ङ) इस निर्णय के फलस्वरूप वनस्पति तेल की कीमतों में कितनी कमी आई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापुल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। मई, 1991 से फरवरी 1992 तक भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य-तेल/बटर आयल को स्थानीय गेहू से अदला-बदली के तीन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) तीन समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत तय की गई अदला-बदली की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि	विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा आपूर्ति को जाने वाली जिंस तथा मात्रा	स्थानीय गेहूं के लिए विनिमय का अनुपात
17-5-1991	2000 मीटरी टन रिफाइंड रेपसीड आयल	1 : 6
26-12-91	3000 मीटरी टन बटर आयल	1 : 14.9
15-2-92	2000 मीटरी टन रिफाइण्ड रेपसीड आयल	1 : 5 : 5

(ग) इन व्यवसायों के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य तेल/बटर आयल के आयात के बदले लगभग 68,306 मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) इन समझौता ज्ञापनों पर संयुक्त राष्ट्र तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप में स्थापित, विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ) इन विनिमय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत खाद्य तेलों की खेप के आकार पर विचार करते हुए खाद्य तेल की कीमतों की उस सीमा का पता लगाना कठिन है जहां तक इन्हें कम किया गया है।

पामोलिन के विपणन में नेशनल डेरी डेवलेपमेंट बोर्ड का कुप्रबन्धन

1520. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री रामविलास पासवान :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से पामोलिन के विपणन में एन०डी०डी०बी० के कुप्रबन्धन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आयुक्त, नागरिक आपूर्ति, आंध्र प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 1989 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा पामोलिन की बिक्री में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मामले की जांच की और पाया कि इसमें कोई दूषित भावना निहित नहीं थी। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सतर्कता कक्ष की रिपोर्ट की एक प्रति भारत सरकार के मुख्य सतर्कता आयुक्त को भेज दी गई है।

प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण के बारे में केलकर समिति की रिपोर्ट

1521. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण के बारे में केलकर समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार की गईं तथा कितनी रद्द की गईं;

(ग) सिफारिशें रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकार की गई सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्राकृतिक गैस के संशोधित मूल्यों के लिए छोटे परिशोधनों सहित केलकर समिति की सिफारिशो को आधार बनाया गया था जो 1-1-92 की तिथि से प्रभावी थीं।

[हिन्दी]

सिन्ध पाकिस्तान से प्रवास

1522. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में हुई गड़बड़ियों के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में प्रति वर्ष कितने हिन्दू आए;

(ख) क्या सरकार का विचार उन हिन्दुओं को वैधानिक नागरिकता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान से हिन्दुओं के प्रवसन की कोई खास

समस्या नहीं है। तथापि, पाकिस्तान में अल्प समुदाय के लोग, विशेष रूप से सिन्धी, अल्प अवधि के वैध वीजा पर भारत आ रहे हैं। उनमें से कुछ तो वीजा की समाप्ति पर वापस चले गए, परन्तु कुछ ने दीर्घावधि वीजा के लिए आवेदन किया है। गुण-दोष के आधार पर उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

प्रेसलर का भारत का दौरा

1523. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री हरि किशोर सिंह :

श्री जे० चौक्का राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सीनेटर/लॉरी प्रेसलर ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके इस दौरे के उद्देश्य क्या थे; और

(ग) भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) इस यात्रा का प्रयोजन प्रेसलर संशोधन के सन्दर्भ में क्षेत्रीय सुरक्षा और अप्रसार मसलों के सम्बन्ध में विचारों का आदान-प्रदान करना था।

(ग) सीनेटर प्रेसलर ने कहा कि उन्होंने इन मसलों पर भारत के दृष्टिकोण को अधिक अच्छी तरह समझा है।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ऊसर में दूसरा गैस टर्मिनल

1524. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में ऊसर में दूसरे गैस टर्मिनल की स्थापना के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कावेरी जल विवाद के कारण दंगों की चपेट में आए क्षेत्र

1525. श्री ओ० एम० सी० बालयोगी :

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कावेरी जल विवाद के कारण दिसम्बर, 1991 के दौरान दंगों की चपेट में आए क्षेत्रों का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षक भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर की गई/की जा रही अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य स्थिति की बहाली और दंगों में शिकार व्यक्तियों को राहत सहायता उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है।

(घ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु के दंगों के कारण उत्पन्न बीमा दावों को उन्ही मानदंडों के अनुसार शीघ्रता से निपटाने के आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं, जो मानदण्ड 1984 के दिल्ली के दंगों में शिकार हुए व्यक्तियों पर लागू किए गए थे।

[अनुवाद]

राज्यों में पुलिस बल

1526. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :**

श्री बलराज पासी :

श्री राम कृष्ण कुसुमारिया :

श्री प्रभुदयाल कोठेरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-राज्य परिषद की उप-समिति ने राज्यों में पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सहकारिया आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर आगे क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिनांक 15-1-1992 को हुई अन्तर-राज्य परिषद की उप-समिति की बैठक में इस

सिफारिश पर विचार किया गया था तथा इस बात पर आप सहमति व्यक्त की गई थी कि सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए।

(ख) उप-समिति की सिफारिश पर अब अन्तर-राज्य परिषद द्वारा विचार किया जाएगा तथा उसके बाद अन्तर-राज्य परिषद के विचारों पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार इस मामले पर निर्णय लेगी।

भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल

1527. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :**

श्री मोहन सिंह :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल की चौथी बैठक हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मामलों पर बातचीत हुई; और

(ग) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) भारत-चीन संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक 20-21 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) दोनों पक्षों ने अपनी बातचीत जारी रखी जिसका उद्देश्य सीमा के प्रश्न पर आपसी रूप से स्वीकार्य समाधान निकालना था। वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास के क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व का सुनिश्चय करने के उपायों पर भी बातचीत की गई। जिन अन्य द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत हुई उनमें शामिल थे उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान से सम्बन्धित मामले। पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों तथा कम्बोडिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

(ग) इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों पक्षों के सैन्य कार्मिकों की प्रति वर्ष जून और अक्तूबर में पूर्वी क्षेत्र में बुम ला पास में और पश्चिमी क्षेत्र में स्पेंगुर गैस क्षेत्र में नियमित बैठकें होंगी। इस बात पर भी सहमति हुई कि सीमा कार्मिकों के बीच सुगम सम्पर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए संचार सम्पर्क स्थापित किए जाएंगे। सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना देने सहित विश्वास सृजन उपायों के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया था।

कुवैत में रोजगार की संभाव्यता

1518. श्री मुमताज अंसारी :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुवैती भारतीय नागरिक समिति की ओर से उस देश के पुनर्निर्माण के कारण कुवैत में पैदा हुई रोजगार सम्भाव्यता के उपयोग हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां ?

(ख) और (ग) अपने राष्ट्रिकों की कुवैत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हम वहां की सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। 15 और 16 फरवरी, 1992 को विदेश मंत्री की कुवैत यात्रा के दौरान यह मामला विचार-विमर्श के लिए उठा था। हमारे लगभग 70,000 राष्ट्रिक पहले ही कुवैत लौट चुके हैं और उनका जाना जारी है। भारत सरकार इस मामले में सभी सम्भव सहायता दे रही है।

दिल्ली पुलिस कर्मियों का अपराध में संलिप्त पाया जाना

1529. श्री मुमताज अन्सारी :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में दिल्ली पुलिस कर्मियों के विरुद्ध, उनके विभिन्न अपराधों में संलिप्त होने के कारण, कार्यवाही चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्मिकों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस दण्ड और अपील नियम, 1980 में कोई संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान, 648 पुलिस कार्मिकों पर 617 अपराधिक मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है। इन 617 मामलों में से 534 मामले विचाराधीन हैं और 83 मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त पुलिस कार्मिकों के पद-वार ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं—

निरीक्षक	17
उपनिरीक्षक	56
सहायक उपनिरीक्षक	65
हैड कान्स्टेबल	106
कांस्टेबल	404
योग	648

(ग) और (ङ) दिल्ली प्रशासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लक्षद्वीप में सहकारी समितियां

1530. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप में आपूर्ति तथा विपणन सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इन समितियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) अनिवार्य वस्तुओं के वितरण तथा कृषि उत्पादन के विपणन में लगी लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सहकारी सप्लाई एवं विपणन सोसाइटियों को विभिन्न योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के जरिए वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन प्रदान किया जाता है ताकि वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारी सहकारी सोसाइटियों के विनियमों, नियमों/उप-नियमों द्वारा अधिशासित हैं जिनमें उनकी सेवा शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके अधीन कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं होते लेकिन उसके बदले में उन्हें अंशदायी भविष्य-निधि का लाभ और उपदान सुविधाएं तथा अल्प सेवानिवृत्ति लाभ मिलते हैं।

लक्षद्वीप में नारियल की खेती करने वालों को वित्तीय सहायता

1531. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को लक्षद्वीप में नारियल की खेती करने वालों से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कोई ज्ञापन पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को सहायता

1532. श्री पी० एम० सईद :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य प्रतियोगी-परीक्षाओं में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान कितने उम्मीदवारों को सहायता दी गई तथा उन पर कितनी धन-राशि खर्च की गई;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान, विभिन्न परीक्षाओं के लिए सरकार से सहायता पाने वाले उम्मीदवारों में से कितने सफल हुए;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के कार्यों में लगे संगठनों को अनुदान देना बन्द कर दिया है; और

(ङ.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कल्याण मन्त्रालय द्वारा, 36 कोचिंग/प्रशिक्षण केन्द्रों को एक करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया गया था। 29 कोचिंग/प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इस योजना के अन्तर्गत 2889 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए तैयार किया गया, जिसमें से 303 सफल हुए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोचिंग केन्द्रों की अपनी योजना के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान 52 कोचिंग केन्द्रों को 0.24 करोड़ रु० स्वीकृत किये। 1989-90 के लिए 26 कोचिंग केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि 2052 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए तैयार किया गया और 195 उम्मीदवार सफल हुए।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मदर डेरी के बिक्री केंद्र

1533. डा० लाल बहादुर रावल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी का विचार वर्ष 1992 के दौरान दिल्ली में दूध, फल और सब्जियों की बिक्री के लिए और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) इन बिक्री केन्द्रों को कब तक खोल दिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) तक मदर डेयरी का 1992 के दौरान भारी मात्रा में माल बेचने वाले 26 बिक्री केन्द्र (बल्क वेन्डिंग बूथ) खोलने का प्रस्ताव है। इन 26 बिक्री केन्द्रों के स्थान संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की फल एवं सब्जी परियोजना के तहत प्रस्ताव रखा गया है कि 1992 के दौरान दिल्ली में फल एवं सब्जियों की बिक्री के लिए 34 बिक्री केन्द्र खोले जायें। इन उप बिक्री केन्द्रों के के स्थान संलग्न विवरण II में दिए गए हैं। इन सभी बिक्री केंद्रों के दिसम्बर, 1992 तक खोले जाने की आशा है, बशर्ते कि इन केन्द्रों में विद्युत, जल, टेलीफोन कनेक्शन आदि जैसी सुविधायें सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय पर उपलब्ध करा दी जायें।

विवरण-I

बड़ी मात्रा में मदर डेरी का दूध बेचने वाले 26 अतिरिक्त निर्माणाधीन बूथों की सूची

क्र०सं०	बूथ सं०	स्थान
1	2	3
1.	069	कनवेनियण्ट शौपिंग सेन्टर, सरिता विहार, पाकेट-सी
2.	074	सेक्टर-III, एम० बी० रोड, पुष्प विहार
3.	075	निकट दि०दु० योजना बूथ, पंचशील पार्क (दक्षिण)
4.	076	कनवेनियंट शौपिंग सेन्टर, ब्लाक ए पाकेट 8, कालकाजी एक्सटेंसन
5.	077	शौपिंग सेन्टर, ब्लाक ए पाकेट 8 कालकाजी
6.	078	ब्लाक नं० 113, सेक्टर 4 के निकट स्थानीय शौपिंग सेन्टर पुष्प विहार
7.	079	शौपिंग सेन्टर के निकट खुला स्थान जे० जे० तिगरी
8.	080	खुला स्थान दक्षिणपुरी ब्लाक एल०
9.	132	कनवेनियन्ट शौपिंग सेन्टर, बसन्त कुन्ज/सेक्टर बी, पाकेट 10
10.	134	ब्लाक नं० 75-77 बिजली उपकेन्द्र के सामने, बसन्त विहार कम्पलेक्स
11.	135	डी० डी० ए० मार्केट के पास, जे० जे०कालोनी, मंगलापुरी, फेस I, पालम

1	2	3
12.	551	कनवेंनियन्ट शौपिंग सेन्टर, ब्लाक बी पाकेट एस, शालीमार बाग
13.	665	कनवेनियन्ट शौपिंग सेन्टर, ब्लाक ए, विकासपुरी
14.	667	ई सी ब्लाक, जी-8 एरिया, रजौरी गार्डन (हरी नगर)
15.	667	कनवेनियन्ट शौपिंग सेन्टर,ब्लाक डी०जी० 11, विकासपुरी
16.	668	कनवेनियन्ट शौपिंग सेन्टर, जी०/एच०-14, पश्चिमपुरी
17.	669	स्थानीय शौपिंग सेंटर, इन्द्रा इकक्लेव पश्चिमपुरी
18.	670	स्थानीय शौपिंग सेन्टर जी० एच०-9 पश्चिमपुरी
19.	671	बारात घर के निकट शिवे गोरखनाथ टेम्पल के सामने, एफ-ब्लाक मंगोलपुरी
20.	672	खुला स्थान ब्लाक ई, सुलतानपुर
21.	727	कनवेनियन्ट शौपिंग सेन्टर नं०-1 मंडावली, फाजलपुर
22.	728	कनवेनियट शौपिंग सेन्टर नं०-2 मंडावली, फाजलपुर
23.	738	पटपड़ गन्ज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हिन्दुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट के नजदीक, मयूर विहार एक्सटेंसन फेस-1
24.	741	स्थानीय शौपिंग सेन्टर मयूर विहार एक्सटेंस फेज II
25.	743	तिकोना पार्क के सामने, हाउस नं०-एफ-एफ 26, लक्ष्मी नगर
26.	744	कनवेनियंट शौपिंग सेन्टर नं०-4, मंडावली फाजलपुर

विवरण-II

1992 के दौरान खोली जाने वाली फल एवं सब्जी की खुदरा दुकानों की सूची

क्र०सं०	खुदरा दुकानों की सं०	स्थान
1	2	3
1.	738	मिल्क बूथ संख्या 742 के निकट खुला स्थान, पांडव नगर।
2.	077	शौपिंग केन्द्र, अलकनन्दा, कालकाजी।
3.	671	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, ब्लॉक ए, विकासपुरी।
4.	672	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, बिजली घर के पास, जी० एच० 13, पश्चिमपुरी।

1	2	3
5.	673	कन्वेनियन्ट शापिंग केन्द्र, जी एच० 5 एवं 7, पश्चिमपुरी।
6.	743	शौपिंग केन्द्र के सामने, बिजली घर के पास खुला स्थान, स्वास्थ्य विहार
7.	739	बिजली घर के पास खुला स्थान और मिल्क बूथ सं० 739, पाकेट IV, मयूर विहार, फेज-I.
8.	740	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, मिल्क बूथ सं० 733 केनिकट, पाकेट II, मयूर विहार, फेज-I.
9.	548	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र-5, पूर्वी पीतमपुरा।
10.	665	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, सैक्टर-3, रोहिणी।
11.	517	बिजली घर के पास प्रस्तावित शौपिंग कापिंग काम्पलेक्स, गूजरांवाला टाउन।
12.	729	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र सं० 4, मंडावली, फाजलपुर।
13.	543	लोकल शौपिंग केन्द्र,-ब्लॉक बी ई, शालीमार बाग।
14.	135	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र सैक्टर बी, पाकेट 10, बसन्त कुन्ज।
15.	674	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, सी० सी० आई० ई० रोहतक रोड के पास, पश्चिमपुरी।
16.	666	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, सैक्टर-II, रोहिणी।
17.	059	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, मिल्क बूथ सं० 069 के पास, पाकेट-सी, सरिता विहार
18.	735	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, मानसरोवर पार्क, शाहदरा।
19.	644	बिजली घर के पास, सैन्ट्रल मार्किट, पंजाबी बाग (वेस्ट)
20.	737	कन्वेनियन्ट शौपिंग केन्द्र, सूरज विहार, सी०ए०च०डी०एस।
21.	037	क्लब के पास खुला स्थान, पंचशील एन्कलेव।
22.	118	सी ब्लाक के पास खुला स्थान, बसन्त विहार।
23.	637	खुला स्थान, बारात घर शिव गोरखनाथ मन्दिर, एफ ब्लॉक, मंगोलपुरी।
24.	675	खुला स्थान के-613 और एल-720 कनवेनियंट शौपिंग केंद्र के सामने, एक्स ब्लॉक, मंगोलपुरी।

1	2	3
25.	744	कानवेनियंट शौपिंग केंद्र, ब्लाक डी, आनन्द विहार।
26.	226	बंजारा रैस्टोरेन्ट शौपिंग केन्द्र के पास, कस्तूरबा गांधी अपार्टमेंट, (करजन रोड)
27.	676	खुला स्थान, ब्लॉक नं०-ई-7/1 और ई-7/480, सुल्तानपुरी।
28.	670	कानवेनियन्ट शौपिंग सेंटर, सैक्टर, 9, रोहिणी।
29.	727	कानवेनियन्ट शौपिंग सेंटर नं०-1, मंडावली, फाजलपुर।
30.	728	कानवेनियन्ट शौपिंग सैण्टर नं०-2, मंडावली, फाजलपुर।
31.	736	कनवेनियंट शौपिंग सैटर, लोनी रोड एम०आई०जी०, शाहदरा
32.	741	शापिंग सैंटर, मयूर बिहार, पटपड़गंज (22 सोसायटी)।
33.	742	कानवेनियण्ट शौपिंग सेंटर, मयूर विहार एक्सटेंनस, फेज-2।
34.	223	खुला स्थान मन्दिर के सामने, मैन रोड, आई बी कालोनी, बापू धाम।

तटीय राज्यों में मत्स्य ग्रहण केन्द्र

1534. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय राज्यों में और अधिक मत्स्य ग्रहण केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(ग) इन राज्यों को कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) छोटे मात्स्यिकी बन्दरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं को रुकने और माल उतारने की सुविधायें मुहैया करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित प्लान योजना चल रही है। मछली उतारने के केन्द्रों के लिए प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। स्थलों का चयन भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जब कभी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, केन्द्र सरकार तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता के आधार पर और समग्र बजट परिव्यय में उस पर विचार करती है।

ऊन व्यवसाय को कृषि पर आधारित उद्योग घोषित करना

1535. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऊन व्यवसाय को कृषि पर आधारित उद्योग घोषित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) कृषि मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता राज्य ऊन बोर्डों/निगमों/संघों को अपने विपणन कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए दी जाती है।

कृषि उत्पादन

1536. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश में कुछ जिलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित और फसल उत्पादन की ओर उन्मुख विभिन्न योजनाओं के तहत अभिज्ञात किये गये जिलों और इन योजनाओं के तहत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों की प्रयास के अनुपूरित करने के लिए भारत सरकार ने बहुत से राज्यों के अभिज्ञात किये गये जिलों में कार्यान्वियन के लिए फसल उत्पादन की ओर उन्मुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को मंजूरी दे दी है जिनके तहत विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये हैं। इसका विवरण निम्नलिखित है—

केन्द्रीय प्रायोजित योजना का नाम	उन राज्यों की संख्या जहां कार्यान्वियन किया गया है।	अभिज्ञात किये गये जिलों की सं०	दिए गए प्रोत्साहन
1	2	3	4
1. समेकित चावल विकास कार्यक्रम	24	240	इस योजना के तहत बीजों, सूक्ष्मपोषक तत्वों, कीटनाशक दवाओं, फार्म उपकरणों आदि

1	2	3	4
			पर राजसहायता के रूप में विशेष तौर पर छोटे व सीमांत कृषकों को प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।
2. गेहूं का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम	7	131	इस योजना के तहत प्रमाणित बीजों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, पौध रक्षण उपकरणों, बीज उपचार रसायनों, बैलचालित/शक्ति चालित बेहतर उपकरणों पर राजसहायता के रूप में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।
3. मक्का व कदन्न का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम	13	170	प्रमाणित बीजों, खरपतवारनाशी दवाओं, बीज उपचार रसायनों, पौधरक्षण रसायनों, बैल-चालित व हस्त चालित बेहतर फार्म उपकरणों, शक्ति थ्रेशर आदि के वितरण पर प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।
4. राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम	26	134	इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के बीजों के उत्पादन कीटनाशी दवाओं, पौधरक्षण उपकरणों, बेहतर कृषि उपकरणों, छिड़काव यंत्र सेटों, मिनीकिटों के वितरण, प्रदर्शन आदि के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
5. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	19	321	जिप्सम/पाइराइट, छिड़काव यंत्र सेट के वितरण, फार्म उपकरण, प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों के वितरण आदि पर प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

1	2	3	4
6. गहन कपास विकास कार्यक्रम	11	40	इस योजना के तहत (क) प्रजनक व आधारी बीजों के उत्पादन व वितरण; (2) प्रमाणीकृत छिलका रहित बीजों के वितरण, (3) पौध रक्षण उपकरण और कीटनाशी दवाओं, (4) छिड़काव सेटों, और (5) कृषकों को प्रशिक्षण के संबंध में सहायता दी जा रही है।
7. विशेष जूट विकास कार्यक्रम	8	50	इस योजना के तहत (1) प्रमाणीकृत जूट/मेस्ता क्वालिटी बीज, (2) फार्म उपकरण, (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सीमांत कृषकों को आवश्यक पोषक तत्वों के मिनीकिटों, (4) पौध रक्षण उपकरणों, (5) गलाने वाली टंकों के निर्माण, और (6) कवक कल्चर पैकेटों के निःशुल्क वितरण राजसहायता के रूप में सहायता दी जा रही है।
8. छिछले नलकूपों/डगवेल के निर्माण के लिए छोटे व सीमांत कृषकों को सहायता	12	245	इस योजना के अंतर्गत छोटे, सीमांत व जनजातीय कृषकों को क्रमशः 3,000 रुपये, 4,000 रुपए और 5000 रुपए की लागत सीमा में एक निःशुल्क बोरवेल के लिए सहायता दी जा रही है। अथवा, छोटे, सीमांत व जनजातीय कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की दर पर

1	2	3	4
			विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित के अनुसार परियोजना की इकाई लागत पर सहायता दी जा रही है।

घुसपैठियों को वापस भेजना

1537. **श्री साईमन मरांडी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान और बंगलादेश से घुसपैठ करने वाले व्यक्तियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन व्यक्तियों को वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार कितने व्यक्तियों को वापस भेजा गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राय मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) बंगलादेशी और पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को के अवैध रूप से भारत में आने के समाचार हैं। क्योंकि वे चोरी-छिपे घुसते हैं तथा भूमिगत हो जाते हैं, इसलिए यह बताना संभव नहीं कि ऐसे कितने व्यक्ति भारत में आए हैं। राज्य सरकारों को घुसपैठ करने वाले विदेशियों का पता लगाने और उने स्वदेश लौटने के स्थायी आदेश हैं।

घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देना

1538. **श्री साईमन मराण्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी घुसपैठियों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है/की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (एम०एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली मिल्क स्कीम में कथित अनियमितताएं

1539. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री मोहन सिंह :

श्री जीवन शर्मा :

श्री प्यारे लाल जाटव :

श्री मदन लाल खुराना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मिल्क स्कीम को दूध की सप्लाई करने वाली सहकारी समितियों की कथित धोखाधड़ी तथा दिल्ली मिल्क स्कीम के अधिकारियों द्वारा की गयी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पदोन्नति

1540. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड पदोन्नतियों के सम्बन्ध में श्री बाबू नाईक बनाम इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के मामले में हुए निर्णय संख्या सी० डब्ल्यू० पी० 260/87 दिनांक 18-7-87 के अनुसार वरीयता एवं योग्यता का मानदंड अपना रहा है;

(ख) क्या इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड क्रमशः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत के आरक्षण के उपबन्धों का नियमानुसार पालन कर रहा है;

(ग) क्या 40 प्वाइन्ट रोस्टर्स और रिक्त पड़े आरक्षित पदों को आगे बढ़ाने के फार्मूले के उपबन्धों का निर्वाह किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उन श्रेणियों/पदों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपर्युक्त मानदंड को लागू किया जा रहा है; और

(ङ) उक्त प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक श्रेणी पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और कितने रिक्त पदों को आगे लाया गया, गत तीन वर्षों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड अपने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए मेरिट और पत्र की अवधि संबंधी मानदंडों को अपनाती है।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त मानदंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को बोर्ड स्तर की नियुक्तियों छोड़कर सभी ग्रेडों में पदोन्नति के लिए लागू होते हैं।

(ङ) पदोन्नति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

पद/कैडर	वेतनमान	प्रोन्नत एस० सी/ एस० टी० कर्मचारियों की संख्या			अप्रोन्नीत	अभ्युक्तियां
		1989	1990	1991		
1	2	3	4	5	6	7
वर्ग "डी"						
वरिष्ठ चपरासी वरिष्ठ कलीनर वरिष्ठ चौकीदार	रु० 1060-1615	—	1	—	शून्य	
वरिष्ठ हैल्पर	—वही—	1	3	—	शून्य	
वर्ग "ग"						
वरिष्ठ चपरासी-1	1120-1795	—	—	—	एससी-1, एसटी-1	* 1
वरिष्ठ कलीनर-1	वही	1	—	2	शून्य	
वरिष्ठ चौकीदार-1	वही	—	1	—	एससी-1, एसटी-1	
वरिष्ठ टेक्नीशियन	वही	—	1	--	एसटी-1	
टेक्नीशियन	रु० 1210-2085	1	1	1	शून्य	
वरिष्ठ ड्राइवर	वही	—	—	1	शून्य	
वरिष्ठ रिकार्ड क्लर्क-1	वही	2	—	2	शून्य	
टाइपिस्ट-कम-सहा०	1285-2330	1	5	4	एससी-1, एसटी-1	
वरिष्ठ रिकार्ड क्लर्क-II	वही	—	2	—	एससी-1	* 2
क० सहा० ग्रेड-1	1425-2670	—	—	—	एससी-2 एसटी-1	* 3
वरि० आर० टी० ओ०	वही	—	—	--	एसटी-1	* 4

* 1 इसमें से अप्रमित एक पद जनवरी, 1992 की पदोन्नति से भर दिया गया है।

* 2 एक एससी का पद जनवरी, 1992 की पदोन्नतियों में भरा गया है।

* 3 अप्रोन्नीत तीनों पदों को जनवरी, 1992 की पदोन्नतियों में भरा गया है।

* 4 अप्रोन्नीत यह रिक्ति जनवरी, 1992 की पदोन्नति में भर दी गई है।

1 2	3	4	5	6	7
व० टी० टी० ओ०	1425-2670	—	—	—	एससी-1
व० आशु०-टाइपिस्ट	वही	—	1	—	शून्य
व० के० पी० ओ०	वही	1	—	1	शून्य
व० सिस्टम, प्रशा०	वही	—	—	1	शून्य
वर्ग "ख"					
सहायक	1615-2940	5	5	1	शून्य
लेखा	वही	—	1	—	शून्य
नि० सचिव	वही	—	1	—	शून्य
ड्राफ्ट्समैन	वही	2	8	6	शून्य
स० लाइब्रेरियन	वही	—	—	—	शून्य
प्रोम०/क० प्रशा०	वही	—	—	1	शून्य
पर्य० आदि					
बी० आर० टी० ओ०-1	वही	—	—	—	शून्य
टी टी ओ-1					
स्टोरकीपर	वही	—	—	6	शून्य
टैकनिशियन सहायक	वही	1	1	—	शून्य
व० सहायक	1865-3300	1	2	—	शून्य
व० लेखाकार	वही	--	3	—	शून्य
व० सचिव	वही	—	1	—	शून्य
व० ड्राफ्ट्समैन	वही	6	6	2	शून्य
सी० सर्वेयर/ सी० सुपरवाइजर	रु० 1865-3300	1	4	3	शून्य
सी० प्रोग्रामर/ सी० का आं	वही	1	—	1	शून्य
सी० टेक्नीकल	वही	1	—	—	शून्य
असि०					
ग्रुप 'क' का न्यूनतम स्तर					
कार्मिक अधिकारी प्रशासनिक अधि०	रु० 2000-4000	1	—	—	शून्य
स्टाफ अधिकारी	वही	—	—	1	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
सी० डिजायनर	वही	1	1	2	शून्य	
अधिकारी (कं० प्रषा०)/ अधिकारी (योजना)	वही	—	—	—	एससी-1	इस रिक्ति को जनवरी, 1992 में भर दिया गया है।
क० अधिकारी	वही	—	—	—	शून्य	
स्टोर अधिकारी	वही	—	—	—	शून्य	
मैप्स/एसबाईएस	वही	—	—	—	शून्य	
विश्लेषक						
शिपिंग अधिकारी	वही	—	—	—	शून्य	
अधिकारी (लागत नियंत्रण)	वही	—	—	—	शून्य	

नोट : कैडर/पदों जहां गत तीन वर्षों में प्रोन्नतियां नहीं हुई हैं उन्हें छोड़ दिया गया है ।

1	2	3	4	5	6	7
ग्रुप "क" के पदों के भीतर प्रोन्नतियां						
वरिष्ठ प्रबंधक	रु० 1800-2500 (पूर्व संशोधित) अब एचपीपीसी के साथ संशोधित वेतनमान रु० 4100-5300 है	लागू नहीं	लागू नहीं	3	चूंकि ऊपरी वेतनमान सीमा 2250 रु० थी अतः इस कैडर को वर्ष 1989 और 1990 के दौरान प्रोन्नतियों के लिए छूट देने पर विचार नहीं किया। तथापि वर्ष 1991 में ऊपरी वेतनमान सीमा के 5700 रु० तक संशोधन होने के अनुरूप यह कैडर रियायतों के अन्तर्गत आ गया।	
प्रबंधक	रु० 1500-2000 (पूर्व संशोधित) रु० 3700-5000 (संशोधित)	6		6		

1	2	3	4	5	6	7
उप प्रबन्धक	रु० 1300-1800 (पूर्व संशोधित) रु० 3000-5000 (संशोधित)	2	5	11		
वरिष्ठ इंजीनियर/ वरिष्ठ अधिकारी	रु० 1100-1600 (पूर्व संशोधित) रु० 3000-4500 (संशोधित)	10	9	10		

राजीव गांधी हत्या कांड

1541. श्री बी० माडे गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी पाया गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है;

(ग) मुकदमे शुरू कर दिए गये हैं; और

(घ) इस मामले को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) राजीव गांधी हत्याकांड में अन्तर्ग्रस्त अभियुक्त की सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

(ख) शून्य।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) मामले पर जल्दी निर्णय होने की आशा है।

[हिन्दी]

अनाथ बच्चों को गोद लिया जाना

1542. श्री राजेश कुमार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली अनाथालयों से कितने बच्चों गोद लिया गया; और

(ख) इन अनाथ बच्चों को गोद लेने हेतु क्या शर्तें रखी गई हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) दिल्ली से, 1990 और 1991 के दौरान दत्तक ग्रहण में दिए गए बच्चों की संख्या नीचे दी गई है :

1990—408.

1991—440.

(ख) देश के अन्दर, हिन्दुओं द्वारा बच्चों का दत्तकग्रहण हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होता है। बच्चों का अन्तर्देशीय दत्तक ग्रहण अभिभावक तथा अभिरक्षण अधिनियम, 1890 के प्रावधानों तथा संबंधित देश के संगत दत्तक ग्रहण कानूनों से शासित होता है।

आयल रिगों को किराये पर लेना

1543. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों से ऑयल रिगों को किराये पर लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे में विदेशों से कोई निविदाएं मांगी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन आयल रिगों के स्वदेशी निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विशेषत: विदेशी फर्मों से रिगों को भाड़े पर लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड रिगों को भाड़े पर लेने के लिए समय-समय पर निविदाएं आमंत्रित करती हैं। प्राप्त प्रस्तावों और अन्य सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है।

(ङ) कुछ भारतीय कम्पनियों ने भारत में रिगों के निर्माण के लिए क्षमता विकसित की है

देश में तेल और गैस के भण्डार

1544. **श्री राजेश कुमार :**
श्री दिलीप भाई संघानी :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री केशरी लाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल और प्राकृतिक गैस के, राज्य-वार कितने भण्डार हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके छिद्रण एवं अन्वेषण के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आरम्भ की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

1-1-1991 के अनुसार कच्चे तेल और कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस का राज्यवार भंडार (%)

राज्य	कच्चा तेल और कण्डेंसेट (एम एम टी)	प्राकृतिक गैस (मि० घन मीटर)
गुजरात	158.26	93.39
राजस्थान	—	1.22
त्रिपुरा	—	10.47
असम	150.48	112.62
नागालैण्ड	2.40	0.90
आन्ध्र प्रदेश	0.66	25.58
तमिलनाडु	2.68	2.11
अपतट	491.67	483.50
कुल :	806.15	729.79

(%) वसूली योग्य भण्डारों के सिद्ध और निर्दिष्ट शेष।

[अनुवाद]

पान का उत्पादन

1545. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने क्षेत्र में पान की खेती होती है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पान का कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) क्या पान की खेती करने वाले कृषक, फसल में कोई बीमारी लग जाने के कारण प्रभावित हुए हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में पान के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) राज्य सरकार के मोटे अनुमान के आधार पर 1989-90 के दौरान पान की खेती के अंतर्गत 3405 हैक्टेयर क्षेत्र था ।

(ख) राज्य सरकार के मोटे अनुमान के आधार पर 1989-90 के दौरान पान के उत्पादन की संख्या 5584.2 करोड़ पत्ते थी । बाद के वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) 1991 के दौरान किए गये सर्वेक्षण से आन्ध्र प्रदेश के अंगूर के बागों में फासेरियम विल्ट के संक्रमण का पता चला है ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फफूंदी रोग के नियन्त्रण हेतु बोर्डियक्स मिक्सचर (0-5-1 प्रतिशत) के प्रयोग की सिफारिश की है ।

(ङ) भारत सरकार ने, पान उत्पादकों को चक्रवात के कारण हुई रोपण की क्षति के लिए प्रति शतांश 55 रुपये की दर से सहायता प्रदान की है ।

"नैफेड" द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद

1546. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नैफेड" अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किन-किन उत्पादों की बिक्री करता है;

(ख) देश में इसके राज्य-वार कितने बिक्री केन्द्र कार्यरत हैं;

(ग) क्या "नैफेड" का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक बिक्री केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ङ) क्या दिल्ली में सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडारों में "नैफेड" के उत्पादों को अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इन उत्पादों की हर जगह समान मूल्यों पर बेचने के लिए कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) नैफेड के खुदरा केन्द्रों के जरिये बेचे जाने वाले वाले नैफेड के उत्पादों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) नैफेड देश में थोक वितरकों को उत्पादों की आपूर्ति अपने बिक्री डिपुओं के माध्यम से करता है और इसके अपने केवल 6 खुदरा बिक्री केन्द्र हैं।

(ग) और (घ) नैफेड ने अतिरिक्त खुदरा केन्द्र खोलने के लिए दिल्ली में 6, नोएडा, गाजियाबाद (उ० प्र०) में दो और शिमला में एक नई जगह का चयन किया है।

(ङ) नैफेड प्रत्येक उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य विनिर्दिष्ट करता है जिस पर वस्तुओं की बिक्री की जानी होती है। सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार द्वारा उत्पाद के लिए विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्य लेने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं० उत्पादों के नाम

1. मैंगो जूस
2. मैंगो पल्प (गूदा)
3. मैंगो पल्प
4. मैंगो पल्प
5. मैंगो पल्प (गूदा)
6. अन्नानास जूस
7. अन्नानास स्लाइस
8. अन्नानास टिटबिट्स
9. टोमैटो जूस
10. टोमैटो सूप
11. टोमैटो पूरी
12. टोमैटो केचप
13. टोमैटो केचप
14. टोमैटो पेस्ट
15. बेक्ड बीन्स इन० टी० एस०
16. ओरंज जूस
17. पियर्स इन सिरप
18. पिचेज इन सिरप

क्र० सं० उत्पादों के नाम

19. फ्रूट काकटेल
20. गुआवा नेक्टर (अमरूद का रस)
21. ओरन्ज स्कवैश
22. लेमन स्कवैश
23. अन्नानास स्कवैश
24. रेड चेरी
25. मिश्रित फ्रूट जाम
26. अन्नानास जाम
27. मैंगो जाम
28. ओरेंज मार्मलेड
29. मिश्रित/पी० ए० जाम
30. मिश्रित/पी० ए० जाम
31. मिश्रित अचार
32. नींबू पिकल
33. मैंगो पिकल
34. खुम्बी (मशरूप) पिकल
35. हरी मटर
36. सरसों का साग
37. बटन मशरूप (खुम्बी)
38. सेब का जूस
39. सेब का जूस (एन)

[हिन्दी]

गैस का उपयोग

1547. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेंडरों के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता एल० पी० जी० सिलेण्डरों की आवश्यकता से कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गैस को जलाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपलब्ध गैस का पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपलब्ध गैस की सम्पूर्ण मात्रा का पूरा उपयोग कब तक कर लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जो गैस जलाई जा रही है वह रसोई गैस नहीं अपितु प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस जलाए जाने का कारण सम्पीडन और परिवहन सुविधाओं का अभाव है। अतिरिक्त सम्पीडन और परिवहन सुविधाओं को मुहैया करने की कई परियोजनायें गुजरात, असम और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में निष्पादनाधीन हैं। यह आशा की जाती है कि लगभग 3 वर्षों में गैस जलाये जाने के स्तर को घटाकर न के बराबर कर दिया जाएगा।

अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता

1548. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री देवी बक्स सिंह :
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को भी इस सम्बन्ध में विभिन्न अनिवासी भारतीय सगठनों की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) हाल ही के महीनों में, दोहरी नागरिकता की मांग को विभिन्न बैठकों में उठाया गया है तथा दोहरी नागरिकता प्रदान करने के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। दोहरी नागरिकता प्रदान करने की संकल्पना भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नहीं है।

[अनुवाद]

लिट्टे के प्रमुख का आत्मसमर्पण

1549. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री बारेलाल जाटव :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के सम्बन्ध में श्रीलंका का सहयोग मांगा था; जिसमें लिट्टे के प्रमुख को इसके समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है: और

(ख यदि हां, तो श्रीलंका सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया की है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) जी हा।

(ख) जी हां। जैसा कि मद्रास के नामित न्यायालय के आदेश में अपेक्षित है, श्रीलंका सरकार ने न्यायालय के आदेश को श्रीलंका के स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में छपाने की अनुमति के बारे में सूचित किया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पुलिस हिरासत में मौतें

1550. **श्री मृत्युंजय नायक :**
श्री मदन लाल खुराना :
श्री पीयूष तीरकी :
श्री हाराधन राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 में अब तक पुलिस-हिरासत में मरने वालों की संख्या कितनी है तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में की गयी जांच-पड़ताल के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) पुलिस हिरासत में लोगों के मरने और यन्त्रणा देने के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कितने मामलों में न्यायालयों ने पुलिस के विरुद्ध कटु टिप्पणियां की हैं, ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इनके सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"अल्फा" के साथ बातचीत

1551. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री सुधीर गिरि :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
डा० देवी प्रसाद पाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा युनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट आफ असम (उल्फा) के कार्यकर्त्ताओं के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या बातचीत के आयोजन हेतु कई उल्फा कार्यकर्त्ताओं को रिहा किया गया था; और

(घ) असम समस्या के समाधान हेतु उठाए गए अथवा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) कुछ दिनों पूर्व उल्फा के कुछ नेताओं ने यह आश्वासन दिया था कि वे भारत के संविधान को अंगीकार करेंगे, और उसकी परिधि के भीतर अपनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे, वे हिंसा का त्याग करेंगे, तथा उल्फा की सामान्य परिषद द्वारा अनुसमर्थन करने के बाद शस्त्र जमा कर देंगे। निर्णय का अनुसमर्थन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उल्फा के कुछ कार्यकर्त्ताओं को रिहा किया गया और सरकार सैनिक कार्रवाई स्थगित करने पर राजी हो गई।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के ईसाइयों को रोजगार में रियायत

1552. श्री एम० वी० एम० मूर्ति : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति के ईसाइयों को रोजगार तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रियायतें देने के लिए विशेष कानून बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

साम्प्रदायिक दंगे

1553. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

श्री पी० सी० थामस :

श्री के० पी० सिंह देव :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री नवल किशोर राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार 1991 और जनवरी-फरवरी, 1992 के दौरान कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार इन दंगों में कितने व्यक्ति मारे गए, कितने घायल हुए और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) इन दंगों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामलों में न्यायिक/प्रशासनिक जांच की गई;

(च) इन दंगों के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों, घायलों और जितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ उनको मुआवजे में, कितनी धनराशि दी गई;

(छ) क्या संघ सरकार के इन दंगों में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को रोजगार देने के लिए कोई मार्ग-निर्देश भी दिए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) लोक व्यवस्था बनाए रखना संविधान की सूची-II—राज्य सूची में सम्मिलित है और इसलिए यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें साम्प्रदायिक दंगों से निपटने और साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखने से सम्बन्धित विभिन्न मामले सम्मिलित हैं।

(छ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष 1991 और जनवरी-फरवरी, 1992 के दौरान देश में हुए प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे जिनमें दंगों के स्थान और प्रत्येक मामले में मारे गए और जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या बताई गयी है।

घटनास्थल का नाम	मारे गए	जख्मी हुए	सम्पत्ति का नुकसान
	व्यक्तियों की संख्या		
1	2	3	4
1991			
आन्ध्र प्रदेश			
हैदराबाद (सितम्बर 22-28)	5	49	अ० न०

1	2	3	4
बिहार			
जमशेदपुर (मार्च 6)	3	19	उ० न०
चक्रधरपुर (जिला सिंहभूम) (8-8-1991)	5	—	उ० न०
गुजरात			
बड़ौदा (अप्रैल 7-10)	2	32	उ० न०
सूरत (अप्रैल 20-27)	4	20	उ० न०
बड़ौदा (अप्रैल 23-26)	13	28	उ० न०
अंकलेश्वर (जिला भड़ोच) (अप्रैल 24-28)	2	12	उ० न०
अहमदाबाद (अप्रैल 28)	2	2	उ० न०
भड़ोच शहर (जुलाई 23-24)	4	2	उ० न०
जम्बूसर (जुलाई 23-24)	3	33	उ० न०
बड़ौदा शहर (जुलाई 23-28)	9	42	उ० न०
मध्य प्रदेश			
खारगांव (मई 15-18)	6	19	उ० न०
महाराष्ट्र			
जोगेश्वरी (पूर्वी बम्बई) (27-29 जनवरी)	9	47	उ० न०
उड़ीसा			
भदरक (जिला बालासोर) (मार्च 24-31)	12	90	उ० न०

1	2	3	4
सोरो शहर (जिला बालासोर) (मार्च 24-31)	8	25	उ० न०
उत्तर प्रदेश			
लखनऊ शहर (14-17 जनवरी)	8	21	उ० न०
गाजियाबाद (26-30 जनवरी)	10	48	उ० न०
खुर्जा (27-29 जनवरी)	18	18	उ० न०
बुलन्दशहर (मार्च 2-3)	3	2	उ० न०
सहारनपुर (मार्च 24-अप्रैल 3)	12	:3	उ० न०
वाराणसी (मई 18-22)	10	46	उ० न०
कानपुर (19-23 मई)	18	64	उ० न०
मेरठ (20-23 मई)	30	62	उ० न०
सिकन्दराबाद (जिला बुलन्दशहर) (मई 20-22)	11	5	उ० न०
वाराणसी (नवम्बर 8-15)	17	26	उ० न०
पश्चिम बंगाल			
गांव जिटिकोपारा (जिला नादिया) (मार्च 11)	7	13	उ० न०
आसनसोल (अप्रैल 20-22)	11	7	उ० न०

1	2	3	4
1992			
गुजरात			
अहमदाबाद शहर (जनवरी 1-6)	6	24	उ० न०
उत्तर प्रदेश			
हापुड़ (जिला गाजियाबाद) (फरवरी 13-15)	9	10	उ० न०

सरकार की यह धारणा है कि साम्प्रदायिक हिंसा कुछ मुट्ठी भर साम्प्रदायिक और असामाजिक तत्वों का कार्य है जो साम्प्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए विभिन्न कारणों और घटनाओं का लाभ उठाते हैं।

* उ० न० का अर्थ उपलब्ध नहीं।

बरौनी को कच्चे तेल की सप्लाई के लिए पाइप लाइन

1554. श्रीमती रीता वर्मा :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्रीमती महेंद्र कुमारी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरौनी तेल शोधक कारखाने को विदेशों से मंगाए कच्चे तेल की सप्लाई के लिए एक वैकल्पिक पाइप लाइन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पाइप लाइन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस पाइप लाइन को बिछाने का कार्य कब तक आरंभ होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन, बरौनी शोधनशाला को कच्चे तेल के आयात की सप्लाई हेतु विभिन्न विकल्पों की जांच कर रहा है।

तेल शोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि

1555. श्रीमती रीता वर्मा :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री महेश कनोडिया :
श्रीमती महेंद्र कुमारी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1992 के फायनेंशियल एक्सप्रेस में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता में वृद्धि के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उन तेल शोधक कारखानों के नाम क्या-क्या हैं जिनकी क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कोयली, बरौनी, कोचीन, गुवाहाटी, डिग्बोई, मद्रास और बोंगाईगांव में स्थित वर्तमान तेल शोधक कारखानों का विस्तार/रुकावटें दूर करके अतिरिक्त तेल शोधन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त मंगलूर, नारीमनन, करनाल और नुमालीगढ़ में नए ग्रास रूट तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का काम कार्यान्वयन/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में तीन नई ग्रास रूट रिफाइनरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी होने की आशा है।

निजी फर्मों को तेल-क्षेत्र देना

1556. **श्री जीवन शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसम्बर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "मूव टू हैंड ओवर टू ऑयल फील्ड्स टू प्राइवेट फर्म्स" समाचार शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कुछ तेल क्षेत्रों को निजी फर्मों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) राव्वा क्षेत्र और गंधार परियोजना को किसी निजी फर्म को सौंपने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में अपराध

1557. **श्री जीवन शर्मा :**
श्री आर्स्कर फर्नान्डीज :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अक्तूबर, 1990 से आज तक श्रेणीवार, जिलावार तथा माहवार कितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए;

(ख) श्रेणीवार कितने मामले निपटाए गए हैं और कितने मामले निपटाने बाकी हैं;

(ग) 1990 तथा 1991 के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कितने-कितने मामले दर्ज किये गए; और

(घ) अपराधियों को पकड़ने में देरी के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उर्वरकों के संबंध में दोहरी मूल्य नीति

1558. **कुमारी उमा भारती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरकों के संबंध में दोहरी मूल्य नीति में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है।

अर्थव्यवस्था पर मछली उत्पादन का प्रभाव

1559. **कुमारी उमा भारती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था पर मछली उत्पादन के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) प्रभाव का आकलन करने से सम्बन्धित ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, मात्स्यिकी में मौजूदा अड़चनों और भावी संभावनाएं, मछुआरा विकास अभिकरण कार्यक्रम का मूल्यांकन, भारत में मात्स्यिकी सहकारी समितियां, मत्स्यन बन्दरगाह परियोजनाएं आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर क्षेत्र-गत/सूक्ष्म स्तर के कई अध्ययन किए गए हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर मात्स्यिकी के विकास के प्रभाव को भी शामिल करते हैं।

(ग) मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में मछली पालन के तहत आने वाले क्षेत्र और मछुआरा विकास अभिकरण योजना के तहत उत्पादकता को 1996-97 तक क्रमशः 2.7 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 4.0 लाख हैक्टेयर तथा 1895 किलोग्राम/हैक्टेयर/प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 किलोग्राम/हैक्टेयर/प्रति वर्ष करना, नए तालाबों के निर्माण, मत्स्य पालन में एरिएटर्स और

मत्स्य-आहार का इस्तेमाल परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण, तट से दूर पेलैजिक मत्स्यन जलयानों को चालू करना, मत्स्यन बन्दरगाहों और अवतरण केंद्रों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के माध्यम से मछली पकड़ने के बाद होने वाली हानि में कमी करना, बर्फ संयन्त्रों, शीत भण्डारणों की स्थापना और अन्तर्देशीय क्षेत्र में फुटकर विपणन, सुविधायें आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

सुरजे कोटे में "फिश लैंडिंग सेंटर"

1560. श्री सुधीर सावन्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सुरजे कोटे में "फिश लैंडिंग सेन्टर" के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग जिले में आनन्दवाड़ी परियोजना के विकास पर प्रौद्योगिक-आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत सरकार ने मार्च, 1990 में 30.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर सुरजे कोटे में "फिश लैंडिंग सेन्टर" को मन्जूरी दी थी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उसी महीने में 51.00 लाख रुपए की संशोधित अनुमानित लागत का विवरण प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव की जांच करने पर केंद्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी अभियन्त्रण संस्थान, बंगलौर ने जून, 1990 में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था, जो कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) परियोजना रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात् राज्य सरकार से जनवरी, 1992 में इसको सुझाये गए संशोधनों के संदर्भ में संशोधित करने और अद्यतन बनाने और पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्वीकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।

अर्ध सैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों का चयन

1561. श्री सुधीर सावंत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध सैनिक बलों में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिकों को कोई वरीयता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बलों में बलवार 1990 के दौरान कितने भूतपूर्व सैनिकों को चुना गया;

(ग) क्या इन बलों में कम उम्र वर्ग के प्रशिक्षित सैनिकों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए क्या आयु सीमा निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस समय लागू आदेशों के अनुसार अर्ध-सैनिक बलों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सहायक कमांडेन्ट के स्तर के पदों की रिक्तियों का 10% ग्रुप "ग" पदों की प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों का 10% और ग्रुप "घ" पदों की प्रत्येक श्रेणी की रिक्तियों का 20% भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

(ख) वर्ष 1990 के दौरान अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या निम्न प्रकार है –

(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	—461
(ii) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	— 48
(iii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	— 63
(iv) सीमा सुरक्षा बल	—337
(v) असम राइफल	—शून्य

(ग) इस समय केवल कनिष्ठ आयु ग्रुप में से सिपाही भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लागू नियमों के अनुसार उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों पर, जो अन्यथा पात्र पाए जाते हैं, अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती करने के लिए विचार किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा वास्तविक नियन्त्रण रेखा को पार किया जाना

1562. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री पी० सी० थामस :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर अपने मार्च के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए बार-बार किए जाने वाले मार्च को रोकने में पाकिस्तान की असमर्थता सम्बन्धी कोई बयान दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले को अन्य देशों के साथ उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया मिली है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) तथाकथित जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक गैर-कानूनी संगठन है जो आतंकवादी और प्रचारक गतिविधियों में लिप्त है। इसकी कार्रवाईयों को इसी सन्दर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) हालांकि सरकार ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा इस आशय के वक्तव्यों की समाचारपत्रों की खबरें देखी हैं, फिर भी पाकिस्तानी प्राधिकारियों को बार-बार यह बताया गया है कि उन्हें नियंत्रण रेखा/सीमा के किसी उल्लंघन की रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए और अपने द्विपक्षीय दायित्वों का सम्मान करना चाहिए। सरकार नियंत्रण रेखा/सीमा के उल्लंघन के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करेगी और भारत की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार की स्थिति को समझा गया है। कई देशों ने निजी तौर पर और सामूहिक रूप से भी इस मसले को पाकिस्तान के साथ उठाया है।

नई मद्य निषेध नीति

1563. श्री आर० सुरेंद्र रेड्डी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार नई मद्य निषेध नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था

1564. श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था तथा तथा कैदियों की अमानवीय दशा को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ख) जेल में अवैध रूप से पहुंचाये जाने वाले मादक पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की अवैध सप्लाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि केंद्रीय जेल तिहाड़ में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(i) जेल अधीक्षकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अपनी जेल में प्रत्येक दिन में कम से कम एक बार प्रत्येक बैरक/सैल तथा वार्ड का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें और प्रत्येक सप्ताह में एक बार अचानक जांच करें और निर्धारित फार्म में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(ii) लोक निर्माण विभाग को कहा गया है कि सभी चार जेलों के अन्दर तथा बाहर बाहर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें और वाच टावर पर जूमिंग फ्लड लाइट लगाएं।

(iii) क्लोज सर्किट टी० वी० नेट वर्क को लगाया गया है और 28 कैमरों में से 27 कैमरे कार्य कर रहे हैं।

(iv) जेलों में ओ० पी० डी० सहित पांच औषधालय कार्यरत हैं।

(v) निर्धन कैदियों को कानूनी सहायता देने के लिए प्रत्येक जेल में एक मुफ्त कानूनी सहायता सैल कार्यरत है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अचानक जांचों की बारंबारता बढ़ा दी गई है तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में दिल्ली जेल मैनुअल के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली में "बिक्री कर"

1565. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उत्तरी जोन की क्षेत्रीय परिषद् के साथ बिक्री कर दर में समानता का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस विषय में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन के समक्ष बिक्री कर चोरी तथा इसमें गड़बड़ी को रोकने हेतु सभी वस्तुओं के संदर्भ में पूरे उत्तरी जोन में बिक्री कर की दरों में समानता लाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) पड़ौसी राज्यों में वर्तमान दरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड द्वारा सुझाए गए न्यूनतम फ्लोर लेबल दरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न वस्तुओं पर बिक्री कर बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। बहुत सारी वस्तुओं पर प्रस्तावित दरें, राष्ट्रीय राजधानी नियोजन बोर्ड द्वारा सुझाई गई न्यूनतम फ्लोर लेबल दरों से अधिक ऊंची हैं लेकिन पड़ौसी राज्यों में प्रचलित वर्तमान दरों के समान हैं।

राजस्थान में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी कैदियों के बारे में ज्ञापन

1566. **श्री ई० अहमद :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में राजस्थान में आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कैदियों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) राजस्थान में टाडा के तथाकथित दुरुपयोग के बारे में 1990 और 1991 के दौरान कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। मामला राजस्थान सरकार को भेजा गया। राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार टाडा का प्रयोग पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ आन्तरिक सुरक्षा के लिए किया गया और अधिकतम अभियुक्त बड़े पैमाने पर की गई हिंसा, आगजनी, लूटपाट या विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में अन्तर्ग्रस्त थे।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

1567. **श्री राम नारायण बेरवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने सरकारी आवासों का निर्माण किया गया;

(ग) कुल अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों में से कितने पुलिस कार्मिकों को सरकारी आवास आवंटित किए गये हैं; और

(घ) शेष कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने हेतु और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 8422 क्वार्टर हैं।

(ख) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक 200 व्यक्तियों के लिए विभिन्न श्रेणियों और बैरकों के 381 सरकारी क्वार्टरों का निर्माण किया गया जबकि वर्ष 1991-92 के दौरान 60 व्यक्तियों के लिए 597 क्वार्टरों और बैरकों का निर्माण किया गया।

(ग) दिल्ली पुलिस के 8352 सदस्यों को सरकारी आवास आबंटित किए गए।

(घ) लगभग 500 व्यक्तियों के रहने के लिए 735 सरकारी क्वार्टरों और बैरकों का निर्माण किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस कर्मियों को समयोपरि भत्ता

1568. श्री राम नारायण बेरवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के लिए आठ घंटे की ड्यूटी निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठ घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी करने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मियों को कोई समयोपरि भत्ता दिया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली के पुलिस कर्मियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान समयोपरि भत्ता देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पद से सहायक उप-निरीक्षक के पद तक के कार्मिकों को, कई अवसरों पर आठ घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी करने पर 10 रुपये प्रतिदिन की दर से, एक वर्ष में 25 दिनों तक, भोजन भत्ता दिया जाता है। छुट्टियों की एवज में कांस्टेबल से निरीक्षक के पद तक के कार्मिकों को एक माह का प्रतिपूरक वेतन भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मत्स्यन का विकास

1569. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हीराकूट जलाशय और चिलका झील में मछली पालन की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्भावना का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में जल्दी ही कोई योजना शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उड़ीसा को कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उड़ीसा में इस जलाशय तथा झील से अधिकतम मछली उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय अन्तर्देशीय प्रक्रम भारतीय अनुसंधान संस्थान ने हीराकुंड जलाशय की मात्स्यिकी क्षमता का हाल ही में सर्वेक्षण किया गया है। इस जलाशय का प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन राज्य और राष्ट्र के औसत उत्पादन की तुलना में कम है। गंजम और पुरी जिलों में चिल्का झील के पास वाले क्षेत्र को केन्द्रीय प्रायोजित खारा जल मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के तहत झींगा पालन के लिए विकसित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय अन्तर्देशीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा हीराकुंड जलाशय पर की गई रिपोर्ट के आधार पर, उड़ीसा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि जलाशय में मात्स्यिकी के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के परामर्श से एक योजना तैयार की जाए।

खुम्बी उत्पादन

1570. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खुम्बी उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना में खुम्बी की खेती को बढ़ाने हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने डच सहायता के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में मशरूम के उत्पादन के लिए अवसंरचना सुविधाएं स्थापित की हैं 1992-93 के दौरान सक्षम राज्यों में मशरूम की खेती में वृद्धि लाने के लिए 15 लाख रुपये के परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र को योजना प्रस्तावित की गई है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) की परियोजनाएं

1571. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एन० डी० डी० बी०) का उड़ीसा में कुछ परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) उड़ीसा में कुछ नई परियोजनाओं की शुरूआत करने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं

1572. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी और अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए समान दर्जा कर्मचारी और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए किए गये प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये प्रावधान सभी मंत्रालय/विभागों में क्रियान्वित किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) इस संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है। संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि इस बारे में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

राज्यों में डीजल, पेट्रोल और एल० पी० जी० सिलेंडरों की दरों में असमानता

1573. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल, पेट्रोल और एल० पी० जी० की दरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में डीजल और पेट्रोल की दरों में असमानता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में इन मदों की दरों में असमानता लाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राज्य की राजधानियों में डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० की दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) भण्डार गृह केन्द्र पर मूल्य एक समान है। किन्तु इनका खुदरा मूल्य, भाड़ा तथा स्थानीय कर आदि की वजह से भिन्न होता है।

विवरण

स्थान	रु०/प्रति लिटर			रसोई गैस (घरेलू) रु०/14.2 कि०ग्राम० सिलेंडर
	एम० एस०	एच०एस०डी०	एस०के०ओ०	
1	2	3	4	5
बम्बई	16.71	5.68	2.44	66.80
कलकत्ता	15.48	5.31	2.70	77.20
दिल्ली	14.62	5.05	2.52	67.90
मद्रास	17.17	5.72	2.80	71.05
लखनऊ	15.24	5.47	2.82	72.05
चण्डीगढ़	14.42	5.06	2.70	74.20
शिमला	14.58	5.10	2.56	66.85
जयपुर	16.26	5.60	2.75	72.15
श्रीनगर	14.76	5.58	2.51	67.10
पटना	15.04	5.40	2.64	71.85
भुवनेश्वर	15.66	5.69	2.68	77.20
आईजोल	13.71	4.71	2.54	64.60
ईटानगर	13.64	4.66	2.32	64.50
गुवाहाटी	15.27	5.14	2.40	67.15
शिलांग	14.53	5.00	2.45	71.05
इम्फाल	15.00	4.99	2.90	69.00
कोहिमा	13.94	4.75	2.32	68.35
अगरतला	14.73	4.90	2.45	72.35
गंगटोक	14.62	5.02	2.94	67.70

1	2	3	4	5
पोर्ट ब्लेयर	14.10	4.84	2.61	68.35
अहमदाबाद	17.25	5.76	2.55	76.45
भोपाल	16.25	5.69	2.60	77.40
पणजी	15.53	5.31	2.47	—
हैदराबाद	17.75	5.80	2.82	78.05
बंगलौर	17.02	5.90	2.73	76.00
त्रिवेन्द्रम	17.38	5.29	2.71	80.15
पाण्डिचेरी	15.60	5.37	2.55	70.95

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सहायता

1574. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें स्कूल स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले अनुसूचित जनजाति छात्रों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) उसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) उन छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) मुख्य कारण हैं :

(1) बच्चों से पारिवारिक आय अथवा अन्यथा अपने माता-पिता की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है।

(2) लड़कियों को घरेलू कामकाज तथा सहोदर छोटे भाई-बहनों की देखभाल करनी पड़ती है।

(3) विद्यालयों के पास सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा शैक्षिक सामग्री नाकाफी है।

(4) माता-पिता का अनिच्छापूर्ण तथा उदासीन रवैया।

(ग) (1) छात्रवृत्तियों, वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, उपस्थिति छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहनों का

प्रावधान, मध्याह्न भोजन, आवासीय विद्यालयों, होस्टल सुविधाओं आदि का प्रावधान ।

(2) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं का सुधार ।

(3) उनके लिए जो पूरे दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं रह सकते गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम ।

(4) अनुसूचित जनजाति लड़कों और लड़कियों के लिए आश्रम विद्यालय खोलना ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक	मिडिल	माध्यमिक
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	68.61	88.04	91.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.61	77.27	86.33
3.	असम	64.47	77.27	77.46
4.	बिहार	72.33	86.60	91.89
5.	गोवा*			
6.	गुजरात	63.72	78.84	88.23
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	36.81	39.99	69.79
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	43.83	66.90	78.32
11.	केरल	18.69	46.48	74.64
12.	मध्य प्रदेश	55.93	71.39	86.07
13.	महाराष्ट्र	63.24	78.93	87.03
14.	मणिपुर	77.57	85.35	85.91
15.	मेघालय	77.82	90.42	92.66
16.	मिजोरम	38.79	43.99	77.53

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	35.55	61.22	88.01
18.	उड़ीसा	74.26	86.59	90.77
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	76.63	78.71	84.54
21.	सिक्किम	60.25	56.95	89.59
22.	तमिलनाडु	37.91	39.21	77.67
23.	त्रिपुरा	77.40	83.93	87.30
24.	उत्तर प्रदेश	54.73	59.92	76.49
25.	पश्चिम बंगाल	64.56	85.09	89.10
26.	अंडमान और नि० द्वीप समूह	0.07	40.12	46.14
27.	चण्डीगढ़	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	43.89	76.80	93.52
29.	दमन और द्वीव	21.74	57.02	93.06
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	4.73	50.22	67.06
32.	पांडिचेरी	—	—	—
	कुल	65.21	80.01	87.62

* दमन और द्वीव में शामिल ।

आलू के संकर बीजों का विकास

1575. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आलू के संकर बीजों की नई किस्म का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन बीजों की खेती की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां।

(ख) आलू के संकर बीजों का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। अगस्त, 1991 में वास्तविक आलू बीज की दो किस्में यानी एच० पी० एस० 1/13 तथा टी० पी० एस० जी०-3 को जारी करने की सिफारिश की गई थी।

(ग) ये किस्में देश के किसी भी आलू उगाये जाने वाले क्षेत्र विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, दक्षिणी बिहार तथा पश्चिम बंगाल में उगायी जा सकती हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दक्षिणी क्षेत्रों में निवेश

1576. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार दक्षिणी क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज तथा कुओं की खुदाई पर अलग-अलग कितनी धनराशि निवेश करने का है; और

(ख) संबंधित परियोजनाएं कब तक शुरू हो जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आठवीं योजना के लिए परिव्ययों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कृषि परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सहायता

1577. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन कृषि परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया गया; और

(ख) उक्त सहायता तथा परियोजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) बिहार की सहकारी भांडारण परियोजना को गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता दी गई है।

(ख) सहकारी क्षेत्र में परियोजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान 300 गोदामों को निर्मित करने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1991 तक 101 ग्रामीण गोदाम निर्मित किये गये हैं।

[हिन्दी]

प्रोटोकोल निर्देशिका

1578. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/उद्यमों/संगठनों की कोई प्रोटोकोल निर्देशिका तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों के साथ व्यवहार करने से संबंधित प्रोटोकोल बनाए रखने के लिए कोई निर्देशिका/आदेश जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अपने दिनांक 8-11-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/19/64-स्थापना (ए) के तहत प्रशासन, संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य के संबंध में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को दिनांक 23-6-88 और 23-4-91 को पुनः परिचालित किया गया। इसकी एक प्रति विवरण I, II, III, IV और V के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

संख्या—11013/4/91-स्थापना (ए)

भारत सरकार

कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23-4-1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय—प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य के संबंध में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के संबंधों में अनुदेशों के बारे में ।

मुझे कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/19/64-स्थापना (प्रतिलिपि संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें

प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के बीच होने वाले सरकारी कार्यों के संबंध में अपनाए जाने वाले विस्तृत निर्देश दिए गये हैं। इन दिशा निर्देशों को इस विभाग के का० ज्ञा० सं० 11013/10/88-स्थापना (क) दिनांक 23-6-1988 के द्वारा दोबारा परिचालित किया गया था। सभी मंत्रालयों और विभागों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं।

ह०/-

(एम० एम० शास्त्री)

उप सचिव, भारत सरकार

विवरण-II

सं० 25/19/64-स्था० (क)

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

कार्यालय ज्ञापन

विषय—प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली उपयुक्त प्रक्रिया के संबंध में अनुदेशों के बारे में।

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे प्रजातांत्रिक ढांचे में संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों को लोगों के मान्य प्रतिनिधियों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें संविधान के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और उन्हें अपनी संसदीय और सम्बद्ध जन-कार्यों के बारे में भारत सरकार या राज्य सरकारों के मन्त्रालयों/विभागों से अकसर आवश्यक सूचना प्राप्त करनी होती है या उनके विचार के लिए सुझाव देने होते हैं या अधिकारियों के साथ मुलाकात करनी होती है। इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों और राज्य विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच के संबन्धों को शासित करने के लिए कुछ मान्य सिद्धांत और परम्परायें पहले से ही मौजूद हैं। इन सिद्धांतों तथा परम्पराओं को गृह मन्त्रालय (अब कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० सं० 25/22/56-स्था० (क) तारीख 28 अगस्त, 1957 और का० ज्ञा० सं० 25/6/68 स्था० (क) तारीख 27 मार्च, 1968 (अनुलग्नक 1 और 2 पर प्रतियां क्रमश: संलग्न हैं) में बताया गया है। तथापि, स्थिति का पुनरीक्षण करने पर यह आवश्यक समझा गया कि इन्हें दोहराया जाए और कुछ विवरणों, सिद्धांतों तथा दस्तूरों का खुलासा किया जाए जो संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के बीच के सम्बन्धों को शासित करते हैं। इस सम्बन्ध में अनुदेश आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं। वित्त मन्त्रालय आदि से अनुरोध है कि इस का० ज्ञा० की विषय वस्तु को मार्गदर्शन और सख्ती से अनुपालन के लिए सभी के ध्यान में लाया जाए।

2. जिन दो बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, वे इस प्रकार हैं : (I) सरकारी कर्मचारियों को संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के साथ शिष्टाचार और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए; (II) उन्हें संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों की बातों को सावधानी और धैर्यता से सुनना चाहिए और उन्हें अपने उत्कृष्ट विवेकानुसार व्यवहार करना चाहिए।

3. संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों को संविधान के अन्तर्गत उनके महत्वपूर्ण कार्य के निर्वहन में, जहां तक सम्भव हो, प्रत्येक अधिकारी को उनकी सहायता करनी चाहिए। तथापि, जिन मामलों में अधिकारी सदस्यों के सुझावों या अनुरोधों को स्वीकार करने में असमर्थ हों तो उन्हें सदस्य को ऐसा करने में अपनी असमर्थता के कारणों के बारे में शिष्टतापूर्वक बताना चाहिए।

4. यह महसूस किया गया है कि बहुत से अधिकारियों की बहुत अधिक सार्वजनिक कार्यों को करने की जिम्मेदारियां होती हैं और यदि उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करना है तो उन्हें अपने प्रतिदिन के कार्य को कुछ सावधानी और दृढ़ता से नियोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक अधिकारी जो कुछ समय स्वतन्त्र रूप से गुजारना चाहता है तो वह आगन्तुकों से मिलने से मना कर सकता है और इसके लिए वह अपने आपको अशिष्टाचार या अनदेखी और इसी प्रकार की अन्य बातों के लिए वह दोषी नहीं समझता है। तथापि, उसे प्रतिदिन कुछ समय इस प्रकार निश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उससे मिल सकता है और इस समय के दौरान कार्यालय के अन्य समय में, जिस दौरान उसे आगन्तुकों से मिलना होता है, उसे संसद सदस्यों और राज्यों के विधायकों को प्राथमिकता देनी चाहिए बशर्ते कि कोई आगन्तुक मिलने के लिए पूर्व अनुमति लेकर आया हो और संसद सदस्य या राज्य के विधायक बिना पूर्व अनुमति के आए हों। इस प्रकार के मामले में अधिकारी को मिलने की पूर्व अनुमति लेकर आए आगन्तुक से मिलने के तुरन्त बाद सांसद या राज्य के विधायक से मिलना चाहिए। सांसद या राज्य के विधायक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मुलाकात न करने के कारणों के बारे में सम्बन्धित सदस्य को तुरन्त बताया जाना चाहिए ताकि उसे कम से कम असुविधा हो और उसके साथ परामर्श करके उससे मिलने के लिए आगे समय निश्चित करना चाहिए।

5. जब कोई सांसद या राज्य का विधायक एक अधिकारी से मिलने आता है तो उसे सदस्य का स्वागत करने और उसे विदा करते समय अपने स्थान पर खड़ा होना चाहिए। छोटी-छोटी सद्भावना प्रदर्शनों का सांकेतिक मूल्य होता है और इसलिए अधिकारी को सांसदों और राज्य के विधायकों के साथ अपने व्यवहार में अत्यधिक सतर्क और शिष्टाचारपूर्ण होना चाहिए।

6. इसी प्रकार सार्वजनिक समारोहों पर बैठकों के प्रबन्ध पर हर समय अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इस कार्य में कोई गलतफहमी उत्पन्न न हो। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित वारंट आफ प्रेसीडेंट में संसद सदस्य की स्थिति स्पष्ट रूप से बताई गई है। अनुच्छेद 30 पर संसद सदस्य की पूर्ण केन्द्रीय या समकक्ष, भारत सरकार के सचिवों आदि के पद के अधिकारियों से ऊपर माना गया है। वारन्ट आफ प्रेसीडेन्ट में दिए गए अनुदेशों में यह भी उल्लिखित है कि जब कभी सांसदों को एक साथ किसी बड़े राजकीय समारोह में आमन्त्रित किया जाता है तो उनके लिए आरक्षित प्रकोष्ठ, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा के अध्यक्ष और राजदूतों आदि के बाद होना चाहिए। अनुदेशों में यह व्यवस्था भी है कि राज्य के विधायक,

यदि उनके दिल्ली में उपस्थित होने के कारण उन्हें राज्य समारोह में आमन्त्रित किया जाता है तो उन्हें सांसदों के बाद बैठाया जाना चाहिए। जो सांसद या राज्य में विधायक देर से आते हैं तो उनके लिए निर्धारित स्थानों को समारोह की समाप्ति तक आरक्षित रखना चाहिए और उन स्थानों पर दूसरे व्यक्तियों को नहीं बैठाया जाना चाहिए चाहे वे खाली ही क्यों न रहें। उनके लिए उपलब्ध स्थान आरामदायक और उसी प्रमुखता से रखा जाना चाहिए जिस प्रमुखता से अधिकारियों के लिए रखा जाता है।

7. सांसदों और राज्य के विधायकों से प्राप्त पत्रों की पावती तुरन्त भेजनी चाहिए। इस प्रकार के पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और उपयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा इनका उत्तर देना चाहिए। अधिकारी को सांसद या राज्य के विधायकों के मांगने पर स्थानीय महत्व के मामलों से सम्बन्धित सूचनायें और आंकड़े जैसे भी सुलभ हों और जो गोपनीय न हों, इन्हें दी जानी चाहिए। जिन मामलों में सन्देह हो, अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले उस अधिकारी से अनुदेश प्राप्त करने चाहिए।

8. सांसदों और राज्य के विधायकों के साथ सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार, इससे पूर्व पैराग्राफों में बताए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि सेवा शर्तों के मामले में उनकी अपनी कठिनाइयों के बारे में व्यक्तिगत रूप से उनसे क्या अपेक्षायें की जाती हैं। उन पर लागू सम्बन्धित आचार संहिता के अंतर्गत सरकार के अधीन उनकी सेवाओं से सम्बन्धित मामले के बारे में अपने हितों को साधने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य दबाव डालना निषेध है। इसलिए सरकारी कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत मामले को प्रायोजित करने के लिए सांसद या राज्य के विधायक के पास सिफारिश कराने के लिए नहीं जाना चाहिए।

ह/०

(पी० एस० वेंकटेश्वरन)

अवर सचिव, भारत सरकार

विवरण-III

गृह मन्त्रालय (अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/29/56-स्था० (क) दिनांक 28 अगस्त, 1957 की प्रतिलिपि।

विषय—भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय पालन किये जाने वाले शिष्टाचार।

कुछ संसद सदस्यों द्वारा सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों द्वारा विधायकों को देश में उनकी लोक प्रतिष्ठा के अनुरूप महत्व और सम्मान नहीं दिया गया है। सरकार का इसमें कोई शक नहीं है कि यदि इस बारे में कहीं कोई भूल हुई हो तो वह जानबूझकर नहीं की गई है तथा अशिष्टाचारपूर्ण और अभद्र व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, भारत सरकार सभी अधिकारियों को याद दिलाना

चाहते हैं कि देश के अधिकांश हितों को देखते हुए जन प्रतिनिधियों के साथ उचित शिष्टाचारपूर्ण और सम्मानजनक रूप से पेश आना चाहिए। संसद सदस्यों को संविधान के अधीन बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करना होता है तथा प्रत्येक अधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि कर्तव्यों का निवर्हन करने में जहां तक सम्भव हो वह उनकी सहायता करे। तथापि ऐसे मामलों में जहां अधिकारीगण संसद सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध अथवा सुझावों को मानने में असमर्थ हो तो ऐसा न कर सकने के कारणों को शिष्टाचारपूर्ण उन्हें विस्तार से बता दिया जाए। साक्षात्कार के प्रयोजन हेतु सांसदों को आगन्तुकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तथा ऐसे किसी मामले में जहां अधिकारी उस समय संसद सदस्य से पूर्व जानकारी न होने के कारण मिलने में असमर्थ हो तो सदस्य को नम्रता के साथ स्थिति से अवगत करा देना चाहिए तथा उसके साथ परामर्श करके मिलने का अन्य समय निश्चित कर लेना चाहिए। सार्वजनिक समारोह में भाग लेने वाले विधायकों के लिए भी उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप स्थान आदि आरक्षित करके उनको वैसा ही शिष्टतापूर्ण सम्मान देना चाहिए।

2 वित्त मन्त्रालय आदि से अनुरोध है कि वह इन अनुदेशों को सभी सम्बन्धियों की जानकारी में लायें।

विवरण-IV

गृह मन्त्रालय (अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के का० ज्ञा० सं० 25/6/68-स्था० (क) दिनांक 27 मार्च, 1968 की प्रति।

विषय—प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली उपयुक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुदेशों के बारे में।

जैसा कि वित्त मन्त्रालय आदि, को ज्ञात है 28 अगस्त, 1957 (प्रतिलिपि संलग्न) को अनुदेश जारी किए गए थे, जिनमें संसद सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सरकारी अधिकारियों द्वारा उचित शिष्टाचारों का अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन अनुदेशों को जारी रखते हुए इस बात पर आगे जोर दिया जाता है कि यदि सरकार द्वारा आयोजित किसी बैठक में कोई संसद सदस्य भाग लेता है तो उसको बैठक की तारीख, समय, स्थान आदि की सूचना पर्याप्त समय पूर्व देने का ध्यान में रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि चाहे कितना भी छोटा मामला हो, उसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए।

2. वित्त मन्त्रालय आदि से अनुरोध किया जाता है कि वह इन अनुदेशों को सभी सम्बन्धितों की जानकारी में लाए।

विवरण-V

सं० 11013/10/88-स्था०(ए)

भारत सरकार

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली

तारीख 23 जून, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय—प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली उपयुक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुदेशों के बारे में।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के बीच सरकारी कार्य के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अनुदेशों के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 8 नवम्बर, 1974 के का० ज्ञा० सं० 25/19/64-स्था० (क) में दिये गए हैं। और सभी मन्त्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे इन अनुदेशों को सभी सम्बन्धियों के मार्गदर्शन और सख्ती से अनुपालन के लिए उनके ध्यान में लाएं। इस अनुदेशों की एक प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इन्हें सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में उनके मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए एक बार फिर से लाए।

ह/०

(ए० जयरमन)

निदेशक

[अनुवाद]

बोडो समस्या पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

1579. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री शिवशरण वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडो समस्या का राजनैतिक समाधान निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 1992 तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

1580. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन-किन देशों से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया तथा प्रत्येक देश से अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि के बराबर आयात किया गया;

(ख) क्या विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 1992-93 के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्पॉट खरीद और आवधिक संविदा दोनों के अन्तर्गत तेल आयात होता है। स्पॉट खरीद हमेशा विशिष्ट देशों से संबद्ध नहीं होती। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए कुल आयात बिल क्रमश: 6344.06 करोड़ रुपए तथा लगभग 10778.63 करोड़ रुपए।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के लिए कुछ करार किए गए थे। वित्तीय वर्ष 1992-93 में भी वह चालू रहेंगे।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के कल्याण के लिए एन० एस० एफ० डी० सी० का प्रशिक्षण कार्यक्रम

1581. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा छात्रों के कल्याण के लिए कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) इन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि कम हुई है;

(ग) क्या एन० एस० एफ० डी० सी० के अलावा कोई अन्य संगठन भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, इनके द्वारा उक्त अवधि में कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा 1990-91 से आज की तारीख तक अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जनजातियों के 3953 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृत किया गया है।

(ख) 40.69 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है जिसमें से 7.9 लाख रु० विमुक्त किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राष्ट्रीय उद्यमी तथा बिजनेस विकास संस्थान, दिल्ली; राजस्थान कंसल्टेंसी संगठन, जयपुर आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इण्डिया, नई दिल्ली; पिटमैन प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली; वाई० एम० सी० ए०, नई दिल्ली; जैन कमर्शल कालेज, नई दिल्ली; इलाहाबाद बैंक, गुड़गांव के सहयोग से किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लागत का 60% प्रदान करता है तथा शेष 40% की व्यवस्था संस्थान द्वारा या सम्बन्धित राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा की जाती है। व्यय के ब्यौरे उपर्युक्त विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण संस्थान/संगठन का नाम	एन०एस०एफ०डी०सी० संस्वीकृत	एन०एस०एफ०डी०सी० निर्मुक्त	अन्य संगठनों के हिस्से	संस्वीकृत कार्यक्रम का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	1. एन० एम० वी० ड्राविंग	असम राज्य निगम	90,000		60,000	1990-91
		2. रेडियो टी० वी० मरम्मत	,,	85,,500		57,000	,,
		3. असम निगम के अधिकारियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम	,,	32,400		21,600	,,
		4. प्रशिक्षण मह उत्प्रेरण शिविर	,,	24,000	1,16,000	16,000	,,
		5. इलैक्ट्रोनिक सर्विसिंग तथा मरमम्मत	असम इलैक्ट्रोनिक विकास निगम	72,000	—	48,000	1991-92
		6. ए०पी०टी० डी०सी० के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान	1,040	—	27,360	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	1. ई०डी०पी०	उद्यमी विकास संस्थान	54,000	—	36,000	1991-92
		2. ई०डी०पी	जेवियर संस्थान	60,200	—	40,000	,,
3.	दिल्ली	1. कंप्यूटर टंकण	माउट कारमल विद्यालय	95,000	95,000	—	
			वाई०एम०सी०ए०	16,776	—		
			जैन कर्माशयल कालेज				
			एस०एस०सी०				
			पीटमैन आशु० प्रशिक्षण विद्यालय				
		3. बढ़ईगीरी	प्रोटोटशिप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र	24,773	24.773	—	
		4. प्लंबिंग	प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र	35,915	35,915	36,914	1990-91
		5. अ० ज०/अ० ज० जा० निगम के अधिकारियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम	व्यापार विकास के उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान	20,000	20,000	—	,,
		6. आशुलिपि	एस०एस०सी०	60,000	60,000	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. एल०एम०वी०	आटोमोबाइल एसोशिएशन अपर इंडिया	45,440	45,440	9,660	1990-91
		8. उम्मीदवारों को प्रायोजित करना	(क) इंडिया इलैक्ट्रोनिक सेन्टर	5,520	5,520	—	,,
			(ख) दिल्ली प्रबन्ध तथा सेवा संस्थान				
		९. ई०डी०पी०	हरियाणा, दिल्ली	44,500	44,500	34,500	,,
			परामर्श संस्थान	48,000	—	32,000	,,
		10. सभी राज्य निगमों के अधिकारियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम	एन० आई० ई०एस० बी० यू०डी०	20,000	20,000	—	,,
		11. डेस्क टाप मुद्रण	दिल्ली मुद्रण संघ	1,00,000	30,000	—	,,
4. गुजरात		1. ई०डी०पी०	ग्रामीण विकास फाउंडेशन	48,000	—	32,000	1991-92
5. हरियाणा		1. एल०एम०वी० तथा एम० एच० वी० ड्राइविंग	सरकारी मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल	32,550	—	21,700	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कर्नाटक	1. कार्यक्रम तथा सिस्टम विश्लेषण	कर्नाटक राज्य निगम	91,500	91,500	61,000	1991-92
		2. बारवेल तथा आई० पी० सैट्स मरम्मत	—तदैव—	85,500	1,013	57,000	"
		3. दोपहिया मरम्मत	—तदैव—	69,000	—	46,000	"
		4. शिल्क रिलिंग	—तदैव—	88,320	—	58,880	"
		5. क्वायर उत्पाद उत्पादन	—तदैव—	12,06,000	—	8,04,000	"
7	उड़ीसा	1. वल्डींग	उड़ीसा राज्य निगम	44,520	—	29,680	1990-91
		2. प्लडींग	—तदैव—	38,280	—	25,520	"
		3. आटो मरम्मत	—तदैव—	44,520	—	29,680	"
		4. बांस कार्य	—तदैव—	19,710	—	13,140	"
		5. पम्प सेट मरम्मत	—तदैव—	21,240	—	14,160	"
		6. मारोनरी	—तदैव—	31,500	—	21,000	"
8.	पंजाब	1. कंप्यूटर	पंजाब राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विभाग	1,52,250	—	1,01,500	1991-92

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. ग्रामीण ई०डी०पी०	नार्थ इण्डिया टैक्नीकल कन्सल्टेन्सी	12,500	—	12,500	1991-92
9.	राजस्थान	1. ई०डी०पी०	राजस्थान कन्सल्टेन्सी निगम	24,000	24,000	56,000	"
		2 ग्रामीण ई०डी०पी०	—तदैव—	12,500	—	12,500	"
10.	तमिलनाडु	1. कंप्यूटर	प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र	40,000	40,000	—	1989-90
		2. ई०डी०पी०	तमिलनाडु औद्योगिक टैक्नीकल कन्सल्टैन्सी	68,055	68,055	45,370	1990-91
		3. जूते बनाने के कार्य में लगे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण	तमिलनाडु चर्म विकास निगम	6,22,250	—	6,22.250	1991-92
11.	उत्तर प्रदेश	1. ई०डी०पी०	तमिलनाडु औद्योगिक कन्सल्टैन्सी	42,300	—	28,200	"
		2. मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कार्मिक प्रशिक्षण	19,080	—	12,720	"

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. रेडियो तथा टी० वी० मरम्मत	—तदैव—	72,000	—	48,000	1991-92
		4. सिलाई/कशीदाकारी	—तदैव—	56,160	—	37,440	„
12.	पश्चिम बंगाल	1. मोटर ड्राइविंग	पश्चिम बंगाल राज्य निगम	13,200	—	8,800	1990-91
		2. रेडियो और टी०वी०	—तदैव—	48,000	—	32,000	„
		3. मुर्गी फारमिंग	—तदैव—	16,80[illegible]	—	11,200	„
		4. इलैक्ट्रीशियन	एन०ए०आई०एक्स०	44,640	22,320	45,360	„
13.	महाराष्ट्र	1. उत्प्रेरण शिवर तथा ई० डी०पी०	लघु उद्योग सेवा	29,000	29,000	20,000	„
		कुल :		40,69,039	7,90,412	27.2[illegible],634	

संसद सदस्यों के रसोई गैस कनेक्शन प्राथमिकता कोटे में वृद्धि

1582. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से उनके रसोई गैस कनेक्शन प्राथमिकता कोटे को बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी शंकरानंद) : (क) से (ग) संसद सदस्यों की अनुशंसा पर जारी किए जाने वाले एल०पी०जी० कनेक्शनों के कोटे में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को रसोई गैस वितरण एजेंसी दिया जाना

1583. श्री मोहन रावले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को रसोई गैस की वितरण एजेन्सियां देने के लिए भारत-पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) महाराष्ट्र सहित सम्पूर्ण भारत में आयल इण्डस्ट्रीज द्वारा वर्तमान समय में अपनाए जा रहे चयन दिशा निर्देशों के अनुसार आवासीय अर्हता से सम्बद्ध शर्तों सहित पात्रता की कसौटी को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति वितरण केन्द्र की एजेन्सी के लिए आवेदन कर सकता है।

(ख) और (ग) किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या

1584. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) पिछले दशक की तुलना में इस दशक के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या की वृद्धि-दर कितनी दर्ज की गई;

(ग) किस राज्य ने वृद्धि दर में कमी और किस राज्य ने वृद्धि दर्ज की और कितनी; और

(घ) ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और स्त्री पुरुष के अलग-अलग ब्यौरे सहित प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) भारत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1981 की जनगणना की तुलना में 1991 की जनगणना मे हुई जनसंख्या की वृद्धि संलग्न विवरण I के कालम 2 में दी गई है ।

(ख) 1981-91 और 1971-81 के दशकों के दौरान भारत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या की वृद्धि दरें विवरण I के क्रमशः कालम 5 और 8 में दी गई हैं ।

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जिनमें 1971-81 की तुलना में 1981-91 के दशक के दौरान वृद्धि दर कम रही है और जिनमें 1971-81 की तुलना में 1981-91 के दशक के दौरान वृद्धि दर अधिक रही है, संलग्न विवरण 4 में दिए गए हैं। इस विवरण में सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामने वृद्धि दर में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि भी दर्शात की गई है।

(घ) ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में व्यक्तियों की वृद्धि विवरण I के कालम 3 और 4 में पुरुषों की वृद्धि विवरण 2 के कालम 3 और 4 में और स्त्रियों की वृद्धि विवरण 3 के कालम 3 और 4 में दी गई है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यक्तियों की जनसंख्या की वृद्धि दरें विवरण I के कालम 6 और 7 में, पुरुषों की वृद्धि दरें विवरण 2 के कालम 6 और 7 में और स्त्रियों की वृद्धि दरें विवरण 3 के कालम 6 और 7 में दी गई है।

विवरण-I

1981-91 के दौरान कुल जनसंख्या में वृद्धि तथा 1971-81 और 1981-91 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दरें—योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रवार

भारत/राज्य संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या में वृद्धि 1981-91			जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत) 1981-91			जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत) 1971-81		
	जोड़	ग्रामीण	नगरीय	जोड़	ग्रामीण	नगरीय	जोड़	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	160,995,125	103,280,047	57,715,078	23.56	19.71	36.19	25.00	19.68	46.39
1. आंध्र प्रदेश	12,803,533	7,478,416	5,325,117	23.91	18.21	42.64	23.10	16.99	48.62
2. अरुणाचल प्रदेश	226,553	163,175	63,378	35.86	27.64	152.98	35.15	31.14	139.63
3. असम	4,253,314	3,564,802	688,512	23.58	21.93	38.63	36.05	33.85	58.79
4. बिहार	16,424,119	13,774,220	2,649,899	23.49	22.51	30.39	24.06	20.66	54.76
5. गोआ	160,873	4,237	156,636	15.96	0.62	48.53	26.74	5.73	58.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. गुजरात	7,088,544	3,525 896	3,562,648	20.80	15.01	33.60	27.67	22.31	41.42
7. हरियाणा	3,395,596	2,177,813	1,217,783	26.27	21.57	43.07	28.75	22.16	59.47
8. हिमाचल प्रदेश	830,261	711,408	118,853	19.39	17.99	36.46	23.71	21.88	34.76
9. जम्मू एवं कश्मीर	1,731,311	1,152,314	578,997	28.92	24.38	45.94	29.69	25.77	46.86
10. कर्नाटक	7,670,754	4,549,658	3,121,096	20.66	17.23	29.09	26.75	19.07	50.65
11. केरल	3,579,148	674,052	2,905,096	14.06	3.26	60.89	19.24	15.67	37.64
12. मध्य प्रदेश	13,957,018	9,195,430	4,761,588	26.75	22.11	44.98	25.27	19.28	56.03
13. महाराष्ट्र	15,965,397	7,462,639	8,502,758	25.43	18.30	38.66	24.54	17.55	39.99
14. मणिपुर	405,761	275,373	130,338	28.56	26.34	34.73	32.46	12.27	165.36
15. मेघालय	424,807	337,061	87,746	31.80	30.80	36.36	32.04	26.60	63.98
16. मिज़ोरम	192,460	(—) 2,766	195,226	38.98	—0.74	160.27	48.55	26.24	222.61
17. नागालैण्ड	440,643	350,782	89,861	56.86	53.58	74.74	50.05	40.78	133.95
18. उड़ीसा	5,141,799	4,019,631	1,122,168	19.50	7.28	36.08	20.17	15.73	68.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. पंजाब	3,401,880	2,048,755	1,353,125	20.26	16.87	29.11	23.89	17.48	44.51
20. राजस्थान	9,618,778	6,789,168	2,829,610	28.07	25.10	39.24	32.97	27.47	58.69
21. सिक्किम	89,120	103,220	(—)14,100	28.17	38.91	—27.60	50.77	39.50	159.73
22. तमिलनाडु	7,230,241	4,155,083	3,075,158	14.94	12.80	19.28	17.50	12.95	27.98
23 त्रिपुरा	691,769	498,354	193,415	33.69	27.27	85.75	31.92	31.10	38.93
24. उत्तर प्रदेश	28,168,618	20,414,323	7,754,295	25.41	22.44	38.97	25.49	19.76	60.62
25. पश्चिम बंगाल	13,402.035	9,226,792	4,175,293	24.55	22.99	28.90	23.17	20.36	31.73
संघ शासित क्षेत्र									
1. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	90,370	65,194	25,176	47.88	46.87	50.72	63.93	56.45	89.31
2. चण्डीगढ़	189,115	37,310	151,805	41.88	129.69	35.90	75.55	18.34	81.52
3. दादर एवं नागर हवेली	34,725	29,919	4,806	33.49	30.92	69.51	39.78	30.46	—
4. दमन एवं दीव	22,458	3,943	18,515	28.43	7.89	63.79	26.07	27.70	23.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. दिल्ली	3,150,069	491,186	2,658,883	50.64	108.62	46.10	53.00	8.01	58.16
6. लक्षद्वीप	11,432	972	10,460	28.40	4.50	56.15	26.53	32.03	—
7. पाण्डिचेरी	202,574	1,687	200,887	33.51	0.58	63.56	28.15	5.49	59.39

टिप्पणी—

1. असम में 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी थी। विवरण 1, 2 और 3 में उस राज्य की 1981-91 के दौरान जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए असम की 1981 की आन्तर-गणना की गई जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

2. जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं कराई गई है। विवरण 1, 2 और 3 में एक राज्य की 1981-91 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि निकालने के लिए जनसंख्या प्रक्षेपणों पर विशेषज्ञों की स्थायी समिति (अक्तूबर, 1989) द्वारा यथा अपेक्षित 1991 की जनसंख्या का प्रयोग किया गया है।

विवरण-2

1981-91 के दौरान पुरुष-जनसंख्या में वृद्धि और 1981-91 के दौरान पुरुष जनसंख्या की दशकीय दरें—योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रवार

पुरुष

भारत/राज्य संघ शासित क्षेत्र	जनसंख्या में वृद्धि 1981-91			पुरुष की दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत) 1981-91		
	जोड़	ग्रामीण	शहरी	जोड़	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7
भारत	84.424,036	54,593,304	29,830,732	23.89	20.33	35.15
1. आंध्र प्रदेश	6,529,308	3,838,414	2,690,894	24.09	18.55	41.97
2. अरुणाचल प्रदेश	121,920	87,581	34,339	35.93	27.90	135.00
3. असम	2,140,005	1,789,795	350,210	22.67	21.19	35.25
4. बिहार	9,216,720	7,818,181	1,398,539	25.65	25.08	29.38
5. गोआ	83,411	4,780	78,631	16.35	1.40	46.44
6. गुजरात	3,718,462	1,863,102	1,855,360	21.18	15.54	33.33
7. हरियाणा	1,795,420	1,158,971	636,449	25.98	21.54	41.63
8. हिमाचल प्रदेश	390,963	329,270	61,639	18.02	16.56	33.97

1	2	3	4	5	6	7
9. जम्मू एवं कश्मीर	849,440	549,796	299,644	26.84	22.06	44.57
10. कर्नाटक	3,923,986	2,317,460	1,606,526	20.74	17.36	20.84
11. केरल	1,702,624	207,791	1,414,833	13.59	2.83	59.94
12. मध्य प्रदेश	7,345,743	4,857,650	2,488,093	27.32	22.84	44.27
13. महाराष्ट्र	8,270,540	3,899,016	4,371,524	25.51	18.99	36.77
14. मणिपुर	210,505	144,451	66,054	29.20	27.24	34.64
15. मेघालय	220,598	174,533	46,065	32.26	31.34	30.34
16. मिजोरम	99,433	(—)151	99,584	38.65	(—)0.08	154.72
17. नागालैण्ड	227,363	181,128	46,235	54.67	52.55	64.93
18. उड़ीसा	2,670,118	2,075,752	594,366	20.06	17.84	35.52
19. पंजाब	1,757,926	1,042,082	715,844	19.67	16.17	28.72
20. राजस्थान	5,081,741	3,585,626	1,496,115	28.46	25.59	38.95
21. सिक्किम	43,460	52,396	(—)8,936	25.20	36.81	(—)29.69
22. तमिलनाडु	3,730,323	2,131,857	1,598,466	15.23	13.05	19.60
23. त्रिपुरा	355,699	256,972	98,727	33.72	27.35	85.64
24. उत्तर प्रदेश	15,067,637	10,991,648	4,075,989	25.61	22.87	37.82
25. पश्चिम बंगाल	6,900,997	4,809,858	2,091,139	24.16	23.33	26.33

1	2	3	4	5	6	7
संघ शासित क्षेत्र						
1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	46,062	32,650	13,412	42.94	41.64	47.47
2. चण्डीगढ़	102,133	23,419	78,714	40.01	137.39	33.04
3. दादरा एवं नगर हवेली	18,364	15,590	2,774	34.97	31.92	75.61
4. दमन एवं द्वीव	13,154	3,689	9,465	34.35	15.19	67.53
5. दिल्ली	1,680,652	268,090	1,412.562	48.06	107.31	44.28
6. लक्षद्वीप	6,205	632	5,573	30.45	5.81	58.72
7. पाण्डिचेरी	103,124	1,275	101,849	33.86	0.87	64.20

विवरण-3

1981-91 के दौरान स्त्री जनसंख्या में वृद्धि और 1981-91 के दौरान स्त्री जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दरें—योग, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रवार

स्त्रियां

भारत/राज्य संघ राज्य क्षेत्र	जनसंख्या में वृद्धि और 1981-91			स्त्रियों की दशकीय वृद्धि (प्रतिशत)		
	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7
भारत	76,571,089	48,686,743	27,884 346	23.21	19.07	37.30
1. आंध्र प्रदेश	6,274,225	3,640.002	2,634,223	23.73	17.87	43.35
2. अरुणाचल प्रदेश	104,633	75,594	29,039	35.77	27.34	181.58
3. असम	2,113,309	1,775,007	338,302	24.57	22.72	42.89
4. बिहार	7,207,399	5,956,039	1,251,360	21.21	19.84	31.61
5. गोआ	77,462	(—)543	78,005	15.57	(—)0.16	50.83
6. गुजरात	3,370,082	1,662,794	1,707,288	20.38	14.46	33.90
7. हरियाणा	1,600,176	1,018,842	581,334	26.62	21.61	44.77

1	2	3	4	5	6	7
8. हिमाचल प्रदेश	439,298	382,138	57,160	20.81	19.43	39.59
9. जम्मू एवं कश्मीर	881,871	602,518	279,353	31.24	26.96	47.50
10. कर्नाटक	3,746,768	2,232,198	1,514,570	20.57	17.10	29.36
11. केरल	1,876,524	386,261	1,490,263	14.52	3.67	61.81
12. मध्य प्रदेश	6,611,275	4,337,780	2,273,495	26.14	21.34	45.78
13. महाराष्ट्र	7,694,857	3,563,623	4,131,234	25.34	17.59	40.88
14. मणिपुर	195,256	130,922	64,334	27.90	25.41	34.82
15. मेघालय	204,209	162,528	41,681	31.32	30.24	36.38
16. मिजोरम	93,027	(—)2,615	95,642	39.33	(—) 1.46	166.48
17. नागालैण्ड	213,280	169,654	43,620	59.41	54.73	88.99
18. उड़ीसा	2,471,681	1,943,879	527,802	18.92	16.72	36.73
19 पंजाब	1,643,954	1,006,673	637,281	20.94	17.67	29.57
20. राजस्थान	4,537,037	3,203,542	1,333,495	27.65	24.57	39.57
21. सिक्किम	45,660	50,824	(—)5,164	31.72	41.33	(—) 24.61
22. तमिलनाडु	3,499,918	2,023,226	1,476,692	14.63	12.55	18.94

1	2	3	4	5	6	7
23. त्रिपुरा	336,070	241,382	94,688	33.87	27.18	85.86
24. उत्तर प्रदेश	13,100,981	9,422,675	3,678,306	25.18	21.96	40.33
25. पश्चिम बंगाल	6,501,088	4,416,934	2,084,154	24.99	22.63	32.05
संघ राज्य क्षेत्र						
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	44,308	32,544	11,764	54.38	53.61	56.63
2. चण्डीगढ़	86,982	13,891	73,091	44.30	118.49	39.59
3. दादर और नागर हवेली	16,361	14,329	2,032	31.98	29.90	62.62
4. दमन और द्वीव	9,304	254	9,050	22.87	0.99	60.31
5. दिल्ली	1,469,417	223,096	1,246,321	52.85	110.24	48.35
6. लक्ष द्वीप	5,227	340	4,887	26.30	3.17	53.47
7. पाण्डिचेरी	99,450	412	99,038	33.16	0.29	62.92

विवरण — 4

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिनमें 1981-91 के दौरान 1971-81 की तुलना में वृद्धि दर कम रही है तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिनमें 1981-91 के दौरान 1971-81 की तुलना में वृद्धि दर अधिक नहीं है

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिनमें 1981-91 के दौरान 1971-81 की तुलना में वृद्धि दर कम रही है			उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जिनमें 1981-91 के दौरान 1971-81 की तुलना में वृद्धि दर अधिक रही है		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		वृद्धि दर में कमी (प्रतिशत प्वाइंट)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम		वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी (प्रतिशत प्वाइंट)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	12.47	1.	आंध्र प्रदेश	0.81
2.	बिहार	0.57	2.	अरुणाचल प्रदेश	0.71
3.	गोआ	10.78	3.	मध्य प्रदेश	1.48
4.	गुजरात	6.87	4.	महाराष्ट्र	0.89
5.	हरियाणा	2.48	5.	नागालैंड	6.81
6.	हिमाचल प्रदेश	4.32	6.	त्रिपुरा	1.77
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.77	7.	पश्चिम बंगाल	1.38
8.	कर्नाटक	6.09	8.	दमन एवं द्वीव	2.36

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	5.18	9.	लक्षद्वीप	1.87
10.	मणिपुर	3.90	10.	पाण्डिचेरी	5.36
11.	मेघालय	0.24			
12.	मिजोरम	9.75			
13.	उड़ीसा	0.67			
14.	पंजाब	3.63			
15.	राजस्थान	4.90			
16.	सिक्किम	22.60			
17.	तमिलनाडु	2.56			
18.	उत्तर प्रदेश	0.08			
19.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16.05			
20.	चण्डीगढ़	33.76			
21.	दादर और नागर हवेली	6.29			
22.	दिल्ली	2.36			

आतंकवाद से निपटने के लिए योजना

1585. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जनवरी, 1992 को लखनऊ में हुई केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद की सत्रहवीं बैठक में आतंकवाद से निपटने की कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वियन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) आतंकवादी तत्वों द्वारा देश में उत्पन्न की गई स्थिति से सरकार पूरी तरह अवगत है तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ निश्चय है कि सम्पूर्ण देश में शांति और स्थिरता का पक्का माहौल बने। सरकार की नीति है कि देश के आतंकवादी तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास तेज हो सके, ताकि लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर किया जा सके। सम्बन्धित राज्य सरकारों के निकट सहयोग से केन्द्र सरकार द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार, प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त अर्ध सैनिक बल, राज्य पुलिस कर्मिकों को प्रशिक्षण सुविधायें, बेहतर संचार सुविधाएं, इत्यादि उपलब्ध कराकर सभी सम्भव सहायता दे रही है।

तमिलनाडु की समस्या का राजनैतिक हल

1586. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के विदेश मन्त्री की हाल की यात्रा के दौरान तमिलनाडु की समस्या के किसी राजनैतिक हल पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) श्रीलंका के विदेश मन्त्री भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग के प्रथम अधिवेशन के लिए 5 से 7 जनवरी, 1992 तक दिल्ली आए थे।

श्रीलंका की जातीय स्थिति पर बातचीत में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि श्रीलंका की एकता और अखण्डता के भीतर बातचीत के जरिए राजनैतिक समाधान से ही जातीय समस्या का अन्तिम समाधान निकल सकता है। हमने यह बात दोहराई कि भारत-श्रीलंका समझौते के बाद श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन द्वारा सृजित राजनैतिक परिधि किसी भी भावी बातचीत के लिए एक रचनात्मक संदर्भ है।

सियोनवाद को नस्लवाद से जोड़ने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव

1587. श्री विजय नवल पाटिल :
प्रोफेसर मालिनी भट्टाचार्य :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सियोनवाद को नस्लवाद से जोड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व प्रस्ताव को खारिज करने के पक्ष में वोट दिया था;

(ख) क्या यह निर्णय किसी दूसरे देश के अनुरोध पर लिया गया था;

(ग) क्या इससे पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में भारत के बदले रुख का संकेत मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। किन्तु यह निर्णय कुछ देशों के परामर्श से लिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च स्तर की अंतर्मंत्रालय दल की मास्को यात्रा

1588. श्री विजय नवल पाटिल :
श्री चित्त बसु :
श्री आर्स्कर फर्नान्डीज :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सचिव की अध्यक्षता में किसी उच्च स्तरीय अंतर्मंत्रालयीय दल ने द्विपक्षीय मामलों पर विचार करने हेतु मास्को की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। जनवरी, 1992 के मध्य में।

(ख) इस दल ने रूसी महासंघ और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग की रूपरेखा के लिए नए मानदण्डों को परिभाषित करने के उद्देश्य से और भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ में हुए परिवर्तनों के सन्दर्भ में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर अपने रूसी समकक्षों के साथ व्यापक बातचीत की। इस बातचीत में द्विपक्षीय सम्बन्धों के आर्थिक, प्रौद्योगिकी, रक्षा और राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया गया। यह बातचीत उपयोगी रही।

[हिंदी]

अनन्नास उत्पादकों को सहायता

1589. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर के अनन्नास उत्पादकों को उत्पादन लागत में वृद्धि होने तथा विपणन सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अनन्नास उत्पादकों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन) : (क) मंत्रालय को उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकारों से अनन्नास की उत्पादन लागत में वृद्धि एवं विपणन सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से अनन्नास सहित बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए मंडी सम्बन्धी अवसंरचना को सुदृढ़ कर रही है।

(2) भारत सरकार राज्य सरकारों के अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप योजना को भी क्रियान्वित कर रही है ताकि मंडी में आधिक्य के समय अनन्नास उत्पादकों की मदद की जा सके। जून-जुलाई, 1990 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने 70 रुपए प्रति क्विं० की दर से 12.20 मीट्रिक टन अनन्नास की खरीद की है।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड अनन्नास के परिसंस्करण के लिए त्रिपुरा में पहले ही एक संकेन्द्रित संयंत्र की स्थापना कर चुका है ताकि अधिशेष उत्पाद का उपयोग किया जा सके।

[अनुवाद]

लघु एककों को कच्चे पेट्रोलियम कोक का आबंटन

1590. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में स्थापित कैल्सीन पेट्रोलियम कोक (सी० पी० सी०) के लघु एककों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन लघु एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु कच्चे माल को पर्याप्त मात्रा में आबंटन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कैल्सीनिंग यूनिटों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात शेष उपलब्ध कच्चे पेट्रोलियम कोक की मात्रा को समान आनुपातिक आधार पर उनकी लाइसेंस्ड/अनुमानित क्षमता के अनुसार प्राधिकृत कैल्सनिंग यूनिटों को दिया जाता है।

फल-सब्जी परियोजनायें

1591. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का फल-सब्जी उत्पादन परियोजनायें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इन परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) राज्यों को इसके लिए कितनी सहायता दी गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड देश के कुछ बड़े शहरों में फल और सब्जियों के विपणन के लिए एक संभाव्यता अध्ययन तैयार कर रहा है। संभाव्यता अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार स्थलों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) और (घ) परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि और प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता को संभाव्यता अध्ययन के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जा सकेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में मत्स्य पत्तनों का निर्माण

1592. **श्री काशी राम राणा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में मत्स्य पत्तनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)

(1) मंग्रोल चरण-2 मात्स्यिकी पत्तन

310.00 लाख रुपए की लागत अनुमान से मंग्रोल चरण-1 1985 में पूरा किया गया था। फरवरी, 1991 में राज्य सरकार ने 500.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर चरण-2 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण योजना आयोग को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

(2) जखाउ मात्स्यिकी पत्तन

गुजरात सरकार द्वारा 953.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर जखाउ मात्स्यिकी पत्तन के निर्माण के लिए फरवरी, 1991 में एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकन एजेंसियों को परिचालित किए गए थे और उनके द्वारा उठाए मुद्दे राज्य सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए अप्रैल, 1991 में भेज दिए गए थे।

सूरत में डीजल/पेट्रोल का भंडार

1593. श्री काशी राम राणा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत में पेट्रोल/डीजल की भंडारण क्षमता कितनी है और पांच वर्ष पहले यह कितनी थी; और

(ख) भंडारण क्षमता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सूरत में पेट्रोल/डीजल की भण्डारण क्षमता लगभग 6132 किलो लीटर है। पिछले पांच वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए तेल कम्पनियों ने गुजरात सरकार से उचित भूमि के आबंटन के लिए संपर्क बनाया हुआ है।

[अनुवाद]

केरल में नए रसोई गैस संयंत्र

1594. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कोलम जिले में नया रसोई गैस संयंत्र लगाने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केरल के कोलम जिले में एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार भूमि अधिग्रहण की तारीख से परियोजना के पूरा होने में लगभग 16 माह का समय लगेगा।

केले के पेड़ लगाना

1595. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के और अधिक क्षेत्रों में केले के पेड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केले के पेड़ लगाने के लिए उड़ीसा में किसानों को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। केले की खेती के अंतर्गत क्षेत्र बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ाया जा रहा है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है जिसके अधीन 1992-93 के दौरान 3500 हैक्टेयर क्षेत्र केले की खेती के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसमें लगभग 2500 हैक्टेयर संहत क्षेत्र रोपण और जनजातीय क्षेत्रों में 944 हैक्टेयर शामिल है। 118 जनजातीय प्रखंड चुने गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को 3125 रुपए प्रति हैक्टेयर और जनजातीय किसानों को 12,500 रुपए प्रति हैक्टेयर की राजसहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

गैस की कमीशन दर में वृद्धि

1596. श्री गोविन्द राव निकाम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रसोई गैस वितरक संगठन ने गैस की कमीशन दर में वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान-दर क्या है और इस संगठन द्वारा कितनी कमीशन-दर की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां।

(ख) 14.2 कि०ग्रा० के प्रत्येक सिलेंडर के लिए वर्तमान कमीशन दर 5.70 रु० है। विभिन्न कारणों पर आधारित उनके कमीशन तय करने के लिए स्थायी फार्मूले के लिए संस्था को कहा गया है।

(ग) से (ङ) तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों सहित यह मामला विचाराधीन है।

मसालों का उत्पादन

1597. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मसालों के उत्पादन में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मसालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) मसालों का उत्पादन जो 1984-85 के अंत में 15.825 लाख मीटरी टन था, बढ़कर सातवीं योजना के अंत (1989-90) में 19.603 लाख मीटरी टन हो गया। 1991-92 के अंत तक संभावित उत्पादन 20.77 लाख मीटरी टन है।

(ग) भारत सरकार 1991-92 के दौरान मसाला विकास के लिए 5 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्रीय समेकित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। मसालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस योजना के अंतर्गत किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं—

(1) काली मिर्च, लौंग तथा जायफल की अधिक उपज देने वाली उन्नत रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण;

(2) काली मिर्च, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च तथा गौण मसालों की मूल रोपण सामग्री/आधारी बीज का उत्पादन;

(3) काली मिर्च के लिए आदान किटों और गौण मसालों के मिनिकिटों का वितरण;

(4) काली मिर्च के लिए पौध रक्षण छिड़काव यंत्रों की सप्लाई;

(5) काली मिर्च के पुराने उद्योगों को फिर से ठीक करना;

(6) काली मिर्च के प्रदर्शन भूखण्ड तैयार करना;

(7) पश्चिमी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मसालों के लिए प्रदर्शन एवं उत्तम स्तर के उद्यानों की स्थापना; और

(8) मसालों का परिसंस्करण खेतों पर ही करने के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना।

मसालों के विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय समेकित कार्यक्रम को 1992-93 के दौरान अधिक वित्तीय परिव्यय के साथ जारी रखने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में तेल हेतु ड्रिलिंग

1598. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 8 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चंगार-तलाई में तेल हेतु ड्रिलिंग कार्य अब तक शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां। 19-3-1991 को।

(ख) 27-2-1992 तक चंगार-तलाई-1 कूप का 3303 मीटर की गहराई तक बेधन किया गया था।

[अनुवाद]

केरल और कर्नाटक को मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करना

1599. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** :
श्री रामचंद्र वीरप्पा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार और कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी हां।

(ख) अनुरोधों के प्राप्त होने पर उन पर विचार किया जाता है तथा उत्पादों की उपलब्धता, प्राकृतिक विपदाओं आदि सहित विभिन्न कारणों को ध्यान में रख कर निर्णय लिए जाते हैं।

[हिंदी]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा बढ़ाना

1600. **श्री अरविंद नेताम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बच्चों की केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए माता-पिता/संरक्षकों की आय सीमा बढ़ाने और आय सीमा को मूल्य सूचकांक से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का पुलिस द्वारा सत्यापन

1601. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का पुलिस द्वारा सत्यापन किए जाने की विद्यमान प्रथा को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पासपोर्ट अधिनियम के कतिपय सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए, जो राष्ट्रीय संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की बातों पर आधारित हैं, पुलिस सत्यापन की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

नक्सलवादी आतंक से प्रभावित राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती

1602. **श्री अरविंद नेताम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष नक्सलवाद आतंक से प्रभावित मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में राज्यवार केन्द्रीय सुरक्षा बलों की कितनी कम्पनियां तैनात की गईं, और;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश जहां औसतन तैनातगी निम्न प्रकार से थी—

1989	--7 कम्पनियां
1990	—8 कम्पनियां
1991	—25 कम्पनियां

को छोड़कर, मध्य प्रदेश और नक्सलवाद से प्रभावित अन्य राज्यों में नक्सलवाद विरोधी अभियानों के लिए अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती नहीं की गई।

(ख) इन राज्यों को इसके लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

[अनुवाद]

सूरजमुखी के बीज

1603. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सूरजमुखी के बीजों का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या पारथेनियम खर-पतवार, जो सूरजमुखी के पौधे को नष्ट कर रहा है, पर नियंत्रण करने में "मैक्सिकन बीटल" प्रभावी पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) रबी/ग्रीष्म ऋतु सूरजमुखी फसल अभी खेत में ही है और इस समय इसका 1991-92 के उत्पादन का पक्का अनुमान लगाना बहुत जल्दी होगा।

(ख) और (ग) बंगलोर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में, क्षेत्र स्थितियों के अन्तर्गत, मैक्सिकन बीटल पारथेनियम वीड का एक प्रभावकारी जीव विज्ञानीय नियंत्रक पाया गया है। ये रिपोर्टें आधारहीन पाई गई हैं कि यह बीटल सूरजमुखी पौधों को खा जाता है।

भारत में भूतपूर्व सोवियत संघ के व्यापार मिशन और सूचना केंद्रों को बंद किया जाना

1604. श्री गुरुदास कामत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भूतपूर्व सोवियत संघ के व्यापार मिशन और सूचना केंद्रों को बन्द किए किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) रूसी प्राधिकारियों ने सरकार को बताया है कि भारत में भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का व्यापारिक प्रतिनिधित्व अपना काम रूसी महासंघ के व्यापारिक प्रतिनिधित्व के रूप में बराबर कर रहा है। जहां तक सूचना केंद्रों का सवाल है सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रूसी प्राधिकारी उन्हें बंद करना चाहते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

बाम्बे हाई के निकट गैस और तेल के भंडार

1605. श्री गोविंदराव निकाम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई के निकट गैस और तेल के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तेल और गैस के उपयोग हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, पश्चिमी अपतट में कुल 3 तेल और 2 गैस की प्राप्तियां हुई हैं। भंडारों के विस्तार सुव्यवस्थित करने के लिए और अधिक कार्य करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण

1606. श्री प्रवीण डेका : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्र सरकार के गैर-हिन्दी भाषी अधिकारियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से अब तक कितने अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिया गया है और कितने लोगों को अभी प्रशिक्षण दिया जाना है;

(ग) बचे हुए गैर-हिन्दी भाषी अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभागीय हिन्दी परीक्षाओं यानि प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ में बैठने वाले अधिकारियों की संख्या में कमी आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) 18,056.

(ख) (i) प्रशिक्षित —1,254

(ii) जिन्हें अभी प्रशिक्षित किया जाना है —16,802

(ग) जहां कहीं प्रशिक्षार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते हैं, वहां हिन्दी शिक्षण योजना के तहत पूर्ण कालिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाते हैं। जहां प्रशिक्षण की आवश्यकता कम है वहां पर अंशकालिक केन्द्र भी खोले गए हैं। इसके अलावा, कुछ मामलों में विभागीय व्यवस्था के अधीन भी प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जाते हैं। कर्मचारियों को, हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन अपने निजी प्रयत्नों से निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली हवाई अड्डे पर बम रखने का प्रयास

1607. **श्री गुरुदास कामत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1992 में दिल्ली हवाई अड्डे पर बम रखने का प्रयास असफल कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति किस उग्रवादी दल से संबंधित थे; और

(घ) इस बारे में कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जनवरी, 1992 में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद

1608. **श्री प्रवीन डेका :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद को लेकर कोई तनाव है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों के बीच तनाव समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सीमा मुद्दे के बारे विगत समय में दो राज्यों के बीच तनाव पैदा हुआ ।

(ख) दोनों राज्य सरकार के मध्य विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श हुए । अगस्त, 1991 में दोनों राज्य के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई और उसमें कुछ लंबित समस्याओं का हल निकाला गया । अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने यथा-स्थिति बनाए रखने का निर्णय किया ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मुर्गी पालन विकास बोर्ड

1609. **श्री गोविन्द राव निकाम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मुर्गी पालन विकास बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) यह बोर्ड कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना

के प्रस्तावों में राष्ट्रीय कुक्कुट विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव शामिल किया गया है।

(ख) से (घ) प्रस्ताव के ब्यौरे अब तक तैयार नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के फिजीवासियों के हितों की रक्षा

1610. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी में भारतीय डिप्लोमेट मिशन को जून, 1990 में बन्द करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) भारत सरकार फिजी में भारतीय मूल के लोगों के हितों की देखभाल किस प्रकार कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) जी हां। फिजी के प्राधिकारियों ने 23 मई, 1990 को भारत से कहा था कि वह सूवा में अपना मिशन बन्द कर दे।

(ग) भारत सरकार का विश्वास है कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों के हित कल्याण का सुनिश्चय करने के लिए उस देश में लोकतंत्र और जातीय सद्भावना की बहाली आवश्यक है। तदनुसार सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में तथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फ्रांस, यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका और मारीशस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर इन मसलों को दृढ़ता से उठाया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वियतनाम में छिद्रण कार्य

1611. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियतनाम में तेल-कुओं के छिद्रण कार्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक क्या प्रगति की है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए क्या योजना कार्यक्रम बनाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ओ० एन० जी० सी० विदेश लि० ने वियतनाम में अभी तक दो अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग की है। पहला अन्वेषण कुआं सूखा पाया गया जबकि दूसरे अन्वेषण कुएं को तकनीकी कारणों से छोड़ देना पड़ा।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को मिट्टी के तेल का आवंटन

1612. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को पिछले एक वर्ष के दौरान मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उत्तर प्रदेश को 905891 एम० टी० मिट्टी का तेल दिया गया।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी अनुरोध प्राप्त होगा, उस पर विचार किया जाएगा तथा उत्पाद उपलब्धता, प्राकृतिक विपदाओं आदि सहित विभिन्न घटकों को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

1613. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1991 की अवधि के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार रसोई गैस के कितने कनैक्शन स्वीकृत किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिए गए रसोई गैस कनैक्शनों की संख्या (नवंबर, 1990 से सितंबर, 1991)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	49690
2.	अरुणाचल प्रदेश	1609

1	2	3
3.	असम	10064
4.	बिहार	26156
5.	गोवा	2490
6.	गुजरात	34597
7.	हरियाणा	27381
8.	हिमाचल प्रदेश	5939
9.	जम्मू और काश्मीर	12156
10.	कर्नाटक	42128
11.	केरल	40673
12	मध्य प्रदेश	23894
13	महाराष्ट्र	54638
14.	मणिपुर	260
15.	मेघालय	197
16.	मिजोरम	756
17.	नागालैंड	1794
18.	उड़ीसा	15692
19.	पंजाब	26144
20.	राजस्थान	35318
21.	सिक्किम	1012
22.	तमिलनाडु	35525
23.	त्रिपुरा	505
24.	उत्तर प्रदेश	81052
25.	पश्चिम बंगाल	44137
26.	अंडमान और कार निकोबार	357
27.	चण्डीगढ़	3503

1	2	3
28.	दादर और नागर हवेली	335
29.	दिल्ली	51506
30.	दमन और द्वीव	315
31.	लक्षद्वीप	93
32.	पांडिचेरी	309

कर्नाटक-केरल-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर महाजन आयोग की रिपोर्ट

1614. **श्री बी० धनंजय कुमार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक-केरल-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर महाजन आयोग की रिपोर्ट के बारे में केन्द्र सरकार की क्या राय है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल सीमा विवाद के बारे में महाजन आयोग की रिपोर्ट के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा अपना मत निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इस आयोग की सिफारिशों को पहले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया जाना है। तथापि सिफारिशें स्वीकार्य नहीं रहीं और मतभेद बने रहे।

(घ) केन्द्र सरकार का यह विचार है कि समस्या का समाधान प्राथमिक रूप से संबंधित राज्यों द्वारा आपस में परामर्श करके किया जाता है।

नये राज्य बनाने की मांग

1615. **श्री भाग्ये गोबर्धन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संघ के अध्यधीन नये राज्य बनाने की मांगों के पीछे कारण क्या है;

(ख) इन मांगों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या इनमें से किसी मांग के मूल कारणों का विश्लेषण किया गया है; और इसका हल निकाल कर उस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) नए राज्य बनाने की मांगें मुख्यत: आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता

होने के कारण उत्पन्न होती हैं। भारत सरकार का यह मत है कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र में ऐसी असमानता का हल, योजना प्रक्रिया के माध्यम से और उचित क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्राधिकरणों का गठन करके किया जाना चाहिए।

एमनेस्टी इंटरनेशनल को पंजाब और कश्मीर का दौरा करने की अनुमति

1616. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत यात्रा के दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल को पंजाब और कश्मीर का दौरा करने की अनुमति की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार की नीति एमनेस्टी इंटरनेशनल को निजी यात्राओं और सरकार के साथ सामान्य बातचीत करने के लिए भारत आने की अनुमति देने की है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने वाले विदेशियों की घुसपैठ

1617. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले विदेशियों की घुसपैठ के प्रतिवर्ष कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने विदेशी मछली पकड़ने वाले गिरफ्तार किए गए और उनकी कितनी नौकाएं/जहाज जब्त किए गए;

(ग) क्या इनमें से कुछ विदेशी भारतीय पुलिस कर्मियों की हत्या करके भाग निकलने में सफल हो गये;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

	1989	1990	1991
पता लगे मामलों की संख्या	2	47	16
पकड़े गये अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों की संख्या	318	560	163
पकड़ी गई नावों/जहाजों की संख्या	34	50	14

(ग) और (घ) दिसम्बर, 1990 में हुई एक घटना में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले यमनमार के 6 व्यक्ति एक कांस्टेबल और एक नागरिक स्वयंसेवक को गंभीर रूप से जख्मी करने के बाद भागने में सफल हो गए।

अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले अपने आपको पुलिस पार्टी के बंधन से अपने को मुक्त करने के बाद अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले 6 बंधक व्यक्तियों को पुलिस और नागरिक स्वयं-सेवकों के बन्धन में छोड़कर, अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले शेष व्यक्तियों का अनुसरण करते हुए जंगल में चले गए।

(ङ) सतर्कता और गश्त गहन कर दी गई है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में अपहरण और बम फटने के मामले

1618. श्री नवल किशोर राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में अपहरण और बम फटने में कितने मामले हुए हैं; और

(ख) इनमें से कितने मामले सुलझा दिए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राज्य में वर्ष 1989 में 2, 1990 में 169, 1991 में 290 और 1992 (15 फरवरी, 1992 तक) 22 अपहरण सूचित किए गए। आतंकवादियों द्वारा 1989 में 516, 1990 में 1522, 1991 में 667 तथा 1992 (15 फरवरी, 1992 तक) 107 बम विस्फोट की घटनाएं की गईं। आतंकवादियों, जो कि अधिकांश विस्फोटों और अपहरणों के लिए जिम्मेवार हैं, के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा की गई कारंवाई में 1990 में 515 आतंकवादी, 1991 में 844 आतंकवादी तथा 1992 (15 फरवरी, 1992 तक) 64 आतंकवादी मारे गये; 1989 में 299 व्यक्ति, 1990 में 2360, 1991 में 2549 तथा 1992 (15 फरवरी 1992 तक) में 286 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा, विशिष्ट व्यक्तियों के अपहरण के चार (4) मामलों में चार्ज शीटें फाइल की गईं।

आतंकवाद से निपटने पर व्यय

1619. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री राम नारायण बैरवा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गये व्यय विभिन्न राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने तथा इस समस्या

से निपटने के लिए आतंकवाद से प्रभावित राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता दे देने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) आतंकवाद से निपटने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान किसी भी राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई। 1990-91 के दौरान कानून और व्यवस्था/सुरक्षा प्रयोजनों हेतु किए गए उपायों के लिए जम्मू व काश्मीर सरकार को 35.88 करोड़ रुपये की राशि दी गई। 1991-92 के दौरान आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए असम, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों में से प्रत्येक को 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

(ख) और (ग) उत्पन्न होने वाली अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुलिस/अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और उन्हें संशोधित किया जाता है। ऐसे राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आतंकवादियों द्वारा हथियारों का सौदा

1620. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1992 के नवभारत टाइम्स में "आर्म्स डील रीचड बाई पंजाब मिलिटेण्टस विद द चाइनजी एम्बेसी इन नेपाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां। नई दिल्ली स्थित चीन के राजदूतावास ने इस खबर का विशेष रूप से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की गहन जांच-पड़ताल की है और इस खबर का कोई आधार नहीं है।

(ख) सरकार ने चीन के खंडन पर गौर किया है।

[अनुवाद]

मुम्बई में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई

1621. प्रो० राम कापसे :
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में पाइप लाइनों द्वारा गैस की सप्लाई के लिए एक परियोजना हेतु सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी हां। बम्बई शहरी गैस वितरण परियोजना का प्रस्ताव गैल द्वारा 376.68 करोड़ रु० थी, लागत से औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को 1.5 एम० एम० एस० सी० एम० डी० गैस की सप्लाई वृहत बम्बई में करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आतंकवाद को हल करने हेतु हरियाणा को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराना

1622. **श्री जगबीर सिंह :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने राज्य में आतंकवाद की समस्या को हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त पुलिस बल और आधुनिक हथियारों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हरियाणा में आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त पुलिस बल और आधुनिक हथियारों के लिए अनुरोध किया है। इसके फलस्वरूप, हरियाणा सरकार को बड़ी मात्रा में हथियार जारी किए जा चुके हैं। अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कानून व्यवस्था राज्य का विषय है तथा आशा की जाती है कि हरियाणा सरकार शांति बनाए रखने के लिए जो भी संभव हो सकेगा, करेगी।

जम्मू और कश्मीर में रिहा किए गए आतंकवादी

1624. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जम्मू और कश्मीर में बिना मुकदमा चलाये कितने आतंकवादियों को रिहा किया गया;

(ख) इन्हें किन आधारों पर रिहा किया गया; और

(ग) राज्य में कितने आतंकवादियों के विरुद्ध न्यायालयों में मामले दायर किये गये हैं तथा उन आतंकवादियों की संख्या कितनी है जिन्हें दंडित किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों के कारण 1989 में 299 व्यक्ति, 1990 में 2360, 1991 में 2549 और 1992 (15 फरवरी, 1992 तक) में 286 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनमें से, राज्य अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत 1989 में 69, 1990 में 599, 1991 में 366 और 1992 में 68 (15 फरवरी तक) व्यक्तियों को रिहा किया गया (पर्याप्त साक्ष्यों की कमी के कारण)।

[अनुवाद]

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन द्वारा भारत को क्षेत्रीय वार्ता सहभागी का दर्जा देने की घोषणा

1625. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन ने भारत को क्षेत्रीय वार्तालाप सहभागी तथा प्रेक्षक का दर्जा देने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां तो ऐसा सहभागी होने के नाते भारत की भावी भूमिका क्या होगी;

(ग) क्या इस घोषणा से भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के साथ संबंध सुदृढ़ होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (घ) दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की एसोशिएशन की शिखर स्तरीय बैठक ने, जो 27-28 जनवरी, 1992 को सिंगापुर में हुई थी, यह स्वीकार किया था कि भारत एशियान का क्षेत्रीय बातचीत सहभागी होगा। जैसे ही क्षेत्रीय बातचीत के लिए तौर-तरीकों को आपसी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा वैसे ही यह बातचीत शुरू हो जाने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय बातचीत ने एशियान के देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का आर्थिक सहयोग

मजबूत होगा जिसमें व्यापार, मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन के क्षेत्र भी शामिल हैं।

मुम्बई और मनमाड के बीच गैस पाइप लाइन

1626. **श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई तथा मनमाड के बीच गैस पाइप लाइन बिछाने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस पाइप लाइन को औरंगाबाद अथवा मराठवाड़ा क्षेत्र तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बम्बई और मनमाड के बीच गैस पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पड़ोसी देशों से लोगों का भारी संख्या में आगमन

1627. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को म्यानमार, बंगलादेश तथा श्रीलंका से भारी संख्या में लोगों के आगमन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी देशवार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी वापसी हेतु इन देशों के साथ कोई बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक वापस भेजे गए लोगों की संख्या कितनी है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां।

(ख) हाल ही के वर्षों में बड़ी संख्या में बंगलादेश के नागरिक भारत में आए हैं, इसमें लगभग 53,000 चकमा शरणार्थी शामिल हैं। 1988 के दौरान म्यानमार के कुछ शरणार्थी मिजोरम और मणिपुर में घुस आए थे, जनवरी 1992 के दौरान म्यानमार के 1200 से अधिक नागा शरणार्थी नागालैंड में घुस आए थे। श्रीलंका के 2,10,000 से अधिक तमिल शरणार्थी भारत में हैं।

(ग) जी हां।

(घ) श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापसी 20 जनवरी, 1992 से शुरू हुई थी, 22 फरवरी, 1992 तक 4049 शरणार्थी वापस जा चुके थे और उनकी वापसी की प्रक्रिया

जारी है, म्यानमार के लगभग 100 शरणार्थी पहले ही अपने गांवों को लौट चुके हैं। तथापि, बंगलादेश के चकमा शरणार्थियों ने वापिस जाने से इन्कार कर दिया है क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का भय है।

वी० एफ० सी० तम्बाकू के संबंध में उत्पादन लागत योजना का अंतरण

1628. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वी० एफ० सी० तम्बाकू के संबंध में उत्पादन लागत योजना को कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र/तम्बाकू बोर्ड में अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां,

(ख) वी०एफ०सी० तम्बाकू योजना को तम्बाकू विकास निदेशालय मद्रास से अन्तरित करके कृषि अर्थ अनुसंधान केन्द्र वाल्टेयर, आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में कर देने संबंधी निर्णय पहले ही ले लिया गया है।

(ग) अन्तरण करार से सम्बन्धित तरीकों व अन्य प्रक्रियात्मक विवरण सभी सम्बन्धितों से परामर्श लेकर तैयार किये जा रहे हैं। तथापि, ये तरीके अन्तरण करार की शर्तों व दशाओं पर निर्भर करेंगे।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण

1629. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1984-85 से चलाई गई पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अवर स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले लाभों को नियंत्रित करती है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और राज्य-वार कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सभी राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों से 23 अगस्त, 1989 को केन्द्र प्रायोजित कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत चिकित्सा/इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग प्रदान करने अनुरोध किया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखा प्रभावित लोगों को रोजगार

1630. श्री राजेश कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने इन राज्यों में, जहां बार-बार सूखा पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लोगों को खेती के बजाय अन्य रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या उक्त योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) यह प्रश्न नहीं उठते।

राजीव गांधी फाउन्डेशन हेतु विदेशी योगदान

1631. श्री छेदी पासवान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी फाउंडेशन हेतु विदेशों से अब तक, देशवार कितनी धनराशि प्राप्त की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : राजीव गांधी फाउन्डेशन को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन दिनांक 2-8-1991 को पंजीकृत किया गया था। एसोसिएशन द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त करने संबंधी विवरणी, वित्तीय वर्ष 1991-92 के समाप्त होने के 60 दिनों के अन्दर देय होगी।

[अनुवाद]

गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति

1632. श्री विजय कुमार यादव :
श्री के० एच० मुनियप्पा :
श्री वी० कृष्ण राव :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सफाई कर्मचारियों तथा चर्मशोधन आदि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए अब तक उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए "मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।

(ख) और (ग) ब्यौरे विवरण I और II में दिये गए हैं।

विवरण-I

अस्वच्छ व्यवसायों में अर्थात शुष्क शौचालयों के सफाई करने चर्मशोध चमड़ा उतारने और सफाई कार्य करने के कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए 1-11-1991 से यथा संशोधित मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1991-92 के लिए

1. होस्टलों में रहने वाले

होस्टलों में रहने वाले छात्रों को कक्षा---3 से कक्षा--9 तक, के छात्रों को शामिल किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दरें निम्न प्रकार हैं:

कक्षा—3 से 8	10 मास के लिए 200 रु० प्रति मास
कक्षा—9 से 10	10 मास के लिए 250 रु० प्रति मास

2. दिवा छात्र

दिवा छात्र के रूप में कक्षा—1 से 10 तक के छात्र शामिल किये जाते हैं। छात्रवृत्तियों की दरें निम्न प्रकार हैं:

कक्षा—1 से 5	10 मास के लिए 25 रु० प्रति मास
कक्षा—6 से 8	10 मास के लिए 40 रु० प्रति मास
कक्षा—9 से 10	10 मास के लिए 50 रु० प्रति मास

3. तदर्थ अनुदान

सभी छात्रों अर्थात होस्टलों में रहने वाले तथा दिवा छात्रों को 500 रु० प्रति छात्र का तदर्थ अनुदान।

4. आय सीमा

छात्र के माता-पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल आय 1500 रु० प्रति मास से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. एक परिवार के साथ कवरेज

एक परिवार में एक बच्चा छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का पात्र है।

विवरण-II

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (3-3-1992 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	1991-92 के दौरान स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता (रु० लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	27.515
2. असम	13 00
3. बिहार	2.2675
4. गुजरात	25.4725
5. हरियाणा	12.9183
6. कर्नाटक	1.00
7. मध्य प्रदेश	28.23
8. महाराष्ट्र	0.955
9. मेघालय	0.225
10. उड़ीसा	0.03
11. पंजाब	20.27
12. राजस्थान	35.692
13. तमिलनाडु	5.16
14. त्रिपुरा	9.416
15. उत्तर प्रदेश	49.7875
16. पश्चिम बंगाल	3.73
कुल :	235.6988

12.02 म०प०

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी।

(व्यवधान)

गेहूं के आयात के बारे में

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, हम गेहूं के आयात पर चर्चा कर रहे हैं। यहां समाचारपत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ है।

महोदय, सरकार का यह विचार है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में उत्तर-दक्षिण विवाद अथवा साम्राज्यवाद का समाप्त हो गया है। इस पर हम बजट सम्बन्धी बहस में भी चर्चा करेंगे।

अब जहां तक कि गेहूं के आयात का सम्बन्ध है लगता है कि हमने शायद रियायती दरों पर गेहूं के पी० एल०—480 के अन्तर्गत आयात के लिए अमेरिका से अनुरोध किया है। यह राज सहायता वे अपने कृषकों को ही दे रहे हैं। लेकिन यह सूचना मिली है कि इस बारे में अमेरिका द्वारा इसलिए विरोध प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने क्यूबा को कुछ खाद्यान्न निर्यात किया है। देश का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने यह शर्त रखी है कि यदि भारत क्यूबा को किसी वस्तु का निर्यात करता है तो उसे गेहूं नहीं दिया जाएगा। फिर चाहे भारत ही ऐसे आयात के लिए निवेदन क्यों न करे तो भी उसे आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह इस बात का एक और संकेत है कि सभी प्रकार के लोगों से ऋण मांगकर हमने अपने आपको कहां ला खड़ा किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे, इस सभा के एक प्रबुद्ध सदस्य से एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब यदि समाचार-पत्रों में कुछ प्रकाशित होता है, तो आप इस बात को सत्यापित किए बिना कि यह सही है अथवा गलत, सभा में अपने वक्तव्य का इसे आधार बना लेते हैं। क्या इससे दो देशों के बीच के सम्बन्ध प्रभावित नहीं होंगे ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा नहीं है, महोदय। सरकारी पक्ष यहां विद्यमान है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने सही मुद्दा उठाया है कि क्या यह समाचार दो देशों के बीच के सम्बन्धों को प्रभावित नहीं करेगा।

यदि यह बताया गया है कि अमरीका सरकार हमें इसलिए गेहूं आयात करने की अनुमति नहीं दे रही है क्योंकि हम क्यूबा को चावल निर्यात कर रहे हैं तो यह हमारे सम्बन्धों को भी कमजोर करता है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या यह सही है।

श्री चंद्र शेखर : माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि यह सही नहीं है तो सरकार को इसका खंडन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए, क्या यह सच है।

श्री निर्मल कांत चटर्जी : रिपोर्ट इस अर्थ में अत्यधिक अभिशंसी है कि भारतीय प्रतिनिधि अमेरिकी प्रतिनिधियों को मना रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह कह रहे हैं कि यह सच है और आप जिम्मेदारी लेते हैं ? यदि यह सच है तो फिर प्रश्न पूछिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम वक्तव्य दे रहे हैं कि उन्हें स्पष्ट करने दो, वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। (**व्यवधान**) ......

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं यह वास्तव में सच है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : सरकार स्पष्ट रूप से मना करे कि यह सच नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह भारत सरकार की चिपके रहने की नीति है। यदि यह सच है तो यह आलोचना जो हम कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता समाप्त हो गई है एक बार फिर इस सौदे से प्रमाणित होती है। अतः हम चाहते हैं कि सरकार इस प्रश्न का उत्तर दे। उसके साथ ही उन्हें यह भी आश्वासन देना चाहिए कि यदि यह सच है तो उन्होंने बजट या अन्य आर्थिक नीतियों के मार्फत देश की आर्थिक संप्रभुता अम्यर्पित नहीं की है। मैं उनसे सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

[हिंदी]

श्री रबि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर सवाल है। असल में आप जो सवाल उठा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि हम लोग तो प्राइवेट मैम्बर्स हैं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी हमको मिलती है और जिस तरीके से भी मिलती है, उसको हम आपकी और सदन की खिदमत में पेश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ गेहूं के आयात का ही सवाल नहीं है। यह सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो परसों बयान दिया है, उससे जुड़ा हुआ है। हम लोग मल्टी नैशनल कारपोरेशन या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को या इण्टरनेशनल मानिटरी फण्ड या वर्ल्ड बैंक को आमन्त्रित करते आ रहे हैं और उनसे जुड़ते जाने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमारी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उससे मेल नहीं खाता है। तो मेरा यह कहना है कि यह जितना ही खतरनाक है, उतनी ही शर्मनाक चीज है कि हिन्दुस्तान के हमारे डिप्टी एम्बेसडर जो वाशिंगटन में हैं, वह अमेरिका के इस विभाग के जो सैक्रेटरी हैं, मार्गन साहब से कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्यूबा को राइस नहीं दिया है इसलिए आप लोग हमारे ऊपर कृपा करके, आपको जो हमको देना है, जो फूडग्रेन या व्हीट,

वह आप हमें दे दीजिए। असल में यह सवाल यह है कि भारत सरकार के प्रतिनिधि से वाशिंगटन में इसलिए मना कर दिया, क्योंकि, क्यूबा के प्रतिनिधि भारत गए और उनको आप लोगों ने राइस दिया इसलिए हम आपको व्हीट नहीं देंगे……

अध्यक्ष महोदय : यह बात सही है क्या ? अगर ऐसा पूछ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है तो ………

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पहले कह चुका हूं……

अध्यक्ष महोदय : उनको पूछने दीजिए। यह बात सही है, अगर सही है समझकर बोल रहे हैं तो रेंस्पोंसिबिलिटी लीजिए।

श्री रवि राय : आप सारा रीक्वेंस देखिए कि भारत सरकार के जो हमारे नुमाइंदे हैं, वह जाकर अमेरिका के कृषि विभाग के सैक्रेटरी मार्गन साहब से कहते हैं कि हम लोगों ने क्यूबा को राइस नहीं दिया है इसलिए आपने हमको जो गेहूं के लिए सस्पेंड किया है, इसमें हमको आप सस्पेंड न करिए, हमको दे दीजिए।

अब सवाल यह है कि क्या यह जो गेहूं का सवाल है तो किस तरीके से हमारे किसानों को नहीं दे रहे हैं, मूल्य, यह बलराम जाखड़ जी खुद स्वीकार कर रहे हैं और आकर, अमेरिका का जो किसान है, उनको फायदा दे रहे हैं—नम्बर एक। नम्बर दो—हम लोगों की जो जो गुटनिरपेक्ष नीति है, नॉन एलाइन पालिसी है, वह खतरे में पड़ रही है और सरकार को कोई शर्म नहीं है, कहने में, उनके वाशिंगटन के एग्रीकल्चर सैक्रेटरी को कि नहीं, हम लोगों ने गलती नहीं की है, हमने क्यूबा को राइस नहीं दिया है इसलिए मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष, महोदय। दूसरी चीज है कि जाकर मार्गन साहब से हमारे प्रतिनिधि वाशिंगटन में बोल रहे हैं कि अभी हम लोगों ने नहीं दिया है तो फिर मार्गन साहब क्या कह रहे हैं? मार्गन साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं दिया है तो फिर हम विचार करेंगे। आप देखिए, इसलिए कि आपने राइस क्यूबा को नहीं दिया है, हम लोग विचार करेंगे। फिर हमको पता चलता है, विचार करने का मतलब नहीं है, वह भारत को कभी गेहूं नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि हम लोग अपने किसानों को नहीं दे रहे हैं, हमारे किसानों का मूल्य हम उनको नहीं दे रहे हैं और अमेरिका के किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं—नम्बर एक। नम्बर दो — इसलिए हम किसको देंगे, हम क्यूबा को देंगे, हम दूसरे राष्ट्रों को नहीं देंगे, यह हमारी सरकार फैसला करेगी, हमारी संसद फैसला करेगी लेकिन अमेरिका हमको डिक्टेट नहीं कर सकता, मेरा यह आरोप है। इसलिए कि सरकार विश्व बैंक से उधार ले रही है इसलिए सरकार ने हमारी प्रभुसत्ता को उनके आगे गिरवी रख दिया है। इसलिए सरकार अमेरिका की डिक्टेट को मान रही है।

आखिरी तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि क्या आपको यह शोभा देता है, सदन को यह शोभा देता है कि भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे डिप्टी एम्बेसडर या जो भी हैं, वह अमेरिका को जाकर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मालिक अमेरिका वाले हैं। हम उनसे कह रहे कि आप लोग हमको माफ कीजिए, क्योंकि, हम लोगों ने क्यूबा को राइस नहीं दिया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हम लोग चाहेंगे कि मान लीजिए जाखड़ साहब जब बयान

दें, वे यहां मौजूद हैं या मैं चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री खुद आकर इस बारे में बयान दें कि किस तरीके से हुआ है। हम यह जानकारी चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के पिछले पांच-सात मिनट से एक संगत प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह यह है कि गेहूं किस दर पर आयात किया गया। इस सीधे प्रश्न का जवाब देने के बजाय माननीय मन्त्री महोदय ने दूसरों के सिर दोष मढ़ना चाहा और फिर कहा कि उनके मन्त्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी की वजह से सारी समस्यायें खड़ी हुई हैं और सभी को यह सन्देह हुआ है कि पूरे सौदे में कुछ गड़बड़ हुई है। अतः इस संगत प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : बेहतर होगा कि इस सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय से पूछें और आप उससे सहमत हो जायेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने माननीय मंत्री महोदय की बात ध्यान से सुनी है. माननीय मंत्री महोदय ने कहा—'हालांकि यह मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं इसका उत्तर देने का इच्छुक हूं।" ऐसा माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के दौरान कहा। उन्होंने इस संगत प्रश्न को टालना चाहा है, कि गेहूं किस दर पर आयात किया गया ?

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मैंने एक प्रश्न पूछा था। माननीय मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया। ...(व्यवधान)...

[हिंदी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहिए कि ये उचित मिनिस्ट्री को संवाल कर लें। अभी तो व्हीट इम्पोर्ट होने का प्रश्न पैदा ही कहां हुआ है। हुआ ही नहीं है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय को आयात-निर्यात अपने हाथ में लेने दो उसके बाद ऐसा कर दिया जाएगा। ...(व्यवधान)......

[हिंदी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से क्वेश्चन आवर के बाद भी आपने पन्द्रह मिनट इस सवाल को चलने दिया है, उसका परिणाम यह होगा कि अगर आज सरकार जवाब नहीं देगी तो हमारे मन की सारी आशंकायें कि आपने इस मामले में दबाव में आकर किया है, देश के हित में नहीं है, तो भी आपको अहितकर बात स्वीकार करनी पड़ी—यह हमारी मजबूरी होगी। उससे सरकार को क्या फायदा ? इसलिए यह आपके अपने हित में है कि अगर इसकी सफाई करें ...(व्यवधान)...... अगर सफाई आप नहीं करते हैं, तो हम यह मान कर चलते

हैं कि आपने इस मामले में दवाब में आकर के किसान के हित की कोई बात नहीं की।
···(व्यवधान)······

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : इसमें कुछ नहीं है। विषय यह है कि आयात-निर्यात संबंधी मंत्रालय ही केवल इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं।

[हिंदी]

अभी तो इम्पोर्ट हुआ ही नहीं, तो झगड़ा किस बात का है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : थोड़ी-सी यहां पर गड़बड़ी हो गई है। आप थोड़ा सुन लीजिए। ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन व्हीट इम्पोर्ट के बारे में आया और उसी सब्जेक्ट पर कुछ सम्माननीय सदस्य विषय उठाना चाहते थे। एनलिस्टेड बिजनेस, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पर आ गए। इसीलिए थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई है।　　···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। कृपया अब बैठ जाइए। कृपया मुझे इस तरह से बाधा मत पहुंचाइए। यहां पर दो बातें हैं—एक बात यह है कि यहां यह बताया जाए कि आयात करने का निर्णय कब लिया गया है, माननीय सदस्य तारीख जानना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसे लिखित में देंगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपकी भावनाओं से वाणिज्य मन्त्री को अवगत करा दूंगा। हम निश्चित तारीख बतायेंगे। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : दाऊ दयाल जी, आप बार-बार उठ रहे हैं। यह सही बात नहीं है। दूसरी बात दूसरे विषय पर भी आप चर्चा करना चाहते हैं, तो मैंने उस पर भी चर्चा एलाउ की है। अभी निर्मल जी ने बोला है, रवि राय जी ने बोला है और आडवाणी जी ने बोला है और आप उसी विषय पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें ज्यादा चिंता इसलिए है कि वाणिज्यक लेन-देन के बारे में भी संयुक्त राज्य अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है। वे हम पर हुक्म चला रहे

हैं कि वाणिज्यिक शर्तों पर कब हम संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूं खरीद सकते हैं। क्यूबा और अमेरिका के सम्बन्ध जगजाहिर हैं। वे हमें कहते हैं कि तुमने क्यूबा को चावल या गेहूं सप्लाई किया है इसलिए हम भारत के साथ कोई वाणिज्यिक लेन-देन नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमने अमेरिका को यह दिखा दिया है कि हम अमेरिका से दबने और उसकी दया पर निर्भर करने वाले हैं इसीलिए आज उन्हें हम पर यह हुक्म चलाने का साहस हुआ है कि हम किस दशा, किस आधार पर और किस देश के साथ वाणिज्यिक लेन-देन कर सकते हैं। क्या इस देश में मंत्रि-मंडलीय सरकार कार्य कर रही है? कृषि मंत्री मंत्रिमंडल के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। लेकिन वे अनभिज्ञता जता रहे हैं।···(व्यवधान)··· उन्होंने इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अनभिज्ञता जताई है। वाणिज्य मन्त्री को यहां पर और अभी सदन में उपस्थित होना चाहिए। उन्हें सदन को तत्काल स्पष्ट करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला बिना नोटिस के आया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सभा कैसे कार्य कर सकती है? इस सभा की प्रतिष्ठा क्या है? हमारी क्या प्रतिष्ठा है? क्या आप उसे इसी वक्त (यहां पेश होने का निर्देश दे सकते हैं? जब हमें यह पता नहीं है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं अथवा नहीं, तो हम कैसे कार्य कर सकते हैं? इस सभा की मर्यादा क्या है? आज सरकार की मर्यादा क्या है? यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। जब इस प्रकार के मामले उठाये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह तत्काल सभा के सामने आये और सदस्यों और इस देश की जनता के मन के भ्रम को दूर करे। उन्हें स्वयं उत्तर देना चाहिए। आप उन्हें यहां आने और वक्तव्य देने के लिए क्यों कहेंगे? कृषि मन्त्री मन्त्रिमण्डल के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। श्री बलराम जाखड़, मैं आशा करता हूं कि मन्त्रिमण्डल में आपका उचित महत्व है। (व्यवधान)। वित्त मन्त्री को कहने दें। उन्हें व्यय को अनुमोदित करना है। मैं नहीं जानता कि आपका उनसे किस प्रकार का ताल-मेल है? तीन अथवा चार कैबिनेट मन्त्री यहां उपस्थित हैं, परन्तु हो क्या रहा है? ···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप लोग सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। परन्तु लोक सभा के सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जाता है। हमें इसका जिक्र न करने के लिए कहा जाता है। यह इस देश का सर्वोच्च मन्च है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आओ हम इसे उचित ढंग से करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उनके बर्ताव करने का तरीका है। इस तरीके से हम सभा में कार्य नहीं कर सकते। ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। सम्बन्धित मन्त्री ने इन्हें नोट कर लिया है।

(**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं आधे घंटे से एक सवाल पूछ रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल का समय नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप किससे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप बैठ जायें, बाद में आपको बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इसे राष्ट्रीय अपमान मानते हैं। हमारे मन में पहला प्रश्न जो आता है वह है जब हम खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर होने का दावा करते हैं, तो हमें आयात करने को कौन उद्यत करता है? जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका को उस देश से गेहूं आयात करने के लिए सम्पर्क कर चुके थे, तो उन्होंने हमें यह इस बिना पर देने से इन्कार कर दिया था कि हमने क्यूबा को चावल दिया है। एक व्यापारिक लेन-देन में ...(**व्यवधान**)... .. । यह बहुत महत्वपूर्ण है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : जो कुछ आप कहना चाहते हैं, आपने कह लिया?

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप अपने देश का अपमान महसूस नहीं कर रहे? (**व्यवधान**)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : माननीय सदस्य यह भली प्रकार जानते हैं कि यह वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित है। परन्तु कृषि मन्त्री ने पहले ही उत्तर दे दिया है...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बात यह है कि प्रत्येक देश अपनी पसन्द के किसी भी देश को अपना खाद्यान्न बेच सकता है। लेकिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन्कार कर दिया, तो वाशिंगटन में हमारे प्रतिनिधि को यह बताने की क्या आवश्यकता थी कि हमने क्यूबा को चावल नहीं दिया है।

हमारा एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है न कि हम किसी अन्य देश के दास हैं। उन्हें इसका एक स्पष्टीकरण देना होगा। हमारे देश के सम्मान का प्रश्न है …(व्यवधान)…

अध्यक्ष महोदय : आपने नियमों को उद्धृत किया है कि मुद्दों को दोहराया नहीं जाना है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते तब तक हमें इसको दोहराना होगा ताकि उनकी समझ में यह मामला आए। उन्हें इस पर अवश्य ही प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।… (व्यवधान)…

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक गम्भीर मामला है। लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है। वे एक निराधार प्रैस रिपोर्ट पर आधारित है। …(व्यवधान)…… यह मामला नियमों के अनुसार उठाया जा सकता था। इस मामले को शून्य-काल में उठाना और उत्तर के लिए दबाव डालना सही नहीं है। उन्हें इसे उचित नोटिस देकर उठाना चाहिए और उन्हें उचित उत्तर मिल जायेगा।…(व्यवधान)…

श्री विलास मुत्तेमवार : उन्हें इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाना चाहिए। …(व्यवधान)…

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने शुरू में सही आबजरवेशन किया था। जब चंद्रशेखर जी ने इस सवाल को उठाया तो आपने कहा था कि अगर यह सवाल यहां उठेगा तो क्या इससे रिलेशन खराब नहीं होगा। श्री चन्द्रशेखर जी ने सही बात उस समय कही थी, उन्होंने कहा कि जो अखबार में निकलता है, क्या उससे हमारे रिलेशन खराब नहीं होते। ये बातें अखबार में निकल चुकी हैं और आज से नहीं, जिस दिन से वह सेशन चल रहा है, उसी दिन से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि यह सरकार आई०एम०एफ० के सामने घुटने टेक कर देश को गिरवी रखना चाहती है और देश को एक दिन में गिरवी नहीं रखा जाता है, यह उसकी तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है।…(व्यवधान)…

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वाणिज्य मन्त्री जी कहां पर हैं ? … (व्यवधान)…

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, उन्हें ध्यान आकर्षण नोटिस देना चाहिए। इसे ऐसा नहीं किया जा सकता है। महोदय, उन्हें नियमानुसार चलना होगा।

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान : मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज इस समय देश के सामने और सदन के सामने दूसरी नहीं है। मुझे इस बात का बेहद दुख है, जैसा कि आडवाणी जी ने मामला उठाया तो मेरा आग्रह है कि सरकार को एक माननीय सदस्य को लिखित प्रश्न देने के

लिए न कहें। किस दर पर इंपोर्ट हुआ, यह बात जानने के लिए सदन स्वतन्त्र है, सरकार को बताना चाहिए। जो अखबार में निकला है, अगर वह गलत है तो सरकार उठकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पता नहीं है तो फाइनांस मिनिस्टर यहां पर हैं, वे कहें कि यह बात गलत है। अगर सही है तो सरकार आज शाम तक इस पर स्टेटमेंट दे। यदि स्टेटमेंट नहीं आता है तो हम लोगों ने सरकार पर चार्ज लगाया है कि सरकार आई० एम०एफ० के सामने देश को गिरवी रख रही है, अमरीका जो कहेगा, वही सरकार करेगी, इस बात की पुष्टि होती है। यदि यह बात सही है तो देश का इंटरेस्ट हम लोगों के सामने सबसे ऊपर है न कि सरकार का या कांग्रेस का। ...(व्यवधान)...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं 40 मिनट से इन्तजार कर रहा हूं। मेरे पास इनफरमेशन है। इस सरकार ने इस साल के अन्दर 95 अमरीकन डालर प्रति टन की दर पर गेहूं एक्सपोर्ट किया है और 180 डालर प्रति टन की दर पर इंपोर्ट करने की बात हो रही है। यह स्पेसिफिक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। व्यवधान)...

अगर मेरी बात सही नहीं है तो ये डिनाई कर दें कि यह बात सही नहीं है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, ये आरोप इस तरह से नहीं लगाये जा सकते।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप एक विशिष्ट बयान दे रहे हैं और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वे बिना सूचना दिए इस प्रश्न को कैसे उठा सकते हैं? ...(व्यवधान)... महोदय, ये शून्य काल है और ऐसा चल नहीं सकता। ...(व्यवधान)...

श्री मदन लाल खुराना : मैंने जो अखबार में पढ़ा है, उसकी कटिंग मेरे पास है। मैंने इस बारे में स्टेटमेंट भी दिया है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है। इस देश में किस रेट पर गेहूं खरीदा गया और किस रेट पर गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इनके पास इंपोर्ट करने के लिए इण्टरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से प्राइसेज 190 डालर के आस-पास आई हैं और एक्सपोर्ट 90 डालर प्रति टन की दर पर किया गया है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : वो जो कुछ कह रहे हैं, वह व्यवस्था के बाहर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमरराय प्रधान जी।

श्री अमरराय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, एक ओर तो हम गेहूं का आयात कर रहे हैं और दूसरी ओर हम गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। दस्तावेजों के अनुसार, मन्त्री जी जो कुछ भी कहें, यह सच है कि हम भूटान से गेहूं का आयात कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। अब आप एक दस्तावेज पकड़े हुए हैं और आप उसमें से देखकर बोल रहे हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे।

श्री अमरराय प्रधान : जी हां, महोदय। यह एक प्रमाणीकृत दस्तावेज है और मैं इसे सभा-पटल पर रखना चाहता हूं। रायल गवर्नमेंट आफ भूटान डिपार्टमेंट आफ रेवन्यू एण्ड कस्टम्स, डिक्लेरेशन एण्ड एशेशमेंट फार्म के अनुसार हम लाखों टन गेहूं का आयात कर रहे हैं और भूटान को लाखों टन गेहूं निर्यात कर रहे हैं। हम भूटान को गेहूं के निर्यात का विरोध नहीं कर रहे हैं। वह एक गरीब देश है उनके पास गेहूं नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक ओर तो हम भूटान से गेहूं का आयात कर रहे है और दूसरी ओर हम भूटान को गेहूं निर्यात कर रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है ? एक ही समय में हम भूटान को गेहूं कैसे निर्यात कर रहे हैं ? क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। महोदय, मेरे साथ दस्तावेज है। सरकारी लोगों और व्यापारियों के बीच सम्पर्क है। कुछ बेईमान व्यापारी और चोरी छिपे कारोबार करने वाले लोग इस तरह के व्यापार से बहुत पैसा कमा रहे हैं।

महोदय, दस्तावेज 8 सितम्बर, 1991 का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में सरकार क्या कर रही है। मैं इस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखना भी चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नियम का पालन करना होगा और नियम के अनुसार आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तब मैं इस पर ध्यान दूंगा। अब, क्या संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री इस सन्दर्भ में कुछ कहना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, इस प्रश्न पर विभिन्न तरह के सम्बोधन किये गए। आपने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिस दिन गेहूं के आयात करने का निर्णय लिया गया, उसकी निश्चित तिथि सूचित की जानी चाहिए। मैं निश्चित रूप से वाणिज्य मन्त्री के ध्यान में यह बात लाऊंगा। ...(व्यवधान) महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम निश्चित रूप से सभा में वापस आयेंगे।

हमने क्यूबा को गेहूं भेजा है, इसलिए हमें गेहूं आयात करने की, अमेरिका से अनुमति न मिलने के समाचार के मुद्दे पर, मैं सभा को सूचित करता हूं कि हम वाणिज्य मन्त्री के ध्यान में यह बात लायेंगे और हम निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करेंगे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि साधारणतया ऐसे मुद्दों पर हम समाचार पत्रों में जो भी छपता है उस पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब माननीय सदस्य ने इस विषय में जिक्र किया है और शून्य

काल में वह सरकार के ध्यान में इस बात को लाए हैं तो हम इसका उत्तर जरूर देंगे। लेकिन यदि हमें इसी समय उत्तर देने के लिए कहा जाएगा, तो यह सम्भव नहीं होगा।

[हिंदी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) अध्यक्ष महोदय, एक खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि भारत सरकार 110 से 180 रुपए प्रति डालर के हिसाब से···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विषय अब समाप्त हो गया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, कल सिडनी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच था। और सीधे प्रसारण में, हमने देखा कि सिडनी में खालिस्तान सम्बन्धी एक प्रदर्शन दिखाई दे रहा था और नारा था कि पाकिस्तान···

[हिंदी]

आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में महिला सदस्य भी यह प्रश्न उठाना चाहती थीं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं इस प्रश्न को सभा में उठाना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय ने भी यह देखा था और यदि वे इस बारे में जानते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। आस्ट्रेलिया हमारा एक मित्र देश है और उनके साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। एक तीसरे देश में ऐसे प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, पहले हमें भारतीय दल को बधाई देनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, रबी को फसल को घोषणा चार महीने पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि फसल बाजारों में आ रही है। मिनिमम प्राईस सरकार को चार महीने पहले डिक्लेयर करनी चाहिए थी। गेहूं की फसल आने वाली है तो यह कीमतों की कब तक घोषणा कर दी जायेगी···(व्यवधान)···किसानों की प्राईस नीचे जा रही है। सरसों, मूंगफली···(व्यवधान)··· आदि कीमतों की घोषणा सरकार कब तक करेगी।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मिर्धा जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पिछले छह-सात महीनों से किसानों में बहुत ज्यादा इस बात की परेशानी हो गई है कि

उनको कीमत क्या मिलने वाली है। खाद के दाम बढ़ने के बाद सिंचाई और बिजली का रेट भी बढ़ाया गया है और कई राज्य सरकारों ने पिछले दिनों बढ़ाया है। इसमें अगर समय से पहले किसानों की कीमत की घोषणा सरकार नहीं करेगी तो इस बात का डर है कि कृषि मंत्री ने यहां साफ बात नहीं की है। जो आर्थिक समीक्षा सरकार ने पेश की है तो उसमें कहा गया है कि इस वर्ष 10 से 14 मिलियन टन कम होने की संभावना है और इसलिए एक मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहते हैं। अगर कीमतों की घोषणा नहीं की जायेगी तो किसान देश में उत्पादन कम करेगा। हर तरह के क्राप पैटर्न आ रहे हैं और गन्ने में अब पहले से ज्यादा परेशानी पैदा हो गई है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में गन्ने का दाम 56 रुपए क्विंटल मिल रहा है और इसी में उत्तर प्रदेश में 32 से 34 रुपये का दाम मिल रहा है ···(व्यवधान) आप क्यों परेशान हो जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं वास्तविकता बता रहा हूं। 45 रुपये का भाव निश्चित है लेकिन 32 और 34 रुपये मिल रहा है······(व्यवधान) देश संकट में पड़ जायेगा अगर सरकार तत्काल कदम नहीं उठायेगी और उचित कीमतों की घोषणा नहीं करेगी।

[अनुवाद]

श्री अण्णा जोशी (पुणे) : महोदय, सूचना मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय (डायरेक्टर आफ इन्फोर्समेंट) के अधिकारी 28 फरवरी 1992 को नई दिल्ली ने ग्रेटर कैलाश के एक व्यापारी, श्री स्विन्दर सिंह के घर गए थे और जांच के पश्चात् एक पंचनामा तैयार किया गया था कि 'फेरा' के नियमों को ध्यान में रखते हुए वहां से कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया जो उन्हें दोषी घोषित करे। इसके बावजूद भी स्विन्दर सिंह व उनके दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसी दिन 4 म० प० उन्हें लोक नायक भवन में निदेशालय के कार्यालय में लाया गया।

कार्यालय के समय के पश्चात, कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कार्यालय के अनुशासन तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन करते हुए कार्यालय के अंदर शराब पी। उन्होंने भोजन का आदेश दिया तथा शराब पी और भोजन किया। जब वे नशे में थे, तो उन्होंने तीनों भाइयों से प्रश्न पूछने शुरू किये तथा उन पर अत्याचार किया। उनमें से एक भाई, स्विन्दर सिंह को अलग कमरे में रखा गया और उस पर 28-29 फरवरी की आधी रात के बाद तक तीसरे दर्जे के तरीकों का इस्तेमाल कर कथित अत्याचार किया गया। उसकी दुःखदायी चीखें उसके भाइयों ने सुनी थीं और वे कहते हैं कि स्विन्दर सिंह की हत्या की गयी है तथा बाद में उसके शरीर को लोक नायक भवन की छठी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया।

बाद में पुलिस ने पाया कि उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था सिवाय इसके कि उसकी पेंट घुटनों से थोड़ी नीची थी, ऐसी स्थिति में वह खिड़की से कैसे कूद सकता था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे हैं तो रूल के मुताबिक क्या यह रिकार्ड में जाएगा। आप, जल्दी-जल्दी खत्म कीजिए।

[अनुवाद]

श्री अण्णा जोशी : महोदय, लोक नायक भवन का यह मामला मूल मानव अधिकारों एवं

भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित मूलभूत अधिकारों का पूर्णतया उल्लंघन का है। प्रवर्तन निदेशालय को कार्यालय समय के पश्चात् किसी भी अभियुक्त को रखने का अधिकार नहीं है। प्रक्रिया यह है कि अभियुक्त को पुलिस लाक-अप में 5.30 म० प० भेजा जाता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार भी किसी भी प्रकार की पूछताछ और जांच पड़ताल 9 म० प० से 6 म० पू० तक के बीच में ही आनी चाहिए। निदेशालय के अधिकारियों ने इस मामले में स्विन्दर सिंह के दो भाइयों की लगभग दो घण्टे तक कोई सूचना नहीं दी कि स्विन्दर सिंह का शरीर भूतल पर पाया गया। शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि मृत अभियुक्त पर की गई कथित यंत्रणा के सभी निशानों को मिटाया जा सके।

आर्थिक अपराधों का निबटारा करने वाली संस्थाओं द्वारा शक्ति के दुरुपयोग, ज्यादतियों की जांच पड़ताल के लिए और ज्यादतियों तथा यंत्रणा के रूप में इन संस्थाओं द्वारा मूल मानव अधिकारों तथा भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित मूलभूत अधिकारों के पूर्णतया उल्लंघन को रोकने के लिए एक उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच की जानी चाहिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपत्तनम) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्रदेश के तटीय जिलों में सिंचाई, जल निकासी व्यवस्था और संचार व्यवस्था को अपनी पूर्व स्थिति में बहाल करने हेतु 'सायक्लोन इमरजेन्सी रिकन्सट्रक्शन प्रोग्राम' को तुरन्त लागू करने के लिए विश्व बैंक से 700.13 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। गत वर्ष, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 130 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। काफी कुप्रबन्ध तथा धनराशि का दुरुपयोग हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत से अभियन्ताओं लगभग 25 को निलम्बित किया गया।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जल निकासी तथा नहर हेतु भूमि की खुदाई के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए तक की निविदायें आमन्त्रित की हैं और अनुमानित दरों की तुलना में 100% अधिक राशि दी है। किन्तु इंजीनियरी विभाग खुदाई कार्य आरम्भ होने से पहले किसी प्रकार पूर्व स्तर अथवा रिकार्ड रखने के लिए तैयार नहीं है। 22 फरवरी, 1992 को आन्ध्र प्रदेश के सभी 42 सांसदों के साथ मुख्य मन्त्री की बैठक के दौरान माननीय मुख्य मन्त्री एवं मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि खुदाई कार्य आरम्भ करने से पहले सभी पूर्व-स्तर रिकार्ड किए जायें और सम्बद्ध जिलों के जिलाधीश के पास इन रिकार्डों की एक प्रतिलिपि जमा करा दी जाए। अब तक, ऐसा नहीं किया गया है। यह दुःख की बात है कि अनुभाग अधिकारी या कनिष्ठ अभियन्ता का मूल कर्त्तव्य खुदाई के लिए पूर्व-स्तर की जांच करना है ताकि ठेकेदार द्वारा की जाने वाली खुदाई की उचित मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। हालांकि कार्य शुरू हो गया था किन्तु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। और मुझे विश्वास है कि विश्व बैंक द्वारा दिये गए 300 करोड़ रुपए का दुरुपयोग होने वाला है और विश्व बैंक के साथ हमारी विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है।

इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग या केन्द्रीय जांच आयोग के दलों को आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तुरन्त भेजें जहां विश्व बैंक की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र

बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया। सरकार ने अपनी भूल को 45 वर्षों के बाद सुधारा। जो काम वर्षों पहले किया जाना चाहिए था वह इतने वर्षों के बाद अब किया गया है, इससे देशवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। लेकिन दुःख इस बात का है कि नेताजी का जन्म स्थान जो कटक में है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। वह आज जर्जर हालत में हो चुका है। उड़ीसा सरकार के तत्कालीन संस्कृति सचिव ने उस स्थान को नेताजी संग्रहालय में बदलने का प्रस्ताव किया था। लेकिन इस बात का विरोध किया गया कि वहां अब क्या बचा है। क्योंकि उनके घर का सारा सामान, फर्नीचर, क्राकरी, व अन्य सामान सभी कुछ चोरी हो चुका है। महोदय, 1975 में सरकार ने द्वार पर एक शिला पट लगाया था जिसमें जन्म स्थान का उल्लेख है। 1985 में एक अस्पताल खोला गया, लेकिन धन की कमी तथा सदस्यों के अनुत्साह के कारण इस अस्पताल की दशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ और न ही नेताजी की गरिमा को सरकार सुरक्षित रख पाई।

मेरा आपसे निवेदन है कि उनके स्मारक को ध्यान देकर सरकार उसको बनाये।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में चारों ओर बुनकर लोग आज "हैंड टु माउथ" हो गए हैं। उनके जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है। सरकार के द्वारा कोई भी राहत का कार्य उनके लिए देश में नहीं किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मेरे क्षेत्र में यह देखने में आ रहा है कि बुनकरों ने अपने घरों का सामान बेच दिया है। आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई राहत की कार्यवाही नहीं की जा रही है और जो उनकी नियुक्ति की बात थी, बुनकरों की कहीं भी नियुक्त नहीं हुई है। आज बुनकरों की हालत खराब है। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया इस ओर ध्यान दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता दिल्ली आए हुए हैं और वोट क्लब पर प्रदर्शन कर रहे हैं तथा गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता वर्ष में कम से कम तीन बार राजधानी दिल्ली में आते हैं ताकि 15 वर्ष पूर्व निर्धारित वेतन, जब आई० सी० डी० एस० (समेकित बाल विकास योजना) शुरू की गई थी, में वृद्धि की जा सके। इन कार्यकर्त्ताओं को 250 रुपये का वेतन भत्ता मिलता है। यह राशि इस कार्यक्रम के शुरू होने के समय काफी समय पूर्व निर्धारित की गई थी और भूतपूर्व सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को न्यूनतम भत्ता संशोधित दरों पर देना स्वीकार कर लिया था। वे इसे 500 रु० तक बढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे किन्तु इस पर अमल नहीं किया गया। महोदय, आप सोच सकते हैं कि 250 रु० की नगण्य राशि से ये आंगनवाड़ी श्रमिक किस प्रकार जीवन निर्वाह करते हैं। बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है और आज ये गिरफ्तारी दे रहे हैं इसलिए मैं मांग करता हूं कि 250 रु० के मासिक भत्ते को संशोधित करना चाहिए और इतना बढ़ाना चाहिए ताकि ये कर्मचारी जीवित रह सकें। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, वास्तव में सरकार इस कार्यक्रम को

एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम समझती है किन्तु इन कर्मचारियों की दशा बहुत खराब है। इस समय, विशेषकर, जबकि महंगाई बढ़ रही है वे, 175 से 225 रु० के अपने भत्ते से किस प्रकार गुजारा कर सकते हैं। ग्यारह वर्ष पश्चात् अधिक से अधिक इन्हें 325 रु० मिल रहे हैं। यह एक बहुत ही थकाने वाला काम है क्योंकि वे बहुत ही कम आयु के बच्चों के साथ पूरा दिन कार्य करते हैं। और उसके बाद परिवार नियोजन आदि कार्यों के लिए घर-घर जाते हैं। उनकी कार्य परिस्थितियां अत्यन्त खराब हैं और सरकार हमेशा बताती है कि वह कुछ कर रही है। किन्तु, उन्होंने कभी कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है। अब दिल्ली में हजारों कर्मचारी गिरफ्तारी दे रहे हैं, सरकार को कुछ करना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को इस मामले पर एक वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय राघवन।

(व्यवधान)

***श्री वी० एस० विजय राघवन** (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, यह ज्ञात हुआ है कि केरल के पालघाट जिले चुल्लीमाड़ा क्षेत्र के कुओं और नल-कूपों में 'फ्लोराइड' अधिक मात्रा में पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस वजह से विशेषकर बच्चों में, हड्डियों और दांतों की हानि पहुंच सकती है। उन्हें जोड़ों का दर्द भी होगा। इस क्षेत्र से इस रोग के फैलने की शिकायतें आई हैं।

सरकार को इस समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से, जल से फ्लोराइड की मात्रा को घटाने के लिए, संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए, आवश्यक आदेश देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : इस मामले में, हम लोगों को सरकार का जवाब चाहिये। अध्यक्ष जी, आप हमारी मदद कीजिए।

श्री मोहन सिंह : लेडीज के मामले का निपटारा करने के लिए चेयर पर महिला चेयरमैन को होना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : संसदीय कार्य मंत्री यहां पर मौजूद है। उन्हें वक्तव्य देने दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि यहां पर बैठे हुए सभी लोगों के संयम की परीक्षा हो रही है। आपने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैंने इस विषय को उठाने के लिए दो सदस्यों

* मूलत: मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को अनुमति दी। मन्त्री जी सभा में उपस्थित नहीं हैं। इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जवाब देना चाहिए। जवाब कौन देगा? यह बहुत ही गलत बात है। यह अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। वहां से जो सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें भी उतना ही बोलने का अधिकार है जितना कि तुम्हें मैंने एक सदस्य को एक समय पर बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन एक ही सदस्य दो या तीन बार बोलना चाहता है। पीछे के बेंचों पर बैठे सदस्य ये कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। हम सभा के कार्य को कैसे चलाएं? आप स्वयं ही ये निर्णय लीजिए कि हम इस समय सभा के कार्य को कैसे चलाएं। मैं आपको एक के बाद एक बोलने का अवसर दे रहा हूं। आप बोलते जा रहे हैं। और फिर भी आपको इस बात को जानने में रुचि नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री अथवा अन्य मंत्री सुन रहे हैं अथवा नहीं। हर एक व्यक्ति केवल बोलते रहना चाहता है भले ही कोई सुने या न सुने। यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : यह मामला पहले भी उठाया गया है इस हाउस में।

अध्यक्ष महोदय : उठाया गया है तो क्या हुआ।

श्रीमती सरोज दुबे : आप सरकार को कहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको उचित नोटिस देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री अमल दत्त, कृपया…

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया याद रखिए कि ये आपकी सभा है। यदि आप बोलना ही चाहते हैं तो मैं आपको केवल बोलने की अनुमति दूंगा। एक ही समय दस सदस्य बोल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जब यह प्रयत्न कर रहा हूं कि आपकी आवाज सुनाई दे, आप अपने साथियों को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष जी, आप देखिए कि इनमें से कई माननीय सदस्य पहले भी उठ चुके हैं और फिर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सरकार ने पहले आश्वासन दिया था लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ। इन वर्कर्स के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री तेज नारायण सिंह : अध्यक्ष जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि जिन माननीय सदस्यों को पहले भी बोलने का मौका मिल चुका है, उन्हीं को फिर मौका क्यों दिया जा रहा है। हमें भी अपनी बात कहने का चांस मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी चांस दिया जायेगा, अभी आप बैठिये।

श्री तेज नारायण सिंह : हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा है, जब दूसरे लोग पांच-पांच बार बोल चुके हैं, उन्हें भी फिर चांस दिया जा रहा है। हम लोगों को भी इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है। हमें भी उनकी तकलीफों को यहां रखना है, हमें भी मौका दीजिए आप।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसके बाद टाइम दिया जायेगा, अभी आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आज के 'इकानोमिक टाइम्स' में वित्त मंत्री का साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है। यदि साक्षात्कार सही रिकार्ड किया गया है, तो वित्त मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह आपत्तिजनक है। बजट के माध्यम से कुछ उपाय किए गए हैं। इन उपायों के द्वारा निजी स्रोतों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अनुमानित परिणामों का बजट में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट में जो कुछ भी कहा गया, वित्त मंत्री जी 'एकोनॉमिक टाइम्स' के पास गये और कहा कि एक वर्ष में निजी स्रोतों से एक मिलियन डालर तक आने का अनुमान है और एक वर्ष में 'पोर्टफोल्यो इन्वेस्टमेन्ट' के रूप में दो से चार मिलियन डालर निजी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है, जिसके आधार पर दो वर्षों के समय में वे रुपयों को विनिमेय बना देंगे। इन सभी विषयों पर बजट पर वाद-विवाद में चर्चा की जायेगी। वे सभा के सामने प्रस्तुत करने से पहले प्रेस के पास कैसे जा सकते हैं। बजट में उन्हें ऐसा करने का अवसर है। अन्यथा उन्हें भी इन विषयों को सभा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कई अवसर मिले। यदि ये आपत्तिजनक आकलन हैं, तो प्रेस को यह सूचना देने और हमें समाचार पत्रों से इस विषय की जानकारी मिलने से पहले, उन्हें इस विषय को सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था।

कुछ भी हो, जहां तक भारत सरकार और संसद का प्रश्न है, उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत आपत्तिजनक है। मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा, "यदि एक और सुव्यवस्थित व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी..."

अब, कौन इसे कार्य करने की अनुमति नहीं देगा ? क्या सरकार इसे अनुमति नहीं देगी ? क्या संसद इसे कार्य करने की अनुमति नहीं देगी ? फिर वे कहते हैं कि यदि कर की दरें सामान्य होंगी तो लोग ईमानदार रहते हुए अमीर बन सकते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बजट चर्चा के समय इन सभी प्रश्नों को उठाया जा सकता है।

श्री अमल दत्त : वे ये भी कहते हैं। पिछले 40 वर्षों के दौरान जो धन देश के बाहर चला गया वो फिर से वापस आ जाएगा। यह केवल पिछले 40 वर्षों से सरकार के काम करने के ढंग पर व्यक्त प्रतिक्रिया नहीं है अपितु यह संसद के कार्य करने के ढंग पर भी व्यक्त प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप यहां पर अपना वक्तव्य समाप्त कर दीजिए।

श्री अमल दत्त : आप इस सभा के संरक्षक हैं। मुझे विश्वास है कि आप वित्त मंत्री जी को बुलाएंगे और उन्हें इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए कहेंगे। उन्हें समाचार पत्रों में इस तरह का वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में सबसे बड़ा नरसंहार गया जिले के बारा गांव में हुआ था। देश के तमाम लोगों को इससे बहुत दुख हुआ और देश भर से लोग वहां इस हत्याकाण्ड को देखने गए। बिहार सरकार के लोग भी गए और भारत सरकार को भी इस हत्याकाण्ड से दुख हुआ। भारत सरकार के गृह मन्त्री और कल्याण मन्त्री दोनों बारा जाने के लिए यहां से गए, गया में जाने के बाद न जाने किस कारण से बारा गांव में नहीं जा सके। बिहार की जनता को इससे बहुत दुख हुआ क्योंकि भारत सरकार के जो लोग वहां लोगों के दुख-दर्द जानने के लिए गए थे वे नहीं जा सके, लेकिन जैसा कि अखबारों में छपा, कांग्रेस के लोगों ने ही उन्हें जाने से रोक दिया। इसलिए मैं भारत सरकार के दोनों मंत्रियों से इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच कांग्रेस के लोगों ने उन्हें नहीं जाने दिया और यदि ऐसा हुआ है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कारंवाई की गई है ? इस बात का स्पष्टीकरण मैं भारत सरकार से चाहता हूं और यह भी अनुरोध है कि यदि आज ही यह बता दिया जाए, तो अच्छा है। यदि आज संभव नहीं हो, तो दो-तीन दिन के अंदर इस बात का स्पष्टीकरण आना चाहिए।

12.56 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध केन्द्र, हैदराबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं श्री बलराम जाखड़ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1427/92]

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : मैं श्री सीताराम केसरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1090-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1228/92]

(ख) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1429/92]

(3) (एक) पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1430/92]

(5) (एक) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1431/92]

(7) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि हियरिंग हैन्डीकैप्ड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1432/92]

ऑयल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री० बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1433/92]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 125 (अ), जो 10 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अमोनियम नाइट्रेट फोसफेट एण्ड जिंकटिड यूरिया के मूल्य निर्धारण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1434/92]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1435/92]

(ख) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1436/92]

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन (लोक उद्यम सर्वेक्षण) (खण्ड 1 से 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1437/92]

12.57 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

महा सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है : -

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 3 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1992
राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महा सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को सभा पटल पर रखता हूं।

12.57½ म० प०

प्राक्कलन समिति
आठवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकारी विज्ञापनों के लिए नीति सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.58 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हुबली और बेल्लारी में हवाई अड्डों का विकास करने और मैसूर कर्नाटक में हवाई पट्टी को बन्द करने के निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : कर्नाटक राज्य के हुबली और बेल्लारी तथा अन्य अनेक स्थानों पर विद्यमान विमान पत्तनों के विकास को समुचित महत्व दिया जाना अपरिहार्य है क्योंकि इससे खास तौर से राज्य में विमान सेवाओं सम्बन्धी नेटवर्क में सुधार लाने और सामान्यतः सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा बार-बार निवेदन किए जाने के बाद 1980 दशक के अन्त में तीन शहरों —हुबली, मैसूर और बेल्लारी में स्थित हवाई पट्टियों को वायु-

द्रुत फीडर विमान सेवा द्वारा जोड़ा गया। हाल ही में राज्य सरकार को यह मालूम हुआ है कि मैसूर स्थित हवाई पट्टी को लगभग बन्द कर दिया गया है और इस मामले में केन्द्रीय सरकार फिर से विचार कर रही है। इस निर्णय का रद्द किया जाना आवश्यक है क्योंकि इस राज्य के केवल इन तीन नगरों में ही एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवाएं नियमित रूप से चल रही हैं। इस राज्य में विमान सेवाओं के नेटवर्क को विस्तृत करना आवश्यक है तथा इसके लिए पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था किया जाना भी जरूरी है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले की जांच करे।

(दो) बोलनगीर, उड़ीसा में शुष्क भूमि कृषि प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलनगीर) : उड़ीसा के बोलंगीर जिले मे प्रतिवर्ष बहुत कम वर्षा होती है जिसके कारण आम जनता के जीवन निर्वाह के मूल साधन खेती पर बुरा असर पड़ता है। सिंचाई सुविधाओं तथा समुचित जल प्रबन्ध प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप इतना बड़ा भूमि क्षेत्र बंजर होता जा रहा है। सूखे जैसी स्थिति के कारण वहां की जनता जीवनयापन करने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में जाने के लिए विवश हो गई है। जल प्रबन्ध प्रणाली में सुधार लाने तथा खेती करने की पद्धति को पुष्ठ बनाने के लिए केन्द्रीय बारानी खेती संस्थान को चाहिए कि तत्काल वहां बारानी खेती पद्धति को कार्यरूप दे ताकि उस क्षेत्र में बेहतर जीवनयापन सुनिश्चित किया जा सके।

(तीन) तमिलनाडु में, अराकोणम रेलवे स्टेशन पर कोवाई एक्सप्रेस को रोके जाने की आवश्यकता

श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) : तमिलनाडु का अर्कोनिम रेलवे स्टेशन अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो कांची में पल्लवों की राजधानी थी और दूसरे इसके एक ओर कांचीपुरम तथा दूसरी ओर तिरुथनी नामक स्थान है। ये दोनों स्थान रेशम के वस्त्र, हथकरघा साड़ियों और धोतियों के लिए प्रसिद्ध हैं।

व्यापारी समुदाय यहां से कोयम्बटूर प्रतिदिन आता-जाता है। अर्कोनिम में एशिया का सबसे बड़ा जल सेना का विमान पत्तन स्थित है।

इसके अतिरिक्त इस स्टेशन के दोनों ओर तिरुपति और तिरुथनी नामक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं।

अतएव मैं माननीय रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि मद्रास और कोयम्बटूर के बीच अर्कोनिम रेलवे स्टेशन पर कोवाई एक्सप्रेस को रोका जाए।

(चार) कर्नाटक के दक्षिण कनारा में उच्च तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए रूस की सरकार से बातचीत करने की आवश्यकता

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड़ (बंगलौर दक्षिण) : वर्ष 1989 में कर्नाटक के दक्षिण कैनारा

नामक स्थान पर 5,000 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मे० वा० विद्युत उत्पादन के लिए एक उच्च तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए रूस से समझौता किया गया था। बहरहाल 5 करोड़ रुपये की लागत से वहां की जमीन तैयार किये जाने के अतिरिक्त कोई और प्रगति नहीं हो पाई है। इस परियोजना की स्थापना में विलम्ब पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में हुई देर के कारण हुआ जो कि 20-1-92 को ही दी गई थी।

परियोजना प्राधिकारियों को बिजलीघर की राख का उपयोग करने सम्बन्धी योजना और संयंत्र के चारों ओर एक हरी पट्टी की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके तीन माह के अन्दर पर्यावरण मंत्रालय के पास भेज देना चाहिए। योजना अभी तैयार नहीं हुई है।

चूंकि रूस ने अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रति सहमति जताई है, इसलिए इस परियोजना को कार्यरूप देने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। विद्युत तापीय संयंत्र के पूरा बन जाने पर 2000 सदी तक 2400 मे० वा० तक विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा।

कर्नाटक के उद्योगों को लोड शैडिंग के कारण बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आई है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए रूसी प्राधिकारियों से बातचीत करे।

1.00 म० प०

(पांच) सहरसा, बिहार को विमान-सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार का सहरसा कमिश्नरी क्षेत्र आज भी देश के वायु मार्ग से नहीं जुड़ पाया है जबकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। साथ ही यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है। यहां पर कई एक छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं, साथ ही कमिश्नरी होने के कारण यहां पर बहुत से सरकारी कार्यालय भी हैं और इस कारण से लोगों का आना-जाना होता है। यह जिला वर्ष में 6 माह तक बाढ़ के कारण चारों तरफ से घिरा रहता है और आने-जाने में जनता को काफी परेशानी होती है तथा बाढ़ के समय राहत सामग्री भी समय से नहीं पहुंच पाती है। यह जिला एक सीमावर्ती जिला है और यदि यहां पर एक बड़ी हवाई पट्टी का निर्माण कर दिया जाये तो यहां से नेपाल तथा भूटान के साथ-साथ बंगलादेश के लिए भी हवाई यात्रा शुरू की जा सकती है तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हो सकती है।

अतः मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि वह इस बाढ़ प्रभावित सहरसा कमिश्नरी में एक नई हवाई पट्टी का निर्माण करके इसे देश के वायु मार्ग से जोड़ने के लिए कम से कम पटना, दिल्ली, कलकत्ता को वायुदूत सेवा के द्वारा अभी जोड़ दिया जाय जिससे यहां की जनता को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और वह भी लाभान्वित हो सके। इस पर अविलम्ब इस वर्ष कार्य आरम्भ कराया जाय।

अध्यक्ष महोदय : तेज नारायण जी, आप जीरो ऑवर में भी बोलेंगे और 377 में भी बोलेंगे? आप दो दफा बोल रहे हैं।

(छः) बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर में विद्युत ग्रिड को शीघ्र पूरा करने के लिए स्वीकृत की जा चुकी धनराशि को शीघ्र जारी करने की आवश्यकता

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दूसरे सेशन में मैं एक बार भी नहीं बोला।

बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर अंचल में एक पावर ग्रिड बनाने के लिए शिलान्यास किया जा चुका है लेकिन धन के अभाव में वह ग्रिड नहीं बन रहा है। केन्द्र सरकार को चार करोड़ 85 लाख रुपया देना है। मैंने भी कई बार इस बात को उठाया लेकिन रुपया नहीं भेजा जा रहा है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जगदीशपुर पावर ग्रिड बनाने के लिए जल्द से जल्द रुपया भेजे जिससे कि ग्रिड जल्द बनकर तैयार हो जाय।

(सात) आन्ध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : केन्द्र सरकार ने प्रति क्विंटल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 26 रु० 8.5 प्रतिशत की वसूली पर निर्धारित किया है। पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से गन्ने के उत्पादन की वास्तविक लागत स्पष्ट नहीं होती जिसके फलस्वरूप कई राज्य सरकारें पुनरीक्षित मूल्यों की घोषणा करती रही हैं। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रति क्विंटल 55 रु० अतिरिक्त भुगतान करने का परामर्श दिया है। परन्तु इस वर्ष राज्य सरकार ने अनिवार्य न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त केवल 35 रुपये प्रति टन का भुगतान करने की ही घोषणा की है जिसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादक अत्यन्त चिंतित है। आंध्र प्रदेश में गन्ने के कुल उत्पादन में अगले वर्ष तक गिरावट आ सकती है। अत: केन्द्र सरकार संशोधित भार्गव फार्मूले को लागू करे जिसके अन्तर्गत गन्ना मिलों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त आय में से गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करना अपेक्षित है। चूंकि खुली बिक्री के अन्तर्गत चीनी का कोटा 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत दिया गया है, शीरे के मूल्य बढ़ गए हैं, तथा औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन पर से लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त किए जाने के कारण गन्ना मिलों को काफी अधिक लाभ होने की सम्भावना है, अतः इस लाभ का कम से कम 70 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों को मिलना चाहिए। गन्ने का उत्पादन अच्छा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अधिक चीनी उपलब्ध हो सकेगी और वह बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगी।

(आठ) सरदार सरोवर परियोजना के लिए धन एकत्र करने हेतु 'इण्डियन युनिटी सार्टीफिकेट आफ डिपाजिट सीरीज' जारी करने की आवश्यकता

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अमरीका तथा ब्रिटेन में रह रहे गुजराती समुदाय के

अनिवासी भारतीयों ने नर्मदा नदी घाटी बेसिन, विशेषकर सरदार सरोवर परियोजना के विकास में रुचि प्रकट की है।

अनिवासी भारतीय दीर्घावधि आधार पर संसाधन उपलब्ध कराएंगे ताकि सरदार सरोवर परियोजना समय से पूरी की जा सके। गुजरात सरकार ने भारत सरकार को नवंबर, 1990 में सरदार सरोवर परियोजना के लिए एन० आर० आई० बाण्ड जारी करने का प्रस्ताव भेजा था।

भारत सरकार ने इस प्रस्ताव की विस्तारपूर्वक जांच की थी और फिर बांड जारी करने का निर्णय किया था और विदेशी मुद्रा के समान स्तरीय रुपए के एक भाग को बातचीत के अनुसार निर्धारित शर्तों पर परियोजना हेतु दिया गया। यह भी निर्णय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बांड जारी किये जाने चाहिए और उनका नाम 'इंडियन यूनिटी सर्टीफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स—सरदार सरोवर सीरीज' रखा जाना चाहिए। तत्पश्चात् केंद्र सरकार के साथ कई बैठकें की गई और इसकी शर्तों एवं नियमों को अन्तिम रूप दिया गया। इसके लिए एक नई तिथि अभी निर्धारित की जानी है। अमरीका, ब्रिटेन तथा अफ्रीका में रह रहे गुजरती समुदाय के लोगों ने इस परियोजना में धन लगाने के पक्के संकेत दिए हैं। ऐसी आशा की जाती है कि इन बाण्डों को जारी करने से 250 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त होंगे। विदेशों में रह रहे गुजराती लोगों से संसाधन जुटाने से भारत सरकार को परियोजना के लिए भारतीय मुद्रा में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि "इण्डियन युनिटी सर्टीफिकेट आफ डिपाजिट-सरदार सरोवर सीरीज" को उन्हीं शर्तों पर मंजूरी प्रदान करे जिन पर 'इण्डियन डवलप्मेंट बाण्ड' जारी किए गए हैं।

1.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.10 म० प०
तक के लिए स्थगित हुई।

2.16 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.16 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी० एम० सईद द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर अब इस सभा में आगे चर्चा होगी।

श्री श्रवण कुमार पटेल अपना भाषण जारी रखें।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या एक अत्याधिक जघन्य अपराध था जोकि धर्मनिरपेक्षवाद और लोकतंत्र के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ा धक्का है। इस दौर में सम्पूर्ण राष्ट्र दुख और बैचेनी की अवस्था से गुजरा है तथा अन्य राष्ट्रों ने भी हमारे देश के इस घटनाक्रम को बड़ी आतुरता से देखा।

ऐसी विकट परिस्थितियों में नई सरकार ने उग्रवादियों द्वारा हमारे देशवासियों को दिए गए जख्मों पर मरहम लगाने की चुनौती को स्वीकारा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि नए प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने हमारे देश की उक्त नाजुक स्थिति को बड़े स्वाभिमान व परिपक्वता के साथ सम्भाला तथा इससे उन्हें न केवल अपने देश अपितु विश्व के सभी देशों से विशेषकर उनके आलोचकों से भी सम्मान मिला है।

जहां तक देश की अन्दरूनी स्थिति का सम्बन्ध है, जम्मू और काश्मीर तथा पंजाब में घोर आतंकवाद व्याप्त था। सैकड़ों लोग प्रत्येक माह मौत के शिकार हो रहे थे तथा पुरुष, महिलायें और बच्चों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, एक जगह एकत्रित कर दिया जाता था, उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता था।

पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इस तरह से एक पूर्ण स्तरीय युद्ध लड़ रहा था। वे उग्रवादियों को हथियार व अन्य सहायता दे रहे थे और उग्रवादियों को इस कदर उकसा रहे थे कि भारत में, जैसा कि हमने देखा है, घोर आतंकवाद फैला दिया जाए। हमारे प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के शब्दों में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा था। इन सब बातों के बावजूद नई सरकार ने, जैसा कि अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था, पंजाब राज्य में सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करवाये और जनप्रिय सरकार का गठन करवाया, जोकि अब सत्ता में है। जम्मू और कश्मीर राज्यों में भी चुनाव आयोजित करवाने के बारे में हमारे प्रयास जारी हैं।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का संबंध है, हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ, विशेषकर नेपाल, श्रीलंका और यहां तक की चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहां तक महाशक्तियों का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है चीन तक जैसे देश भारत के दृष्टिकोण से सहमत हो रहे हैं तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विचारों के प्रति सहमति जतला कर पाकिस्तान से कह रहे हैं कि वे हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। मानव अधिकारों के बारे में अब तक महाशक्तियों का भिन्न दृष्टिकोण था लेकिन आज वे, जहां तक इनके हनन का प्रश्न है, भारत के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं। ये देश भी उसी आधार को अपना रहे हैं जोकि भारत अपना रहा है, खासकर इन बातों के प्रति कि जहां मुठभेड़ें हो रही हैं जिनमें सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों को मार रहे हैं।

विश्व की कुछ महाशक्तियों के साथ कुछ प्रत्यर्पण सन्धियां करने के विषय में भी देश को

सफलता मिली है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुई सन्धि इस बात का जीता-जागता उदाहरण है। यह सब हमारे प्रधान मंत्री के प्रयासों का ही परिणाम है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में यह एक उल्लेखनीय परिवर्तन है और निस्संदेह यह हमारे प्रधान मंत्री जी की प्रेरणादायक वाक-पटुता की ही परिणाम है, जिन्होंने विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं को सम्बोधित किया है।

जहां तक आर्थिक स्थिति का संबंध है, मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकार ने नाजुक स्थिति को पूरी तत्परता व कर्मठता के साथ संभाला है। सरका र ने कठिन राजनैतिक निर्णय लेकर उन खतरों का बड़ी मजबूती और फुर्ती के साथ सामना किया है जो कि नई सरकार के गठन के समय मौजूद थे। आर्थिक विकास अब बढ़ रहा है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार जो कि रसातल तक पहुंच गए थे, अब बढ़ने लगे हैं। इन्हें इस समय 11,000 करोड़ से भी अधिक का आंका गया है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोना गिरवी रखा गया था, वह भी हमने छुड़ा लिया है। भुगतान संतुलन की समस्या को बड़ी सफलता के साथ ठीक किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास पुनः कायम कराया गया है और अधिक उत्पादकता व विकास के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सही उपाय किए जा रहे हैं। मुद्रा स्फीति जो कि एक समय 16.7 प्रतिशत हो गई थी, उसे कम किया गया, जो कि अब 12 प्रतिशत के लगभग रह गई है।

जहां तक उद्योगों के उदारीकरण और उन पर नियंत्रण ढीला करने का संबंध है, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करना चाहूंगा कि विकास परिसीमित और अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और कम से कम कुछ उद्योग जिनके लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके।

औद्योगीकरण के साथ ही रोजगार का प्रश्न भी जुड़ा है। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस देश की युवा शक्ति को उत्पादकता रोजगार में लगाने के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं किए गए हैं। हम सभी के लिए यह बेहद चिन्ता का विषय है और यदि जैसा कि कांग्रेस पार्टी में अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वायदा किया है, युवाओं को पर्याप्त व पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो राष्ट्र में शांति और अमन के माहौल पर निश्चित रूप से संकट घहराता रहेगा।

इस देश की उन्नति, विकास और खुशहाली को प्रभावित करने वाली एक समस्या देश में ही निर्बाध और बेकाबू जनसंख्या की वृद्धि का होना है जिसका हल नहीं निकल पाया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, विगत चार दशकों में हमने व्यापक प्रगति की है किन्तु सदैव और लगातार बढ़ रही हमारी जनसंख्या हमारी सारी प्रगति व प्रयासों को निष्फल कर रही है। महोदय, यदि शीघ्र ही कुछ कठोर उपाय नहीं किए जाते हैं तो मुझे इस बात का भय है कि हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे, जहां से लौटना संभव नहीं होगा। सरकार को इस समस्या के साथ कई मोर्चों पर निपटना है। सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा व्यापक जागृति अभियान का है, जिसे शिक्षा, प्रोत्साहनों और कुछ सुविधाएं समाप्त करने के माध्यम से चलाया जा सकता है। केवल दो दिन ही पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री सभा में कह रहे थे कि सरकार कुछ सुविधाएं समाप्त करने संबंधी उपायों को

अपनाने पर विचार कर रही है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिसका हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ सामना करना है। भारत की जनगणना रिपोर्ट 1991 स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि शिक्षा के माध्यम से केरल और गोवा जैसे राज्य —जहां कि साक्षरता की दर अधिक है —वहां उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। किसी भी प्रकार से हो, हमें अभी बहुत कुछ करना है। आठवीं योजना के अन्त तक निरक्षरता से देश के सभी भागों को विशेषकर 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को मुक्त कराने संबंधी महान व चुनौती भरे कार्यों के प्रति स्वयं को समर्पित करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन का उपयोग किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि का कार्यक्रम जोकि भारतीय दूरदर्शन पर दर्शाया जा रहा है, एक अच्छा विचार है। चूंकि संकट गंभीर है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पूर्ण शक्ति और ताकत के साथ इससे निपटा जाए।

जनसंख्या के साथ शिशुओं की मृत्यु का भी प्रश्न जुड़ा है। हमारे राष्ट्र में शिशुओं की मृत्यु की दर अभी भी कुछ अधिक है और इस अधिक मृत्यु दर को रोकने के लिए हमें सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

हम एड्स जैसी घातक बीमारी के बढ़ते संकट को भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते। यह शीघ्र ही हमारा शत्रु नम्बर एक होने जा रही है। इस संबंध में हाल ही के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वे बेहद बेचैनी पैदा करने वाले हैं। सरकार को इस रोग का युद्ध स्तर पर मुकाबला करना है। व्यापक प्रचार और जन-जागरण अभियान, रक्त के अन्तरण में पूरी सावधानी, नशा सेवन करने वालों पर नियन्त्रण और एड्स रोग का शिकार हुए व्यक्तियों का पुनर्वास ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जिन पर गम्भीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनतम खोजें मानव जाति के कल्याण में व्यापक भूमिका निभा सकती हैं। परमाणु-शक्ति का विकास कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना अत्यन्त महत्व का विषय है। ऊर्जा का उत्पादन व संरक्षण, ऊर्जा के नए स्रोत पैदा करना, पन-बिजली परियोजनाओं से ऊर्जा प्राप्त करना, पवनचक्कियों, सूर्य-किरणों व समुद्र की लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना तथा पृथ्वी की भू-तापीय ऊष्मा का उपयोग करना, यह कुछ ऐसे विकल्प हैं, जिनके बारे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में भारत को अद्यतन प्रौद्योगिकी का बिना किसी हिचक के आयात करना चाहिए।

हम अपना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु पालन के अतिरिक्त जैविक इंजीनियरिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। नवीनतम परिणामों ने हम सबको चौंका दिया है। एकदम शुष्क मरुस्थलों में अत्यधिक गूदेदार पौधों सहित अन्य पौधों की उपज चौंकाने वाली है। भविष्य के खाद्यान्न के लिए एक और स्थान समुद्र है। हमें इस पर खोज करनी चाहिए। संयोग से समुद्रों में खनिजों और धातुओं की मात्रा भी काफी विद्यमान है जैसे कोबाल्ट और निकल, जिन्हें हमारे देश के लाभ हेतु उपयोग किया जा सकता है।

मैं अन्त में यही कहूंगा कि विभिन्न राज्यों का निराशाजनक आर्थिक विकास चिन्ताजनक विषय है जिससे केन्द्र-राज्य सम्बन्ध पर बुरा प्रभाव पड़ा है। संविधान का अर्ध-संघीय स्वरूप केन्द्र

और राज्यों तथा स्वयं राज्यों के बीच मधुर संबंधों के कच्चे धागे पर चल रहा है। मेरे अपने राज्य, मध्य प्रदेश की काफी लम्बे समय से उपेक्षा हुई है। इस राज्य में अधिकतम प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन फिर भी यह खेद का विषय है कि इसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम नीचे से तीसरे स्थान पर है। यह हाल मेरे निर्वाचन क्षेत्र जबलपुर का है। यद्यपि हमारे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से ऊपर है फिर भी हम गर्व नहीं कर सकते कि निजी क्षेत्र का कोई भी ऐसा उद्योग वहां स्थापित है, जो कि हमारे शहर के शिक्षिति युवाओं को रोजगार दे सके। जैसा कि सभी को पता है जबलपुर में अनेक आयुध कारखाने हैं जहां हजारों लोग कार्यरत हैं। अब कुछ समय से इन कामगारों की हालत भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि इस समय इन कारखानों में मंदी चल रही हैं और इन्हें अपेक्षित क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं। उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर इनके उत्पादन पैटर्न का विविधीकरण करने की जरूरत हो तो वह भी किया जाए और पूरी क्षमता सुनिश्चित करने के लिए इन कारखानों को पुनर्गठित करे और उनकी प्रौद्योगिकी को उन्नत करे।

जबलपुर के लिए भूमिगत जल निकासी संबंधी 77 करोड़ रुपए की एक योजना शहरी विकास मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर जरूरी हो तो विश्व बैंक या जापनी सहायता कार्यक्रम के तहत धनराशि प्राप्ति करे, ताकि जबलपुर मलेरिया, शरीर में पानी की कमी और मस्तिष्क ज्वर जैसी भयंकर बीमारियों से छुटकारा पा सके।

जहां तक जबलपुर और कटनी बाई पास मार्गों पर कार्य प्रारम्भ करने की बात है, तो इसकी योजना पहले से है और यह अनुमोदित है। अब प्रश्न सिर्फ यही है कि इसके लिए धनराशि आवंटित की जाए, हमारे रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश से संसद के 11 सदस्यों से वायदा किया था कि जबलपुर और दिल्ली के बीच एक तीव्र गति की नई गाड़ी शुरू की जाएगी, लेकिन रेल बजट में इस बारे में नहीं कहा गया है। हमें आशा है कि वह शीघ्र ही हमें यह गाड़ी देंगे। 10 किलोवाट के टी० वी० ट्रांसमीटर को चालू करना और जबलपुर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी का विस्तार करना, ताकि बोइंग जहाज यहां पर उत्तर सकें, कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे लम्बित हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन पर गंभीरतापूर्वक गौर करे।

मैं एक व्यावहारिक व्यक्ति हूं। मैं बनावटी बातों में विश्वास नहीं रखता; फिर भी मुझे अपने लोगों और अपने देश की भारी क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (गोधरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बहस चल रही है आमतौर पर इसमें 11 जुलाई, 1991 को जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के बारे में कहा था उसका इसमें कोई उल्लेख नहीं है। यह जो भाषण बनता है इसमें पार्टी अपने घोषणा पत्र को सामने रखते हुए सरकार के पास से अपेक्षा रखती है कि हमारी सरकार यह करेगी। अगर इसमें ऐसा हो कि हमारी सरकार ने यह किया है आन रिकार्ड तो यह कोई वोट लेने की बात नहीं है। घोषणा पत्र में सही है कि वोट ओरिएंटेड बात होती है। दुःख के साथ कहना पड़ता

है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछली बातों का कोई जिक्र नहीं है। चाहे वह 11 जुलाई, 1991 का अभिभाषण हो या 24 फरवरी, 1992 का अभिभाषण हो। पहले के अभिभाषण में और घोषणा पत्र में वायदा किया गया था कि कीमतें 100 दिन में कम करेंगे, आज 200 दिन हो गए हैं, लेकिन दाम कम करने वाली पार्टी और इंदिरा जी के नेतृत्व में गरीबी हटाने वाली पार्टी, भले ही गरीबी नहीं हटी, गरीबों को हटा दिया गया और उनके वोट ले लिए। आज जो दामों के भाव बढ़े हैं आपकी नीतियों के आधार पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात आती कि इतने दाम कम हो गए हैं तो कुछ पता चलता। इन्फ्लेशन के बारे में कहा गया है कि 16 से 12 प्रतिशत हो गई है, यह सही नहीं है। आप बाजार में जाकर कोई भी चीज को ले लें; किसी के भी दाम जो 11 जुलाई, 1991 को थे या उससे पहले थे उनमें काफी वृद्धि हो चुकी है। जब किसी चीज का भाव बढ़ा। तो उसके कम होने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। आपकी तो ऐसी नीति रही है कि जिस चीज के दाम बढ़ गए उसके और बढ़ते जाते हैं। इससे आम आदमी सफर करता है। आपने जो इसमें पब्लिक सेक्टर के बारे में वादा किया था।

[अनुवाद]

"सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए इसके कार्यकरण में सुधार लाए जा रहे हैं। उत्तरदायित्व के बगैर ही सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों का और अधिक स्वायत्ता की अनुमति दी जाएगी।"

[हिन्दी]

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर के बारे में जहां देश को करोड़ों रुपए का घाटा होता है, वह हमारी आमदनी को खा रहा है। उसके बारे में आपने 11 जुलाई 1991 को कहा था, लेकिन इस बार उसका उल्लेख नहीं है कि क्या आपने सुधार किया, कितने अधिकारियों को पूरी आटेनोमस पावर दी, कितने पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में श्वेत पत्र जारी किया, आपने पहले कहा था कि हम पब्लिक सेक्टर पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। इसमें जो घाटा हो रहा था वह आपने आज तक कम नहीं किया। अगर कम नहीं किया है तो स्क्रैप करने की जो बात थी या प्राइवेटाइजेशन की बात, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई अगर आज आप बताएंगे तो हम आपके आभारी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्रूड आयल के बारे में............। आज मैंने पेपर में पढ़ा हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक साल पहले भी था कि क्रूड आयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जो क्रूड आयल का प्रोडक्शन देश में हो रहा है, तकरीबन इतना ही हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्रूड आयल, जिसमें करोड़ों रुपए का इंपोर्ट प्रॉबलम है क्या हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो ड्रिलिंग हो रही है चाहे बंबई ऑफ शोर में हो या कावेरी रीजन में हो, या ऑन शोर हो, इनको किसी प्राइवेट लोगों के हाथों में देकर अगर आपकी ओ० एन० जी० सी० अगर उसमें कुछ कर पाती, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना कीमती है, इसको यूं न गंवाया जाता। अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना है आफ शोर में भी, आज बाम्बे हाई में भी प्रोडक्शन कम होता है। हमें एक सर्वे करना चाहिए,

और ड्रिलिंग की प्रायौरिटीज देनी चाहिए, मगर अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वर्ल्ड टैक्नोलोजी इनवाइट करें। ग्लोबल टेंडर इनवाइट करिए। दुनिया को दिखाइए कि हम इस सम्बन्ध में ग्लोबल टेण्डर इनवाइट करने जा रहे हैं जिसमें आयल एक्सप्लोरेशन करके ज्यादा प्रोडक्शन पर पहुंचना है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयल एक्सप्लोर करने के लिए दे दीजिए। आज जो आयात की नौबत आई है, वह अगर तीन साल पहले संकट होता कि आयल प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, इसलिए सर्वे करके आयल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इस सम्बन्ध में विचार किया होता तो इसमें इंपोर्ट की नौबत नहीं आती।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उस समय भी कहा था और अभी भी कहा है टैक्सटाइल के बारे में। टैक्सटाइल के बारे में महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज्यादा सफरर हैं। कई मिलें बंद हो गईं। जब से बंद हुईं, मजदूर मर गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, कहीं तालाब में पड़कर मर गए, कहीं रेल की पटरी के ऊपर आ गए। क्या सरकार ने कभी इस बात की चिन्ता की और बंद मिलों के बारे में सोचा ? इसमें सरकार एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। चाहे नागपुर की मिलें हों, चाहे गुजरात या अहमदाबाद की। आप सोच लीजिए कि टैक्सटाइल को चौपट करना है तो कर दीजिए, लेकिन इसके हिसाब से ही आपके अभिभाषण में भी इसका उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा सिल्क इन्डस्ट्रीज के बारे में क्या पॉलिसीज हैं यह नही बताया। कॉटन के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट दोनों की बात चल रही थी तो इसके ऊपर भी इसका इफैक्ट पड़ता है। टैक्सटाइल के बारे में जानने की भी मैं इच्छा रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, पॉवर क्राइसेज आज पूरे देश में है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, सब घाटे में चल रहे हैं या प्राइज राइज करके उसके ऊपर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पॉवर जनरेशन के बारे में सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं सोचा। हमारे देश में इतने पॉवर जनरेशन के सोर्सेज हैं कि उनका सही ढंग से अगर प्रयोग किया जाता तो मैं समझता हूं कि आज की तरह पॉवर क्राइसेज न होते। आप पॉवर जनरेट करते हैं कोयले से। कोयला बिहार या मध्य प्रदेश या वैस्ट बंगाल से आता है। ज्यादा से ज्यादा थर्मल पॉवर स्टेशन उस इलाके में लगने चाहिए। हमारे गुजरात में बिहार और बंगाल से कोयला आता है। उसकी वहां की कीमत 400 रुपए मीट्रिक टन होती है और हमारे यहां 1000 रुपए रहती है। हम सबसे महंगी बिजली बेचते हैं और हमारे एन० टी० पी० सी० वाले भी हमको बेचते हैं दो रुपए प्रति यूनिट के भाव पर। अब अगर कोई स्टेट इस भाव पर बेचने की सोचे तो क्या होगी। आपको कोयले का पूरा उपयोग करना चाहिए, इसलिए जहां वह निकलता है वहां थर्मल पॉवर स्टेशन बनाने चाहिए। हाइडल पॉवर स्टेशन जिसमें पानी से बिजली बनती है, आपके फॉरेस्ट ऐक्ट के नीचे अटके पड़े हैं जिस कारण हाइडल पॉवर स्टेशन भी बंद हैं। और गैस के सम्बन्ध में, जैसे कोयला जहां से निकलता है, वहीं उसका उपयोग होना चाहिए, वैसे ही जहां गैस निकलती है, वहीं उसके उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गैस व्यर्थ में जलती है। हमारे गैस पर आधारित पावर स्टेशन तैयार हैं। आपने आश्वासन दिया था कि सबको गैस मिलेगी, हमें गैस मिलेगी, 154 करोड़ रुपए हमारे गुजरात के इसमें लगे हैं, रैडीमेड गैस में, टर्बाइन पड़े हैं, लेकिन गैस की सप्लाई आप नहीं कर रहे हैं। आपने हमें आश्वासन दिया था कि जून, 1991 तक

हमें गैस देंगे, लेकिन अब 1992 चल रहा है, हमें गैस अभी तक नहीं मिली है। हजारों करोड़ रुपये इस काम में देश की प्रजा के लगे हैं, अब उसकी कौन चिन्ता करेगा। यदि आपमें थोड़ी-सी भी शर्म है तो गैस को जलाने की जगह आपका दिल जलना चाहिए। इसे जीरो फ्लेयर-अप में लाने के लिए, जहां गैस निकलती है, वहीं उसे दे दीजिए। इतने लोग तैयार हैं।

जहां तक गैस की प्राइस का संबंध है, केलकर कमेटी की रिपोर्ट में जैसा कहा गया है, कोयले से अगर आप गैस महंगी देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक दिन वह आयेगा, जैसा उपाध्यक्ष जी, आसाम में स्थिति पैदा हुई, आपने पोलिटिकली आयल की रायल्टी के 100 रु० बढ़ाये, यदि गैस में 500 रु० आपने बढ़ाए, एक हजार क्यूबिक मीटर के, तो भाव 1800, 2200 या 2500 रुपए हो जायेंगे, फिर आपकी गैस कौन लेगा। आप चाहे आयल निकालिए या गैस निकालिए, आपकी इन्वेंस्टमेंट केवल एक ही चीज पर होती है लेकिन आप दोनों में मुनाफा कमाना चाहते हैं, कामन मैन के लिए यह समस्या है। यदि गैस का उपयोग बिजली बनाने में किया जाये तो देखिये कितनी बिजली पैदा होगी। जैसे बिजली से अनेकों छोटी इंडस्ट्रीज या कुएं पर आधारित बिजली से किसान को फायदा पहुंचता है, अकेले हमारे स्टेट में ढाई लाख लोग एग्रीकल्चर साइड में पैसा जमा कराये बैठे हैं लेकिन अभी तक उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, पैसा जमा कराये काफी समय हो चुका है, कहीं-कहीं तो पांच पांच साल भी हो गए हैं। अभी तक एक किलोवाट भी बिजली नहीं मिली है। इसलिए आप गैस का सही उपयोग हो, इसकी व्यवस्था कीजिए।

जैसे हाइडल से बिजली बनायी जाती है, उसी तरह से टाइडल तरीके से भी बिजली बन सकती है, हमारे यहां समुद्र का किनारा इतना बड़ा है, वहां से टाइडल पावर भी निकल सकती है, इस पर भी आप सोचिए, यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस दो मिनट में खत्म करता हूं। जैसे अभी कोयले की बात चली, उसका जो बेस है, लिंकेज जिसको आप देते हैं, उस हिसाब से आप कोयला भी नहीं देते। अभी साउथ ईस्ट कोल कम्पनी के आफिसर वैगनों में कम वेट भरने के कारण सस्पेंड कर दिए गए। चाहे कोल इंडिया हो या दूसरी जितनी कोयले की खान हैं, उनका मैनेजमेंट भ्रष्ट है। सभी रेलवे पर दोषारोपण करते हैं कि वह चोरी करता है लेकिन घाटे में कामन मैन रहता है जहां से कोयला जाता है, बिजली बनती है, वह भी घाटे में जाती है, क्योंकि आप कोयले का वेट कम देते हैं। इन सब बातों की आपको चिन्ता करनी चाहिए। देश को यही सही दिशा में आगे ले जाना है तो आपको एग्रीकल्चर साइड को ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में जिक्र किया गया है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन-सा वैज्ञानिक इस देश में ऐसा हुआ, जिसने किसान या किसान की समस्याओं पर खोज करके कोई नया इन्वेंशन किया, किस वैज्ञानिक ने खोजबीन करके किसान से कहा कि तुम बैलगाड़ी को इस तरीके से चलाओ तो वह अच्छी चलेगी या तुम्हारे हल में अमुक स्प्रिंग या बियरिंग लगाये जायें तो उसे बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। किसान ने स्वयं मेहनत करके अपने लिए नये औजार निकाले हैं। भारत सरकार ने भी एग्रीकल्चर साइड में बड़ी-बड़ी बातें करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज ऐसी परिस्थिति है, जैसे आपको एग्रीकल्चर

चाहिए ही नहीं, एग्रीकल्चर से आपको कुछ लेना-देना नहीं है। नेहरू जी के दिनों से लेकर आज तक किसी ने इसकी चिन्ता नहीं की। अभी भी देर नहीं हुई है, यदि आप अब भी एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देंगे तो देश सुखी होगा, समृद्ध होगा।

महोदय, एम्पलायमेंट के बारे में, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक साल में कितने लोगों को आपने विगत कई नौकरियां दीं और आने वाले एक साल में आप कितने लोगों को नौकरियां देने जा रहे हैं या दूसरी सुविधायें देने जा रहे हैं। फिर क्या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 11 जुलाई वाली बातें आयेंगी कि हम इतने लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, इस देश में अमुक बात करने जा रहे हैं, क्या अभिभाषण में ऐसी बातें करके आप वोट लेना चाहते हैं। यदि वोट नहीं लेना है तो अभिभाषण में कम से कम सही बातों को शामिल किया कीजिये, जिन्हें आप प्रियोरिटी के आधार पर करना चाहते हैं। यदि एम्पलायमैंट या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को आप प्रियोरिटी के आधार पर इम्पलायमैंट करना चाहते हैं तो चाहे कोई एम०पी० हो या एम०एल०ए०, जिसके दो बच्चों से ज्यादा होंगे, उन्हें टिकट मत दीजिए, राशन कार्ड मत कीजिए, चाहे वह कोई भी हो। ठीक है, बैचलर आगे आयेंगे, इस देश के प्रधान मंत्री बनेंगे। दो डिलीवरी के बाद, यदि कोई महिला फिर आये तो उससे आप हैवी चार्ज कीजिए, बैंकिंग क्रैडिट की सुविधा उसे मत दीजिए, नौकरियों में जाब मत दीजिए। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं और पूरा देश आपके साथ होगा, आपसे सहमत होगा, यदि फैमिली प्लानिंग के जरिए आप देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को कन्ट्रोल करना चाहते हैं तो कामन सिविल कोड लाइये और किसी रिलीजन को विशेष छूट नहीं होनी चाहिए फैमिली प्लानिंग के मामले में। क्या बात है, इतना देश मर रहा है और आप इसमें भी राजनीति देखते हैं। कभी सिविल कोड लाने की बात कहते हैं और कभी कुछ और। मेरा आपसे निवेदन है कि सिविल कोड लाकर सबके साथ न्याय किया जाए। हो सकता है इसमें किसी को ज्यादा फायदा मिल रहा हो। मेरा कहना यह है कि ज्यादा फायदा नहीं मिलना चाहिए और न ही बिल्कुल निगेटिव हो। सच्चाई यह है कि 5 साल में कम होगा और रेट काफी कम हो जाएगा।

प्रधान मंत्री महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात बार-बार कहते हैं। गांव में आप जाइए, वहां देखिए, किसी को खाने का तेल दुकानों से नहीं मिल रहा है। कौन-सा गेहूं वहां मिल रहा है और कौन-सी चीजें खाने की उन दुकानों पर उपलब्ध हैं, यह जरा आप गांव में जाकर देखिए। सार्वजनिक प्रणाली का भट्ठा बैठाया हुआ है, कोई चिन्ता नहीं है। बार-बार प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो कह रहे हैं उसको कहिए नहीं, करिये।

मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से अनुरोध करता हूं कि आपने क्या-क्या काम इस साल में किए हैं, उनके ऊपर अगला जो राष्ट्रपति जी का भाषण होगा, उसमें आधा भाग इन्हीं कामों के बारे में होना चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे, तो बी० जे० पी० आपका साथ देगी, नहीं तो इस देश की जनता आपको इसकी सजा भी देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, महान अंग्रेजी कवि ब्राउनिंग ने एक बार कहा था, "जब भगवान अपने स्वर्ग में है। उस समय विश्व में सब कुछ ठीक है।"

राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ने के बाद मैं ब्राउनिंग की आत्मा के प्रति उचित सम्मान दर्शाते हुए थोड़ा परिवर्तन करते हुए यह कहने को बाध्य हूं कि "जब राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में हैं उस समय भारत में सब कुछ ठीक है।"

यह अभिभाषण वास्तविकता से अलग है। इसमें सामाजिक दृष्टिकोण का अभाव है। ऐसा लगता है कि अभिभाषण को तैयार करने वाले बनावटी और झूठी दुनिया में रहते हैं। ध्वनिरोधक कांच के मकान में बैठकर जहां लोगों की तकलीफ भरी आवाज न पहुंच सके, पीड़ितों की हृदय-विदारक आवाज उनके कानों तक नहीं जा सकती, उन द्वारा तैयार यह अभिभाषण हमारे सम्मुख है जिसमें कुछ वायदे किए गए हैं, लेकिन हमारे सम्मुख विद्यमान राष्ट्रीय स्थिति को इसमें वास्तव में नहीं दर्शाया गया है।

मैं आर्थिक स्थिति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर नहीं बोलूंगा। यदि मुझे बजट या विदेशी मामलों पर वाद-विवाद में बोलने का अवसर मिला तो उस वक्त के लिए मैं ये टिप्पणियां सुरक्षित रखता हूं।

लेकिन मैं पंजाब चुनाव का उल्लेख अवश्य करूंगा, जिस पर सत्ता पक्ष जोर-शोर से बोल रहा है। हां, कांग्रेस ने चुनाव में जीत प्राप्त की है। लेकिन मैं यहां पर अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि किस नैतिक मूल्य और देश की अखंडता के कितने मूल्य पर यह सब प्राप्त किया गया है। मैंने देखा कि इस अभिभाषण में भी ऐसा वायदा या आश्वासन नहीं है कि पंजाब के लोगों की वैध आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। राजीव-लोंगोवाल समझौते का थोड़ा-सा उल्लेख है लेकिन यह कोई वचनबद्धता या कोई उम्मीद नहीं है। मैं सरकार को सतर्क करता हूं कि ऐसे चुनाव वास्तविक चुनाव नहीं हैं और यदि पंजाब के लोगों की सन्तुष्टि के मुताबिक अगर पंजाब की लम्बित समस्याओं को हल नहीं किया गया तो झूठे आश्वासन देने वाली यह सरकार नहीं चलेगी। श्री पी० वी० नरसिंह राव को तो 12 संसद सदस्यों का नुकसान नहीं होगा, लेकिन पंजाब में शांति फिर से खत्म हो जाएगी।

कश्मीर में वास्तव में भयंकर स्थिति है और सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक कार्यवाही और अभियान चलाने का वायदा किया है। उन्हें और अधिक शक्ति प्राप्त हो। लेकिन उनके पास क्या है जिसे प्रदर्शित करें? विगत दो वर्षों के दौरान उनकी कार्यवाही से स्थिति निश्चित रूप से बिगड़ी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारी शक्ति में कोई कमी है लेकिन ऐसा इसलिए है कि हमारी दीर्घकालिक नीति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं है। हमारी सुरक्षा कार्यवाहियों में आम लोगों तथा उग्रवादियों में बहुत कम अन्तर रखा गया है। आज कश्मीर के लोग हमसे पूछते हैं : क्या हम भारत के नागरिक हैं? क्या हम संविधान की सुरक्षा और कानून के शासन के अधिकारी हैं? क्या हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? क्या हमें मानव अधिकार प्राप्त हैं? अगर हम सद्भावना-

पूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे खेद है कि बन्दूक से लोगों की आवाज तो बन्द हो जाएगी लेकिन बन्दूक से वे हमें प्यार नहीं करेंगे और उनसे हमें देश पुनः प्राप्त नहीं होगा।

महोदय, मुझे डर है कि जानबूझकर कश्मीर की स्थिति को साम्प्रदायिक करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि जसवन्त सिंह जी यहां पर नहीं हैं। उन्होंने कुछ अत्यधिक स्वयं सिद्ध बातें कहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान वहां है, पी० ओ० के० वहां पर है। फिर उन्होंने कहा कि घाटी के लोग मुसलमान हैं। यदि वह यहां होते तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि : पंजाब की स्थिति पर क्या कहना है ? क्या यह इसलिए है कि वे सिख हैं ? असम के बारे में क्या कहना है ? यह इसलिए है क्योंकि वे इस भूमि के नहीं, अपितु मंगोलियन नस्ल के हैं ? श्री जसवन्त सिंह हमें किस बारे में यकीन दिलाना चाहते हैं ? क्या वह हमें यह बताना चाहते हैं कि हिन्दू मत से निकले लोग ही भारत के सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं ? क्या वह भारत को भारत वर्ष से परिभाषित करना चाहते हैं ? यह संकुचित दृष्टिकोण ही हमारी कश्मीर नीति में गलत है और सरकार को सलाह दे रहे अनेक अफसर भी काफी हद तक ऐसे विचार रखते हैं। अतः, मैं सरकार से चाहूंगा कि वह कश्मीर की स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक एवं एक मानवीय समस्या समझ कर गौर करें और फिर हम इस चिरकालिक प्रश्न को हल करने में समर्थ होंगे। मुझे विश्वास है कि एक ऐसा समय आयेगा जब कश्मीर की जनता हमें पुनः अंगीकार कर लेगी।

अब, मैं आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हमें जो बात इसमें परेशान कर रही है वह स्थिति की गम्भीरता नहीं है। हम अपनी निर्धनता के आदी हो गये हैं। हम अपनी गरीबी को अपना नसीब मान सकते हैं। परन्तु हम उपनिवेशवाद पुनः सिर नहीं उठाने देंगे, अपनी प्रभुसत्ता को गिरवी नहीं रखेंगे और अपनी स्वतंत्रता को परित्याग नहीं करने देंगे। अतः, आज सरकारी नीति के दाव-पेच हमारी चिन्ता का विषय नहीं है। हम इसके बहुत से दाव-पेचों से सहमत हो सकते हैं। यह पूर्ण रूप मे इसकी आकृति, विदेशी संगठनों की तानाशाही के अन्तर्गत कार्यकरण के पूर्ण दृष्टिकोण अथवा उनके नैदानिक उपायों को, जैसे कि वे हमें परलोक से उतार कर लाये हैं, को स्वीकार करने का प्रश्न है। हम आर्थिक-सुधारों के पक्ष में एकमत हैं। हम सरकारी व्यय को कम करने के लिए एकमत हैं। हम फिजूलखर्चों में कटौती के लिए एक हैं। हम प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु एक हैं। परन्तु, जब हम सुधारों को प्रारम्भ करते हैं, तो हमें अपने समाज की सामाजिक-गतिशीलता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए; हमें सामाजिक अस्थिरता की सम्भावनाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें इस प्रश्न पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इस छोटे मार्ग से चलने में गरीबी और बेरोजगारी में और वृद्धि तो नहीं होगी। हमारी जनता के तीन चौथाई भाग—हो सकता है 4/5वें भाग—का विपणन से कोई लेन-देन नहीं है। व्यापारियों को खुला छोड़कर अथवा उन्हें व्यापारियों की कृपाओं का परिचारक बनाने से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इस प्रकार, क्या हम राष्ट्र को दो संस्कृतियों दो समूहों में विभाजित करने जा रहे हैं ? तथ्य यह है कि 150 मिलियन जनता आधुनिक जीवन का आनन्द लेगी, उसके पास वह सब कुछ होगा जो संसार में सर्वोत्तम है, उसके विश्वव्यापी सम्पर्क, विश्वव्यापी संघ और विश्वव्यापी जीवन स्तर होगा और बाकी जनता का क्या होगा, इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। यदि यही भारत की झांकी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता ऐसी नीति, ऐसी सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह के लिए उठ खड़ी होगी।

महोदय, असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के समक्ष विद्यमान

असमानताओं में वृद्धि के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो कि शोचनीय है, जोकि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच चोटी के दस प्रतिशत लोगों और निम्नतम स्तर के दस प्रतिशत लोगों के बीच, एक-दूसरे आंचल के बीच; एक सामाजिक वर्ग और दूसरे के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। हमारी आर्थिक नीति का वास्तविक परीक्षण केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने मे होगा कि इसे हमारे देश की जनता में, हमारे सभी आंचलों में, हमारी सभी जातियों में समान रूप से, न्यायसंगत और न्यायोचित ढंग से वितरित किया जाता है और हमें अपने समाज में असमानता को कम करना है।

महोदय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में इसमें एक शब्द भी नहीं है। जनता को भोजन की आवश्यकता है, जनता को कपड़ों की आवश्यकता है, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को दवाइयां चाहिए और जनता को मकान चाहिए। मानव जाति को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ये बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। यह वह सरकार है जो 750 मिलियन नंगी, भूखी जनता के भाग्य पर राज कर रही है और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पूरा करने की उच्च प्राथमिकता देने के बारे में इसके पास एक भी शब्द नहीं है।

मैं, आपकी अनुमति से, अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। आरम्भ में ही क्या मैं यह कह सकता हूं कि मैंने 'अल्पसंख्यक' शब्द को न तो धार्मिक शब्दावली, न ही भाषाई शब्दावली और न ही जातीय शब्दावली में परिभाषित किया है, बल्कि जैसी मैंने अपने समाज में सामाजिक विषमता देखी उसी आधार पर परिभाषित किया है? किसी भी निर्णायक स्तर पर जिस समुदाय के लोगों की संख्या कम होती है, उसे वंचित रहना पड़ता है, अन्याय का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि यह एक अल्पसंख्यक समुदाय है। मैं इस रूप में यह तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में देश के विभिन्न स्तरों पर इन अल्पसंख्यकों की समस्याओं का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है। निःसन्देह, मानवाधिकार, उत्पीड़न और पुलिस द्वारा पिटाई तथा अत्याचारों की समस्या है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अत्याचारों के शिकार प्रत्येक वर्ग पर अत्याचार विरोधी कानून लागू करेगी? विशेष न्यायालयों के गठन, बार-बार स्थापित जांच आयोगों के प्रतिवेदनों के क्रियान्वयन, जिनका अब तक क्रियान्वयन नहीं किया गया, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। यही वे क्षेत्र हैं, बल्कि गांवों, पंचायतों, खण्डों के पॉकिट्स हैं, जहां वे कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक रहते हैं, जो सभी सुविधाओं से वंचित हैं, यहां तक कि सरकार के कार्यक्रमों का भी लाभ उन्हें नहीं मिलता है। मैं सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को लागू करने, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं, अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं, उन लोगों, जोकि स्वयं अपनी आवश्यकताओं का दावा नहीं कर सकते, का एक पाक्षिक विश्लेषण करवाना चाहता हूं। मैं बाबरी मस्जिद मुद्दे, जिसका इसमें उल्लेख किया गया है, को संक्षिप्त रूप में रखना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। मुझे खेद है कि सरकार की उपलब्धियों में, जिसका विशेष उल्लेख होना चाहिए था, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई और इसमें एक संकल्प पारित किया गया तथा इसमें ही उत्तर-प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक आश्वासन दिया था। सम्पूर्ण परिषद द्वारा इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार करने से देश में एक नया वातावरण बना

जिससे तनाव कम हुआ। परन्तु, दुर्भाग्य से, अयोध्या में एक दीवार बनाई जा रही है। आक्रोश पुन: बढ़ रहा है, तनाव पुन: बढ़ रहा है।

मुझे डर इस बात का है कि हमारे इस अनुरोध को वहां सत्तासीन दल ने स्वीकार नहीं किया है कि इस दीवार के लिए स्वीकृत योजना, अनुमोदित योजना को सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया जाए ताकि इसमें जो कोई सन्देह अथवा अनिश्चितता है वह दूर हो सके।

यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सभी पार्टियां बातचीत के लिए तैयार हैं। इसलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद् के संकल्प के अनुरूप ही अतिशीघ्र वार्ता होनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, कि सद्भावना से कोई रास्ता निकल आयेगा। जब तक पूर्ण प्रयास नहीं किये जायेंगे, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। जब तक न्यायालय का आदेश है, तब तक कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। यह सहमति है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की जाएगी। सरकार ने दंगा-पीड़ितों/अनाथों के कल्याण के लिए एक सांप्रदायिक सौहार्द संस्थान की स्थापना की है। मुझे विदित नहीं है कि सरकार ने दंगों के शिकार अनाथों, विधवाओं की गिनती करवाने के लिए कभी कोई प्रयास किये हों। परन्तु सरकार ने एक दंगा-विरोधी बल, द्रुत कार्रवाई बल के बारे में कहा है। परन्तु सरकार ने इस बल की संख्या, स्थान, तैनाती की नीति, प्रशिक्षण, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और उनके मानसिक रूप से तैयार करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि प्रोत्साहन, मानसिकता और संघटन का बहुत महत्व है। सरकार ने चुनावों के समय यह वायदा किया था कि अल्पसंख्यक आयोग को एक सांविधिक दर्जा दिया जायेगा। मुझे व्यक्तिगत तौर पर सरकार के मंत्रियों ने बार-बार विश्वास दिलाया है कि संसद के अगले सत्र में हम विधेयक लायेंगे। मुझे बताया गया है कि विधेयक तैयार है। परन्तु इस अभिभाषण में इस महत्वपूर्ण वायदे को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

हमसे यह भी वायदा किया गया था कि 'वक्फ' नामक धर्मार्थ न्यासों को पूरा संरक्षण दिया जायेगा और तत्सम्बन्धी कानून, जोकि अपर्याप्त है, में संशोधन किया जायेगा।

3.00 म० प०

यद्यपि, सम्बन्धित मंत्री की विभिन्न वर्गों और विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तियों से इस बारे में कम से कम चार बैठकें हो चुकी हैं, पुनः इस प्रकार के किसी इरादे का कोई उल्लेख इसमें नहीं है। परन्तु सार्वजनिक वक्फ, सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों को अवैध कब्जों से खाली कराने तथा उनके मामले में अर्जन कानून लागू न करने के लिए इनको सार्वजनिक परिसर घोषित करने का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता की धार्मिक भावना किसी धार्मिक संपत्ति के अर्जन को अमान्य कर देगी। वे हमारे मन्दिरों, गिरिजाघरों और मस्जिदों को किसी भी उद्देश्य के लिए अर्जन करने की अनुमति नहीं दे सकते।

मैं पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम, जिसके बारे में कुछ कहा गया है, के बारे में कुछशब्द कहना चाहूंगा।

इसे नया रूप प्रदान किया जाना चाहिए। हम इसके बारे में शोर-गुल करते रहे हैं। यह पिछले आठ वर्षों से चालू है। इस प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद को एक भी प्रतिवेदन अभी तक प्रधानमन्त्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब हमें इसे नया रूप प्रदान करने के लिए कहा गया है। मुझे आशा है कि इसे नए सिरे से तैयार कर लिया गया है। मुझे आशा है कि लक्ष्य मात्रा बार हैं, ताकि हम वर्षवार अनुमान लगा सकें और मैं आशा करता हूं कि सरकार राष्ट्र को प्रति वर्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सहमत है, ताकि अल्पसंख्यक यह पुनः आश्वस्त महसूस करें कि उनके हितों की रक्षा की जा रही है।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। और यह त्रिभाषी फार्मूला इसका सहवर्ती है। कई राज्यों ने इस त्रिभाषी फार्मूले के क्रियान्वयन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है जिससे कि इसका मौलिक विषय ही बदल गया है। प्रत्येक राज्य चाहे वह कर्नाटक हो, आन्ध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यक यह अनुभव करते हैं कि प्रदत्त ढांचे में उनके बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने या मातृभाषा में निर्देश देने का कोई अवसर नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और देखेगी कि त्रिभाषी फार्मूला सम्पूर्ण रूप से लागू किया जाए। और सभी अशिक्षितों और हमारे बच्चों तक शिक्षा के लाभ पहुंचने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनः समीक्षा की जाए। यह हम सबके लिए दुःख की बात है कि संविधान के लागू होने के इतने वर्षों पश्चात् भी हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है जो कि उनका हक है। देश में कोई सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा नहीं है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का प्रश्न है। यह संसाधनों के आवंटन का प्रश्न है। किन्तु इस कार्यक्रम में इस बारे मे एक भी शब्द नहीं है कि सरकार युद्ध-स्तर पर जन-साक्षरता अभियान और प्राथमिक शिक्षा शुरू करने जा रही है।

हमारे महान देश में लोग दुखी हैं कि उनके अधिकारों का सम्मान नहीं होता। उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पुलिस हर कदम पर उन पर अत्याचार करती है। कमजोर लोग उनका लक्ष्य होते हैं। मैं एक दोहे के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं :

[हिन्दी]

देखें तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें,
और ढूंढोगे तो कातिल का पता भी नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

मैं चाहूंगा कि सरकार इन कातिलों का पता लगाए और उन्हें सजा दे ताकि ये कातिल भारतीय होने के हमारे अधिकार, मानव होने के और पहचान योग्य सामाजिक समूहों के सदस्य होने के हमारे अधिकारों का कत्ल करना बंद करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि हमारा देश कई क्षेत्रों में गहरे संकट से गुजर रहा है। किन्तु हमारे घावों को भरने का नुस्खा अजीब है। मेरे मतानुसार, केन्द्रीय सरकार के अधिकांश कदम, संकट को और गहरा कर देंगे।

अपनी बात को बल देने के लिए मैं इस संकट के कुछ पहलुओं को उद्घाटित करूंगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताए गए और कुछ हद तक बजट में दिए गए कुछ नुस्खों को बताने का प्रयास करूंगी। मैं बजट का ब्यौरा नहीं दे रही क्योंकि बजट पर अलग से चर्चा होगी।

पहला संकट यह है कि हमारे देश को राष्ट्रीय विघटन की गंभीर शक्तियों से खतरा है। यह हमेशा सर्वत्र दिखाई नहीं देता। फिर भी तनाव बढ़ रहा है और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। यह संकट का एक पहलू है?

ये कठिनाइयां हमारी राष्ट्रीय परम्परा में अनुकूल नहीं थीं। हमारी राष्ट्रीय परम्परा ऐसी रही है जिसमें हमारे महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है—

*ओ मेरे हृदय अम्बुधि समान महान मानवता की इस पावन भूमि पर जाग

*राष्ट्र की इस महान मानवता में हम सब साथ-साथ जिएं।

यहीं आर्य, अनार्य, द्रविड़, चीनी, शक,
हूण, पठान, मुगल भारत के शरीर में
एकाकार हुए।

इस स्वतन्त्र राष्ट्र में सभी प्रकार के लोग आए, यहां बसे और अंततः शरीर का एक अंग हो गए। यह हमारी राष्ट्रीय परम्परा है। निश्चित रूप से हमारा देश उस राष्ट्रीय परम्परा को बनाए रखने की स्थिति में है, क्योंकि आजकल प्रायः राष्ट्रीय परम्परा उन विभिन्न ताकतों द्वारा प्रयुक्त की जा रही है जो वास्तव में राष्ट्रीय परम्परा नहीं निभा रहे हैं।

देखें कि सरकार ने इन प्रश्नों पर क्या सुझाव दिए हैं, और क्या कार्यवाही की है। जहां तक नुस्खों का संबंध है उनकी मंशा अच्छी है। किन्तु नरक का मार्ग भी शुभेच्छाओं से पटा है। हर रोज पंजाब के बारे में जिस योजना को लागू करने का वायदा किया जाता रहा यदि यह पंजाब के चुनावों से पूर्व ही लागू कर दी गई होती तो, मुझे विश्वास है कि पंजाब में चुनाव प्रक्रिया भिन्न रही होती। किन्तु दुर्भाग्य से यह नहीं किया गया। इससे किसे लाभ पहुंचा। निश्चय ही इसने आतंकवादियों की सहायता की है।

दूसरा मुद्दा वह साम्प्रदायिक फूट है जिसका उल्लेख प्रत्येक ने किया है। इसका ब्यौरा दिए बिना मैं सरकार द्वारा श्री मुरली मनोहर जोशी को लाल चौक में झंडा फहराने में दी गई सहायता का उल्लेख करना चाहूंगी जिसके लिए सरकार ने स्वयं खतरा उठाया। इससे किसे सहायता मिली? कश्मीर में, इससे अलगाववादियों को ही सहायता मिली. राष्ट्रीय अखंडता में इसका निश्चय ही कोई योगदान नहीं रहा। इसलिए यह पहला पहलू है और यह नुस्खा है।

यहां मैं केन्द्रीय सरकार या इसके दल को पूरी तरह उत्तरदायी नहीं ठहराती। मैं जानती हूं कि कांग्रेस दल में कई धर्मनिरपेक्ष तत्व हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि वे सक्रिय हों और सिर्फ अपने

*बंगला कविता से उद्धरण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी सारांश।

दल के बारे में ही न सोचें बल्कि सारे राष्ट्र के बारे में सोचें और वास्तविक धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए कार्य करें, जिसके लिए मुझे खेद है कि वह नहीं कर रहे हैं।

अन्य पहलू भी हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, नारी और पिछड़े वर्ग तथा कृषि मजदूरों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा। इसका समाधान क्या है। एक पक्ष यह है कि ये अत्याचार कानून और व्यवस्था का प्रश्न है और यह एक राज्य का विषय है? यह एक बहुत आसान रास्ता है। किन्तु अनुसूचित जातियों का प्रश्न सिर्फ राज्य का विषय नहीं है; यह केन्द्र का विषय भी है किन्तु मैं सिर्फ वही नहीं कह रही।

प्रश्न यह है कि सभी आर्थिक नीतियां भी इन लोगों को लाभ नहीं पहुंचातीं। तथाकथित 'एक्जिट' नीति के तहत, जिन्हें सार्वजानिक उपक्रमों से जाने के लिए बाध्य किया जाएगा क्या उनके लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई संभावना है? निश्चय ही उन्हें वहां आरक्षण नहीं मिलेगा। यह अंत: संबंधित है। मैं आर्थिक प्रभुसत्ता के हनन की बाद में बात करूंगी। यह अंतिम विषय है और इस क्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या सरकार ने इस सब पर विचार किया है? नहीं। जहां तक मैं समझती हूं मंत्रिमंडल के हमारे एक मित्र धर्म निरपेक्ष हैं। प्रभारी मंत्री ने भारतीय महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति इससे सहमत होगा कि महिलाओं से संबंधित कानूनों का उल्लंघन हमेशा से होता रहा है और यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। उस आयोग में एक को छोड़कर सभी सदस्य सत्ताधारी दल के हैं और वह हैं श्रीमती सुभाषिनी अली अन्य सभी सत्ताधारी दल से संबंधित है? महिला आन्दोलन के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध लोग सत्ताधारी दल से हैं किन्तु आयोग में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग से संबंधित यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु है। मैं इसका उल्लेख करना चाहती हूं किन्तु मंत्री श्री सिंह यहां नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री के माध्यम से मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि जब भारतीय महिला राष्ट्रीय आयोग विधेयक पर सदन में चर्चा की गई थी—श्री राम विलास पासवान इस समय वे यहां नहीं है तो उन्होंने एक संशोधन रखा था कि अखिल भारतीय स्तर के सभी महिला संगठनों को आयोग का सदस्य बनाया जाना चाहिए।

3.11 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

किन्तु उन्हें मताधिकार नहीं होगा और वे अवैतनिक कार्य करेंगे। इस सदन में श्री राम विलास पासवान ने मुझे आश्वासन दिया था कि यह नियमानुसार किया जाएगा। क्या मैं जान सकती हूं कि जिन नियमों का वादा किया गया था क्या वे विधेयक में रखे गये हैं। इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होगा। उन्हें वेतन और भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि इस आयोग में कोई कार्य करना है तो, महत्वपूर्ण अखिल भारतीय संगठनों के प्रतिनिधियों को इसमे सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का प्रश्न ऐसा है जिसके लिए सभी को अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एकजुट होकर कार्य करना है। मैं यही बात इस सदन में असंख्य बार कह चुकी हूं। अत: इस क्षेत्र में भी नुस्खा बहुत अच्छा नहीं है।

एक ग्रामीण श्रम आयोग बनाया गया था, शुरू में मैं उसकी सदस्या थी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने मुझे इस आयोग में रखा था और बाद में मैंने इसे त्याग दिया। मेरे दल के श्री दास गुप्ता व अन्य कई भी उस आयोग में थे। सभी शिफारिशें स्वीकृत हुईं। कुछ शिफारिशें थीं कृषि श्रमिकों को सुरक्षा देनी चाहिए उन्हें क्षतिपूर्ति देनी चाहिए: यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक को न्यूनतम वेतन तो मिले ही, वृद्धा वस्था पेंशन मिलनी चाहिए और नौकरी के अवसर पैदा करने होंगे। आर्थिक प्रश्न पर विचार करते हुए मैं नौकरी के अवसरों की बात करूंगी।

छः महीने पहले यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। यहां यह कहा गया है कि इस पर विचार किया जा रहा है। यह कितने समय तक विचाराधीन रहेगी ? वे इस पर किस प्रकार विचार कर रहे हैं ? जब मैं आर्थिक स्थिति का उल्लेख करूंगी तब मैं बताऊंगी कि इन क्षेत्रों में प्रत्येक में उन्हें कोई राहत देने की बजाय वास्तव में कटौतियां की गई हैं। इसलिए सामाजिक भेदभाव, सामाजिक न्याय के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम कठिनाई का सामना कर रहे हैं, किसी ने भी कार्यवाही नहीं की है।

अब तीसरा पहलू है, जिसे हर व्यक्ति जानता है। यह प्रश्न है कि चुनावी प्रक्रिया को क्षति पहुंचाई जा रही है। इसे शारीरिक और पैसे की शक्ति से कमजोर किया जा रहा है, इस पर सभी पार्टियों को अपने अन्दर झांकना होगा। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगी। हर व्यक्ति इस बारे में जानता है।

मैं अत्यन्त महत्वपूर्ण इस तीसरे पहलू पर बोल रही हूं। यह दल-बदल का प्रश्न है। मणिपुर दल-बदल का सर्वाधिक धोखाधड़ी का उदाहरण है। मैंने अपने साथी श्री बीरा सिंह से सुना है कि किस प्रकार तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी से संबंधित विधायकों को वस्तुतः रोका गया और लगातार महीनों तक पुलिस की सुरक्षा में रखा गया ताकि दल बदल में आगे रहें। क्या सत्ताधारी दल इसका सामना इस प्रकार कर रहा है ? अगर मणिपुर में यह जारी रहता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि मणिपुर में क्या होगा ? आप सभी विद्रोह की समस्या को जानते हैं। क्या उससे इसमें वृद्धि नहीं होगी। इससे इसमें वृद्धि होगी। इसलिए आप यह सब कदम उठाने से पहले विचार करें। नागालैंड और मेघालय उदाहरण साबित होंगे। यह राष्ट्रीय संकट का पहलू है। इसके समाधान और परिणाम दोनों को मैं आपके सम्मुख विचार हेतु रख रही हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं थोड़ा-सा समय और चाहती हूं। मुझे आशा है आप मुझे समय देंगे। मैं यथा संभव संक्षेप में बोलूंगी। मैं आमतौर पर संक्षेप में ही बोलती हूं।

अब मेरे प्रश्न का अन्तिम भाग हमें सर्वाधिक चिन्तित कर रहा है। यह प्रश्न आर्थिक स्वायत्तता का है। कल मेरे आदरणीय साथी श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य साथियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर काफी विस्तार से चर्चा की। मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं 'डंकल' प्रस्तावों के मुद्दे को उठाना चाहती हूं, इस पर आपको अगले महीने, अप्रैल तक अपने विचार देने हैं। जैसा कि मैंने पाया है, मेरे विचार से तो आप अपना मत पहले ही दे रहे हैं।

कुछ दिन पूर्व श्री पी० चिदम्बरम ने कहा था कि 'डंकल' प्रस्तावों से हमारे कृषि और कपड़ा उद्योग को लाभ होगा। हमारी कृषि के संबंध में डंकल प्रस्ताव क्या है?

"जहां पर उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक राज सहायता है उसे सभी मामलों में सन् 2003 तक 13.3 प्रतिशत तक घटाना।"

इसका यह अर्थ है कि न सिर्फ उर्वरक पर राजसहायता की वापसी होगी बल्कि बीज और संभवत: जल विद्युत और गरीब किसान को दी जाने वाली राजसहायता भी वापस होगी। इस प्रकार इससे कृषि को लाभ होगा। क्या इसी कारक पेय जल के लिए भी बजट में वास्तव में आवंटन कम है। वास्तव में इसका अर्थ है मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करके देखना।

समग्र ग्रामीण विकास के लिए आवंटन कम है। क्या यही तरीका है? आप पहले ही 'डंकल' प्रस्तावों का अध्ययन कर चुके हैं। डंकल प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। इस बारे में आपका रवैया क्या है? इस वर्ष के बजट में आई० सी० एम० आर० के लिए कोई बजट नहीं है। कुल चिकित्सा अनुसन्धान के लिए तो राशि बढ़ गई है।

दूसरा मुद्दा केन्द्र-राज्य संबंध है। इस पर हमें पहले ही नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल को भेदभाव पूर्ण ब्याज दरों के कारण 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह जवाहर रोजगार योजना और अन्य सभी से संबंधित है। यह दिलचस्प बात है कि पिछले वर्ष योजना के लिए आवंटन आधी राशि खर्च नहीं की गई। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार धनराशि नहीं दे सकी। इस वर्ष, प्रारम्भिक अनुमानित राशि से थोड़ी कम राशि दी गई है। मैं नहीं जानती कि राज्य सरकारें यह राशि कहां से प्राप्त करेंगी। इसलिए क्या यही आर्थिक स्वायत्तता है? क्या इसी आर्थिक स्वायत्तता के तहत इन लोगों की मर्जी के अनुसार आप उस विषय को भी छोड़ रहे हैं जिसके बारे में आपने कहा था कि यह आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। आप व्यावहारिक रूप में इससे दूर हो रहे हैं।

इसलिए महोदय, मैं समझती हूं कि इस भाषण में दिए गए एकमुश्त प्रस्ताव तथा बजट में दिये गए कुछ संकेतों पर धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। अगर इसमें कुछ दर्शाया गया है तो वह इसका पूर्णतया परित्याग है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से यही कहना चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्री सुख राम (मंत्री) : चेयरमेन महोदय, मेरे माननीय दोस्त श्री पी० एम० सईद ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों को प्रतिबिम्बित करता है। इस अभिभाषण को मैं मोटे तौर पर चार हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक तो जो 18-19 महीने पीछे दो सरकारें हुई उसके बाद राष्ट्र के लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया, उनको अहसास हुआ कि केन्द्र में सरकार हैं, जो राष्ट्र की बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं उनके साथ जूझने की ओर बिना देरी किए फैसला करने की ओर उसकी कार्यान्वित करने की क्षमता रखती है। 18-19 महीनों के बाद पहली दफा लोगों ने इस बात का अहसास किया है। ऐसी नीतितां जिसके दूरगामी परिणाम हैं, राष्ट्र के निर्माण

के लिए जो सोचना है वह 100 साल की बात सोचता है न कि चुनाव की तरफ नजर रखे हुए। कुछ हमारे दोस्त नये चुनाव की तरफ नजर रख कर नीतियों का समर्थन करते हैं या नीतियां बनाते हैं। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में जिस विकट स्थिति में चुनाव किए गए और जिस शान्तिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए इससे मालूम होता है कि हमारे जो प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी हैं वे दृढ़ निश्चय के हैं और जो वायदा करते हैं, उसको पूरा करते हैं। यही नहीं कि इन्होंने वायदा किया और उसे पूरा नहीं किया। वी० पी० सिंह जब प्रधान मंत्री बने, बहुत-सी समस्याएं उन्होंने जगा रखी थी देश के लोगों में। प्रधान मंत्री बनने के बाद वे स्वर्ण मन्दिर भी गए, कुछ फासले तक खुली जीप में घूमे। लोगों को बड़ी भारी आशा बंधी। उन्होंने यह भी कहा कि हम चुनाव करवायेंगे। मगर जब तक वे सत्ता में रहे, चुनाव नहीं करवा सके। मगर इस सरकार ने 6 महीने के अन्दर-अन्दर पंजाब में चुनाव करवाए।

मैं क्योंकि पंजाब के पड़ौस से आता हूं, मुझे मालूम है, जो इल्जाम लगाया जाता है कि वहां पर लोगों ने ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, मैं जानता हूं कि अकालियों की लड़ाई पंजाब में है तो सत्ता की लड़ाई हमेशा रही है। वे सत्ता से बाहर नहीं रहना चाहते थे। मगर जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक बात में कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने आतंक का वातावरण सारे पंजाब में फैला रखा है। अकालियों ने यदि चुनाव में हिस्सा नहीं लिया तो इसका कारण सिर्फ एक था कि वे बन्दूक की गोलियों से डरते थे। इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया पैकेज वगैरह की बात नहीं है, यह तो बहाने की बात है। चुनाव हुए, लोगों ने कितना रूझान दिखाया गणतन्त्र को वापिस लाने के लिए। चन्द्रशेखर जी ने फैसला किया था चुनाव करवाने का, उन्होंने शुरू भी कर दिया था। मगर आपको याद होगा 27 उम्मीदवारों की हत्याएं हुई उस चुनाव में। सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्यायें हो गईं, चुनाव का तो फैसला किया, मगर वे उसको शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हों, उसका इंतजाम नहीं कर सके। जब चुनाव को स्थगित करने की बात हुई कांग्रेस की सरकार ने दूसरे दिन सत्ता सम्भाली थी उसका कोई हाथ इसमें नहीं था, अगर था तो चुनाव आयोग का था। अगर कोई उम्मीदवार ही नहीं बचता तो चुनाव किसके लिए करते। मगर अब एक भी उम्मीदवार बन्दूक की गोली का निशाना नहीं बना। इससे और ज्यादा श्रेय प्रधान मंत्री को नहीं जा सकता। वे इस श्रेय के पात्र हैं सभी वर्गों की तरफ से। ऐसे ही असम का मसला था वह भी काफी हद तक हल हुआ। यह भी सरकार की दृढ़ नीतियों का नतीजा है। दिल्ली के लिए यहां पर असेम्बली का बिल पास हुआ, मंत्री परिषद को भी उसमें रखा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा वायदा किया था और इन्होंने जनता दल को उस समय जो सत्ता में थी, समर्थन भी दिया था, मगर वे भी इसको नहीं करा सके। मगर कांग्रेस ने वादा किया दिल्ली की जनता से और वह पूरा किया। चार-पांच महीने में ही वह पूरा कर दिया। आप तो एक साल से ज्यादा सत्ता में रहे, उसको पूरा नहीं कर सके। ये उपलब्धियां इस सरकार की हैं।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने इस देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं को आम सहमति की राय के जरिये हल करने का जो रास्ता अख्तियार किया है वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे इस देश में 25-30 प्रतिशत लोग मत नहीं डालते। जब से हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से आज तक 65-70 प्रतिशत लोग वोट डालते हैं, कभी प्रतिशत कम होता है तो कभी ज्यादा।

होता है। ऐसे देश में जो कि विभिन्नताओं का देश है उसको एक सूत्र में बांधने का एक ही तरीका है कि जो भी सरकार सत्ता में हो वह आम सहमति से बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करे और यह रास्ता श्री पी०वी० नरसिंह रावजी ने, जो हमारे प्रधान मंत्री हैं उन्होंने इस रास्ते को अख्तियार किया है। यह अलग बात है कि कुछ दोस्त अन्दर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। मगर प्रधान मंत्री ने हमेशा बड़े मसलों को हल करने के लिए रास्ता अख्तियार किया है। सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति इस देश में सभी लोगों को साथ लेकर, उनके सहयोग से आ सकती है। यह ठीक है कि हम अल्पमत में हैं। अगर हमारे 400 सांसद भी होते तो भी हम यह रास्ता अख्तियार करते। क्योंकि तभी इस देश में परिवर्तन आ सकता है।

इस अभिभाषण में एक और बात का जिक्र है वह है किसी भी राष्ट्र की मजबूती। उसका जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वह ह्यूमन रिसोर्स है। नरसिंह राव जी का एक स्वप्न था, उसको साकार बनाने के लिए इस सरकार ने उस ओर कदम उठाने का वादा किया। इस अभिभाषण में जिसमें सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा का प्रबन्ध, उनके स्वास्थ्य का प्रबन्ध, ग्रामीण एकीकरण योजना के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से उनको रोजगार देना, ये सभी चीजें इस अभिभाषण में दर्ज हैं। इसके लिए उन्होंने इस राष्ट्र से वादा किया है। कोई भी देश अपने देश में शांति का और समृद्धि का वातावरण तब तक नहीं बना सकता, जब तक उसकी विदेश नीति में एलास्टिसिटी न हो जो समय के साथ उसको हम परिवर्तित कर सकें। कहा जाता है कि कोई भी देश न तो आपका हमेशा दोस्त रहता है और न ही हमेशा दुश्मन हो सकता है। देश का सैल्फ इंट्रेस्ट सबको सर्व-प्रिय है।

सभापति महोदय, मुझे थोड़ा-सा अफसोस होता है कि जिन लोगों से हमें रचनात्मक मदद मिलनी चाहिए, जो लोग सिद्धांत और विचारधारा से हमसे मेल खाते हैं, वे हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं। जो लोग यहीं से गए हुए हैं, मैं मानता हूं कि वे सैक्यूलर हैं। उनकी विचारधारा प्रगतिशील है क्योंकि उनकी कल्चर कांग्रेस की है परन्तु आज अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की वजह से बहुत-सी बातें करते हैं जो उनका अधिकार है। एक बात और कहना चाहूंगा कि वामपन्थी दोस्त हमें जो मशविरा देते हैं उनकी विचारधारा, सिद्धांत से ज्यादा फासला नहीं रहा है मगर क्या हुआ ? जहां से वे प्रेरणा लेते हैं, हमको वही सब सिखा रहे हैं और वह टूट गया है। यद्यपि हमारे उनके मित्रता के सम्बन्ध थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे मगर आज वह टूट गया है।

हम चीन की बात करते हैं। क्या उसने स्वीकार नहीं कर लिया है ? यहां भी जो आर्थिक समस्या है, उसके ऊपर मैं बजट में बाद में बोलूंगा मगर एक बात कहना चाहूंगा कि चीन में जितना फारेन इन्वेस्टमेंट है, उसका 1/10 भाग भी हिन्दुस्तान में नहीं है लेकिन उन लोगों को, जो मशविरा देते हैं, रचनात्मक विरोध करना चाहिये जिसका आपको अधिकार है। अब एक बात की जाती है कि बजट लीक हो गया। राजनैतिक पार्टियों की लड़ाई किस चीज पर है ? सिद्धांत की है, विचारधारा की है। आपको तो देश को दिशा अपने सिद्धांत के जरिये देनी चाहिये। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज की जो सरकार है, वह बी०जे०पी० के मेल-मिलाप से सरकार चला रहे हैं। आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यहां पर मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी मुखर्जी जी ने कहा कि

कुछ लोग सैक्यूलर हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सैक्यूलर हैं। मैं तो यह कहता हूं कि बी०जे०पी० से न कभी हमारी सांठ-गांठ रही है, न रहेगी क्योंकि हमारे सिद्धांत उनसे बिलकुल अलग हैं। बी० जे० पी० धर्मनिर्पेक्ष नहीं है। वह धर्म के नाम पर काम कर रही है। मैं एक बात की तारीफ करूंगा कि पिछले कुछ महीनों से बी० जे० पी० का विरोध रचनात्मक रहा है मगर अभी इनके तेवर बदले हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक और बात में तारीफ करता हूं। चन्द महीनों में मैंने देखा कि आपका जो विरोध है वह रचनात्मक विरोध रहा है मगर अभी आपके तेवर भी बदल गए हैं। कट मोशन के जरिए आप क्या क्या परेशानी पैदा करना चाहते हो, वह अलग बात है।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हम उन बेंचों पर बैठना मंजूर करेंगे मगर जो अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संरक्षण दिया है, वह देते रहेंगे और जो हमारी धर्मनिरपेक्षता की नीति है, समाजवाद की दूसरी नीतियां हैं, हमेशा हम उस पर रहेंगे भले ही हम सत्ता में न रहें। यह बात नहीं है मगर मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं अगर आप दो मिनट का समय दें।

आप महंगाई की बात कहते हैं। अभी सवेरे प्रश्नोत्तर काल के समय में आपने प्रश्न उठाया था कि आप फसल की कीमत ज्यादा नहीं देते हैं। इसलिए वे आपको अनाज नहीं देते। आपको अमेरिका से लाना पड़ता है। वहां से एक सदस्य ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय से इस देश में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। वह अभी सदस्य बने हैं। आपने देखा होगा कि 1987 में एक वर्ष में इतना भयंकर सूखा पड़ा लेकिन हमारे देश ने किसी भी देश के सामने झोली नहीं फैलाई। आज भी अफ्रीका और एशिया और लेटिन अमेरिका के देश हैं जो स्वतंत्र हैं मगर अपने गुजारे का अनाज पैदा नहीं कर पाते। जो बड़े-बड़े देशों के सामने न मानते हुए भी उनकी नीतियों के सामने झुकते हैं। मगर भारतवर्ष को गौरव होता है कि हमने इतनी बड़ी परिस्थिति का सामना किया और मुझे राजीव जी ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि एक भी दाना अनाज का हमने नहीं मंगाया और किसी को भूखा नहीं मरने दिया। आप महंगाई की बात करते हैं। मैं आप ही को कहता हूं कि आप इसका उत्तर दीजिए। आज जितने कृषक यहां पर हैं 24% कृषक हैं जो कि आपको सरप्लस अनाज पैदा करके देते हैं 76% देश में जो छोटे और मध्यम दर्जे के किसान हैं। आप कीमत बढ़ाते हैं। इस 24% में पंजाब हरियाणा, यू०पी० और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है जहां आप देते हैं मगर महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ता, इश्यू प्राइस सरकार नहीं बढ़ाती तो उसमें 5-6 हजार करोड़ रुपए की आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। आज भी 2600 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। तो फिर महंगाई कौन पैदा करता है ? हम इस महंगाई में क्या स्वयं भागीदार नहीं हैं ? हमारे इस सदन में जो आवाज उठती है उसके जरिए सरकार कुछ निश्चित कदम उठाती है। मैं अनाज की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस वास्ते मेरा सब दोस्तों से निवेदन है और खास तौर से उनसे जो अपने आपको प्रगतिशील समझते हैं और हैं भी, उनसे भी निवेदन करता हूं कि अभी आपने जो कनफंटेशन का रास्ता अख्तियार कर लिया है, इससे आप देश को मजबूती नहीं दे रहे हैं। इनकी संख्या दो से आप 86 पर ले आए। आप ही तो लाए जब आपने इनके साथ सीटों का एडजस्टमेंट किया, चाहे वह वामपंथी हैं चाहे जनता दल के हैं। पहले 86 थे, अब 119 पर आ गए। इस माननीय सदन में जो आप कर रहे हैं उससे ज्यादा मजबूती उस

तरफ आप देंगे जिस तरफ आप समझते हैं कि वह मजबूती नहीं रहनी चाहिए। अगर मजबूती मिलती है तो उसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार होंगे। मैं इन शब्दों के साथ यहां पर जो राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, उसका समर्थन करता हूं और सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आज देश की परिस्थितियों में मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। उन्हें समझते हुए, आप एक बात का अवश्य ख्याल रखिये कि देश में फिर चुनाव हों, ऐसा न तो इस देश के लोग चाहते हैं और न कोई राजनैतिक पार्टी ही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में हुए पंजाब के चुनावों से सबक लेना चाहिए, वहां पर बी० एस० पी० दूसरे नम्बर पर रही है, और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नम्बर पर आयी है। बाकी दोस्तों से भी मैं कहूंगा, जनता दल से, यू० पी० का नतीजा आपके सामने है, जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना प्रैस्टिज ईश्यू बनाया हुआ था, भारी किलेबन्दी की हुई थी, उसका क्या परिणाम सामने आया। यू० पी० में उनकी क्या हालत हुई, उसे भूलना नहीं चाहिये। वैसे ही महाराष्ट्र में, बम्बई में हुए चुनावों के नतीजे किस तरफ गये उसे भी आपको नहीं भूलना चाहिये। उनके जरिये इस देश के लोगों ने आपको एक चेतावनी दी है कि यदि आपने वर्तमान सरकार को गिराने का प्रयास किया, मैं मानता हूं कि सम्मिलित रूप से, आप सभी मिलकर यदि काम करोगे तो हमें गिरा सकते हो, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, मगर इस बात का ख्याल रखें कि यदि आपने इस सरकार को गिराया तो उसकी सफाई भारत की जनता कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : धन्यवाद महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करती हूं। वास्तव में मुझे राष्ट्रपति महोदय को अभिभाषण देने के लिए धन्यवाद देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अभिभाषण देना उनका दायित्व है। लेकिन इसका अभिप्राय होगा सरकार की नीति को स्वीकार करना और यह मात्र सरकार की नीति नहीं है बल्कि यह एक ऐसा वक्तव्य है जिसमें ऋणदाताओं के दबाब के अंतर्गत ढांचागत समायोजन किया गया है।

महोदय, इस अभिभाषण में हमारे राष्ट्रपति महोदय के विचार नहीं हैं। यह विश्व बैंक के अध्यक्ष के विचार हैं। अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो ऋण लिए गए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है जबकि भुगतान सन्तुलन के संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की प्रशंसा की गई है। क्या इसके लिए हमें सरकार को बधाई देनी होगी ?

मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। अप्रवासी भारतीयों की पूंजी बाहर जाने से अप्रैल और जुलाई 1991 के बीच भुगतान सन्तुलन की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। इस बात का उल्लेख इकानोमिक सर्वे (आर्थिक सर्वेक्षण) में किया गया है। उस समय कामचलाऊ सरकार थी और उन्होंने उस सरकार को महत्व नहीं दिया। उस समय चन्द्रशेखर सरकार को बजट प्रस्तुत करने के लिए रोका गया। इसी समय हमारा सोना भी प्रतिभूति के रूप में बाहर भेजा जा रहा था और यही लक्षण संकट की ओर इशारा करते थे। इन्हीं के कारण विदेशी मुद्रा भण्डार का संकट उत्पन्न हो गया। मेरे विचार से अप्रैल से जुलाई तक का यह संकट देश की अर्थव्यवस्था की बजाय राजनीति से अधिक जुड़ा हुआ था।

वास्तव में वह संकट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार करने का बहाना था। प्रश्न यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं सुलझा सकती हैं ? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ने से हमारे अधिकांश लोगों को लाभ मिल सकेगा।

जिन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पैकेज को स्वीकार किया है उनका भिन्न अनुभव है। लेकिन कुछ अन्य देश भी हैं, जिन्होंने भिन्न शर्तों पर ऋण लिया। उन्होंने बेहतर ढंग से बातचीत की। हमारी बातचीत बिल्कुल असफल रही।

चीन द्वारा विदेशी धन स्वीकार करने संबंधी प्रश्न भी उठाया गया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि चीन और कुछ अन्य पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने विदेशी ऋण लिया है। ऋण लेते समय उन्होंने भिन्न विकास नीति अपनाई न कि वह नीति अपनाई जो आई० एम० एफ० पैकेट में निर्धारित की गई थी। लेकिन अपने देश के मामले में हम यह पाते हैं कि अब हमारे यहां अचानक विदेशी मुद्रा भंडार भर गये हैं। लेनिक यह लाभकारी नहीं है। यह हानिकारक ही है जिससे कि मंदी और मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में, सिर्फ हम ही ऐसा नहीं कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारियों के दस्तावेज इस संभावना की आशंका करते हैं। यहां एक उदाहरण है। इसमें कहा गया है :

> "हम जानते हैं कि जब तक आप सुधार की अवधि के दौरान कुछ असुरक्षित गुटों को इससे पृथक रखने के लिए कदम नहीं उठाते हैं लघु अवधि के समायोजन कार्यक्रम के दौरान ये प्रभावित होंगे।"

हमने ऐसा नहीं कहा है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष श्री कैमडेसस द्वारा कहा गया है। दुर्भाग्यवश हमारे लिए भारत में इन गुटों, इन अलाभकारी गुटों की संख्या अधिक है। और स्पष्ट रूप से हम इस तथाकथित सुधार की प्रक्रिया में लाभकारी पक्ष में होंगे जिसमें कि वे भाग नहीं ले सकते हैं। निर्धनों, पिछड़े वर्ग, कृषि मजदूर, असंगठित मजदूरों का अधिकार नहीं हो सकता है। इनमें से अनेक महिलायें हैं, संगठित क्षेत्रों में श्रमिक हैं जिनकी कि व्यापक स्तर पर छंटनी की जा रही है। वे इस तथाकथित सुधार की प्रक्रिया के लाभकारी पक्ष में हैं। उनका आधार ही समाप्त किया जा रहा है और इसके बदले उन्हें जो कुछ दिया गया है वह भिक्षा स्वरूप है।

दूरदर्शन पर हम प्रतिदिन देखते हैं कि यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है

> "एक बेहतर कल के लिए आज समर्पित"

जिन लोगों से कमर कसने के लिए कहा जा रहा है वे निर्धन लोग हैं। लेकिन एक बेहतर भविष्य उनके लिए नहीं है। बेहतर भविष्य बड़े पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए, काला धन रखने वाले व्यक्तियों के लिए है जो विदेशों से पांच किलो सोना लाकर यहां बेच सकते हैं।

माननीय प्रधान मंत्री के साक्षात्कार से संकेत लेकर महोदय, यह कहा जा सकता है कि यह

सरकार निर्धनों के लिए, अधिकारच्युत वर्ग के लिए अब धर्मशाला नहीं रही। लेकिन यह धनवालों के लिए एक धर्मशाला है। यह एक ऐसी धर्मशाला है जो इन बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आम छूट सिर्फ नीतियों को उदार बना कर ही नहीं प्रदान करती है बल्कि उन्हें हर प्रकार की छूट दी जाती है।

महोदय, हमें सुपर 301 को चपेट से बचाने के लिए कार्ला हिल्स को समझाने के लिए शायद हमें सरकार को बधाई देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के इस प्रतिकार को स्थगित किया गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है कि भारत सरकार ने अपनी भलमनसाहत दिखाई है और आगे भी इसका वायदा किया है।

महोदय, 1989 में भारत ने जी० ए० टी० टी० वार्ता के कार्य क्षेत्र को प्रश्नों तक, कृषि और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तक बढ़ाने का विरोध किया था और उल्टा उन्हें जवाब देने के लिए हम सभी को एक साथ गठबंधित किया था।

राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण में यह बात कही गयी थी कि भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा, सरकार यह प्रयत्न करेगी कि जी० ए० टी० टी० वार्ता का परिणाम विकासशील देशों के लिए व्यापार सम्बन्धी अनुकूल वातावरण तैयार करना हो।

अब विकसित देशों के दबाव का प्रतिरोध करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग के इस प्रकार के सभी प्रसंगों को छोड़ दिया गया है।

हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री अब डंकल प्रस्ताव में सकारात्मक पहलू देखते हैं। हमसे कहा गया है कि हम अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करना और उनमें सुधार लाना जारी रखेंगे। शायद इस डंकल प्रस्ताव के तथाकथित सकारात्मक पहलुओं से हम उनमें सुधार ला रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा है कि वास्तव में ऐसा नहीं होगा। मिस कार्ला हिल्स ने स्वयं विकासशील देशों की मुक्त अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करने को डींग मारने की संज्ञा दी है। विपणन शक्तियों में कोई प्रतिस्पर्धा अथवा उन्हें कोई छूट नहीं होगी। लेकिन व्यापक स्तर पर अनियंत्रण होगा, छोटे व्यावसायिकों को समाप्त करने की छूट होगी, एकाधिकारी प्राप्त कम्पनियों को मजबूत बनाया जायेगा और बड़े पैमाने पर औषधियों और बीजों का आयात किया जाएगा जिससे कि मूल्य वृद्धि होगी और हमारी अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण समाप्त हो जायेगा।

भोपाल त्रासदी पर भी एक छोटा-सा पैरा है, जिसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझती हूं। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस विवादपूर्ण निर्णय को अन्तिम रूप से सहमति प्रदान करता है, जिसके द्वारा कि यूनियन कार्बाइड को उस नुकसान की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है जो कि भविष्य में आगामी आठ वर्षों में उनके विरुद्ध सिद्ध होंगे क्योंकि भोपाल में इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले पूरे प्रभावों को अभी तक हम नहीं जान पाये हैं और इससे भारत सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाली अतिरिक्त धनराशि भारतीय करदाताओं को चुकानी पड़ेगी। अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां पैर जमाने हेतु प्रतीक्षारत हैं क्योंकि यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही नहीं करने से यह संकेत मिलता है कि यहां बिना दण्ड पाये

खतरनाक प्रयोग किए जा सकते हैं और कोई भी एक शब्द नहीं करेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त की गयी है तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा की बात कही गयी है। परन्तु मैं चाहूंगा कि इसको छोड़ने के पश्चात् भोपाल त्रासदी के पीड़ितों के साथ हुआ अन्याय केवल दिखावा प्रतीत होता है।

जब से यह सरकार सत्ता में आई है, उसी समय से ही प्रसार भारती अधिनियम को क्रियान्वित करने की बात कर रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब चूंकि बजट सभा में प्रस्तुत हो चुका है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि रेडियो/दूरदर्शन के लिए सरकारी निधियों को कम किया जा रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि इसे व्यावसायिक विज्ञापनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा और इसमें काफी कमी आने की सम्भावना है क्योंकि सी० एन० एन० जैसी विभिन्न गैर-सरकारी और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी ही समाचार माध्यम के बाजार पर छा जायेंगी। वे पहले से ही प्रतिस्पर्द्धा में हैं और उनकी बेहतर कार्य कुशलता के बारे में काफी व्यापक पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशें यह हैं कि मनोरंजन कार्यक्रमों को बढ़ाया जाये और विदेशी विज्ञापनों सहित कुछेक प्रकार के विज्ञापनों पर से प्रतिबंध हटाया जाए। दूसरे शब्दों में सरकारी स्वामित्व वाला दूरदर्शन अब प्राइवेट चैनलों के समान ही कार्य करेगा। इसका कोई अपना अलग से स्वायत्त अस्तित्व नहीं होगा। जो भी संभावना थी वह भी पूरी तरह समाप्त हो गई है। केवल इतना ही नहीं बल्कि हमारी जनता की आवश्यकताओं और उसके जीवन, विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों को दर्शाने के स्थान पर यह सांस्कृतिक नव-उपनिवेशवाद के एक से मानकों को ही लागू करेगा।

अब मैं अन्तिम बात पर आती हूं। आर्थिक नीति के साथ ही विश्वासघात किया गया है। जैसा कि मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा है कि जनता की सर्वाधिक मूलभूत आवश्यकताओं में ही कटौतियां की गई हैं। खाद्य, मलेरिया उन्मूलन, शिक्षा आदि इन सभी मदों पर निधियां कम कर दी गई हैं और वह भी हमारे ऋणदाताओं के आदेश पर। इतना ही नहीं इससे हमारी विदेश नीति भी प्रभावित हुई है। अतीत में किसी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में अमरीकी सरकार की इतनी प्रशंसा नहीं की गई है जिसके अन्तर्गत भारत अपनी लोकतन्त्र की मान्यताएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए सम्मान में अमरीका के साथ हिस्सेदारी करेगा। संभवतः इसी हिस्सेदारी के फलस्वरूप ही अमरीकी नौसेना के साथ हम संयुक्त सैनिक अभ्यास करेंगे।

हम यह बिल्कुल भूल चुके हैं कि किस प्रकार से अमरीकी सरकार ने लोकप्रिय सरकारों को गिरा दिया है और अभी भी गिराने के लिए प्रयत्नशील है और किस प्रकार से उसने विकासशील देशों में हो रहे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को कुचल कर रख दिया है। विदेश नीति का यह पहलू अब और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है इसका प्रभाव पहली बार उस समय मिला जब भारत ने कुछ माह पूर्व सियोनवाद पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए अपना मत दिया था।

समाचार पत्रों में इस घोषणा के छपने के पश्चात् पहले दिन ही मुझे यह देखकर अत्यन्त

प्रसन्नता हुई कि सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य, जो आज यहां उपस्थित नहीं हैं, इसके विरोध में खड़े हुए थे । मैं नहीं जानता कि क्या वह आज भी इसका विरोध करेंगे । खैर, यह भारत के समर्थन से निरस्त कर दिया गया है ।

निश्चित रूप से अभिभाषण में फिलिस्तीनियों के बारे में भारत के सुस्पष्ट समर्थन का भी उल्लेख किया गया है । परन्तु यह भी सच है कि उन्होंने अपने अभिभाषण में दक्षिण लेबनान में फिलिस्तीनी कैंपों पर हाल ही में हुए इजरायली आक्रमण का और हिजबुल्लाह मुसावी की हत्या का जिक्र तक नहीं किया गया है। अतः फिलस्तीनियों के प्रति वह समर्थन इत्यादि कोरा आडम्बर है । ऐसा सुना गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इजरायल से सीख सकते हैं कि आतंकवाद का सामना कैसे किया जाए। आज हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा है । वह ऐसा उस सरकार के बारे में कहते हैं जो स्वयं ही जातीय आतंकवाद पर आधारित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा घुटने टेकने का एक और प्रमाण लीबिया के खिलाफ नाकेबन्दी लागू करने के पक्ष में सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा मतदान करना है । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यह रुख है कि वे इजरायली हमले के बारे में कुछ भी बनाने से इंकार कर देते हैं परन्तु लीबिया के बारे में वे नाकेबन्दी लागू करने के लिए प्रयत्नशील हैं । इस समय लीबिया को अमरीका से सीधी धमकी दी जा रही है । यदि ऐसा होता है तो संभवतः हम इसे भी खुशी से स्वीकार कर लें और विरोधस्वरूप एक शब्द भी न कहकर धर्म-निरपेक्षता इत्यादि के अपने सभी आदर्शों को ताक पर रख दें । इस प्रकार हमने उन लोगों के पास अपनी जुबान तक गिरवी रख दी है । आज प्रातः ही जो घटना हुई उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है ।

अभिभाषण में उस आर्थिक युद्ध के बारे में जिक्र तक नहीं किया गया है जो कि अमरीका, क्यूबा, जो कि एक छोटा-सा देश है, के खिलाफ लड़ रहा है और केवल इसीलिए क्योंकि वह उस पर अपनी आर्थिक और राजनैतिक प्रभुता कायम करना चाहता है । अमरीकी सरकार इसे अपने देश के प्रति एक चुनौती समझती है और इसीलिए क्यूबा के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी जा रही है । परन्तु अभिभाषण में इस सम्बन्ध में जिक्र तक नहीं किया गया है ।

सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से अपनी वरीयताएं बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं । संघर्ष की संभावनाएं बनाई गई हैं और मैं नहीं समझता कि निर्धन व्यक्ति, मध्यम वर्गीय जनता, पिछड़े वर्गों की साधारण जनता और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्धन वर्ग, महिलाएं जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं वे सब सरकार को इस राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए अपना आभार प्रकट करेंगे । मैं भी गीता मुखर्जी की इस बात से सहमत हूं कि हम पूरी तरह से इस राष्ट्रपति के अभिभाषण को अस्वीकार करते हैं और हमें विश्वास है कि जनता भी इसे अस्वीकार कर देगी ।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब चेयरमैन साहब, सदर साहब का खुतबा सुनने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि तसुव्वराती दुनिया में हम रहते हैं और जहां उन्होंने सिर्फ

मुस्तकबिल की बात की कि आइन्दा मुस्तकबिल से ये-ये फायदे होंगे.............

4.00 म० प०

लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आजादी के सिवाय दो-चार बरस के कांग्रेस ही बरसरे इक्तदार रही। सोशियलिज्म का नारा लगाया, गैर जानिबदार पॉलिसी की बात की, और तो और कभी कांग्रेस के लोगों से मिलने का इत्तिफाक होता तो उनकी लाइब्रेरी में सोशियलिज्म के ऊपर किताबें नजर आतीं और उनकी जेब में ग्रीन-बुक नजर आती। आज तो तबदीली हुई है, मुझे सिर्फ यही कहना है कि जब यह तबदीली हुई तो आखिर चालीस बरस तक आपने मुल्क को इस हालत में क्यों रखा ? क्या चालीस बरस के बाद आपको समझ आई ? अगर यह पॉलिसी सही थी, तो पहले ही आपको इख्तियार करना था, फिर सोशियलिज्म का नारा आपने क्यों लगाया ? आज जिस तरीके से हम गैर-मुमालिकों को छूट दे रहे हैं, इसमे यह अंदेशा पैदा होता है कि हम पूरे तौर पर उनकी गिरफत में आयेंगे और कहीं ऐसा न हो कि ढाई बरस के बाद ईस्ट-इण्डिया के लिए दरवाजे खोलें। खुतबे के अन्दर जो गिरानी बढ़ी है, आज बजट के ताल्लुक से और विभिन्न पॉलिसीज के ताल्लुक से कहना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अनाज की जो कीमत बढ़ गई है, जिसका रास्ता ताल्लुक गरीबों से है। आज चावल की कीमत कितनी है, आप बताइए कि गरीब क्या इस हालात में जिन्दा रह सकता है ?

कौमों का करैक्टर बरसों में बनता है, लेकिन आज जिस गिरानी की वजह से आज आपने कौम के करैक्टर को खराब किया है। कोई भी आदमी जानिबदारी के साथ अपनी जिन्दगी नहीं गुजार सकता है। आज जिस तरीके की पॉलिसी लाई जा रही है, मुझे कुछ कहना नहीं है। सवाल यह है कि अगर यह पॉलिसी अच्छी है तो फिर आखिर यह गिरानी क्यों बढ़ती जा रही है ? बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, खुतबे में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं.........

श्री दिलीप भाई संघानी (अमरेली) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : घंटी कोरम की बजाई जा रही है। इस समय गणपूर्ति हो रही है। माननीय सदस्य श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज गिरानी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज्यादा परेशानी में है। मैं समझता हूं कि इसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसायल पैदा हो जायेंगे। इसी के साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि अगर माशी इक्तसादी पॉलिसी बदली, तो हमने इंसाफ और फॉरन पॉलिसी को बदल दिया।

4.05 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

आजादी से पहले हमने फिलस्तीन के अरबों की ताइद की और यह दुनिया का अजीबोगरीब वाक्या कि जो लोग हजारों वर्षों से वहां रहते हैं उनको घरों से निकाला गया, उनके खेतों को उजाड़ा गया और बाहर से लोगों को लाकर बसाया गया। आज हम उस ममकित को तसलीम करते हैं और सहूलियत के लिए जो करारदार अखबारे मुतैहद्दा में पेश की गई, हम उसकी ताइद करते हैं। यही नहीं बल्कि लेबनान में मुसावी का कत्ल हुआ लेकिन हमने इसके ताल्लुक से कोई बात नहीं की। बड़ा अफसोस होता है।

इसी तरीके से लीबिया के ताल्लुक से अमरीका ने जो करारदार पेश की उसकी भी हम ताइद करते हैं तो यकीनन एक दुःख और अफसोस की बात हमारे सामने आती है और इसी के साथ-साथ हमको यह भी देखना है कि आखिर अब हम इस तरफ नजर डालते हैं तो नजर आता है कि आज यकीनन पंजाब में इलैक्शन हुआ। मुझे उस पर ज्यादा नहीं कहना है 10 परसेंट वोटिंग के साथ जीत कर आने वालों के लिए कुछ नहीं कहना है लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या आप इस मसले को हल करना चाहते हैं या यह मसला जैसे का वैसा रखना चाहते हैं। अगर आप वाकई मसले को हल करना चाहते हैं तो आप उनके दरियाई पानी के मसले को हल कीजिए जो इलाके वे चाहते हैं वे उनमें मिलाइए, जैसे चण्डीगढ़ वगैरह। आखिर इस पूरे हिन्दुस्तान की राजधानी अलग-अलग है लेकिन हम देखते हैं हरियाणा और पंजाब को, तो आपको मसाइल को हल करना चाहिए और इसका मतलब है कि वहां के लोगों का दिल जीतना चाहिए, वरना यह हकीकत है कि एक फीसद सिखों ने वोट नहीं दिया। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि कश्मीर का मामला है वहां भी अगर पाकिस्तान से टेरेरिस्ट आकर गड़बड़ कर रहे हैं तो उसका खमियाजा कश्मीर के रहने वालों को भुगतना पड़ रहा है। क्या अखबारात के अन्दर पुलिस ने एफ० आई० आर० दर्ज नहीं किया कि वहां औरतों की इसमत दरी की गई, रेप किया गया, हनीफा का, आयशा का, उन सबका नाम अखबारात के अन्दर आया। तो क्या हम इस तरीके की हरकत करें और वे लोग आकर हमारे पास रोते हैं कि साहब, हमारे साथ यह किया जा रहा है, हम लोग बेकसूर हैं और हमारे साथ जो किया जा रहा है यह जुल्म की इन्तहा हो रही है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।

मसला आज जमीन से मोहब्बत का नहीं इन्सान से मोहब्बत का हो तो मैं समझता हूं कि वह मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन हमको अपनी पालिसी को तबदील करना चाहिए। इसी के साथ-साथ खुतबे के अन्दर अकलियतों के ताल्लुक से भी जिक्र किया गया, वही पुराना राग आप कब तक बजाते रहेंगे, 15 प्वाइंट प्रोग्राम, आखिर यह कब तक चलता रहेगा, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे, अगर कुछ करना है तो वाकई आप कुछ करके बताइए खाली हर खुतबे के अन्दर 15 प्वाइंट प्रोग्राम अकलियतों के लिए, तो आखिर इन्दिरा गांधी साहिबा के जमाने से 15 प्वाइंट प्रोग्राम चल रहा है तो आप यह बताइए कि उसके नतायज क्या निकले, जब कुछ भी उसका नतीजा नहीं निकला आप 15 प्वाइंट प्रोग्राम की बात करते हैं। मिनिस्टर लोग जाकर सिर्फ इफतिताह करते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अगर आपको उनके मसाइल को हल करना है तो आप बताइए

कि आजादी के जमाने में आप पापुलेशन के लिहाज से उस वक्त मुसलमानों का तनासुब क्या था 30 परसेंट था, आज एक फीसद हो गया है।

अगर आपको मेरी तकरीर पर कुछ कहना है तो मेरे भाई अपने जमीर का जायजा भी लोग और जायजा लेकर कहो कि 30 फसीद से एक फीसद के ऊपर आए और अगर उसके बाद किसी की खुशनूदी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर हकीकत की दुनिया में आना चाहते हैं तो बताओ कि आखिर तुम कितने परसेंट पर आ गए। क्या तुमने कभी फिलिस्तन के ताल्लुक से कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से मसाइल उलझते जा रहे हैं।

आज करप्शन को देख लीजिए, क्या हाल हो रहा है। हैदराबाद में निजाम के जमाने में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज कायम की गईं। अल्विन फैक्ट्री कायम की गई। आज लोगों को अच्छा धंधा मिल गया है, आज अल्विन फैक्ट्री बेचने की बात की जा रही है। उसके अन्दर जो कुछ मलाई मिलने वाली है, वह हम सबको मालूम है। इस तरह से कुछ लोग दौलतमंद होते जाएंगे, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। इसी तरह से निजाम के जमाने में एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री कायम हुई, आज उसको भी बेचने की बात होती है, इससे भी जाहिर है कि लोगों को क्या-क्या मिलने वाला है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, केवल एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हम कहते हैं कि हमारा मुल्क गरीब है। अगर मुल्क गरीब है तो सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में सोना क्यों बिकता था। इसी तरह से अभी असेंबली का सेशन खतम हुआ है, वहां भी यह बात आई है। चीफ मिनिस्टर ने अपने बेटे को जो दो एकड़ जमीन दी वहां से जो पत्थर निकल रहा है, उसका मुनाफा 3 हजार करोड़ रुपये है। आप बताइए कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं, हम मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंचने वाला है। सिवाए तबाही और बरबादी के और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप इन तमाम चीजों पर गौर कीजिए।

महोदय, हमारी एक साख थी, जवाहर लाल नेहरू के जमाने में कभी नासिर, नेहरू, टीटो वगैरह की बात होती थी, हमको गैर-जानिबदार कहा जाता था। लेकिन आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। जालिमीन से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। फिलीस्तीन में जिन लोगों का खून बह रहा है, उनके बारे में हमारी जुबान बंद है, हम उन लोगों को तस्लीम करते हैं और फिर यह कहते हैं कि उनसे मदद ली जाएगी, टेररिज्म के खिलाफ। तो क्या हम इतने नाहिल हैं कि अगर इजराइल इस तरीके मे है तो फिर लंदन में भी टेररिज्म चल रहा है, वहां इजराइल क्यों नहीं रुका, अमरीकी में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, तो फिर उनकी सलाहियत क्यों है। ये अजीबोगरीब पालिसी हम बनाते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमको जरूर गौर करना चाहिए और सोच-समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना आप देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अकलियतों का बहुत बड़ा तबका नाराज होकर हटता जा रहा है और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, अगर यही सिलसिला जारी रहेगा जो जाहिर है कि वह दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा और उससे और मुश्किलात पैदा होंगी।

[جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد): جناب چیئرمین صاحب صدر صاحب کا خطبہ سننے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ ایک تصوراتی دنیا میں ہم رہتے ہیں اور جہاں انہوں نے صرف مستقبل کی بات کی کہ آئندہ مستقبل سے یہ یہ فائدے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد سے سوائے دو چار برس کے کانگریس ہی برسرِ اقتدار رہی۔ سوشلزم کا نعرہ لگایا۔ غیر جانبداری کی پالیسی کی بات کی اور تو اور کبھی کانگریس کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا تو انکی لائبریری میں سوشلزم کے اوپر کتابیں نظر آتیں اور انکی جیب میں گرین بک نظر آتی۔ آج جو تبدیلی ہوئی ہے، مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ جب یہ تبدیلی ہوئی تو آخر چالیس برس تک آپ نے ملک کو اس حالت میں کیوں رکھا؟ کیا چالیس برس کے بعد آپ کو سمجھ آئی۔ اگر یہ پالیسی صحیح تھی تو پہلے ہی آپکو اختیار کرنا تھا، پھر سوشلزم کا نعرہ آپنے کیوں لگایا۔ آج جس طریقے سے ہم غیر ممالک کو چھوٹ دے رہے ہیں اس سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پورے طور پر ان کی گرفت میں آئیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈھائی سو برس کے بعد ہم ایسٹ انڈیا کے لئے دروازے کھولیں۔ جو گرانی بڑھی ہے آج بجٹ کے تعلق سے اور مختلف پالیسیز کے تعلق سے کہنا پڑ رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج کی جو قیمت بڑھ گئی ہے جسکا راست تعلق غریبوں سے ہے۔ آج چاول کی قیمت کتنی ہے، آپ بتائیے کہ غریب کیا ان حالات میں زندہ رہ سکتا ہے؟ قوموں کا کریکٹر برسوں میں بنتا ہے لیکن آج جس گرانی کی وجہ سے آج آپنے کام کے کریکٹر کو خراب کیا ہے۔ کوئی

بھی آدمی جانبداری کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گذار سکتا ہے۔ آج جس طریقہ کی پالیسی لائی جارہی ہے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی اچھی ہے تو پھر آخر یہ گرانی کیوں بڑھتی جارہی ہے؟ بے روزگاری کیلئے آپ نے کیا کیا خطبے میں اسکا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ......

شری دلیپ بھائی سنگھانی (امریلی): سبھاپتی مہودے سدن میں کورم نہیں ہے۔

Mr. Chairman (Shri Sharad Dighe) : The bell is being rung···Now there is quorum. The Hon. Member, Shri Sultan Salauddin Owaisi, may continue.

جناب سلطان صلاح الدین اویسی: جناب چیئرمین صاحب' میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج گرانی بڑھتی جارہی ہے جسکی وجہ سے عوام بہت پریشانی میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت سے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر معاشی اقتصادی پالیسی بدلی تو ہم نے انصاف اور فارن پالیسی کو بدل دیا۔ آزادی سے پہلے ہم نے فلسطین کے عربوں کی تائید کی اور یہ دنیا کا عجیب وغریب واقعہ ہے کہ جو لوگ ہزاروں سالوں سے وہاں رہتے ہیں ان کو گھروں سے نکالا گیا' ان کے کھیتوں کو اجاڑا گیا اور باہر سے لوگوں کو لاکر بسایا گیا۔ آج ہم اس مملکت کو تسلیم کرتے ہیں اور سہولیت کے لئے جو قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی گئی' ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ لبنان میں موسادی کا قتل ہوا لیکن ہم نے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔

اسی طریقے لیبیا کے تعلق سے امریکہ نے جو قرار داد پیش کی اس کی بھی ہم تائید کرتے ہیں تو یقیناً ایک دکھ اور افسوس کی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر اب اس طرف نظر ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ آج یقیناً پنجاب میں الیکشن ہوا۔ مجھے اس پر زیادہ نہیں کہنا ہے، دس پرسینٹ ووٹنگ کے ساتھ جیت کر آنے والوں کے لئے کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں یا یہ مسئلہ جیسے کا ویسا رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے دریائی پانی کے مسئلے کو حل کیجئے جو علاقے وہ چاہتے ہیں وہ ان میں ملائیے، جیسے چنڈی گڑھ وغیرہ۔ آخر اس پورے ہندوستان کی راجدھانی الگ الگ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہریانہ اور پنجاب کو تو آپ کو مسائل کو حل کرنا چاہئیے اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگوں کا دل جیتنا چاہئیے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ایک فیصد سکھوں نے ووٹ نہیں دیا۔

اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کشمیر کا معاملہ ہے وہاں بھی اگر پاکستان سے ٹیرارسٹ آکر گڑبڑ کر رہے ہیں تو اس کا خمیازہ کشمیر کے رہنے والوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیا اخبارات کے اندر پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کیا کہ وہاں عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ریپ کیا گیا، حنیفہ کا عائشہ ان سب کا نام اخبارات کے اندر آیا۔

تو کیا ہم اس طریقے کی حرکت کریں اور وہ لوگ آکر ہمارے پاس

روتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ہم لوگ بے قصور ہیں، اور ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے!!

مسئلہ آج زمین سے محبت کا نہیں انسان سے محبت کا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائیگا، لیکن ہم کو اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خطبے کے اندر اقلیتوں کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا، وہی پرانا راگ آپ کب تک بجاتے رہیں گے، پندرہ پوائنٹ پروگرام آخر یہ کب تک چلتا رہے گا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے اگر کچھ کرنا ہے تو واقعی آپکو کچھ کر کے بتائیے، خالی ہر خطبے کے اندر پندرہ پوائنٹ اقلیتوں کے لئے تو آخر اندرا گاندھی صاحبہ کے زمانے سے پندرہ پوائنٹ پروگرام چل رہا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے نتائج کیا نکلے؟ آج کچھ بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلا، آپ پندرہ پوائنٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں۔ منسٹر لوگ جا کر صرف افتتاح کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے مسائل کو حل کرنا ہو تو آپ بتائیں کہ آزادی کے زمانے میں آپ پاپولیشن کے لحاظ سے اس وقت مسلمانوں کا تناسب کیا تھا؛ تیس پرسینٹ تھا، آج ایک فیصد ہو گیا ہے۔

اگر آپ کو میری تقریر پر کچھ کہنا ہے تو میرے بھائی آپ اپنے ضمیر کا جائزہ بھی لو، اور جائزہ لے کر کہو کہ تیس فیصد سے

جائزہ بھی لو، اور جائزہ لیکر کہو کہ تیس فیصد سے ایک فیصد کے اوپر آئے، اور اگر اس کے بعد کسی کی خوشنودی کیلئے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن اگر حقیقت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو بتاؤ کہ آخر تم کتنے پرسینٹ پر آگئے؟ کیا تم نے کبھی فلسطین کے تعلق سے کچھ کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپکو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے مسائل الجھتے جا رہے ہیں؟

آج کرپشن کو دیکھ لیجئے کیا حال ہو رہا ہے! حیدرآباد میں نظام کے زمانہ میں بڑی بڑی فیکٹریز قائم کی گئی تھیں۔ آلوین فیکٹری قائم کی گئی۔ آج لوگوں کو اچھا دھندا مل گیا ہے۔ آج آلوین فیکٹری بیچنے کی بات کی جا رہی ہے؛ اس کے اندر جو کچھ بھلائی ملنے والی ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اسطرح سے کچھ لوگ دولتمند ہوتے جائیں گے غریب اور غریب ہوتا چلا جائے گا۔ اسطرح سے نظام کے زمانے میں ایشیا کی سب سے بڑی شوگر فیکٹری قائم ہوئی۔ آج اسکو بھی بیچنے کی بات ہوتی ہے، اس سے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو کیا کیا ملنے والا ہے۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں؛ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک غریب ہے۔ اگر ملک غریب ہے تو سب سے زیادہ ہندوستان میں سونا کیوں بکتا تھا؟ اسی طرح سے ابھی اسمبلی کا سیشن ختم ہوا ہے، وہاں بھی یہ بات آئی ہے چیف منسٹر نے اپنے بیٹے کو دو دو ایکڑ زمین دی وہاں سے جو پتھر نکل رہا ہے اسکا منافع تین ہزار کروڑ روپے ہے۔ آپ بتائیے کہ آخر یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچنے والا ہے۔ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی ان تمام چیزوں پر غور کیجئے۔

محترم، ہماری ایک ساکھ تھی، جواہر لال نہرو کے زمانے میں، کبھی ناصر، نہرو، ٹیٹو وغیرہ کی باتیں ہوتی تھیں، ہمکو غیر جانبدار کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم کہاں سے کہاں پہونچ گئے ہیں۔ ظالمین سے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ فلسطین میں جن

لوگوں کا خون بہہ رہا ہے ان کے بارے میں ہماری زبان بند ہے' ہم ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے مدد لی جائیگی' ٹیرارزم کے خلاف۔ توکیا ہم اتنے نااہل ہیں کہ اگر اسرائیل اس طریقے سے ہے تو پھر لندن میں بھی ٹیرارزم چل رہا ہے وہاں اسرائیل کیوں نہیں رُکا؟ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے' فرانس میں بھی ہو رہا ہے تو پھر انکی صلاحیت کیوں ہے؟ یہ عجیب و غریب پالیسی ہم بناتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمکو ضرور غور کرنا چاہئیے اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے' ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کا بہت بڑا طبقہ ناراض ہوکر ہٹتا جا رہا ہے' اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اگر یہی سلسلہ جاری رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا' اور اس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर दो दिन से चर्चा चल रही है।

आज देश कहां पर खड़ा है। आज देश को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी और भुखमरी है, पंजाब का मसला है, आसाम का मसला है, जम्मू कश्मीर का मसला है, इकनामिक सिचुएशन है, और भी कई मसले हैं। कल हमारे नौजवान दोस्त जो पंजाब से चुन कर आए हैं, उन्होंने अपने ख्यालात और जजबात का पंजाब के बारे में इजहार किया। बड़ी बलवलअंगेज और जजबाती तकरीर थी।

सभापति महोदय, पंजाब क्यों बना। हरियाणा ने हरियाणा नहीं मांगा था। हम शुक्रगुजार हैं संत फतेह सिंह के, जिन्होंने पंजाब और हरियाणा बनवाया। जिसकी वजह से हिमाचल वजूद में आया। वर्ना हिमाचल, हरियाणा और पंजाब एक प्रान्त होता। मैं उन दिनों पंजाब असेम्बली में था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हरियाणा बनने से पहले पंजाब में जो हमारे हालात थे। घसियारे जैसा सलूक हमारे साथ होता था। बजट हरियाणा का पास होता था तो अम्बाला से परे पंजाब में खर्च होता था। पंजाब और हरियाणा बने, 60 और 40 के प्रपोशन में असैट्स और लायबिलिटीज तकसीम हुई—चाहे पानी था, चाहे सर्विसिज थी, जितनी भी असैट्स और लायबिलिटीज थीं वह बंटीं।

चेयरमैन साहब, शाह कमीशन बना। शाह कमीशन ने चण्डीगढ़ और उसके साथ लगा

इलाका, यहां तक कि खड़ग तहसील तक, अम्बाला जिले की तहसील हुआ करती थी, हरियाणा को दे दिया। शाह कमीशन से जिस वक्त चण्डीगढ़ हरियाणा को देने का फैसला कर दिया उसके खिलाफ फतेहसिंह ने दरबार साहब की छत पर तेल के कड़ाहे रखवा दिए और कहा कि अगर चण्डीगढ़ पंजाब को न दिया गया हरियाणा को दिया गया तो मैं जल मरूंगा। महरूम इन्दिरा गांधी ने शाह कमीशन के एवार्ड को मोडिफाई किया। चण्डीगढ़ पंजाब को देने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ साथ यह शर्त लगायी कि चण्डीगढ़ अब पंजाब को ट्रांसफर होगा तो अबोहर-फाजिल्का का इलाका और 160 गांव पंजाब से हरियाणा को दे दिए जायेंगे। That was the condition Precedent.

चेयरमैन साहब, इस फैसले को पूरा नहीं किया गया। 1977 में जनता पार्टी शासन में आयी, कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गयी, केन्द्र के अन्दर जनता पार्टी का राज था। पंजाब के अन्दर अकाली पार्टी का राज था, बादल साहब वहां के मुख्य मंत्री थे। सुरजीत सिंह बरनाला, धन्ना सिंह गुलशन जनता पार्टी की हैसियत से केन्द्र सरकार में वजीर थे। सवा दो-ढाई साल तक किसी ने चण्डीगढ़ का सवाल नहीं उठाया, किसी ने एस०वाई०एल० का जिक्र नहीं किया, खामोश रहे। 1980 में सवा दो-ढाई साल के बाद कांग्रेस सत्ता में आयी, केन्द्र में कांग्रेस का राज हुआ। उसके बाद फिर वही बरनाला साहब, बादल साहब और गुलशन साहब चण्डीगढ़ के नारे लगाने लगे।

एक माननीय सदस्य : अकोर्ड तो हो गया।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अकोर्ड तो हो गया, लेकिन राजीव-लोंगोवाल एकोर्ड को अमली जामा पहनाएं। सवाल यह पैदा होता है। मेरे फाजिल दोस्त ने कल बोलते हुए कहा था कि चण्डीगढ़ पंजाब को जाना चाहिए।

चेयरमैन साहब, उस वक्त बोलते हुए उन्होंने ऐसी बात कही कि 1982 में जब एशियन गेम्ज हुए, एक इल्जाम लगाया, उस वक्त के मुख्य मंत्री के खिलाफ कि पंजाब के भाइयों को वे लोग एशिया की मुखालफत करने के लिए दिल्ली लाना चाहते थे, नहीं आने दिया। यह इल्जाम सरासर गलत है। एशियाड हुए, अगले साल नॉन एलाइन मूवमेंट हुआ, नौ राष्ट्रों के सरबरा, वहां के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री यहां पर आए, इन्दिरा गांधी को नेता तसलीम किया, थर्ड वर्ल्ड पावर पैदा हुई।

उसके बाद बड़ी-बडी ताकतों के सीने पर सांप लोटने लगे चाहे अमेरिका, चाईना या रशिया था, यह कहा गया कि हिन्दुस्तान जो 25-30 साल पहले गुलाम था वह अब 103 मुल्कों का नेता बन गया है।

श्री दिलीप भाई संघानी : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घण्टी बजायी जा रही है।

अब गणपूर्ति हो गयी है। माननीय सदस्य श्री चिरंजी लाल शर्मा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : सभापति जी, मुझे याद है 19 फरवरी, 1982 को पानीपत के गुरुद्वारे में एक कांड हुआ। वहां पर आठ सिख मारे गये। मैं यमुनानगर में था। मैंने रात को साढ़े ग्यारह बजे प्रधान मंत्री जी से बात की। उन्होंने सुबह के वक्त गृह मंत्री श्री पी० सी० सेठी और मुख्य मंत्री भजन लाल जी को मौके पर भेजा। मैं यहां से प्रतिनिधि था। मैं पानीपत पहुंचा। उस वक्त मे मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी ने ये शब्द कहे—"अगर कोई गुरुद्वारे की तरफ आंख उठायेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जायेगी और कोई सिखों की तरफ हाथ उठायेगा तो उसके हाथ काट दिये जायेंगे।" ये शब्द कहने के बाद आज सदन में उस मुख्य मंत्री के खिलाफ इलजाम लगाए गए। वह किसी एक बिरादरी के मुखालफत था तो यह सरासर बेबुनियाद है। मैं जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि हरियाणा के अन्दर किसी सिख का कोई बाल-बांका नहीं हुआ। पंजाब में टैरोरीस्ट ने ऊधम मचाया था। वे समझते थे कि हिन्दू-सिख प्राबलम खड़ी होगी। मैं पंजाब के हिन्दू-सिखों को बधाई देता हूं कि उन्होंने टैरोरीस्ट्स का सपना साकार नहीं होने दिया। हिन्दू-सिख एक दरख्त के पौधे हैं और आपस में रिश्तेदारियां हैं। पंजाब में जो फसाद किया जा रहा है तो कुछ नौजवान पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं जिनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जा रही है। जो पाकिस्तान की शय पर यहां पर शरारत कर रहे हैं। चाहे जम्मू-कश्मीर है या पंजाब है उसके लिए सिख कौम पर इलजाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनको सिख नहीं कहा जा सकता। सिखों ने कभी ऐसा नहीं किया। जो नौजवान गुमराह हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अगर मारकाट देखी जाये तो उन आतंकवादियों के हाथों से सिख ज्यादा कत्ल हो रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री आज भी भजन लाल हैं। उनकी बाबत यह कहा गया और आज के प्रेस में आया जो आया है मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं आपको बिना सोचे-समझे इलजाम नहीं लगाने चाहिए, यह गलत बात है।

पंजाब और हरियाणा का मसला कैसे हल हो। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि 26 जनवरी को चण्डीगढ़ पंजाब को देने का फैसला किया गया। यह ठीक है कि निमन्त्रण-पत्र तकसीम कर दिये। मैं उस समय मुख्य मंत्री ने जो स्टैंप लिया उसके बारे में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक स्टैंड लिया कि जब तक फैसला न हो जाये चण्डीगढ़ ट्रांसफर नहीं होगा। जब उनके इलाके हमें मिलेंगे तभी यह ट्रांसफर होगा। अगर बरनाला साहब वहां झण्डा लहराना चाहते हैं तो मैं भी हरियाणा का मुख्य मंत्री होने की हैसियत से वहां झण्डा लहराऊंगा। क्योंकि मेरा भी उस पर उतना ही हक है जितना कि उनका है। क्या चण्डीगढ़ पर हरियाणा वालों का हक नहीं है, क्या हम लोगों के हकूक हमारे मुख्य मंत्री के पास सुरक्षित नहीं हैं, क्या हम उनका जनाजा निकलने देंगे। मुख्य मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि जिस राज्य की बागडोर उसके हाथ में है उसके हकूक की हिफाजत करे और अपनी जान हथेली पर रखकर वे ऐसा कर रहे हैं। हम हरियाणा वाले उनके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया कि हरियाणा का स्टैंड ठीक है, चण्डीगढ़ तब ट्रांसफर होगा जब उसके बदले का इलाका दिया जायेगा तो इसमें कौन सा गुनाह है। यह ठीक है कि हम चण्डीगढ़ को फुटबाल नहीं बनाना चाहते। हम कहते हैं चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ वालों के पास रहे। अगर चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाये तो 107 गांव और फाजिल्का का इलाका साथ-साथ हरियाणा को ट्रांसफर हो, वरना अकाली क्या, धरती चाहे फट जाये, समन्दर चाहे फूट पड़े, आसमान चाहे बिजलियां गिरा दे हमें हमारे रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता। यह पार्टी का सवाल नहीं हैं। स्टेड का सवाल है।

में एस० वाई० एल० के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। सतलुज ब्यास लिंक जो हरियाणा की लाइफ लाइन है 215 किलोमीटर लम्बी लाइन है। जिसका पचास प्रतिशत हिस्सा हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा ने दस-बारह साल पहले उसको पूरा कर दिया था। जो हिस्सा पंजाब में था वह पंजाब की सरकार ने बनाना था, 85-87 प्रतिशत वह बन चुकी है। पानी फालतू जाया होकर पाकिस्तान में जा रहा है। लेकिन हमारा बड़ा भाई पंजाब हमारे दिल में उसके प्रति बहुत प्रेम है वह कहता है कि नहर नहीं बनेगी। बादल साहब कहते हैं कि नहर बनेगी तो काट देंगे। इस पर मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि बोर्डर रोड्स को दे दो। भारत सरकार ने ऐसा निर्णय करने का फैसला लिया है। क्योंकि वहां सीनियर इन्जीनियर्स, सुपरिटेंडेंट इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर को कत्ल कर दिया गया। हरेक को अपनी जान प्यारी होती है, मुलाजिमों ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे यह हमारे बस का नहीं है कि हम अपनी जान से खिलवाड़ करें। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार किसी आर्गेनाइजेशन को यह काम न दे। अगर भारत सरकार ऐसा फैसला करती है, भारत सरकार को जब दो राज्यों में विवाद हो, ऐसा फैसला करने का अधिकार है। हरियाणा वाले पानी के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ फालतू पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है। एस० वाई० एल० जो पाये कश्मीर तक पहुंचने वाली है, 10-15 प्रतिशत बाकी है। अगर आपको पूरा करने के लिए बार्डर रोड्ज आर्गेनाईजेशन को दे दिया जाये तो क्या गुनाह है? मतलब तो नहर को पूरा करने से है।

चेयरमैन साहब, मैं आपकी आज्ञा से प्रधानमन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि एस० वाई० एल० को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये।

तीसरी बात, मेरी कांस्टीट्यन्सी करनाल की रिफायनरी की बात है जिसका 8 साल पहले निर्णय लिया गया था। उसके लिए 2200 एकड़ जमीन ली गयी। 16 नवम्बर, 1984 को मरहूम प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उसकी आधार शिला रखी जानी थी लेकिन 31 अक्तूबर, 1984 को काल ने उसे हमारे हाथों से छीन लिया। नई सरकार राजीव गांधी के नेतृत्व में आयी। उन्होंने 30 मार्च, 1977 को इसकी आधारशिला रखी लेकिन चेयरमैन साहब, उसके बाद 1989 में हमारी सरकार चली गयी और सारा काम ठप्प हो गया। पहले यह पब्लिक सैक्टर में बननी थी, ज्वांयट सैकटर में बनने का फैसला हुआ। अब इण्डियन आयल आर्गेनाईजेशन ने बनाने का फैसला किया है। अब जमीन 8 साल से खाली हुई पड़ी है, इससे कितना नुकसान हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से और श्री शंकरानन्द जी व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं और इस सदन में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि रिफायनरी का काम जल्द से जल्द पूरा/शुरू कराया जाये।

चेयरमैन साहब, जम्मू-कश्मीर के बारे में दो शब्द कहूंगा। वहां पर खून की होली खेली जा रही है। वह जम्मू, कश्मीर, जहां पर दुनिया के कोने-कोने से लोग सैर-सपाटे के लिए आया करते थे, जो हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा गुलिस्तां था, उसको देखने के लिए तरसते हैं। वहां आज क्या हालत है? किसलिए है? दो साल पहले तक कभी भी हिन्दू-मुस्लिम फसाद नहीं हुए लेकिन जब वी० पी० सिंह की सरकार आयी और उस सरकार के समय में रूबिया काण्ड हुआ जो उस समय

के गृह मंत्री की सुपुत्री थीं और उसका अगुआ कर लिया गया था, वह सिलसिला चला आ रहा है। मैं समझता हूं कि उस समय की सरकार के समय में ऐसे काण्ड से हिन्दुस्तान की सरकार का जनाजा निकाल दिया और रोब में आकर 4-5 बदमाश छोड़ दिए गए। उन लोगों ने देखा कि यह सरकार तो कमजोर है। उन्होंने खुले मैदान में आकर 40 साल के इतिहास में यह कहा :

"तुम हिन्दुस्तानी कुत्तो, निकल जाओ।" (यू इण्डियन डॉग्स, गैट आउट) उस वक्त तक कोई ऐसी चीज पैदा नहीं हुई थी, यह सब वी० पी० सिंह सरकार की देन थी जिन्होंने कश्मीर के अन्दर ऐसे हालात पैदा किये और आज कश्मीर की ऐसी हालत है कि पाकिस्तान उसका नाजायज फायदा उठाकर वहां पर टैरेरिज्म फैला रहा है जिसपर काबू पाना मुश्किल है। अब आप देखिए··· असम में क्या हुआ ?

सभापति महोदय : शर्मा जी, प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि असम आज नासूर बन चुका है। वहां जो हालात पैदा हुए हैं, किस दिलेरी से, किस बहादुरी से, किस दानिशमंदी से अल्फा पर काबू किया गया है। वहां पर आर्मी भेजी और वे लोग सरण्डर करने लगे। यह है हमारी हुकूमत की देन। नुक्ता-चीनी की जा सकती है। बहुत कुछ कहा जा सकता है।

एकता यात्रा के जरिए प्रेम और मुहब्बत की मुरली बजाने की कोशिश करने वालों ने क्या किया ?······चेयरमैन साहब, चूंकि आप बार-बार हुक्म दे रहे हैं तो उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति के एड्रेस पर जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मैं इन चन्द लफ्जों के साथ पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दो लक्ष्य होते हैं। एक होता है कि गत वर्ष का लेखा-जोखा क्या है और दूसरा होता है कि अगले वर्ष सरकार किस दिशा की ओर जाना चाहती है। अगर इस कसौटी पर कसें तो यह अभिभाषण पूरी तरह से असफल रहा है। मुझे अफसोस है कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है वह ऐसे भले आदमी ने किया है······। हम उस भले आदमी का समर्थन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस ढंग का अभिभाषण गया दिया है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के 52 मिनट हैं।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, यह भाषण दिशाहीन है, सारहीन है, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है और सरकार की इच्छा को प्रदर्शित नहीं करता। कांग्रेस के घोषणापत्र को मैं लाया हूं। मैंने आपसे कहा कि कोई भी घोषणा पत्र अगले वर्ष की नीति और दिशा तय करता है और पोलिटिकल पार्टी की इच्छा बताता है। मैं घोषणा पत्र की ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। कुछ वायदे किए थे जनता से आपने। आपने कहा था कि 100 दिन के अन्दर यह करेंगे, 365 दिन के अन्दर यह करेंगे, 730 दिन के अन्दर यह करेंगे और 1000 दिन के अन्दर यह करेंगे। अब 1000 दिन आपकी सरकार ने रहना है, 730 दिन रहता है वह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 365 दिन तक जो आपने वायदे किए हैं एक साल के लिए, मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से

कि जिन वायदों का यहां जिक्र है उनमें आपने कीमतों को जुलाई, 1970 के स्तर पर लाने की बात कही थी। प्रत्येक गांव में जवाहर योजना के लिए धनराशि देने की बात आपने कही है। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 मिलियन मैन डेज रोजगार गारंटी की बात आपने कही थी। यह लिखा हुआ है इसके अन्दर ? प्रत्येक वर्ष 10 लाख सिंचाई के लिए ट्यूबेल की बात कही है, वह कहां है इसके अन्दर। कानून द्वारा ह्यूमैन राइट्स कमीशन की बात कही थी, वह कहां है इसके अन्दर ? 10 लाख पिछड़े वर्ग के लिए ड्वेलिंग यूनिट्स की बात कही है, वह कहां है ? ऐसे अनेक उदाहरण हैं लेकिन समय नहीं है। मैं यही मूल बातें कहना चाहता हूं।

श्री अयूब खान : ये पांच साल के लिए हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैं अभी जो बता रहा हूं, यह एक साल वाले वायदे हैं। (व्यवधान) मेरा निवेदन यह है कि किस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये सोचते हैं कि राष्ट्रपति जी से या प्रधान मन्त्री जी से कोई बात कहलवा लो, उसको रेडियो और टेलीविजन पर प्रचार करवा दो। इसके अन्दर जो 9वां मुद्दा है, नयी औद्योगिक नीति, "इस नीति के महत्वपूर्ण परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं", यह कहा गया है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस नीति के बाद आपके टैक्स कलेक्शन में कमी आई है या नहीं, औद्योगिक उत्पादन घटा है या नहीं ! कृषि उत्पादन घटा है या नहीं, निर्यात घटा है या नहीं ? यह आपकी औद्योगिक नीति के परिणाम सामने आए हैं। यह जो चीजें मैंने कही हैं, अगर ये माइनस हुई हैं तो औद्योगिक नीति आपकी कहां सफल है ? फिर रेडियो, टेलीविजन में कहें कि राष्ट्रपति जी ने यह कह दिया और आप उसका प्रचार करेंगे। आज आम जनता को लच्छेदार भाषण नहीं चाहिए। रेडियो टीवी पर घोषणा में नहीं चाहिए, आर्थिक नीतियों पर बहस नहीं चाहिए। उसे तो सस्ती जीवनोपयोगी वस्तुएं चाहिए। उसको चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल हो। अगर सरकार ने महंगाई पर कंट्रोल कर दिया तो वह जनता के लिए अच्छी है और महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया तो वह सरकार निकम्मी है। यह जनता का मापदंड है। यह जमीन की राजनीति है। श्री मनमोहन सिंह जी भले ही कहें। वह कहते हैं कि अगस्त तक महंगाई 16 प्रतिशत थी, मैंने कम करके 12 प्रतिशत कर दी। आज के जीवनोपयोगी वस्तुओं के रेट्स में अपने साथ लाया हूं और इस सदन में पढ़कर बताना चाहता हूं। ये रेट्स आज सुबह के हैं। पहली बात तो यह है कि जहां सरकार कहती है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य मात्र 12 परसेंट बढ़े हैं लेकिन कई आवश्यक वस्तुओं के रेट्स तो सरकार ने खुद 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाये हैं, जैसे राशन की दुकानों पर मिलने वाले गेहूं का दाम 214 रु० से बढ़ाकर 296 रु० आपने कर दिया, चावल के दाम 393 से बढ़ाकर 486 रुपये कर दिए, चीनी के दाम बढ़ाकर 610 रुपये से 690 रुपये प्रति क्विंटल कर दिये। इसके अलावा खुले बाजार में, जहां आप क्लेम करते हैं कि मात्र 12 परसेंट मूल्य बढ़े हैं, आटा 4 रुपये से बढ़कर 6 रुपए प्रति किलो हो गया, दाल अरहर, जिसे एक गरीब आदमी खाता है, उसके दाम 11 रु० से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गए, वनस्पति घी के दाम 33 रु० से बढ़कर 38 रुपये हो गए, नहाने का साबुन 4 रुपए से बढ़कर साढ़े पांच रुपए हो गया। और तो और कोलगेट जैसी मल्टी नेशनल कम्पनियां जिस तरह से अपने उत्पादों के दाम बढ़ाकर लूट रही हैं, उन पर कहीं किसी तरह की रोक नहीं है। कोलगेट का 50 ग्राम का पेस्ट पहले 4 रुपए

में मिलता था, अब वह 7 रुपये में मिलता है और 100 ग्राम के दाम 7 रुपये से बढ़कर 12 रुपए हो गए। इन मल्टी नेशनल कम्पनियों को आपने खुली छूट दे रखी है कि जितना चाहें लूट लें। काला चना साढ़े 6 रुपए से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलो हो गया। सफेद चना 7 रुपये से 10 रु० हो गया, चावल परमल 5 रु० से बढ़कर 9 रुपये प्रति किलो हो गए। ये कीमतें आज की मैंने आपको बतायी हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमरे में बैठकर भले ही आप कोई कलेम कर दें लेकिन हकीकत यह है कि मूल्यों के बढ़ने से जनता बेहद दुखी है। उसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता और न आर्थिक नीतियों पर बड़ी-बड़ी बातें यहां करना चाहता हूं लेकिन सीधा-सा सुझाव यह जरूर दूंगा कि एक किसान द्वारा पैदा की गई खेती की वस्तुओं की कीमत अगर सरकार द्वारा गठित एक कमीशन तय करता है तो इन मल्टी नेशनल कम्पनीज द्वारा, बड़े-बड़े धन्नासेठों द्वारा जो चीजें बनायी जाती हैं, उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन तय करने के लिए एक कमीशन होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के पैकेट पर लिखा होना चाहिए कि इसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है ताकि जनता को मालूम हो सके कि बाटा का जो जूता 100 रुपये में बनता है, उसकी कीमत लिखी होती है 493 रुपये 95 पैसे।

आज सुबह का ही उदाहरण ले लीजिए, मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि महंगाई आपकी नीतियों के कारण ही बढ़ी है, जिस तरह के भ्रष्टाचार की चर्चा आज सुबह गेहूं के बारे में हुई, मैं उसके तथ्य लाया हूं। मैं चाहूंगा कि वे तथ्य यदि गलत हैं तो मिनिस्टर साहब यहां खड़े होकर कन्ट्राडिक्ट करें। पहले मुझे बताया गया है कि पिछली सरकार ने वैसा किया था लेकिन आज सुबह जिस तरह चन्द्रशेखर जी बोले, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। 10 लाख टन गेहूं का निर्यात करने के लिए 90 अमेरिकी डालर प्रति टन अर्थात् सबसिडी देकर 214 रुपए प्रति क्विंटल की दर से निर्यात करने का समझौता आपने किया। 10 लाख टन में से 3 लाख टन गेहूं आपने जोर्डन भेजा, 75 हजार टन अफीकी देशों को भेजा और 2.25 लाख टन अन्य देशों को भेजा, अर्थात् कुल मिलाकर 6 लाख टन गेहूं अब तक आप बाहर भेज चुके हैं और चार लाख टन अप्रैल तक और भेजने जा रहे हैं। उसके बदले में आप गेहूं आयात भी कर रहे हैं। अमेरिकी डालर्स में आप आयात करने जा रहे हैं, इसकी चर्चा आज सुबह हुई यानी 160 अमेरिकी डालर अर्थात् 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आप गेहूं मंगवा रहे हैं। आप देखें कि इसी साल 214 रु० प्रति क्विंटल की दर से गेहूं भेजकर 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं मंगाना कितना औचित्य-पूर्ण है। इसके अलावा एक इण्टरेस्टिंग बात यह है कि इसी साल 15 लाख टन गेहूं रोलर मिल्स को, बड़ी-बड़ी आटे की मिलों को रियायती दर पर दिया गया अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में वह रियायती दर 310 रुपए से लेकर 370 रु० प्रति क्विंटल थी। उसका परिणाम यह हुआ और मैं आज आरोप लगा रहा हूं कि तीन महीने पहले खुले बाजार में जो गेहूं का भाव 300 रुपये था आज वह बढ़कर 500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, आपकी नीतियों के कारण। आपने कम और रियायती दरों पर गेहूं उन मिल्स को दिया लेकिन उनके द्वारा जो आटा, मैदा या सूजी तैयार की गयी उस गेहूं से, आपने उनके दामों को कन्ट्रोल नहीं किया, उन्हें खुले बाजार में अपना सामान बेचने दिया। उसी के परिणामस्वरूप जो गेहूं का आटा पहले 3 रुपए किलो मिलता था, आज सारे देश में

वही आटा ७ रुपए किलो की दर से बिक रहा है। मैं बहुत साफ बता दूं, हम लोग स्टेट कैपीटलिज्म के भी खिलाफ हैं और पूंजीवादी व्यवस्था के भी खिलाफ हैं। हम तो यह चाहते हैं कि अगर आपने कंट्रोल रेट पर उनको गेहूं दिया है, तो उनसे तैयार सामान भी जैसे मैदा और सूजी आदि लोगों को सस्ते भाव पर उपलब्ध करवाते। इसी प्रकार से आपने 15 लाख टन गेहूं निर्यात कर दिया और आप 10 लाख टन गेहूं आयात कर रहे हैं। अगर आपके पास गेहूं कम था, तो आपने क्यों निर्यात किया, आपको निर्यात नहीं करना चाहिए था। महोदय, इसके बारे में सी० बी० आई० की एक इन्क्वायरी होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय, जो मैंने अभी कहा है, उसमें संशोधन करता हूं और मैं यहां सदन में मांग करता हूं कि गेहूं आयात-निर्यात में जो गड़बड़ हुई है, उसकी जांच करने के लिए इस सदय की एक जांच समिति बनाई जाए जो इस बारे में जांच करे और देश व सदन के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दे।

सभापति महोदय, जो इन्स्पेक्टरी राज था, हम उसके खिलाफ थे। इसलिए हम कुछ हद तक लिबराइजेशन की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप देश को इतने नीचे ले जाएं कि विदेश वित्तीय संस्थानों और आई० एम० एफ० को लाकर यहां पर उनके मुताबिक नीतियां बनाएं। हमारा बहुत साफ कहना है कि "स्वदेशी", "स्वालम्बन" और "स्वतंत्रता" का जो हमारा पुराना नारा था, वह ठीक था और उसके मुताबिक काम होना चाहिए और ये तीनों चीजें एक साथ जब होंगी, तभी देश में तरक्की होगी अन्यथा देश तरक्की नहीं कर सकेगा। इनमें से यदि एक भी चीज नहीं मिली, तो देश खतरे में पड़ जाएगा।

सभापति महोदय अभी मेरे कांग्रेसी मित्रों ने बम्बई और पंजाब के चुनाव के काफी गीत गाए हैं। महाराष्ट्र में शिव सेना के खिलाफ इसलिए जिहाद छेड़ा था कि उन्होंने गोड़से की प्रशंसा की थी और उन्होंने बम्बई में उनकी मूर्ति स्थापित करने की बात कही थी। उसी व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने गोडसे की मूर्ति स्थापित करने की बात कही और जिसके खिलाफ आपने प्रचार किया कि इसने गांधी जी को गाली दी इंसल्ट की, उसी व्यक्ति को आपने अगले ही दिन अपने गले से लगा लिया और अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बना लिया। फारूक अब्दुल्ला अगर अपोजीशन में रहते हैं, तो गद्दार हैं और आपके साथ आ जाते हैं, तो आपके मित्र हो जाते हैं। बरनाला जी अगर आपके खिलाफ जाएं, अपोजीशन में रहें, तो गद्दार है, देश के दुश्मन हैं और अगर आपके साथ रहें, तो देशभक्त हैं ? बंबई के चुनाव जीतने के लिए आपने कितनी बड़ी कीमत दी, यह पूरा देश जानता है। जिस व्यक्ति को आपने 6 महीने पहले गालियां दी थीं, जिसने गोड़से का स्टेच्यू लगाने के लिए कहा था उसी व्यक्ति को कुछ सीटें लेने के लिए आपने मिनिस्टर बना दिया, यह बहुत बेशर्मी की बात है। भले ही कुछ सीटें आप ज्यादा ले गए।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से अभी यहां पर पंजाब की बात कही गई। पंजाब में 1977 से लेकर 1980 तक शांति थी। बहुत अच्छा शासन चल रहा था, शांतिपूर्ण चल रहा था। आपने उनको बदनाम करने के लिए दल खालसा की स्थापना करने के लिए भिंडर वाले को महान संत कहा, यह किसने कहा, आपने कहा। भिंडरवाला बाद में भस्मासुर साबित हुआ। सरकार ने

स्वयं मन्दिर में प्रवेश किया। उससे इन्दिरा गांधी जी की हत्या हुई। 1984 में देश में हत्याकाण्ड हुआ। मैं इसको दंगे नहीं कहता, दंगे दोनों तरफ से होते हैं। यह सरकार की ओर से नरसंहार था। दिल्ली में करोड़ों रुपए की सम्पत्ति लूट ली जाए, आग लग जाए, हजारों लोग मर जाएं, एक जगह भी लाठी चार्ज न हो, गोली न चले। कल मैंने टी०वी० में सुना, सज्जन कुमार के खिलाफ केस के बारे में सुनते-सुनते हमको इतने साल हो गए, अभी तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। अब उनको एम० पी० बना दिया गया है।

जिन्हें अपराधी घोषित किया गया उन्हें सजा मिलना तो दूर उनको संसद सदस्य और मंत्री बना दिया गया। मेरा कहना है कि कांग्रेस सरकार की इस कार्यवाही से उनके जख्मों पर नमक छिड़का गया है। हमारा अनुरोध है कि उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए इस हाउस की तरफ से एक शोक प्रस्ताव होना चाहिए। 1984 के दंगों में जो लोग मरे हैं, आतंकवादियों द्वारा जो लोग मरे हैं, उन सबको यहां श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। जो अपराधी घोषित हैं उनको सजा मिले।... (**व्यवधान**)

पंजाब में जब-जब नोरमैलसी की बात आई तब-तब केन्द्र सरकार मजबूत नहीं रही और कदम पीछे हटाया।... (**व्यवधान**)

श्रीमती विभू कुमारी देवी (त्रिपुरा पूर्व) : वे शोक प्रस्ताव पास करना चाहते हैं। 1980 में हमारे यहां मार्कसिस्ट गवर्नमेंट में उस समय ट्राईबल्स मारे गए, उनके लिए भी एक शोक प्रस्ताव लाया जाए।... (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना : राजीव-लोंगोवाल समझौते की तिथि तय हो गई, समझौता आज तक लागू नहीं हुआ। इस समझौते ने लोंगोवाल को शहीद कर दिया।

पंजाब में चुनाव हुए, श्री बरनाला को मुख्य मंत्री बना दिया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बरनाला की महाराजा रंजीत सिंह के शासन से तुलना की गई। तीन महीने बाद चुनाव के समय महाभ्रष्ट कहकर उन्हें हटा दिया गया। पंजाबवासियों का विश्वास टूटा। मतदान के एक दिन पूर्व चुनाव स्थगित हुए। इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं थी। सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब के गवर्नर जनरल मल्होत्रा को भी कहना पड़ा कि वे कभी अपमानित नहीं हुए लेकिन सरकार ने उनको अपमानित किया।

पिछली बार जब चुनाव हुए थे मैंने उस समय कहा था कि मेरी जानकारी यह है कि अकाली पंजाब के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। होम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा फीड बैक यह है कि वे चुनाव में हिस्सा जरूर लेंगे। वे चुनाव में हिस्सा लें, इसके लिए एक षड्यन्त्र किया गया। चुनाव मीनिंगफुल नहीं रहा।

पंजाब में कुल मिलाकर 132 लाख वोटर हैं। 28 लाख पोलिंग हुई, उसमें से कांग्रेस को 13 लाख मिले। 132 लाख में से कांग्रेस को दस फीसदी से भी कम वोट मिले हैं। एक

कांसटीटएंसी में तो केवल एक प्रतिशत वोट पड़ा है। एम० एल० ए० दो सौ वोट पाकर जीत गए। बी० जे० पी० को पांच लाख मिले हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इसे पंजाब की इच्छा न समझ ले, आपको वहां 10 परसेण्ट से कम वोट मिले हैं। लेकिन आपको मौका मिला है पंजाब की समस्या को हल करने का। इसलिए आप एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बताइए वरना इतिहास कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा, यह मेरा कहना है।

मैं कश्मीर की समस्या पर भी कहना चाहता हूं। मैं कश्मीर की समस्या के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वहां हालात बहुत खराब हैं, मैं इसमें पोलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता लेकिन परसों एक सवाल यहां आया था कि 24 जनवरी को वहां पुलिस मुख्यालय के अन्दर जो बम कांड हुआ, उसमें लोग जख्मी हुए, सब कुछ हुआ, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा लेकिन एक बात आप के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 24 जनवरी से आज की तारीख तक जम्मू कश्मीर में पुलिस हैडक्वार्टर को छोड़ दिया गया, वहां वह फंक्शन नहीं कर रहा। जम्मू कश्मीर का पुलिस हैडक्वार्टर पुलिस कमिश्नर के बंगले में फंक्शन कर रहा है तो हम अब लोगों को क्या सिगनल देना चाहते हैं? ईश्वर न करे लेकिन कल को अगर राष्ट्रपति भवन के किसी हिस्से में या पार्लियामेंट के किसी हिस्से में बम फट जाए तो क्या हम पार्लियामेंट को छोड़ देंगे या क्या हम राष्ट्रपति भवन को छोड़ देंगे? मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि आतंकवादियों ने एक बम मार दिया और पुलिस हैडक्वार्टर ने वहां काम करना बंद कर दिया है तो यह जो सिगनल दिया जा रहा है, यह सिगनल ठीक नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं।

अन्त में एक बात को कहते हुए कि कश्मीर के अन्दर से जो बेचारे शरणार्थी बन्धु आये हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। कश्मीर की समस्या को देखा जाए तो केवल कश्मीर वैली ही नहीं बल्कि कश्मीर के अन्दर जम्मू का हिस्सा भी है, कश्मीर के अन्दर लद्दाख का हिस्सा भी है। लद्दाख के बारे में नेहरू जी ने कुछ वायदा किया था। पहले की सरकार में इस सम्बन्ध में त्रिपक्षीय फैसला हुआ था। इसलिए इन तीनों की अलग काउन्सिल बनायी जानी चाहिए।

कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है। आखिर में इतना ही कह कर कि इस प्रस्ताव में हमारे मित्र प्रो० धूमल जी ने जो संशोधन दिए हैं, उन संशोधनों को अगर यह सरकार मानने को तैयार है तो हम इसके पक्ष में वोट दे देंगे, इन संशोधनों के साथ हम कहना चाहते हैं, वरना यह जिस तरह का प्रस्ताव है, उसको हम नहीं मानते। ...(व्यवधान)... आप तैयार होइये, हम सरकार गिरा देंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : सभापति जी, सर्वप्रथम मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था, राष्ट्रीय मोर्चा और वामपन्थी मोर्चा ने और हमने इसलिए बहिष्कार किया था, क्योंकि, हम जानते थे कि राष्ट्रपति का जो मर्यादित पद है और जो कांस्टीट्यूशनल हैड है, उसके माध्यम से सारा अनकांस्टीट्यूशनल काम यह सरकार करेगी और इसलिए हम लोगों ने उस समय इसका विरोध किया था और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो हमने पढ़ा है, उससे हमारे सन्देह की शब्दश: पुष्टि होती है।

सभापति जी, आप चेयर की हैसियत से नहीं लेकिन आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। आप जानते हैं कि इस देश की जो बुनियाद है, यह हमारे सामने कांस्टीट्यूशन की किताब है और इस कांस्टीट्यूशन के प्रिएम्बल में लिखा हुआ है—

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए…

लेकिन हमें आश्चर्य हुआ, पहली बार कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं सोशलिस्ट शब्द का, समाजवाद का कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जिस समाजवाद की हम दुहाई देते हैं, जिस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का उल्लेख हमने संविधान में किया है, उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं उल्लेख तक नहीं हुआ तो चोर की दाढ़ी में तिनका का सवाल होता है। इससे कितनी सरकार घबरा गई है, इस शब्द से, समाजवादी शब्द से कि उसका कहीं आपने उल्लेख तक नहीं किया और फिर शब्द क्या है…(व्यवधान)… अब मैंने कहा कि संविधान की आत्मा क्या है…

5.00 म० प०

मैंने कहा कि संविधान में चार शब्द आपके लिखे हुए हैं—सोवरन, सोशलिस्टिक, सेकुलर और डेमोक्रेटिक अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह चीजें सोवरन हैं, सोवरन का मतलब होता है संप्रभुता, देश की आजादी का मतलब संप्रभुता नहीं होता है। देश आजाद रहता है लेकिन लोग गुलाम रहते हैं जैसे 1975 में हमारा देश आजाद था लेकिन लोग हमारे गुलाम थे, उसी तरीके से आज भले ही हम कह दें कि हमारा देश आजाद है लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता आर्थिक और राजनैतिक गुलामी का रास्ता है और हिन्दुस्तान आजाद करने के लिए रहेगा। लेकिन आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से हम सोवरन नहीं रहेंगे, यह हम आपको बतलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

हिन्दुस्तान के इतिहास में, आपने ठीक कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी शर्मनाक चीज आई है 47 टन सोना विदेश में आपने चोरी-छिपे जहाज से भेज दिया और जब हमने पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाया तो आपने कहा कि हमको कर्जा लेना था और आज आप दिल ठोककर कहते हैं हमने सोना वापस ले लिया। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि छः महीने में कमाई करके आपने सोने को वापस लिया है।

उपाध्यक्ष जी, ऐसा लग रहा है कि नरसिंह सरकार ने कोई बड़ा कर्जा ले करके सोना वापस लिया है

"जावम् जिवेत सुखम् जिवेत, ऋणम् कृत्या घृतम पिवेत"

जब तक जीओ खुशीपूर्वक जीओ, ऋण ले करके घी पीओ। यही हुआ आजादी के समय हमारे देश पर एक नया पैसा कर्जा नहीं था और 1977 में कर्जा हो गया तेईस हजार करोड़ रुपया। यह आपका पार्लियामेंट का जवाब है और 1977 से 80 तक जब अपोजिशन सरकार थी तो एक नया पैसा कर्जा नहीं बढ़ा। 1980 में 23 हजार करोड़ रुपया और 85 में कर्जा बढ़ करके हो गया 37 हजार करोड़ रुपया और सबसे जो प्रगतिशील जमाना था 85 से 89 तक, उस समय में कर्जा बढ़ करके हो गया 45 हजार करोड़ से लेकर के एक लाख बीस हजार करोड़ रुपए, यह आपका रिकार्ड है, हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार का जवाब बोलता है एक लाख बीस

हजार करोड़ रुपया और आज आपने कह दिया कि बाईस हजार रुपया सेलेरी है उसको बढ़ा करके हम अट्ठाइस हजार रु० कर रहे हैं लेकिन बाईस हजार सेलरी का जो कीमत था, आपने जो डिवेल्यूऐशन किया है उसके मुताबिक तीस हजार रुपए तो वैसे ही हो जाता है और जो रुपए की कीमत थी एक लाख बीस हजार करोड़ का जो कर्जा था वह बढ़ करके हो गया एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपया और अभी जो आपने कर्जा लिया है उससे बढ करके एक लाख हो गया, इस तरह सत्तर हजार करोड़ रुपया विदेशी कर्जा हमारे माथे पर है और जो बच्चा मां के पेट में है उसके ऊपर भी दो हजार का कर्जा इस देश में ने दे दिया है और इस पर भी आप गर्व करना चाहते हो तो गर्व करो।

मैं यह कह रहा था कि हम कहते हैं कि हम सोवरन हैं, क्या हम सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ जा रहे हैं या केपेटलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथी फौज में रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी वहां गवाई है और आज हमें यह शक हो रहा है कि वह बैठ करके सरकार की तरफदारी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, तीसरा है सेकूलरिज्म, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार सेकूलरिज्म की तरफ जा रही है। एक हमारी सरकार थी जिसने सेकूलरिज्म की रक्षा के लिए अपनी सरकार को कुर्बानी देने का काम किया, एक आपकी सरकार थी जिसने कम्युनिज्म की रक्षा के लिए एयरफोर्स देने का काम किया और आज आप भाषण दे रहे हो, खुराना जी ने ठीक कहा मैं उनकी ताइद करता हूं वह ऐसे सांप हैं कि आपके गले में लिपट गए हैं और आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। (व्यवधान) यदि जोशी जी झंडा नहीं फहराते तो उनका काम नहीं चलता।

श्री मदन लाल खुराना : पैसे दिये हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, पैसा भी दिया है। यह देख लीजिए कि यह है गवर्नमेंट, भारत सरकार यह काम कर रही है। जहाज भी दिया, पैसा भी दिया, उसके बाद जाकर झंडा फहरा दिया और उसको दुहाई दी जा रही है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : ऐसी बात मत कीजिए। जो बात मैंने कही नहीं, उसको ये कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, सुबह आप भी थे। मैं समझता हूं कि आप बहुत एक्टिव और पुराने मेंबर आफ पार्लियामेंट हैं। आपको मालूम है कि सुबह सरकार से सिर्फ इतना पूछा गया कि कितना और किस दर पर गेहूं इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब नहीं आया है। क्या गेहूं का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिस दर पर किया गया है, वह किसान के पक्ष में है, वह जानकारी हम चाह रहे थे। जो गेहूं इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका अधिक पैसा दिया जा रहा है और कम दाम पर गेहूं एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, जबकि मेंबर्स के पास है।

दूसरी बात सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं, दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या यह सही है कि क्यूबा को जो चावल गेहूं दे रहे हैं, इससे अमरीका को दुख है और अमरीका ने

सरकार पर दबाव डाला है कि यदि इस तरह का काम आपने किया तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। आज गेहूं नहीं देंगे, कल पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आई०एम०एफ० तो अमरीका के ही पास है। इसका भी जवाब अभी तक सरकार के पास नहीं है। सरकार ने देश की मान-मर्यादा, इज्जत, आर्थिक और पोलिटिकल सावरेनिटी, सब कुछ आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के कदमों में डालने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बुनियादी बात कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की आजादी सिर्फ स्वराज से ही नहीं है, स्वराज का मतलब होता है अपना राज और सुराज का मतलब है सुन्दर राज्य। क्या आज हम एक सुन्दर राज्य बना पाए हैं। जिस तरह से यह पार्लियामेंट है, इसी तरह से देश के 4 पिलर्स हैं। एक सोशल पिलर है, एक इकनामिक पिलर है, एक पोलिटिकल पिलर है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर है जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वह आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है, और पोलिटिकल दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है इसका नतीजा यह होता है कि जब कभी उस पर जुल्म होता है तो आर्थिक पाया, राजनीतिक पाया और एडमिनिस्ट्रेटिव पाया, ये तीनों उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। जब कभी बुनियादी सवाल इस देश में छेड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा।

सुल्तानपुरी जी यहां पर बैठे हैं, अभी बात कर रहे थे। मैं आर्थिक मामले पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि सब इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सामाजिक इशू पर आपने कहा है, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में, हिन्दी के पेज 10 और पैरा 23 में जो कहा है, मैं उसको यहां पर रखना चाहता हूं। उन्होने कहा है कि मेरी सरकार अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्या के प्रति अत्यन्त जागरूक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर बराबर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को ध्यान में रखकर अक्तूबर, 1991 में मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाए।

मैं पूछना चाहता हूं कि इसी सदन में 16 घंटे की डिबेट हुई थी, चुंदूर में एक घटना घटी थी, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, लोगों के हाथ, पांव, गर्दन काटकर नाले में फेंक दिया गया था, सी०पी० एम०सी०पी०आई०, तेलगूदेशम आदि पोलिटिकल पार्टीज के लोग वहां गए, 6 तारीख की घटना थी, 8 तारीख तक चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था, वे दिल्ली में जोड़-तोड़ में लगे हुए थे 10 तारीख को हम वहां पहुंचते हैं, वहां से आते हैं, 16 घण्टे की यहां पार्लियामेंट में डिबेट होती है और कहा जाता है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जायेंगे। 6 दिसम्बर को वहां न्याय ज्योति निकाली गई, लेकिन आपको आश्चर्य होगा सुल्तानपुरी जी कि एक महीने पहले कोर्ट का जजमेंट आया है और उसमें कहा गया है कि क्योंकि उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है, चार्ज शीट नहीं दी गई है, इसलिए सबको बरी किया जाता है। सबको छोड़ दिया गया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक कांग्रेस (आई) का आदमी फंसा हुआ है। सिक्खों का रायट्स हुआ पंजाब में, 1984 में सिखों का रायट्स हुआ उसके खिलाफ आज तक चार्ज शीट सब्मिट नहीं हुई। चुंदूर की घटना में चार्जशीट सब्मिट भी हो गयी और सारे के सारे लोग बरी भी हो गए। इसलिए खुराना साहब जब

उस दिन मामला उठा था '12 को मैंने कहा था, खून खून होता है, चाहे खून गरीब का हो चाहे अमीर का हो, चाहे सिख का खून हो, चाहे हिन्दू का खून हो, चाहे दलित का खून हो, या ब्राह्मण का खून हो, हम खून देखकर जजमेंट करेंगे या खून देखकर हमको दुःख होगा तो देश एक नहीं रह सकता है ।

आज दुःख इस बात का है कि यदि मुसलमान का खून होता है तो खाली मुसलमान को चिन्ता होती है, दलित का खून होता है तो दलित को चिन्ता होती है, सिख का खून होता है तो सिख को दुःख होता है । यदि यह नजरिया हमारा रहा तो देश कभी एक नहीं हो सकता है । देश को एक करना है तो मुसलमान की हत्या हो तो हिन्दू को आंसू बहाना पड़ेगा, यदि दलित की हत्या हो तो ब्राह्मण को आंसू बहाना पड़ेगा । रोना पड़ेगा । आज कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी* जा रही हैं ब्राह्मण महासभा में भाग लेन के लिए । ब्राह्मण महासभा का उद्घाटन हो रहा है ।...घण्टी...में यह कह रहा था कि आपने सोशल जस्टिस का सवाल उठाया, इसलिए मैंने कहा कि 12 की घटना घटी ...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप काट दीजिए* कोई मामूली मैम्बर नहीं हैं । बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं ।

सभापति महोदय : हमारी कन्वेंशन होती है ।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा कह दीजिए कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी हैं ।

सभापति महोदय : कांग्रेस (आई) या कोई और पार्टी की बात नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, मैं मान गया ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दें ।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति जी, बार-बार मुरली मनोहर जोशी का नाम आता रहा तब तो रिकार्ड में चलता रहा । जब इनका नाम आया तो आप कह रहे हैं कि वे मैम्बर नहीं हैं । इसलिए यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए । एक जैसा मापदण्ड होना चाहिए । सारा रिकार्ड ठीक किया जाए ।

श्री राम विलास पासवान : जहां-जहां मुरली मनोहर जोशी का नाम आया है, वहां बी० जे०

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

पी० के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दीजिए और जहां राजेन्द्र कुमार बाजपेयी का नाम आया है वहां कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी कर दीजिए। दोनों में कोई अन्तर नहीं है। ··· (व्यवधान)···सभापति जी, मैं कह रहा था कि 12 की घटना घटी, होम मिनिस्टर साहब चले गए, जाना भी चाहिए, लेकिन 12 से पहले 10 शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग मारे गए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि गृह मन्त्री जी वहां क्यों नहीं गए ? उत्तर प्रदेश में अकलियतों का नरसंहार हुआ, कहां-कहां होम मिनिस्टर गए क्यों नहीं गए। 12 को घटना घटी वहां चले गए, सिर्फ पालिटीकल लाभ के लिए, वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए।

मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले उनके अनुयायी हैं। इस देश में दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी का। यदि पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी का रास्ता बन्द करने की कोशिश की गयी तो दूसरा रास्ता है वायलेंस का। उसको कोई रोक नहीं सकता है। याद रखिए, मैंने एक बार कहा था, जब मैं सरकार में था, उस समय मैंने कहा था कि डी० डी० टी० से आप मच्छर मार सकते हो लेकिन जब तक गन्दे नाले की सफाई नहीं होगी, मच्छर का पैदा होना बन्द नहीं होगा, चाहे आप डी०डी०टी० से मच्छर मारने का काम करो।

आन्ध्र प्रदेश के चुंदूर का नौजवान आज पूछता है मैम्बर आफ पार्लियामेंट से कि बोलो तुम्हारा रास्ता सही है या नैक्सेलाइट्स का रास्ता सही है। तुम्हारे रास्ते पर हमें न्याय नहीं मिल रहा है। कल जब हम कानून और व्यवस्था को हाथ में ले लेंगे हम न्याय करना शुरू करेंगे। बिहार में 12 की घटना घटी है उसका यह कारण था कि 10 दलित लोग मारे गए, कोई आंसू बहाने के लिए नहीं गया। ···(व्यवधान)—

सभापति जी, चाहे चौधरी की घटना गया में है, चाहे शारदा प्रसाद की घटना गोरखपुर में हो, चाहे छोटे लाल बाबब की घटना हो, चाहे हमारे सोहन लाल पिपल दलित की घटना हो, चाहे मजदूर नेता नियोगी की हत्या मध्य प्रदेश में हो, हमारे साथी दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, चाहे कांग्रेस के राज में हो, चाहे जनता पार्टी के राज में हो, चाहे बी० जे० पी० के राज में हो, मैंने कहा कि आज गरीबों की हत्यायें हो रही हैं। ईश्वर चौधरी कौन थे ? शेडयूल्ड कॉस्ट्स के थे। मैंने कहा, यदि कल वहां शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों ने हत्या के विरोध में हथियार उठा लिए तो क्या होगा ? तब आप आंसू बहायेंगे।

किसी दलित और मजदूर की हत्या होती है तो उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता है, यह दोहरा मापदंड है तो यह देश के लिए खतरनाक चीज है। सभापति जी, आपको मालूम है कि आप भी हमारे साथ राष्ट्रपति के यहां गए थे। 106 एम० पी० सभी पार्टी के सब पार्टियों के बैरक को तोड़कर राष्ट्रपति के यहां गए, लेकिन राष्ट्रपति ने मिलने से इन्कार कर दिया। गांव में यदि कोई दारोगा एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करता है तो हम कहते हैं कि एस० पी० के यहां चलो। राष्ट्रपति के पास एफ० आई० आर० दर्ज कराने के लिए गए तो तब राष्ट्रपति ने हमारी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की तो उसके बाद हम लोग कहां जायेंगे। पोलिटिकल पोस्ट है, पहली बात ईमानदारी की बात है कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो किसी आदिवासी को भारत का राष्ट्रपति

बनाओ। हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं चाहे अपनी ही पार्टी का बनाओ। किसी शेडयूल्ड कास्ट-शेडयूल्ड ट्राइब्स या किसी माईनोरिटी के आदमी को बनाओ। इसमें प्रायोरिटी रखो। ट्राईबल से शुरू करो। हिन्दुस्तान में एक बार मौका आयेगा कि कोई ट्राईबल हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति बना।

[अनुवाद]

श्रीमती बिभू कुमारी देवी : हम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, आप कह दीजिए कि सभी सदस्यों की राय है कि किसी ट्राईबल को बना दिया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती बिभू कुमारी देवी : कांग्रेस दल ने हमेशा से आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण करने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस दल ने ही यह प्रक्रिया शुरू की है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप दबाव में नहीं बदलियेगा ···(व्यवधान)···

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लाख चालीस हजार का बैकलाग है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए न्यू इकोनोमी पालिसी बन रही है। इसमें सब कुछ प्राइवेट हो जायेगा, वहां कोई रिजरवेशन नहीं रहेगा। यहां दो मंत्री हैं। श्री सीताराम केसरी जी ने कह दिया कि हम 31 मार्च, 1992 तक एक-एक बैंकलॉग को पूरा करेंगे। हम मार्च में पहुंच गए हैं और आज पांच मार्च है। श्रीमती मार्गरेट अल्वा भी पर्सनल की मिनिस्टर हैं। मैंने अम्बेडकर सेन्टीनरी समिति में और आज भी प्रश्न पूछा कि कितना बैकलाग अभी तक पूरा हो पाया है। वे कहती हैं कि हमने कमीटमैंट नहीं किया। केबीनेट रैंक का मिनिस्टर कहता है कि मेरे पास मैजिक है और हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने दलितों, अकलियतों और पिछड़ों के मन में विश्वास जगाने का काम किया था। आज यह सरकार एक-एक करके उसको खत्म करती जा रही है। मंडल कमीशन का मामला हमने शुरू किया था। ·····(व्यवधान) इस सरकार की नीयत साफ नहीं है क्योंकि हमने कहा था कि हम इस सरकार के साथ बैठने नहीं आयेंगे। इस देश का एक डपोरशंख कहता था कि एक लाख या दो लाख ले लो। यह डपोरशंख की सरकार है। हमने कहा कि पचास परसेंट रिजरवेशन दे दो जिसमें बैकवर्ड और एस० सी० एस० टी० के लोग आ जायें और 27 परसेंट पिछड़ी जाति के लोगों को दे दो। उन्होंने कहा कि दस परसेंट ऊंची जाति के लोगों को दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और छः महीने के बाद 28 जनवरी को लास्ट डेट थी। सुप्रीम कोर्ट में यह सरकार नहीं बता पाई कि इनका क्या इकोनोमिक क्राइटीरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चैप्टर क्लोज कर दिया और खुला छोड़ दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना

चाहता। देश के सबसे बड़े वकील कहते हैं कि ये इडीयट हैं और ये लोग रिजरवेशन के बल पर मिनिस्टर और अफसर बन जाते हैं। इडीयट का शब्द उन्होंने कहा और इसके ऊपर जब प्रतिक्रिया होगी तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि आपने मंडल कमीशन का विरोध किया था। आपका उत्तर भारत में सफाया हो गया जो आप दोहरी नीति लागू कर रहे हो इसके कारण जो दक्षिण भारत का राज्य है वह भी आपका साफ होने वाला है। क्योंकि यह देश अन्ततोगत्वा वहीं जाता है जिसे जाति ने हमें पैदा किया है, वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। इसका हल सामाजिक न्याय के मामले से और मण्डल कमीशन के मामले से ही हो सकता है। ये दो ही रास्ते हैं। आज का नौजवान जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनमें और इनमें बुनियादी फर्क आ गया है। पुरानी पीढ़ी के लोगों ने जुल्म को बर्दास्त किया लेकिन नई पीढ़ी के लोग जातिवाद को नहीं मानते, वे इसके लिए कट सकते हैं, अगर झुक नहीं सकते। जो आजादी के पहले के मुसलमान थे उनको पाकिस्तान का एजेंट कह दिया तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जो राम विलास के साथ पैदा हुए और पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हुए जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया ऐसे अब्दुल हमीद को देशद्रोही कहा जाये तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो धर्म निरपेक्षता का रास्ता है, जो सामाजिक न्याय का रास्ता है, जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का रास्ता था उससे पीछे हट चुके हो और आप कैपेटेलिस्टिक सोसाइटी की तरफ जा रहे हो। खुराना साहब जो हमारे मित्र हैं, मैं उनको तीन चीज कहना चाहता हूं। यदि आप हिन्दू राष्ट्र का नारा लगायेंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा कि खालिस्तान का नारा लगाने वालों का विरोध करें। यदि कोई गर्व से कहो हम हिन्दू हैं का नारा लगाया तो विदेश में अमरीका और इंग्लैंड में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं उनका साथ कोई नहीं देगा। जिस दिन मस्जिद टूटेगी विदेशों में हिन्दुओं का क्या होगा। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना खतरनाक है और इसको जोड़ना जितना सिख के लिए खतरनाक है उतना की हिन्दू के लिए भी है। इसलिए डबल स्टेंडर्ड इसमें नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : सभापति महोदय, वह राष्ट्रपति के अभिभाषण से हट रहे हैं ····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं बिलकुल राष्ट्रपति के अभिभाषण के अन्दर हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार के बारे में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस देश में अभी भी लाखों एकड़ जमीन है जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने छिपाकर रखा है उसके सम्बन्ध में बात नहीं कही गई है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो एक व्यक्ति एक रोजगार होना चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी में रहना चाहते हो, जमीन को छोड़ो, खेती करना हो तो व्यापार को छोड़ो, व्यापार में रहना चाहते तो सरकारी नौकरी छोड़ो। एक ही आदमी के पास सरकारी नौकरी भी है, व्यापार भी है, खेती भी है, उद्योग भी है, मिनिस्टर भी सारी चीजें हैं। कैसे इस देश में सामाजिक न्याय आयेगा।

अन्त में मैं पंजाब में जो चुनाव हुए हैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा। मैं खुराना साहब से टोटली सहमत हूं कि यह समस्या आपने ही पैदा की है, और थोड़ा बहुत हाथ इसमें खुराना साहब

का भी है। मैं करना चाहूंगा कि जो पंजाब की समस्या है उसका राजनीतिक हल निकालने की कोशिश कीजिए। यह सरकार जब तक रहेगी, इस कुर्सी पर तो ऐसे ही चलेगा। समस्या बिलकुल इस तरह की है कि कभी वहां चुनाव का बहिष्कार वे करेंगे तो कभी आप, कल आप भी बहिष्कार कर रहे थे। एक साथ दोनों नहीं चल सकते। आपने पंजाब में चुनाव करा लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा देश की एकता और अखण्डता के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं, इसमें कोई पार्टी का मामला नहीं है, हम देश को मजबूत करना चाहते हैं और संसार की कोई ताकत नहीं है जो भारत पर आंख उठा सके। लेकिन हमें पाकिस्तान से भी जूझना है कश्मीर के मामले पर, हमें कश्मीर में भी राजनीतिक समाधान निकालने के लिए काम करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। चूंकि यह सरकार राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी के दृष्टिकोण से सारे का सारा अन-कांस्टीट्यूशनल काम में लगी हुई है, इस सरकार को गिराना चाहते हैं। मैं इसमें कोई चोरी नही कर रहा हूं। जितना जल्दी यह सरकार जाये, उतना ही जल्दी इस देश का कल्याण होगा। हम इसमें कितने सफल होंगे या नहीं होंगे लेकिन सारी ताकत रहेगी। इस सरकार ने देश की मान-मर्यादा को खत्म कर दिया है, इसलिए यह सरकार जल्दी जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं नहीं चाहते हुए भी कि यह आपका प्रस्ताव था, आपने उस प्रस्ताव को मूव किया था, इसका विरोध करता हूं लेकिन आपकी मेरी दोस्ती कायम रहेगी। मैं और मेरा दल पूरी ताकत के साथ इस अभिभाषण का विरोध करेगा क्योंकि इस सरकार की नैतिकता चली गयी है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सरकार को सत्ता में आए हुए आठ मास हो गए हैं; अतः इस अवसर पर सरकार के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने का हमें एक मौका मिला है।

इस सरकार की उपलब्धियां वास्तव में काफी उल्लेखनीय हैं। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आर्थिक संकट का सफलतापूर्वक प्रबंध। यह आर्थिक संकट पिछली दो सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था के अकुशल नियंत्रण के कारण प्रारम्भ हुआ था।

हमारी सरकार ने देश को दिवालिया होने से बचा लिया है और वादे पर रुपया न चुका पाने की स्थिति से अपनी अर्थव्यवस्था के दोषों को सुधारने के लिए एक दूरगामी संरचनागत समायोजन कार्यक्रम हमारे समक्ष है। यह सिर्फ कांग्रेस शासन के तहत स्थिरता के लम्बे इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास के कारण संभव हो पाया है।

दिल्ली की नई सरकार एक खुली सरकार है, जो राजनैतिक दलों से सहमति लेती है, महत्वपूर्ण मामलों पर खुले तौर पर चर्चा करती है, विशेषज्ञों की सलाह मांगती है और उन्हें स्वीकार करती है तथा जनता को विश्वास में लेकर चलती है। इसने कई जटिल समस्याओं का जनतांत्रिक समाधान करने का मार्ग चुना, जिसने सामाजिक तनावों को दूर करने में हमारी सहायता की है। इस देश की जनता इस सरकार का पूरा समर्थन करती है और हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस दल की अभूतपूर्व

सफलता से ये साफ प्रकट हुआ है। चाहे लोक सभा उपचुनाव हो या पंजाब के चुनाव या मुम्बई नगरपालिका या महाराष्ट्र में पंचायती चुनाव हों, इन परिणामों से साफ प्रदर्शित होता है कि जनता ठोस कार्य चाहती है और समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सुविचारित नीति चाहती है तथा भाजपा की एकता यात्रा या वामपंथियों ने सैद्धांतिक शब्दाडम्बर जैसी चालों को नहीं चाहती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि संसद और विधानसभा दोनों में निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनका अपने नेताओं से मोहभंग हो चुका है, बड़ी संख्या में कांग्रेस में आ रहे हैं।

आर्थिक मामलों पर कई संशोधन रखे गए हैं। आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के वास्ते मैं कुछ समय लूंगा। सोवियत संघ के अचानक पतन के परिणामस्वरूप, विश्व में शक्ति संतुलन स्थायी रूप से अमेरिका के पक्ष में हो गया है। विकसित देश स्वयं को क्षेत्रीय आर्थिक समूहों में संगठित कर रहे हैं और अपने उत्पाद के लिए बाजार को बढ़ाने के लिए साझा बाजार बना रहे हैं। इस एक ध्रुवीय वास्तविकता से दक्षिण देशों को काफी हानि पहुंची है। भारत अलग-थलग पड़ गया है ?

वर्ष 1989-90 के दौरान विदेशी ऋण और सरकारी घाटे की समस्या ने खतरनाक रूप धारण कर लिया था, जिससे मुद्रा स्फीति और अत्यधिक मंदी का खतरा पैदा हो गया था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के ऋणों से थोड़ी देर के लिए राहत मिली। किन्तु संरचनागत समायोजन की आवश्यकता थी। यह जरूरी हो गया था कि हम अपने अपने व्यापार अधिशेष को और बढ़ाएं ताकि बाह्य देनदारियों में किसी दोष से बचा जा सके, क्योंकि एक गलती भी हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बिगाड़ सकती है जिसका परिणाम एक संपूर्ण अल्पवस्था और विघटन हो सकता है, जैसा कि सोवियत संघ में हुआ है।

व्यापार अधिशेष प्राप्त करने के लिए निर्यात बढ़ाना जरूरी हो जाता है, दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में औद्योगिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। और यही कारण है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था का विश्वीकरण करना है, इसे मुख्य धारा में मिलाना है। औद्योगिकी को उच्च स्तर पर लाना है और विदेशी निवेश को आमंत्रित करना है। प्रक्रिया को उदार बनाना आवश्यक था, आंतरिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है और अपनी वित्तीय, औद्योगिकी और व्यापारिक नीतियों को समय के अनुकूल बनाना है। हम समझते हैं कि हमें विकसित देशों का आमना-सामना करना होगा। सिर्फ यही मार्ग है। भारत में क्षमता है ?

इन नीतियों से अनुकूल परिणाम निकले हैं। विदेशी मुद्रा कोष तीन गुना बढ़ गया है। जमा दर बढ़ गई है। बढ़ी संख्या में अनिवासी भारतीयों की जो पूंजी बाहर जा रही थी, वह रुक गई है। सरकार के घाटे कम हो रहे हैं। भारत में और इसके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बढ़ रहा हैं।

विपक्ष के लोग ऋण की शर्तों और प्रभुसत्ता के नष्ट होने का शोर मचा रहे हैं। यदि वे ऋण के विरुद्ध हैं, तो क्या वे समय पर पैसा न चुकाने का सुझाव दे रहे हैं ? वे समय पर पैसा न चुकने के संभावित परिणामों पर चर्चा करना नहीं चाहते। विपक्ष को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण को एक रचनात्मक विकल्प जनता को देना होगा और उन्हें समझाएं कि इससे क्या संभावित कठि-

नाइयां हो सकती हैं—मुद्रा स्फीति तीन अंकों में हो जाएगी, अत्यधिक मंदी और उद्योग के पूर्ण विघटन के परिणामस्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। देश इस धक्के को सहन नहीं कर पाएगा और भारत में सोवियत संघ के विघटन को दोहराया जा सकता है। एक जिम्मेवार कांग्रेस सरकार यह नहीं होने दे सकती।

हम देख चुके हैं कि एक कठोर सैद्धांतिक रुख और बदलते विश्व के अनुसार स्वयं को बदलने की असफलता ने भूतपूर्व सोवियत राज्यों का क्या हाल बना डाला है। आज 200 प्रतिशत मुद्रा स्फीति है तथा 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से भी नीचे रहती है। रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के लिए आवेदन किया है और वह आठ बिलियन अमरीकी डालर का ऋण चाहता है। क्या यह शर्तों के बिना होगा? चीन ने अमरीका के दबाव में आकर यू० एस० ट्रेड एक्ट की विशेष धारा 301 के अनुरूप अपना पेटेन्ट्स कानून बदल दिया।

हमारे मार्क्सवादी मित्र औद्योगिक तथा व्यापार नीति सुधारों के विरुद्ध हैं। उन्होंने नेहरू में एक नए भगवान की खोज की है। उन्होंने स्तालिन और लेनिन का उद्धरण देना बन्द कर दिया है तथा वे अब नेहरूवादी अर्थशास्त्र की प्रशंसा कर रहे हैं जिसे उन्होंने पहले ठुकरा दिया था। किन्तु वे अकेले नहीं हैं। तीसरी दुनिया के सभी देश, जो पहले पूर्वी ब्लाक था, कांग्रेस द्वारा अनुसरण की गई मिली-जुली अर्थव्यवस्था के नेहरूवादी रूप का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हम नेहरू की नीतियों का त्याग नहीं कर रहे हैं। हम केवल गैर-प्रतिस्पर्धात्मक महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा सामरिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर पुनः जोर देकर अगले तर्कसंगत कदम—दूसरा चरण—पर आगे बढ़ रहे हैं, निजी क्षेत्र 1947 की अपेक्षा आज अधिक परिपक्व हो गया है। वह निवेश करने को इच्छुक है। हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए? यह हमारा कर्त्तव्य बनता है कि हम जहां भी सम्भव हो सके, सार्वजनिक क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाएं? किन्तु इसे अपने उपलब्ध अल्प स्त्रोतों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसे अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

समायोजन की प्रक्रिया कठिन होगी। किन्तु जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा न कर सकें और निर्यात बाजार न पा सकें, हमें इन सुधारों के लिए तार्किक आधार देने होंगे।

और इन नीतियों को लोगों को, एक आम व्यक्ति को, समझाना होगा। यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ये नीतियां गरीब विरोधी या श्रम-विरोधी नहीं हैं अपितु योग्यता उन्मुख हैं तथा वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने वाली हैं। यह समझना होगा कि इन सुधारों के बिना अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी तथा इसकी जो कीमत भरनी पड़ेगी वह सौ गुना अधिक कष्टदायी होगी।

सुधारों को उनकी गुणता के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित दृष्टिकोण से। प्रबन्ध परिवर्तन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि परिवर्तन अपने आपमें महत्त्वपूर्ण हैं।

अब मैं अन्य मुद्दों पर आता हूं। जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। 1975-77 में

इन्दिरा गांधी सरकार द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों पर, उनके बाद जनता सरकार ने पानी फेर दिया। मेरा सुझाव है कि इस समस्या को गम्भीरता दर्शाने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय का नाम बदलकर स्वास्थ्य और जनसंख्या नियन्त्रण रख दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रगति की पुनरीक्षा करने तथा इस कार्यक्रम की गति को तेज करने के उपाय सुझाने के लिए संसद को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा है।

चुनाव सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यद्यपि इसका विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया है। लोग राजनैतिक प्रक्रिया तथा राजनीतिज्ञों से दूर हो रहे हैं।

महोदय, धर्म, धन शक्ति और हिंसा के प्रयोग पर नियन्त्रण लगना चाहिए। दल-बदल विरोधी कानून को भी एक नया रूप दिया जाना चाहिए।

गरीबी तथा बेरोजगारी के विरुद्ध हमारी लड़ाई में किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पचास जिलों में छोटे वाटर-शेड्स लगाने की योजना का स्वागत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस योजना के अंतर्गत सतारा तथा सांगली के पर्वतीय जिलों को भी शामिल कर ले। मैं वित्त मंत्री से पुनः निवेदन करता हूं कि वह कृष्णा बेसिन की सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जिन्हें कृष्णा-गोदावरी जल विवाद न्यायीकरण के अवार्ड के अनुसार 2000 ईसवी तक पूरा किया जाना है, महाराष्ट्र राज्य को सार्वजनिक बांड के जरिए धन एकत्र करने की अनुमति दें।

पिछले चालीस वर्षों में हमने यह सीखा है कि हम किसी चीज को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। जब राष्ट्रीय हित खतरे में हो तो हमें अधिकाधिक वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है, हमें दिखावे की नीतियों का त्याग करना और दलगत भावना से ऊपर उठना होगा।

विकसित देश तीसरी दुनिया पर धाक जमाये रखने की कोशिश करते रहेंगे। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने, परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा पांच देशों की बैठक का आयोजन हमारी परमाणु सुविधाओं की जांच और सुरक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा आयोग की कम भूमिका इत्यादि जैसे मुद्दों के सम्बन्ध में भारत पर काफी दबाव है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा 'गैट' पहले ही छद्म विश्व सरकारों के रूप में कार्य कर रही हैं। 'गैट' समझौते पर डंकल प्रारूप का मामला भी है। यदि हम 'ट्रिम्स', 'ट्रिप्स', 'गैट्स' आदि स्वीकार नहीं करते तो अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि हमें धारा 301 के अधीन आर्थिक अवरोध की धमकी दे रहा है। जल्द ही हमें अपने आन्तरिक मामलों में और हस्तक्षेपों का सामना करना पड़ेगा, जोकि मानव अधिकारों के नाम से भी हो सकते हैं, या फिर पर्यावरणीय मुद्दों जैसे पृथ्वी पर तापमान को बढ़ने या ग्रीन हाऊस इफैक्ट के नाम से हो सकते हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या भी उनके लिए समस्या बन सकती है।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियन्त्रण, चुनाव सुधार, अन्तर्राज्यीय विवाद, अल्पसंख्यक समुदायों का स्तर, क्षेत्रों में भागीदारी, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, बेरोजगारी, 'गैट' वार्ता

इत्यादि जैसे गम्भीर राष्ट्रीय मुद्दों पर सर्व दलीय, अखिल भारतीय जनमत होना चाहिए। परमाणु विकल्प का मुद्दा भी सामने हैं।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमें अपने मतभेद समाप्त करके चीन, रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और लेटिन अमरीकन देशों के साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक सांझा मंच तैयार करना होगा।

हमें पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए काम करना है ताकि दोनों ही व्यर्थ रक्षा व्यय को कम कर सकें।

आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही इन दबावों का सामना कर सकता है और अपने लोगों के लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से इस सरकार की नीतियों के लिए इस सदन का एकमत से समर्थन पाने का अनुरोध करता हूं।

मैं सरकार की नीतियों का समर्थन करता हूं, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, यद्यपि हमारी पार्टी तेलुगू देशम राष्ट्रपति अभिभाषण में अनुपस्थित रही थी लेकिन हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा में भाग लेना है। इस सम्बन्ध में हम श्री पी० एम० सईद द्वारा प्रस्तावित संकल्प का विरोध करते हैं।

अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने संकल्प पर बोला है और बहुत-सी बातें सामने लाई गई हैं। मैं वे सब बातें पुनः दोहराने नहीं जा रहा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि निसन्देह स्वतन्त्रता प्राप्ति के 44 वर्षों के पश्चात् भी एक अलिखित घोषणा के रूप में अब महान समाजवादी नेता श्री पी० वी० नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, समाज-विरोधी तत्वों और हिन्दू जाति के उच्च-वर्ग की पोषक होगी। यह हमेशा के लिए घोषणा कर दी गई है कि अब तक हम ही ऐसे नेता हैं जो दलितों का उत्थान करेंगे, मुसलमानों, पिछड़े वर्गों और पददलितों का उत्थान करेंगे। यह राष्ट्र के सामने स्पष्ट है, उन्होंने यह स्वीकार किया है और राष्ट्रपति के अभि-भाषण में यह स्पष्ट तौर पर सम्प्रेषित है कि "जैसा कि हम पहले से ही कह रहे हैं हमने वह विचार त्याग दिया है और अब नव-निर्मित धनी वर्ग का पोषण करते हैं।"

महोदय, बहुत से विकल्प सुझाये गए हैं। पिछली बार राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान हमने कुछ विकल्प सुझाये थे। वास्तव में पिछले वर्ष, जुलाई, 1991 के दौरान देश विकट आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा था और सरकार को उस संकट से निकलने में सभी विरोधी दलों ने सहयोग दिया था महोदय, उन चर्चाओं के दौरान हमने स्पष्ट रूप में सुझाया था 'कि अगर हमारे सामने गंभीर समस्या हो तब भी हम पांच वर्षों में दिये जाने वाले ऋण को कुछ समय हेतु स्थगित करने की घोषणा कर सकते हैं।" महोदय, जुलाई, 1991 में भुगतान संतुलन का संकट था। यह 11,000 करोड़ रुपए के लगभग था। हमने वर्ष 1989-90 में 32,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं का निर्यात किया और वहीं हम 42,000 करोड़ रुपए के सामान और पूंजीगत वस्तुएं इत्यादि आयात कर रहे थे। 10,000 करोड़ रुपए का अन्तर है।

5.42 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमने सुझाव दिया है कि अगले पांच वर्षों के लिए विदेशी भुगतान को स्थगित करके इस अन्तर को पूरा किया जा सकता है। पी० ओ० एल० के अन्तर्गत आयात को रोका जा सकता है क्योंकि केवल पी० ओ० एल० के अन्तर्गत ही हम 11,000 करोड़ रुपए की अदायगी की है और केवल पूंजीगत वस्तुओं पर ही हम प्रति वर्ष 11,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। इस प्रकार इन दो मुद्दों पर इन छः महीनों के दौरान उन्होंने क्या कि --उन्होंने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को रोक दिया, उन्होंने अन्य बहुत-सी मदों और अन्य आयातों जैसे खाद्य तेलों के आयात को रोक दिया। और उसके विपरीत निर्यात में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। किस प्रकार सरकार अपनी कार्यवाही को उचित ठहराती है? इसके विपरीत रुपए का अवमूल्यन करने से ऋण एक लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए हो गया है। ब्याज सहित मिलाकर यह 1,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।

महोदय, वर्ष 1989-90 में हमने 1000 करोड़ रुपए की कपास का निर्यात किया था। अब इसका हम आयात कर रहे हैं। खाद्य तेल के सम्बन्ध में हमने कहा है कि अगर आप गुजरात और रायलसीमा के किसानों को मूल्य 350 रुपए क्विंटल देते हैं तो यह तेल के आयात को रोकने के लिए काफी है और इससे हम एक वर्ष में 200 करोड़ रुपए बचा सकते हैं।

महोदय, हम सभी अमरीका, फ्रांस और उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं।

माननीय सदन से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सरकार सभी सुविधाएं मुहैया कराये तो हमारा किसान एक साल में तीन फसलें पैदा कर सकता है जबकि कनाडा, अमरीका और फ्रांस में चाहे जितनी भी सुविधाएं महैया करा दी जाएं, एक साल में एक ही फसल पैदा की जा सकती है क्योंकि वहां की जलवायु ही इस तरह की है।

भारत सरकार द्वारा किसानों को उर्वरकों, सिंचाई तथा उत्तम बीज व साख सुविधाओं की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी। हमारे वित्त मंत्री तथा इस सरकार ने विगत आठ महीनों में घपला किया है और हमने पिछले बजट-सत्र में भी यह चेतावनी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है। अब उनके हेरा-फेरी के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कृषि उत्पादन में 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है तथा औद्योगिक उत्पादन में भी 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह सब बने-बनाए आंकड़े हैं।

महोदय, पहले हमें एक एकड़ से 40 बोरी धान प्राप्त होता था और इस वर्ष हेरा-फेरी के कारण उर्वरक नीति के कारण और सहकारी समितियों की साख सुविधाएं उपलब्ध न कराने के कारण भी इतना उत्पादन नहीं हुआ। इन आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप हमने क्या पाया है? पिछली बार मैंने वित्त मंत्री का समर्थन किया था और उन्हें धन्यवाद भी दिया था क्योंकि वे ईमानदार व्यक्ति हैं और एक कम्प्यूटर की तरह वे 'फीडिंग मेटीरियल' उपलब्ध कराते रहे हैं। उस उपलब्ध 'फीडिंग मेटीरियल' के साथ हमारे वित्त मंत्री ने इस समस्या का ईमानदारी से हल ढूंढने का प्रयास

किया जिसका देश आज सामना कर रहा है। हम वित्त मंत्री को समर्थन देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इन परिस्थितियों में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन इस लाइसेंस समाप्त करने और नियंत्रण हटाने आदि के वास्तविक परिणाम क्या निकले हैं ? यदि हम कुल मिलाकर पीछे देखें तो हम देख सकते हैं कि किसान ने अपनी देयता को ईमानदारी से चुकाया है. श्रमिक ने उस कपड़े पर, जिसे वह बुनता है, काफी, जिसे वह पीता है और जो खाद्य पदार्थ वह खरीदता है, उस पर उत्पाद शुल्क ईमानदारी से अदा किया है। कर्मचारियों ने अपना आयकर का ईमानदारी से भुगतान किया है और देश की 90 प्रतिशत जनता विगत 44 वर्षों से ईमानदारी से जीवन-यापन करती आयी है। उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया है। इन 44 वर्षों में बड़े लोगों ने क्या किया है ? उन्होंने अवैध रूप से बटोरे गए अपने धन को स्विटजरलेंड में जमा किया है। मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने ऐसा किया है। संक्षेप में हमारे वित्त मंत्री ने उनके अवैध रूप से बटोरे गए धन के लेन-देन को नियमित कराया है। आप सोचते होंगे कि सफेद-कालर वाले लोग प्रसन्न हैं, व्यापारी वर्ग व उद्योगपति प्रसन्न हैं। नौकरशाह और राजनीतिज्ञ जिन्होंने स्विटजरलेंड में अपना पैसा जमा करवाया हुआ है, प्रसन्न हैं। जैसाकि मैं समझता हूं, लगभग 50,000 करोड़ रुपया वहां जमा है। लेकिन जिन्होंने 44 वर्षों तक अपने करों का ईमानदारी से भुगतान किया है, उनका भाग्य क्या है ? क्या वे हतोत्साहित नहीं होते ? क्या वे अप्रसन्न नहीं हैं ? आप उनकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं ? इसलिए, हम जिस स्थिति में हैं, वह इस तरह की है।

महोदय, बजट चर्चा के दौरान हम अपने भावी औद्योगिक विकास का व्यापक विश्लेषण करेंगे। आपकी औद्योगिक नीति तथा आर्थिक नीति के बारे में लोगों ने वास्तव में विश्लेषण किए हैं। कृपया यह न सोचें कि वातानुकूलित भवनों में बैठे संसद के सदस्य प्रसन्न हैं, तो पूरा राष्ट्र प्रसन्न है। ऐसी बात नहीं है। यहां तक कि माननीय मंत्री जी भी अपने 20 वर्ष के अनुभव सहित इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि हम किस भाव पर गेहूं का आयात व निर्यात कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में डा० मनमोहन सिंह की उदार आर्थिक नीतियों के बावजूद भी उनका मंत्रालय, जो पैसा लाया जा रहा है, उसमें भी गोलमाल करेगा, नौकरशाह इतने योग्य नहीं हैं कि वे उस पैसे का गरीब लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकें, ऐसा उनका दृष्टिकोण है।

प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि सोवियत संघ टूट गया है। सन् 1965 में मैं इंजीनियरिंग कालेज का छात्र था और उस समय सोवियत संघ ने घोषणा की थी कि किसी को भी कश्मीर को नहीं छूना चाहिए। राष्ट्र इसे भूल गया है। कांग्रेस के लोग कृतघ्न हैं। आज एकीकृत सोवियत रूस के कारण ही वियतनाम और नए स्वतन्त्र देश सामन्तवादी शासन से मुक्त हुए हैं। उनके सकल घरेलू उत्पादन का 50 % गरीब राष्ट्रों को दे दिया गया है। भारत को भी रूस से उनका सामान प्राप्त हुआ है। वे किन्हीं अन्य कारणों से गिर गए होते। लेकिन वे उस तरह का बर्ताव नहीं कर रहे हैं जैसा कि आज हम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि सोवियत संघ फिर उभरेगा। पूंजीवादी देशों को जवाब देने के लिए वे मुख्यतः शस्त्रों पर निर्भर थे और उनका निर्माण करने में लगे रहे। उनके उत्पादन का 75 प्रतिशत शस्त्रागारों और हथियारों पर खर्च हो रहा था। उन्होंने अपनी कृषि की उपेक्षा कर दी थी। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों की तरह आरामपरस्त हैं। वे परिश्रमी हैं, मुझे यकीन है कि दो-तीन साल के अन्तर्गत फिर उभरकर सामने आयेंगे।

सत्ताधारी दल की नीति ऐसी है कि वे हमेशा एक समस्या खड़ी रखना चाहते हैं। आपने पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ को बांट दिया है। क्या आपमें देशभक्ति है ? क्या इसे अलग रखने का कोई तुक है ?

चाहे आप चण्डीगढ़ पंजाब को दें या हरियाणा को दें। लेकिन वे एक मुद्दा हमेशा बनाए रखना चाहते हैं।

क्या कश्मीर में कोई समस्या है ? वे एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे संकट के समय में पूरे देश को भ्रम में डाल सकें। क्या हैदराबाद में मुस्लिम लोग खुशी से और सुरक्षित रूप से नहीं रह रहे हैं ? क्या मुसलमान लखनऊ में सुरक्षित नहीं हैं ? यदि आप कश्मीर को भारत में बनाए रखना चाहते हैं तो इसके तीन विकल्प हैं। मैं दल की लीक पर बात नहीं कर रहा हूं। हमें इस पूरे मुद्दे को फूहड़ नहीं होने देना चाहिए। यदि आप उन्हें उनका अपना विकल्प चुनने का स्वतंत्र अवसर देना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। यदि आप उसे भारत में बनाए रखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दो। हम कब तक इस सिर दर्दी को बनाए रख सकते हैं ? आप अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दें या उन्हें अपने भाग्य का फैसला करने का अवसर दो या युद्ध की घोषणा करो और वहां पर जो भी अलगाववादी ताकतें हैं उन्हें समाप्त कर दो।

पंजाब के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि यह सत्ता की राजनीति की देन है। कांग्रेस ने तटस्थ नेतृत्व को कभी-भी जमने नहीं दिया है। वे तो गुड़िया तैयार करेंगे और उसे मुख्य मंत्री या गृह मंत्री के बतौर बैठा देंगे। हरेक राज्य में यही समस्या है।

हम लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और उसमें से लगभग 80 प्रतिशत वेतन पर खर्च हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में मण्डल आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पिछड़ी जातियां त्रिशंक स्वर्ग हैं जो एक प्रतिशत भी सेवाओं में नहीं हैं। यदि श्री लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमन्त्री न होते तो सत्ताधारी दल हमें कुछ वर्षों तक और मूर्ख बनाता।

श्री आर० जीवरत्नम (अर्कोनिम) : नरसिंह राव सरकार इसका समर्थन कर रही है या नहीं ?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : मैं केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आप अपना निष्कर्ष स्वयं निकालें। मैं कैसे समर्थन कर सकता हूं। आपने देश की पूरी संप्रभुता और आर्थिक स्वतन्त्रता को गिरवी रख दिया है। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दे दिए होते। यह पिछड़ा हुआ राष्ट्र है।

यदि श्री लालू प्रसाद बिहार के मुख्य मंत्री न होते तो जो वारदातें 1984 में दिल्ली में हुई थीं वही बिहार में भी हो जातीं।

यदि श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री न होते तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की सामूहिक हत्याएं कर दी गई होतीं।

मैं इस देश के लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं "कि अपने वर्ग के नेता चुनिए। अपने नेता का चुनाव कीजिए। कांग्रेस पार्टी पर निर्भर न रहिए जो कुछ समुदायों के उच्च वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर रही है। जो राष्ट्र विरोधी तत्वों, बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हितों की रक्षा कर रही है। अपनी संप्रभुता और आर्थिक स्वतन्त्रता को विश्व बैंक को अर्म्यापित मत कीजिए।"

यहां पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। लेकिन हम इस बात की गहराई तक नहीं गए कि नक्सलवाद और आतंकवाद कैसे पनपा। आप राष्ट्र को भ्रम में डालना चाहते हैं। आप उन्हें दस वर्ष के लम्बे समय तक भ्रम में नहीं रख सकते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह स्थानीय तटस्थ नेतृत्व उभर रहा है और आपको सबक सिखा दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में डा० रेड्डी सहित हरेक व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि उन्होंने नक्सलवाद पर काबू पा लिया है। लेकिन वे इस पर नियंत्रण नहीं कर सके हैं। आपने सीमा सुरक्षा बल वहां भेजा। यह शर्म की बात है। इसका काम देश की सीमाओं की रखवाली करना है। आपने निजामाबाद और करीम नगर में सेना और सीमा सुरक्षा बल को भेजा और मुठभेड़ों के नाम हर युवाओं को मारा। उन युवकों ने जो इंजीनियर और डाक्टर हैं, घोर भ्रष्टाचार देखा, आंध्र प्रदेश में पददलितों का सामाजिक शोषण देखा, उन्होंने हथियार उठा लिए और क्षोभ मुक्त होकर जंगलों में घुस गए और आपने कभी उन्हे नियंत्रित नहीं किया। क्या इस प्रधान मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को किसी भी समय सलाह दी है "कि देखो मुख्य मंत्री जी यहां पर हालात ठीक नहीं हैं। हम पहले की भांति कठोर नहीं हैं। कृपया समुचित व्यवहार कीजिए। भ्रष्टाचार रोकिए, पद-दलितों का शोषण मत कीजिए ?" वे देश पर शासन करना चाहते हैं और उसे विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास गिरवी रखना चाहते हैं।

मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव श्री पी० एम० सईद जी ने सदन में प्रस्तुत किया है और उसका समर्थन श्री पवन कुमार बंसल जी ने किया है। इन दोनों मित्रों का मैं सम्मान करता हूं लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राष्ट्रीय सहमति की बात राष्ट्रपति भी करते हैं और प्रधान मंत्री भी करते हैं। राष्ट्रीय सहमति कोई मंत्र नहीं जिसका जाप आप सवेरे-शाम उठते-बैठते करें और समस्या हल हो जाए। राष्ट्रीय सहमति पैदा करने के लिए आपने कौन-कौन से कदम उठाए हैं ? एक महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी का है, जिस पर कोई राजनीतिक दल इन्कार नहीं कर सकता, उसकी मदद से क्या सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए...—

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० थूमल आप अपना शेष भाषण कल दे सकते हैं।

सभा कल शुक्रवार 6 मार्च, 1992 को 11.00 बजे म० पू० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 मार्च, 1992, 16 फाल्गुन, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली 53